

DUEDATE SUP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUEDATE	SIGNATURE

**AN
INA SHREE
PRODUCTION**

आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था

(Modern Indian Economy)

सम्पादक

डॉ. एम. सी. गुप्ता

एमोमिएट प्रोरेमा,

आर्थिक प्रशासन एवं विनीय प्रबन्ध इन्स्टि-

रात्रम्यान विश्वविद्यालय, बंदुर।

भूमिका

प्रो. एम. ही. अग्रवाल

विश्वविद्यालय, वार्गिक सत्राय

कोटा मुला विश्वविद्यालय, कोटा

इना श्री पल्लिशर्स
जयपुर

© लेखक 1997
पुस्तक 1999

प्रकाशक से पूर्व-निर्दिष्ट अनुग्रह प्राप्त किए विता मात्र उद्देश के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश से इस पुस्तक के किसी भी अंश का किसी भी हार्डकॉवर, इलेक्ट्रॉनिक, फोटोस्टेट, ब्यून्डा-सीखन अथवा अन्य किसी भी रिप्रिंट से प्रतिलिपिकरण, प्रेसग्राहक अथवा उन्नीसे नवाचार किया जाता है।

ISBN 81-86653-08-2
मूल्य 400/-

प्रकाशक
इन्हा श्री पब्लिशर्स, जयपुर

वितरक
कॉलेज बुक डिपो
83, विरोधिया बाजार, जयपुर-2 © 320827/312156

टाइप सेटिंग
वी एम कम्प्यूटर्स, जयपुर

मुद्रक
इंस्टीक ऑफसेट प्रिन्टर्स, जयपुर

भूमिका

डॉ एम सी गुप्ता द्वारा प्रकलित पुस्तक 'अधिकारी अर्थव्यवस्था' की भूमिका लिखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। पिछले पच्चीम वर्षों से अधिक समय से मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के विभिन्न आयामों को एक सेखक के रूप में गहनता से देखता रहा हूँ तथा मुझे यह अनुभव हुआ है कि हिन्दी भाषी विद्यार्थियों, प्रशासकों एवं नीति निधारकों को इम विषय पर एक साथ बहुत से विचारकों एवं विश्लेषकों के सेख पढ़ने को उपलब्ध नहीं होते हैं। डॉ गुप्ता का यह एक सराहनीय प्रयास है कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अनेक विद्वानों द्वारा हिन्दी भाषा में लिखे गये लेखों को सम्प्रहित करके इस पुस्तक में प्रकाशित किया है। एक तरफ इस पुस्तक में हमें भारत में आर्थिक नियोजन एवं योजनाबद्ध विकास की सम्पूर्ण जानकारी मिलती है वहीं दूसरी ओर भारत के सार्वजनिक उपक्रम तथा अन्य बड़े उपक्रमों के विकास तथा उनकी समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। हमें आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय, पचायती राज, भारत में आर्थिक सुधार, जमीन वे; दिशे एवं भविष्य का नवरा, भूमि सुधार, महिला साक्षरता, मैच्चिक समाज एवं उनकी भूमिका आदि के बारे में उपयोगी तथा प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है।

डॉ गुप्ता वा बरिठिन परिश्रम तथा प्रकाशक का प्रयत्न दोनों सार्थक होंगे तथा यह पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊचि रखने वाले विद्यार्थियों, उद्योगपतियों, प्रशासकों, नीति निधारकों तथा सामाज्य जन के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। इस तरह के प्रयास भविष्य में भी निरतर जारी रहने चाहिए।

वरिष्ठतम् प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
वाणिज्य सकाय
कोटा युला विश्वविद्यालय
कोटा (राज.)

प्रोफेसर एम.डी. अपवाल

प्राक्कथन

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कभी अस्त-व्यस्त थी, क्योंकि श्रीटिरा शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की ओर नित्यकृत भी ध्यान नहीं दिया गया था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का सुलक्षण किया तथा अपने हित में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किया, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार का ध्यान इस और गया और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारतक प्रयत्न किये गये हैं। प्रथम पचवर्षीय योजना कूपि प्रधान योजना थी, द्वितीय पचवर्षीय योजना टृष्णोग प्रधान योजना थी तथा तीसरी और इसके बाद की पचवर्षीय योजनाओं में अर्थव्यवस्था के समस्त पहलुओं—कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात तथा समाज कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष रूप में ध्यान दिया गया है तथा अच्छी भफलता भी प्राप्त हुई है। भारत में अभी तक सात पचवर्षीय योजनायें तथा अनेक वार्षिक योजनायें पूरी हो चुकी हैं तथा वर्तमान में आठवीं पचवर्षीय योजना पर कार्य चालू है।

प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू से सम्बन्धित विषय सामग्री एकत्रित की गयी है जिससे इम बात की जानकारी पुस्तक के पढ़ने वालों द्वे प्राप्त हो सके कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के किस देश में कितना विकास संभव हुआ है? और अभी इस ओर कितना ध्यान देने की आवश्यकता है? ऐसा अनुमान है कि यह पुस्तक नोति-निर्धारकों, प्रशासकों, प्राप्त्यापकों एव विद्यार्थियों तथा जनसाधारण के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी।

प्रस्तुत पुस्तक में सम्मिलित किये जाने वाले लेख, सेवक के द्वारा विभिन्न स्रोतों से जुटाये गये हैं। लेखक ठन मंबक हृदय से आधारी है जिनका योगदान प्रस्तुत पुस्तक की विषय सामग्री में निहित है।

लेखक प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशक श्री एस.के. जैन, यूनिवर्सल बुक सप्लायर्स, एम.एम.एस. हाइवे, जयपुर का भी हृदय से आधारी है जिन्होंने पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन में पूरी ऊंची ली है।

लेखकों का परिचय

डॉ. स्टीफन मुद्रा, एसेसिस्ट प्रोफेसर, अर्द्धिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, एवस्टन विश्वविद्यालय, जयनुस-302004.

प्रोफेसर केरी गंगाराई, भूरपूर्व ठप कूलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

डॉ. बी.के. अश्वल, अध्यक्ष, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, पीसी० बागला महाविद्यालय, हायरस ।

अमर कुमार सिंह, फौ-705, एमएस एपार्टमेंट, कल्पना गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001.

डॉ. सूखर सिंह ४-वी-१, प्रदाप नगर, टैक फ्लट, जयनुस-302015.

स्थान मुद्रा सिंह चौहान, अध्यक्ष, अर्द्धशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, चरमपंथी (महेश) डॉ ।

भोज कुमार द्विदेशी, बी/१ टोंचर्स कॉलोनी, अर्द्धश (बांदा) डॉ. ।

डॉ. अस्मा शर्मा, १/१५ शान्ति कुंज, अलवर-301001.

रमेश चंद्र, घे-३/२०३, राजीव गार्डन, नई दिल्ली-110027.

प्रद्युमन दावनेश, ७४४ सेक्टर-३, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110022.

प्रो. डॉ. बी.एन. इत्तियादि, यनो दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय, मुमुक्षुला (मध्य) ।

प्रो. आर.के. तिवारी, यनो दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय, मुमुक्षुला (मध्य) ।

डॉ. स्टीफन मुद्रा, प्राचार्य, श्री एलएन हिन्दू वैत्तेज, योहतक (हरिदास) ।

डॉ. अंगज बद्र अश्वल, संदुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), एज्य निदेशन संस्कार, डॉ. कर्तांककर म्हवन, लखनऊ-7.

किंद्र गुन, स्वरूप पत्रकारिता, नई दिल्ली ।

डॉ. रामेश अश्वल, प्रवक्ता, एमएसवी (प्रेपे) कालिज हानुङ (गाजियाबाद) ।

डॉ. दश गोपाल, आई-10 प्रसाद नगर, नई दिल्ली-110005.

प्रदीप अश्वल, ठप सचिव, ऐजेन्स, मंत्रालय, नई दिल्ली ।

अर्द्धिक दुमार सिंह वरिष्ठ संवाददाता, अमर डिजाल, नई दिल्ली ।

प्रोफेसर टी. छक्का, नेशनल फेलो, राष्ट्रीय अर्द्धिक मीर नीरि अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली ।

संगीता शर्मा, फौ-55, अमन विहार, दिल्ली-७२.

डॉ. क्लोएट जोशी, ए-1500, एनएचजॉन व्हैलोनी, सन्डवा (मध्य)-450001

अनुक्रमणिका

भूमिका	▼
प्रावक्षय	vii
सेखकों का परिवद	viii
1 भारत में आर्द्धिक नियोजन एवं योग्यतावद् विकास की उपलब्धियाँ	1
एस सी गुप्ता	
2 सर्व भूमि गोपाल की	19
केहड़ी गगड़े	
3 भारतीय सार्वजनिक उपक्रम	35
शौके अश्वात	
4 भारत में लोहा और इस्पात उद्योग	41
अब्द बुमार सिन्हा	
5 आर्द्धिक विकास का मौद्रिक क्या हो ?	47
मूरज सिंह	
6 भारत के लिए अटार्कटिका अनुसंधान का महत्व	55
स्थाय मुन्द्र सिंह चौहान	
7 भारत ईकिसको की भूमि नहीं दोहरायेगा	63
वेद ब्रक्षरह अरोहा	
8 भारत में जनगतिर्दी : समस्या एवं समाधान	69
मनोज कुमार दिवेली	

१	अनुद्देश्य	
९	प्राचीन वर्णन विषयों व्यापक इतिहास	75
10	प्राचीन ग्रन्थों का सम्बन्ध साक्षर हुआ उत्तरी एशिया	81
11	कालांक और सामाजिक सम्बन्ध ग्रन्थों का विवरण	91
12	सामाजिक संबंधों के सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्ध विवरण	101
13	वृत्तिशाली विवरण एवं सामाजिक सामाजिक सम्बन्ध जैसे इतिहास एवं कला विवरण	109
14	कलाओं की विवरण एवं उनके विवरण में प्रचलित की दृष्टिका केंद्रों का विवरण	117
15	भारत में वृत्तिशाली विवरण एवं सामाजिक सम्बन्ध विवरण	129
16	विवरण एवं विवरण की दृष्टिका और सामाजिक सम्बन्ध विवरण	137
17	भारत में विवरण एवं विवरण की विवरण विवरण की दृष्टिका सामाजिक सम्बन्ध सम्बन्ध विवरण	143
18	विवरण से विवरण एवं विवरण का विवरण विवरण	157
19	विवरण की विवरण सामाजिक सम्बन्ध सम्बन्धों की दृष्टिका विवरण	167
20	दृष्टिका विवरण एवं विवरण का विवरण विवरण	177
21	विवरण दोनों और सामाजिक सम्बन्ध विवरण	185
22	विवरण एवं विवरण - विवरण स्विति विवरण भविष्यत के विवरण विवरण	195

23	आधार समस्या एवं समाधान हरे कृष्ण सिंह	203
24	प्रामीण विकासः स्वैच्छिक संगठन बन सकते हैं भील का पन्थर अर्हविन्द कुमार सिंह	209
25	भारत में प्रामीण विकास के लिए भूमि सुधार का महत्व टी. हक	217
26	बाल श्रमिक व्यवस्था खत्य करना एक चुनौती संगीत शर्मा	229
27	इपारी अर्द्धव्यवस्था का व्यवस्था भविष्य में कैसा हो सकता है ? श्रीणाद जोशी	235



भारत में आर्थिक नियोजन एवं योजनावद्ध विकास की उपलब्धियाँ

एस.सी. गुप्ता

आर्थिक नियोजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विश्व में आर्थिक नियोजन भीसकी शताब्दी के उपलब्धि है। सन् 1910 में सबसे पहले नावें के प्रोफेसर क्रिस्टियन सोन्डेर के द्वारा आर्थिक नियोजन की महत्ता को स्वीकार किया गया। जर्मनी और ब्रिटेन के द्वारा प्रथम विश्वयुद्ध काल में युद्धक्षतीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आर्थिक नियोजन के अपनाया गया लेकिन आर्थिक नियोजन के उच्च स्थान प्रदान करने का श्रेय सोवियत रूस को जाता है। वर्तमान में आर्थिक नियोजन विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा अपनाया जाता है चाहे वह विकसित राष्ट्र हो अथवा विकासशील, चाहे वह पूजीयादी हो अथवा समाजवादी हो अथवा साम्प्रदादी हो। आर्थिक नियोजन, विकास की वह प्रक्रिया है जिसे वर्तमान में सभी प्रकार के राष्ट्र द्वारा से अपनाते हैं जिसके बिना आर्थिक विकास बिल्कुल भी संभव नहीं है। आर्थिक नियोजन के विचार के सर्वप्रथम सोवियत रूस के द्वारा सन् 1928 में अपनी प्रथम पचवर्षीय योजना के द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद पूजीयादी देशों के द्वारा तीसा की महान मन्दी काल में इसे अपनाया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध काल में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था अस्त-अस्त हो चुकी थी, जिसे सुधारने के लिए सागरगत सभी राष्ट्रों के द्वारा आर्थिक नियोजन के अपनाया गया। इसके बाद से लेकर अब तक विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा आर्थिक नियोजन के पूर्ण रूप से अथवा आशिक रूप से, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपनाया जा रहा है। वर्तमान में आर्थिक नियोजन की सौक्रियता अथवा प्रसिद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्वतन्त्र अथवा अनियोजित अर्थव्यवस्था की कमिया है जैसे—चेहेजगाह, अमीरी और गरीबी के बीच छाई, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का कम होना, उपलब्ध संसाधनों का उपचित विदोहन न होना इत्यादि। इन कमियों एवं बुराइयों के दूर करने के लिए आर्थिक नियोजन का महाता लिया गया है जिसके माध्यम से ही आर्थिक विकास द्वारा इनका समाप्त है। इसके साथ ही नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की

2 : एससी गुप्ता

सफलता आर्थिक नियोजन में ही निहित है। इस प्रकार आज विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में आर्थिक नियोजन की महत्ता को सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

आर्थिक नियोजन की विचारधारा

आर्थिक नियोजन की विचारधारा प्रोफेसर रोबिन्स की अर्द्धशास्त्र की परिभाषा पर आधारित है जिसके अनुसार प्रत्येक देश को अर्थव्यवस्था में साधन सीमित रूप वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं और आवश्यकतायें अनन्त होती हैं। प्रत्येक देश की सरकार अपने उपलब्ध वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों का प्रयोग असीमित आवश्यकताओं में इस प्रकार करती है जिससे बाहिर उद्देश्यों की प्राप्ति जैसे : गरीबी एवं देरोजगारी का निवारण, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, निर्दारोन्मुख कार्यक्रम अननाना, यातायात एवं सन्देशवाहन के साधनों का विकास करना इत्यादि सुगमता से की जा सके।

आर्थिक नियोजन की परिभाषायें

विभिन्न अर्द्धशास्त्रियों के द्वारा आर्थिक नियोजन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है—

(1) भारतीय योजना आयोग के अनुसार—“आर्थिक नियोजन उपलब्ध समाधनों की वह प्रणाली है जिसमें साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक लाभों को पूरा करने के लिए किया जाता है।”

(2) सुप्रमिल्द अर्द्धशास्त्री एवं डॉ. डिक्लिमन के अनुसार—“आर्थिक नियोजन प्रमुख आर्थिक निर्णयन की वह प्रक्रिया है जिसमें सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यापक नवेशण के आधार पर एक व्यापक सत्ता के द्वारा विचारपूर्वक निर्णय लिये जाते हैं कि क्या और कितना उत्पादन किया जावे, तथा इसका विवरण किनमें हो ?”

(3) श्रीमती दासदास कूटन के अनुसार—“किसी सार्वजनिक सत्ता के द्वारा विचारपूर्वक तथा जानवृक्षकर आर्थिक प्राथमिकताओं के चयन करने की प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहा जाता है।”

(4) डॉ. इन्स्टन के अनुसार—“व्यापक रूप में आर्थिक नियोजन विशाल समाधनों के प्रभारी द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं को इच्छित रूप से संचालित करना है।”

(5) विठ्ठल दत्त के अनुसार—“नियोजन जनसाधारण के अधिकतम लाभ के लिए देश के वर्तमान भौतिक, मानसिक तथा आर्थिक शक्तियों द्वा उपलब्ध समाधनों का उपयोग करने की एक प्रविधि है।”

निष्कर्ष

आर्थिक नियोजन के उपरोक्त अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्थिक नियोजन क्ये कोई भी परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक नियोजन की अपनी परिभाषाओं में सार्वजनिक नियन्त्रण एवं निर्देशन पर बत दिया है तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे व्यापक अर्थ में परिभाषित किया है जिनके अनुसार नियोजन में एक सार्वजनिक सत्ता के द्वारा सर्वेषण के आधार पर आर्थिक निर्णयों, नियन्त्रणों और निर्देशनों को महत्व दिया गया है जिसके फलस्वरूप एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करके अधिकतम सामाजिक कल्याण उपलब्ध करवाया जा सके।

आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ अवधा लक्षण

आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नतिथित हैं—

- (1) प्राथमिकताओं का निर्धारण करना
- (2) नियोजन एक मतदृष्टि विद्या है
- (3) नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है
- (4) राजकीय हस्तक्षेप द्वारा साझेदारी
- (5) जनमहयोग की भावना
- (6) आर्थिक संगठन की एक प्रणाली
- (7) संरचनात्मक परिवर्तन
- (8) उपलब्ध साधनों का आवृट्टन एवं प्रयोग
- (9) पूर्व निर्धारित उद्देश्य
- (10) निश्चित ममतावधि
- (11) व्यापक दृष्टिकोण
- (12) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर क्रियान्वयन
- (13) अनिम उद्देश्य-सामाजिक कल्याण
- (14) मूल्यांकन करना

आर्थिक नियोजन के उद्देश्य

आर्थिक नियोजन की विवारणा एक प्रावैगिक दृष्टिकोण रखती है। इसका अध्ययन उपलब्ध साधनों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पथों के मद्देनजर रखते हुए विशिष्ट उद्देश्यों के अधीन कर्त्त्व

करना आवश्यक हो जाता है। यदि हम नियोजन के परिमापाओं का गहराई से अध्ययन करें तो पता लगता है कि इसमें सक्रिय अपने ठपलब्ध साधनों के द्वारा विशिष्ट ठदेश्यों के प्राप्त करने का प्रयास करती है। अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से आर्थिक नियोजन के ठदेश्यों के निम्नलिखित दीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।—

आर्थिक नियोजन के ठदेश्य

(A)	(B)	(C)
आर्थिक ठदेश्य	सामाजिक ठदेश्य	एकान्तिक ठदेश्य
1. प्राकृतिक सामाधनों का उद्दित विदेश	1. वर्ग संघर्ष पर ऐक विदेश	1. अन्तर्राष्ट्रीय सहदेश
2. मूल्य स्वर्त्दित्व	2. सामाजिक समानता	2. इन्हिं एवं व्यवस्था
3. अवसर की समानता	3. सामाजिक सुरक्षा	3. शक्ति प्रस्तर तथा निवेश पर
4. आनन्दनिर्भरता	4. नैतिक और बौद्धिक उत्त्वन	आक्रमण
5. दुर्दोषण पुनर्विर्भाव		4. विरोध आक्रमणों से सुरक्षा
6. साझ-सञ्चाचा		
7. अधिकारम उत्पादन		
8. रिछडे एवं कमशूर लेन्डों का विवास		
9. साधनों का वैभवतम प्रदोश		
10. आर्थिक सुरक्षा		

भारत में किन ठदेश्यों को प्राथमिकता दी जावे?

ठपटोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आर्थिक नियोजन के ठदेश्यों के आर्थिक, नामाजिक एवं राजनैतिक भागों में विभाजित किया गया है। इमक्त आशय यह नहीं है कि ये समस्त वर्ग एक दूसरे से अलग-अलग नहीं हैं बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। यद्यपि अल्पकाल में इन ठदेश्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा व विरोध हो सकता है लेकिन दीर्घकाल में इनके ठदेश्यों में आपस में क्लोइ प्रतिस्पर्धा व विरोध नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और समय तथा विकास के परिस्थितियों के महेनजर रखते हुए इनमें लगभग समस्त ठदेश्यों के सम्मिलित कर लिया गया है और सभी के प्राथमिकता दी गयी है।

आर्थिक नियोजन के पक्ष में तर्क

जैसाकि ऊपर बताया गया है कि आर्थिक नियोजन वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देशों के द्वारा अपनाया जाता है तथा इसके बिना आर्थिक विकास सम्भव नहीं होगा है। इसलिए इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं—

(1) आर्थिक विषमता में कम्पी

- (2) उपलब्ध ममाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग
- (3) पूरी निर्माण की ऊची दर
- (4) अधिकतम भासाचिक कल्पणा
- (5) सामाजिक सागरों में कमी
- (6) खुली आखों वाली अर्थव्यवस्था
- (7) नीति तथा क्रियान्वयन में भमन्वय
- (8) घ्यापार चक्रों में मुक्ति
- (9) आर्थिक स्थापित्व
- (10) अनराष्ट्रीय सुरक्षा
- (11) अनियोजित अथवा स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था के दोषों में मुक्ति
- (12) उपलब्ध ममाधनों का उचित आवण्टन
- (13) उपलब्ध ममाधनों के अपव्यय पर रोक
- (14) विकासशील गढ़ों का तोक आर्थिक विकास में भव
- (15) धेत्रीय मनुस्तित विकास
- (16) उच्च जीवन मर
- (17) आधुनिक तकनीकों का प्रयोग में भव
- (18) प्राकृतिक मकटों में हुटकरा
- (19) आत्मनिर्भरता की ओर
- (20) बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी का अन्त
- (21) गढ़ीय आय प्रम् नति व्यक्ति आय में वृद्धि

आर्थिक नियोजन के विपक्ष में तर्क

अद्यपि इन्द्रेक राष्ट्र भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का एक विशेष महत्व होता है जो कि इनके पश्च में दिये गये उपरोक्त तर्कों से पूर्ण रूप में सह है, लेकिन किसी भी इसके विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं—

- (1) अद्यक्षिण भूतनवदा का दृष्टन
- (2) अधिकारी तन्त्र तथा सातकोताशाहों का बोलबाला
- (3) तानाशाही प्रशुनि को शोत्पात्र

- (4) अकुशलता तथा भट्टाचार का बोलबाला
- (5) आवश्यक प्रेरणा की कमी
- (6) एक अस्त-व्यवस्था का मूचक
- (7) अनर्संष्टीय मध्यम को बढ़ावा
- (8) निजी उद्यमों की भमापि
- (9) दोषकालीन नियोजन उपयुक्त नहीं
- (10) लक्ष्यों की प्राप्ति न होने पर जनता में असतोष
- (11) भितव्यता का अभाव
- (12) आवश्यक प्रेरणा की कमी
- (13) उनमहयोग का अभाव
- (14) लचीलेपन का अभाव
- (15) गजनीतिक परिवर्तनों के माथ-माथ नियोजन में परिवर्तन का अभाव।

भारत में योजनावद्वारा विकास की उपलब्धिया

मन् 1947 में भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। इस समय तक भारत पर अंग्रेजों का ज़मन था तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था वाल्न अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का अपने हिन में खुलकर शोषण किया गया था। उन समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी अम्ल व्यन्न थी, राष्ट्रीय आय व गति व्यक्ति काफ़ी कम थी आर्थिक विकास की दर भी बाज़ों कम थी, गरीबी व देरोजगारी के सम्बन्धों उच्च म्ल पर विद्यमान थी। दृग्ग, उद्योग, व्यापार व यातायात त्य दोनों विकास पर भी ध्यान नहीं दिया गया था। भारत किमी भी दृष्टि ने उस समय आन्म निर्भर नहीं था। य समन्व भमन्याये भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय विद्यमान थों। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत मरकार का ध्यान इस ओर गया और भारत मरकार न नियोजित विकास के माध्यम से ही इन समन्याओं का समाधान निकालने की सोची जिनके फलस्वरूप 1950-51 से भारत में प्रथम पचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी। भारत में अभी तक मात पचवर्षीय योजनाये तथा अनेक वर्षीय योजनाये पूरी हो चुकी हैं तथा वर्तमान में आठवीं पचवर्षीय योजना पर कार्य चल रहा है जो 31 मार्च, 1997 को पूरी हो जावेगी। स्वतन्त्रता प्राप्ति में लेकर अभी तक पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास मिहव हुआ है, उसका विवेचन निम्न प्रकार है—

- (1) आर्थिक विकास की दर म वृद्धि—प्रत्येक देश की पचवर्षीय योजनाओं का मुख्य

ठदेश्य अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना होता है। भारत में भी विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं में सर्वप्रथम ठदेश्य आर्थिक विकास की दर को क्या करना रखा गया है जिसके फलस्वरूप हमें अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए हैं, जैसा कि अप्रतिलिपि तालिका से स्पष्ट है—

आर्थिक विकास की दर (प्रतिशत में)

योजना	संख्या	पासविक पृष्ठों (1950-51) के आधार पर
प्रथम योजना	2.1	3.6
द्वितीय योजना	4.5	3.9
तृतीय योजना	5.6	2.3
चतुर्थ योजना	5.7	3.3
पंचम योजना	4.4	4.9
छठ योजना	5.2	5.4
सप्तम योजना	5.0	5.3
अष्टम योजना	5.6	

स्रोत (1) विभिन्न आर्थिक संवेदन, तथा

(2) विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं के प्राप्त

यहाँ इस उपरोक्त तालिका का अवलोकन करें तो पता लगता है कि भारत में प्रथम पचवर्षीय योजना करते ही आर्थिक विकास की दर में लक्ष्य से अधिक वृद्धि मिल रही है। इसके बाद चौथी योजना के अत तक वाहित आर्थिक विकास की दर को प्राप्त नहीं किया जा सका है फिर इसके बाद पाचवीं, छठी और सातवीं पचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक विकास की दर में आशा ने अधिक वृद्धि मिल रही है और आठवीं पचवर्षीय योजना के लिए भी ऐसी आशा की जाती है कि आर्थिक विकास की वाहित दर 5.6 प्रतिशत ये अत तक अवश्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि—भारत में पचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अच्छी वृद्धि मिल रही है। भारत की राष्ट्रीय आय चालू मूल्यों के आधार पर जो वर्ष 1950-51 में 8938 करोड़ रुपये थी वह वर्ष 1960-61 में बढ़कर 15,192 करोड़ रुपये वर्ष 1980-81 में बढ़कर 1,22,772 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1990-91 में बढ़कर 4,70,269 करोड़ रुपये हो गयी तथा वर्ष 1994-95 में बढ़कर 8,30,504 करोड़ रुपये होने वी मिला है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्यों के आधार पर जो वर्ष 1950-51 में 239 रुपये थी, वह वर्ष 1960-61 में बढ़कर 320 रुपये, वर्ष 1980-81 में बढ़कर 1630 रुपये, वर्ष 1990-91 में बढ़कर 4993 रुपये हो गयी तथा वर्ष 1994-95 में बढ़कर 9237 रुपये होने वी मिला है।

(3) कृषि क्षेत्र में विद्यमान—भारतव्रता प्रणित के ममय भारतीय कृषि की दशा काफी निछड़ी हुई थी। भारत दूसरे देशों में खाद्यान्नों का आयात करना था, लेकिन पचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भारत सरकार ने कृषि विकास की ओर धिरोग ध्यान दिया है। प्रथम

8 : एससी गुप्ता

पचवर्षीय योजना कृषि प्रधान योजना थी। अब भारत खाद्यान्वों के मामलों में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि निर्यात भी करता है। गत वर्षों में भारत में खाद्यान्वों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, उसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है—

भारत में प्रमुख फसलों का उत्पादन (मिलियन टन में)

फसल	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (लक्ष्य)
चावल	74.3	74.7	72.9	80.3	81.1	80.0
गेहू़	55.1	55.7	57.2	59.8	65.5	60.0
मोटा अनाज	32.7	26.0	36.6	30.8	30.4	36.5
दालें	14.3	12.0	12.8	13.3	14.1	15.5
कुल योग	176.4	168.4	179.5	184.3	191.1	192.0
स्रोत आधिक सर्वेक्षण 1995-96 पैज 131						

यदि हम वर्ष (1981-82 = 100) के मूल्यों के आधार पर खाद्यान्वों के उत्पादन मूल्यकाक का अध्ययन करें तो पता लगता है कि चावल, गेहू़, दालों और खाद्यान्वों के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि में अच्छी वृद्धि हुई है जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

चावल, गेहू़, दालों और खाद्यान्वों के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दरें (प्रतिशत में)

वर्ष	चावल	गेहू़	दालें	खाद्यान्व
मिश्रित वृद्धि दर				
1967-68 से 1994-95	2.91	4.80	1.04	2.67
1980-81 से 1994-95	3.48	3.70	1.67	2.89
स्रोत आधिक सर्वेक्षण 1995-96 पैज 132				

भारत में गत वर्षों में उच्च किस्म की उच्च उत्पादकता वाले बीजों के प्रति हैकटे अर प्रयोग में भी अच्छी वृद्धि संभव हुई है जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है—

उच्च किस्म उत्पादकता वाले बीजों का क्षेत्र (मिलियन हेक्टेअर में)

फसल	वर्ष					1995-96 (लक्ष्य)
	1966-67	1989-90	1990-91	1991-92	1994-95	
चावल	0.9	26.2	27.4	28.0	31.0	31.2
गेहू़	0.5	20.3	21.0	20.5	23.3	23.3
ज्वार	0.2	6.9	7.1	6.8	7.1	9.0
बाजरा	0.1	5.6	5.7	5.4	5.4	6.9
मक्का	0.2	2.3	3.8	4.0	4.5	4.6
योग	1.9	61.2	65.0	64.7	71.3	75.0
संगत आधिक सर्वेक्षण 1995-96 पैज 137						

(4) रासायनिक खाद व ठंडकों के प्रयोग में युद्धि—भारत में कृषि खेत्र में हरित क्रान्ति के फलस्वरूप कृषि खेत्र में अच्छी प्रगति संभव हुई है जिसका प्रमुख कारण भारतीय कृषि के खेत्र में बढ़ता हुआ रासायनिक खाद व ठंडकों का उपयोग है। यह यों में भारतीय कृषि फर्मलों में नाइट्रोजन, फ्रास्फेरस तथा पोटाश के प्रयोग में अच्छी युद्धि देखने को मिली है जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है—

रासायनिक खाद का उपयोग (मिलियन टन में)

वर्ष	नियोजन (१)	फास्टेट (२)	संघर्ष (३)	प्रति (४%)
1987-88	5.7	2.2	0.9	0.8
1988-89	7.3	2.7	1.1	11.1
1989-90	7.4	3.0	1.2	11.6
1990-91	8.0	3.2	1.3	12.5
1991-92	8.0	3.3	1.4	12.7
1992-93	8.4	2.9	0.9	12.2
1993-94	8.8	2.7	0.9	12.4
1994-95	9.5	2.9	1.1	13.5
1995-96	10.8	3.6	1.3	15.7

(अमावस्या)

स्रोत आर्द्धिक संवेदन 1995-96 पृष्ठ 138

(5) औद्योगिक उत्पादन में युद्धि—भारत में द्वितीय पचवर्षीय योजना एक उद्योग प्रधान योजना थी, जिसमें देश में ठंडोंगों के विकास पर विशेष रूप से जोर देने का बात यही गयी थी। इसके बाद भारत में ठंडोंगों के विकास पर प्रत्येक पचवर्षीय योजना में अच्छा ध्यान दिया गया जिसके फलस्वरूप ठंडोंगों के प्रमुख खेत्रों में वार्षिक युद्धि दर में मिश्रित प्रवृत्ति देखने को मिली है जिसे निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है—

उद्योग के प्रमुख खेत्रों में वार्षिक युद्धि दर (प्रतिशत में)

सम्पर्क यारि	एन (11.46)	निर्माण (77.11)	विकल्पी (11.43)	सामान्य (100)
1981-82	17.7	7.9	10.2	9.3
1986-87	6.2	9.3	10.3	9.1
1990-91	4.5	9.0	7.8	8.2
1991-92	0.6	-0.8	8.5	0.6
1992-93	0.6	2.2	5.0	2.3
1993-94	3.5	6.1	7.5	6.0
1994-95	6.2	9.0	8.5	8.6

स्रोत आर्द्धिक संवेदन 1995-96 पृष्ठ 115

यदि हम उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करें तो पता लगता है कि कुल मिलाकर औद्योगिक उत्पादन के मूल्यकांक में युद्धि दर में एक मिश्रित प्रवृत्ति पायी जाती है जैसा कि खान, निर्माण उद्योग और विज्ञती उत्पादन सभी सम्बन्धों से स्पष्ट है। अतिम योंगों में विज्ञती उत्पादन और खदानों के उत्पादन में युद्धि की दर धीमी है जबकि निर्माण उद्योगों

में यह वृद्धि दर ऊची है।

भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में औद्योगिक विकास के लिए अनेक औद्योगिक एवं लाइसेंसिंग नीतिया घोषित की गयी हैं तथा उनमें समय समय पर आवश्यक सशोधन भी किये गये हैं जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है तथा उद्योगों को अनेक छूट एवं सुविधायें भी प्राप्त हुई हैं।

(6) सिंचाई सुविधाओं का विस्तार—जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है और मानसूनी वर्षा में अनिश्चितता तथा अनियमितता के लक्षण पाये जाते हैं, जो कृषि फसलों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इसलिए भारत सरकार के द्वारा देश में पचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के साधनों के विकास एवं विस्तार पर पूरा ध्यान दिया गया है। वर्ष 1950-51 में भारत में सिंचाई सबधी सुविधायें केवल 22.6 मिलियन हैक्टेअर क्षेत्र को ही प्राप्त थीं जो वर्ष 1994-95 में बढ़कर 87.06 मिलियन हैक्टेअर क्षेत्र को प्राप्त हो गयी हैं। इसमें 32.27 मिलियन हैक्टेअर क्षेत्र को बड़ी और मध्यम तथा 54.79 मिलियन हैक्टेअर क्षेत्र को छोटी सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई सुविधायें प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार वर्ष 1995-96 के अंत तक 89.42 मिलियन हैक्टेअर क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार वर्ष 1995-96 के अंत तक 89.42 मिलियन हैक्टेअर क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें प्राप्त होने की सभावना है जिसमें 33.04 मिलियन हैक्टेअर क्षेत्र को बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं से तथा 56.38 मिलियन हैक्टेअर क्षेत्र को छोटी सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई सुविधा में प्राप्त होगी।

(7) विद्युत क्षमता में वृद्धि—भारत में सर्वप्रथम विजली का उत्पादन वर्ष 1900 में प्रारम्भ हुआ था। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कोई अच्छी प्रगति सभव नहीं हो सकी है। वर्ष 1947 में भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता मात्र 19 लाख किलोवाट थी जो वर्ष 1951 में बढ़कर 23 लाख किलोवाट हो गयी है। देश में पचवर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ होने के फलस्वरूप विद्युत की माग और पूर्ति दोनों में अच्छी वृद्धि सभव हुई है लेकिन विद्युत की पूर्ति माग के अनुरूप नहीं बढ़ सकी है। विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए देश में अनेक विद्युत परियोजनायें भी प्रारम्भ की गयी हैं। इसके अलावा ताप तथा अणु विद्युत विकास पर भी जोर दिया गया है। वर्ष 1960-61 में विद्युत उत्पादन क्षमता 57 लाख किलोवाट थी जो वर्ष 1980-81 में बढ़कर 360 लाख किलोवाट हो गयी तथा वर्ष 1992-93 के अंत तक 820 लाख किलोवाट होने की सभावना थी।

(8) सकल घेरेलू बचत और सकल पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि—भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पचवर्षीय योजनाओं के दौरान अभी तक सकल घेरेलू बचत और सकल पूँजी निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि सभव हुई है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अभी तक सकल घेरेलू बचत और सकल पूँजी निर्माण में भक्ति राष्ट्रीय उत्पाद के प्रविशत के रूप में जो वृद्धि सभव हुई है उसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

सकल घरेलू बचत और सकल घरेलू पूँजी निर्माण में
सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के स्थान में वृद्धि

वर्ष	सकल घरेलू बचत	सकल घरेलू पूँजी निर्माण
1950-51	10.4	10.2
1960-61	12.7	15.7
1970-71	15.7	16.6
1980-81	21.2	22.7
1990-91	23.6	27.0
1991-92	22.8	23.4
1992-93	21.2	23.1
1993-94	21.4	21.6
1994-95	24.4	25.2

सात आर्थिक संवेदन 1995-96, पैकड़ 5-1

(9) विदेशी मुद्रा कोपों में वृद्धि—भारत सरकार के विदेशी मुद्रा कोपों में गत वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव हुई है। भारत ने विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं में कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात इत्यादि क्षेत्रों के विकास में अच्छी प्रगति की है जिसके फलस्वरूप हमारे आयात घटे हैं और निर्यातों में वृद्धि हुई है जिसमें विदेशी मुद्रा कोपों में अच्छी वृद्धि हुई है जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

भारत में विदेशी मुद्रा कोपों में वृद्धि (स्वर्ण और चिंपे आहरण अधिकार के अलावा)
(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि
1950-51	911
1960-61	166
1970-71	438
1980-81	4822
1990-91	4388
1991-92	14578
1992-93	20140
1993-94	47287
1994-95	66006

सात आर्थिक संवेदन 1995-96, पैकड़ 5-1

(10) यातायात एवं भन्देशवाहन के माध्यमों का विकास—यातायात एवं भन्देशवाहन के माध्यमों का किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत में यातायात एवं भन्देशवाहन के माध्यमों की अपर्याप्त व्यवस्था होने के कारण इनके विकास को डब्बा प्राथमिकता प्रदान की गयी है। वर्ष 1950-51 में रेल मार्गों की लम्बाई 53.6 हजार किमी थी वह वर्ष 1960-61 में बढ़कर 56.3 हजार किमी और वर्ष 1990-91 में बढ़कर 62.4 हजार किमी हो गयी। वर्ष 1993-94 में रेल मार्गों की लम्बाई बढ़कर 62.5 हजार किमी में भी अधिक हो गयी है। देश में रेलों के द्वारा वर्ष 1950-51 में

128.4 करोड यात्री लाये व से लाये गये थे, जो वर्ष 1960-61 में बढ़कर 198.4 करोड यात्री और वर्ष 1990-91 में बढ़कर 385.8 करोड यात्री हो गये। वर्ष 1994-95 में यह सख्त्य बढ़कर 391.5 करोड यात्री हो जाने की सभावना है। इसी प्रकार रेलों के द्वारा वर्ष 1950-51 में 9.3 करोड टन माल ढोया गया था जो वर्ष 1960-61 में बढ़कर 15.6 करोड टन तथा वर्ष 1990-91 में बढ़कर 34.1 करोड टन हो गया। वर्ष 1994-95 में रेलों के द्वारा 38.16 करोड टन माल ढोये जाने की सभावना है।

भारत में वर्ष 1950-51 में पवकी मड़कों की लम्बाई 1.57 लाख किमी थी जो वर्ष 1960-61 में बढ़कर 2.63 लाख किमी और वर्ष 1992-93 में बढ़कर 9.6 लाख किमी हो गयी। वर्ष 1950-51 में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 22 हजार किमी थी जो वर्ष 1992-93 में बढ़कर 34 हजार किमी हो जाने की सभावना है। वर्ष 1970-71 में राष्ट्रीय राज मार्गों की लम्बाई 52 हजार किमी थी जो वर्ष 1990-91 में बढ़कर 1.22 लाख किमी हो गयी। वर्ष 1950-51 में देश में पजीकृत वाहनों की सख्त्य 3.06 लाख थी वह वर्ष 1992-93 में बढ़कर 25.3 लाख हो गयी है।

भारत की कुल जहाजी क्षमता वर्ष 1950-51 में 3.72 लाख टन थी जो वर्ष 1994-95 के अत में बढ़कर 7 मिलियन जी आरटी हो गयी है तथा जहाजों की सख्त्य 80 से बढ़कर 438 हो गयी है। मात्रावी पचवर्षीय योजना के अत तक भारतीय जहाजरानी की क्षमता 75 लाख जी आरटी करने का लक्ष्य रखा गया था। इसी प्रकार भारत में डाकघरों, तारघरों तथा टेलीफोन की सख्त्याओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि सभव हुई है।

(11) रोजगार के अवमर—देश में उपलब्ध मानवीय समाधनों का भटुपयोग करने के लिए गत 45 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 12.5 करोड अतिरिक्त लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं। प्रथम पचवर्षीय योजना काल में 75 लाख, द्वितीय पचवर्षीय योजना काल में 95 लाख तृतीय पचवर्षीय योजनाकाल में 145 करोड लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये। चतुर्थ पचवर्षीय योजनाकाल में लगभग 1.70 करोड अतिरिक्त लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये। इतना होने पर जनसख्त्य में विस्फोटक वृद्धि, आर्थिक विकास की मन्द गति तथा योजनाकाल में मानव शक्ति नियोजन की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण अब देश में वेरोजगारों की सख्त्य बढ़कर लगभग 5 करोड हो गयी है जिनमें में पजीकृत वेरोजगारों की सख्त्य लगभग 4.5 करोड है। मात्रावी पचवर्षीय योजना के अत तक 4 करोड अतिरिक्त मानक वर्ष रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आठवीं पचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसरों में 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है।

(12) उपभोग तथा जीवन स्तर में सुधार—भारत सरकार के द्वारा पचवर्षीय योजनाकाल में जो उपरोक्त आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम अपनाये गये हैं उनसे नागरिकों के उपभोग तथा जीवन स्तर में भी काफी वृद्धि सभव हुई है। गत वर्षों में कुछ प्रमुख वस्तुओं के उपभोग में प्रति व्यक्ति उपलब्धता में जो वृद्धि सभव हुई है उसे निम्न

तात्त्विक में दर्शाया गया है—

कुछ प्रमुख वस्तुओं के उपयोग की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	चाप तेल (Kg)	बनस्पति धी (Kg)	चीनी (Kg)	कपड़ा (मीटर)	चाप (प्राम)	डॉफी (प्राम)	प्रति व्यक्ति (Kwh)
1955-56	2.5	0.7	5.0	14.4	362	67	2.4
1965-66	2.7	0.8	5.7	16.4	346	72	4.8
1975-76	3.5	0.8	6.1	14.6	446	62	9.7
1985-86	5.0	1.3	11.1	19.0	589	71	22.9
1990-91	5.5	1.0	12.7	24.1	612	59	38.2
1991-92	5.6	1.0	13.0	22.9	655	64	41.9
1994-95	6.5	1.0	13.0	25.7	667	NA	NA

(प्रावधान)

स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 1995-96 ऐज S-26

(13) सामाजिक सेवाओं का विस्तार—भारत में पचवर्षीय योजना काल में सामाजिक सेवाओं के विस्तार पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है जिनके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला और शिशु विकास कल्याण, प्रामीण विकास और अन्य कार्यक्रमों के विकास पर अनेक कार्यक्रम अपनाये गये हैं। भारत में वर्ष 1950-51 में 1000 जनसंख्या के पीछे जो जन्म दर 39.9 थी वह वर्ष 1993-94 में गिरकर 28.6 रह गयी है। इसी प्रकार वर्ष 1950-91 में 1000 जनसंख्या के पीछे जो मृत्युदर 27.4 थी वह वर्ष 1993-94 में घटकर मात्र 9.2 रह गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत में वर्ष 1950-51 में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा आयु 32.4 वर्ष थी वह वर्ष 1992-93 में बढ़कर 60.4 वर्ष हो गयी है। ऐसे ही महिलाओं की जीवन प्रत्याशा आयु जो वर्ष 1950-51 में 31.7 थी वह वर्ष 1992-93 में बढ़कर 61.2 वर्ष हो गयी है।

भारत में पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत वर्ष 1950-51 में जो 27.16 था वह वर्ष 1990-91 में बढ़कर 64.1 हो गया है। इसी प्रकार महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत वर्ष 1950-51 में जो 8.86 था वह वर्ष 1990-91 में बढ़कर 39.3 हो गया है। भारत में वर्ष 1951 में मेडीकल कालेजों, हाम्पिटल तथा चिकित्सालयों की संख्या जो क्रमशः 28, 2694 तथा 6515 थी, वह वर्ष 1992 में बढ़कर क्रमशः 146, 13692 तथा 27403 हो गयी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जो वर्ष 1951 में शून्य थी वह वर्ष 1995 में 2385 हो गयी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या वर्ष 1951 में जो 725 थी वह वर्ष 1995 में बढ़कर 21693 हो गयी। इसी प्रकार देश में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जो वर्ष 1951 में शून्य थी वह वर्ष 1994-95 में 1,31,900 हो गयी। डाक्टरों की संख्या वर्ष 1951 में जो 61840 थी, वह वर्ष 1992 में बढ़कर 4,10,875 हो गयी। दन्त चिकित्सकों

की सख्त्या जो वर्ष 1951 में 3290 थी वह वर्ष 1993 में बढ़कर 19523 हो गयी। इसी प्रकार नमों की सख्त्या वर्ष 1951 में जो 16550 थी, वह वर्ष 1993 में बढ़कर 4,49,351 हो गयी। अस्मिन्नालों में सभी प्रकार के विस्तरों की सख्त्या वर्ष 1951 में जो 1,17,178 थी, वह वर्ष 1991 में बढ़कर 8,10,548 हो गयी। इन कार्यक्रमों के साथ-साथ भारत सरकार ने अनुभूचित जाति व जनजाति के विकास, श्रम और रोजगार, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था इत्यादि कार्यक्रमों पर भी बल दिया है।

पचवर्षीय योजनाओं की आलोचनाये अथवा अमफलताये

चैसा कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अन्त-व्यम्न थी व पिछड़ी हुई दशा में थी, क्योंकि अपेक्षाने ने अपने शासन काल में भारत के आर्थिक विकास की ओर विल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और उन्होंने जो भी आर्थिक कार्य किये वे सब उनके अपने हित में थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार वा ध्यान इन सब बातों की ओर विशेष स्पष्ट से गया और भारत सरकार ने पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत का आर्थिक विकास करना ठिक नमझा, जिसके फलान्वस्प भारत में तब में लेकर अभी तक समन्त आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्य आर्थिक नियोजन के माध्यम से ही किया जाता है। भारत में अभी तक सार पचवर्षीय योजनाये तथा अनेक वार्षिक योजनाये पूरी हो चुकी हैं तथा आठवीं पचवर्षीय योजना पर कार्य चल रहा है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे सुधार हुए हैं जैसे आर्थिक विकास की दर में वृद्धि राशीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वेरोजगारी तथा गरीबी की समस्या का काफी हट तक निदान, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, व्यापार तथा यानामात के क्षेत्र में सुधार इत्यादि। फिर भी अनेक आघार पर भारत में अपनाये गये आर्थिक नियोजन की कटु आलोचना की जाती है—

(1) लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के अन्तर—देश में तृतीय तथा चतुर्थ पचवर्षीय योजनाकाल में आर्थिक विकास की दर क्रमशः 5 तथा 5.5 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी, जबकि आर्थिक विकास की वास्तविक दर वर्ष 1965 में मात्र 2.5 प्रतिशत और वर्ष 1984-85 में मात्र 5 प्रतिशत रही। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन में 8 से 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि मात्र 7 प्रतिशत ही हुई। खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता का मपना मुजोया गया था, लेकिन विदेशी आयातों पर सदैव निर्भरता बनी रही। वर्तमान में गरीबी की समस्या भी भयकर रूप से बनी हुई है। इस समय भारत की लगभग एक तिहाई जनसख्त्या गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन विता रही है। आठवीं पचवर्षीय योजना काल में आर्थिक विकास की दर का लक्ष्य 5.6 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

(2) वेरोजगारी की समस्या में निरत वृद्धि—देश में योजनापद्ध विकास के गत वर्षों में वेरोजगारी की समस्या का निदान तो दूर की बात है, बल्कि इसमें लोर अधिक वृद्धि

देखने को मिली है। वर्ष 1950-51 में जहाँ बेरोजगारी की सर्वा मात्र 40 लाख थी, वह वर्ष 1992-93 में बढ़कर लगभग 4.5 करोड़ हो गयी है। चर्तुमास में देश में लगभग 110 लाख शिविर बेरोजगार हैं जिनमें लगभग एक लाख इन्हींनियरों, डाक्टरों और लकनीकी प्रशिक्षिकों के बेरोजगार होने का अनुमान है। देश में एक ममिति ने दीर्घकल्नीन योजना में लगभग 5 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की मधावना व्यक्त की थी। मोवियत मन ने अपनी पहली पचवर्षीय योजना में 5 वर्षों में ही बेरोजगारी की ममम्या कर निरान कर दिया था उद्दिः सात अपने योजनावद् विकास के 45 वर्षों में भी इस ममम्या कर ममाधान नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं, भारत में इस ममम्या ने धीरे धीरे अपना रूप करपी जटिल बनाया है।

(3) किंग्सी मण्डला तथा हीनार्थ प्रवधन पर अधिक निर्भवा—भारत की पचवर्षीय योजनाओं की दिनीय व्यवस्था में प्रारम्भ में ही किंग्सी विनियम या ममम्या बनी हुई है जिम्मेदार वर्ष 1966 में भास्तीय रूपये का 35.5 प्रतिशत अवमूल्यन करना पड़ा था। इसी प्रकार वर्ष 1991 में दो बार भास्तीय रूपये का अवमूल्यन करना पड़ा। हीनार्थ प्रवधन में पहले 18 वर्षों में 3262 करोड़ रूपये एकत्रित किये गये थे। चतुर्थ पचवर्षीय योजना कान में भी हीनार्थ प्रवधन के माध्यम में 858 करोड़ रूपये जुटाने का प्रावधान रखा गया था उद्दिः वास्तव में इस योजना कान में 2858 करोड़ रूपये में भी अधिक होने का अनुमान था। इसी प्रकार उठी पचवर्षीय योजना कान में हीनार्थ प्रवधन में 15,684 करोड़ रूपये जान्नन में एकत्रित किये गये जबकि लक्ष्य मात्र 5000 करोड़ रूपये जुटाने का प्रावधान रखा गया था। मानवी पचवर्षीय योजना काल में हीनार्थ प्रवधन में 14,000 करोड़ रूपये एकत्रित करने का प्रावधान रखा गया था। जबकि इस योजना के अत तक हीनार्थ प्रवधन में 68,000 करोड़ रूपये में भी अधिक जुटाये गये थे। आठवीं पचवर्षीय योजना काल में हीनार्थ प्रवधन में 20,000 करोड़ रूपये एकत्रित करने का प्रावधान रखा गया है।

(4) यहाँ हुए मूल्यों की ममम्या तथा टप्पयुमन मूल्य नीति का अपार—भारत सरकार के द्वारा पहली तथा दूसरी पचवर्षीय योजना कान में तो कोई मुनिशिवत मूल्यनीति नहीं अपनायी गयी थी, लेकिन नीमरी पचवर्षीय योजना काल में पहली बार मूल्य नियन्त्रण के ममम्या में एक ऐसी नीति अपनायी गयी थी जो टप्पमोक्ता और टप्पादेवते के हितों को भद्रजर रखने हुए विकासोन्मुख हो। लेकिन इस नीति के कुशल क्रियान्वयन के अपार, अनियार्थ बन्नुओं के टप्पादन में धीमी गति में वृद्धि, बड़े पैमाने पर हीनार्थ प्रवधन तथा अनन्दक बर्तों में मूल्यों में बड़ी मात्रा में वृद्धि ममन हुई है। वर्ष 1961 = 100 के आधार मूल्यों के आधार पर 1974 के थोक मूल्य मूचककर 335 तक पहुंच गया था। वर्ष 1973-74 और 1974-75 में मूल्य वृद्धि की टर ब्रमण 15 प्रतिशत और 21 प्रतिशत रही है जिसके फलम्यस्थ चोरबाजारी, जमाखोरी मुनास्तरोरी, प्रष्टाचार इत्यादि जैमी गलत प्रवृत्तियों के प्रोत्तमादन मिला है तथा माधारण जनता को दैनिक टप्पधीग की

विभिन्न वस्तुये उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इस सबका समूर्ण प्रगति पर बहुत भविकृत प्रभाव पड़ा है। वर्ष 1979-80 में मूल्यों में वृद्धि 21 प्रतिशत थी तथा वर्ष 1980-81 में यह वृद्धि 17 प्रतिशत थी। वैसे वर्ष 1993-94 के प्रथम 4 माह में यह मूल्य वृद्धि कम होकर 7 प्रतिशत रह गयी है।

(5) समाजवाद और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की कोरी कल्पना—भारत अभी तक 45 वर्षों के आर्थिक नियोजन के बावजूद भी खाद्यान्तों के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। प्रथम पचवर्षीय योजना काल में भारत में 595 करोड़ रुपये के खाद्यान्तों का आयात किया गया था वह द्वितीय तथा तृतीय पचवर्षीय योजनाकाल में बढ़कर क्रमशः 850 करोड़ रुपये और 1150 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार वर्ष 1994-95 में भी भारत को विदेशों में 18613 करोड़ रुपये का पेट्रोलियम रेत और लुब्रिकेंट, 19990 करोड़ रुपये का पूजीगत सामान, 9884 करोड़ रुपये की गैर विदुतीय मशीनरी, उपकरण और 3653 करोड़ रुपये के लोहा और इस्मात आदाद करने पड़े थे।¹ इन समस्त बातों को देखकर ऐसा लगता है कि समाजवाद को कल्पना मात्र सैद्धान्तिक कल्पना बनकर रह गयी है। गरीबी की सीमा में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। आर्थिक विषमता और आर्थिक मत्ता के केन्द्रीयकरण में लगावार बढ़ोतरी हुई है। भारत की लगभग एक विद्युत जननस्थावर्तमान में गरीबी के रेखा के नीचे अपना जीवन ब्यर्तीत कर रही है तथा कार्यशील जननस्थावर्ता का लगभग 30 प्रतिशत भाग बेकारी की दोमारी ने पीछित है।

(6) आर्थिक विषमता और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को बद्धता—यद्यपि भारत को प्रत्येक पचवर्षीय योजना में आर्थिक विषमता और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को कम करने के ठिक्कास्त निर्धारित किये गये थे, लेकिन वास्तव में हम इन ठिक्कास्तों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सके हैं। आर्थिक विषमता में गत वर्षों में लगावार वृद्धि देखने को मिली है अथात घनी और अधिक घनी तथा गरीब और अधिक गरीब होते चले गये हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक मत्ता का केन्द्रीयकरण पूजीपतियों और सराधारियों के हाथों में भव्य भव्य हुआ है। प्राचीन जागीरदारों तथा जमीदारों के स्थान पर अब नवीन पूजीवादी समान्तों का उदय हुआ है जिसमें आर्थिक नियन्त्रण, घाटे की वित्त व्यवस्था तथा लाइसेंस पद्धति का अच्छा योगदान रहा है। छोटे आरके हजारी, दर जीमीठि, एकाधिकार आयोग इत्यादि को रिपोर्ट इस भर के पश्च में अपनो स्पष्ट सहमति प्रबन्ध करते हैं।

(7) बड़ी योजनाओं के कारण लघु उद्योगों की उपेक्षा—भारत की पचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है तथा लघु योजनाओं को उपेक्षा की गयी है। बड़ी तथा दोषकर्ताओं परियोजनाओं में अधिक विनियोजन तथा लम्बे ममय में इनमें लाभ प्राप्त होने की वजह

से अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फोटि की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इससे निश्चित क्षेत्र के लोगों को ही लाभ प्राप्त हुआ है तथा आर्थिक विषमता में वृद्धि सभव हुई है जिसके फलस्वरूप छोटी-छोटी सिवाई परियोजनाओं तथा लघु एवं कुटीर ठद्योगों पर पर्याप्त ध्यान न दिये जाने के कारण अच्छे लाभ नहीं मिल पाते हैं। इसी तरह आधार भूत ठद्योगों के विकास में उपभोग वस्तुओं के ठद्योगों की उपेक्षा की गयी है जिसका दुष्प्रभाव यह हुआ है कि वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर में सुधार सभव नहीं हो सका है।

(8) आन्वनिर्भरता की कमी—योजनाबद्द विकास के पिछले 45 वर्षों में भी भारत अभी तक पूर्ण रूप से आन्वनिर्भर नहीं हो पाया है। हमें अभी तक विदेशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। ऐसे ही औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल, मशीनरी तथा खनिज तेल इत्यादि के लिए हमें दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में तेल सकट के बढ़ जाने के कारण सातवीं पचवर्षीय योजना काल में वित्तीय मसाधनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रथम पचवर्षीय योजना काल में भारत में 595 करोड़ रुपये के खाद्यान्नों का आयात किया गया था वह द्वितीय तथा तृतीय पचवर्षीय योजना काल में बढ़कर क्रमशः 850 करोड़ रुपये और 1150 करोड़ रुपये का हो गया। इसी प्रकार वर्ष 1994-95 में भी भारत को विदेशों से 18613 करोड़ रुपये का पेट्रोलियम तेल और तुब्बीकेट, 19990 करोड़ रुपये का पूजीगत सामान, 9884 करोड़ रुपये की गैर विद्युतीय मशीनरी, उपम्कर तथा उपकरण और 3653 करोड़ रुपये के लोहा और इस्पात आयात किये गये थे।

(9) क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि और अमतुलिन विकास—देश की पचवर्षीय योजनाओं में बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर विशेष वर्त, लाइमेन्सिंग भीति के क्रियान्वयन में पाया जाने वाला भूषाचार, राजनैतिक स्वार्थ तथा मरकारी अविवेकपूर्ण नीति से क्षेत्रीय विषमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक विकास कार्यों का अधिकाश लाभ बड़े भूस्तामियों, राजनैतिज्ञों और पूजीपतियों को प्राप्त हुआ है। हरित क्रान्ति का लाभ बड़े और समृद्ध कृषकों को पहुंचा है। इसी तरह धनी और अधिक धनी तथा गरीब और अधिक गरीब हो रहे हैं।

(10) केन्द्र और राज्यों पे आपमी सहयोग का अभाव—भारत में गत वर्षों में केन्द्र और राज्यों के मध्य आपमी सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं जिसके प्रमुख करण—भूमि सुधार कर्यक्रमों के लागू करना, पचवर्षीय योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय मसाधन जुटाना, कुछ परियोजनाओं के पारम्परिक विवाद इत्यादि की बजह से लक्ष्यों और उपलब्धियों में अतर देखने को मिला है। वर्तमान में इस प्रकार की प्रवृत्ति ने काफी जोर पकड़ा है। विभिन्न राज्यों में पायी जाने वाली राजनैतिक अस्तिरता ने भी आर्थिक विकास में बाधा पहुंचायी है।

(11) विविध—उपरोक्त के अलावा विभिन्न योजनाओं की विविधता विभिन्न थेट्रों

में देखने को मिली है। सरकारी आदोलन में गुणात्मक प्रगति का अभाव पाया जाता है। भारत में बदली हुई जनसंख्या को रोकने के लिए किये गये प्रयासों से पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि अभी तक मात्र 500 लाख अतिरिक्त बच्चों के जन्म पर ही रोक लग पायी है। एक वर्ष में जबकि इससे अधिक वृद्धि जनसंख्या में आसानी से हो जाती है। वर्तमान में देश में जनसंख्या में 2.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। वित्तीय व्ययों पर विशेष रूप में ध्यान दिया गया है तथा भौतिक लक्ष्यों को गौज स्थान प्रदान किया गया है।

इम तरह देश के योजनाबद्ध विकास के गत 45 वर्षों की स्थिति के अवलोकन के बाद यह प्रतीत होता है कि यहां पर सफलताओं और असफलताओं के मध्य एक अजीब मा संयोग रहा है जिसके कारण योजना निर्माताओं को भविष्य में और अधिक सतर्क तथा कार्यकुशल रहने की आवश्यकता है जिसके फलम्बनरूप योजनाओं के विवेकपूर्ण निर्माण, कुशल क्रियान्वयन और आवश्यक परिक्रम तथा त्याग में अधिक विकास की सम्भावनाओं में वृद्धि की जा सकेगी। □

सर्वे भूमि गोपाल की

के.डी. गंगराडे

तेखक का मानना है कि सम्पद द्वारा 81वा संविधान सशोधन पारित कर देना और भूमि सुधारों को संविधान की नौवीं अनुसूची में रख देना ही काफी नहीं है। इस संविधान मरणोधन पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए छठ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसके साथ ही भूमि सुधार कानूनों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए लोगों और विशेष रूप से भू स्वामियों को मानसिक रूप से तैयार करना होगा।

“प्रामीण जीवन को सुधारन का कवल एक ही मौतिक उपाय है तथाहि, भूमि पर किमान के स्वामित्व के एक ऐसे तरीके बो प्रारभ करना जिसके अन्तर्गत भूमि को जोतने वाला ही उसका स्वामी हो और वह किसी जमींदार या तालुकदार के माध्यम के बिना ही मीधा मरकारों को मालगुजारी चुकाए।”

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रस्ताव, 1935)

लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को तीन पद्धतियों से बदला जा सकता है। ये हैं कनून, करुणा (दिया अथवा शिक्षा के द्वारा प्रेरित करना) तथा क्रान्ति (अहिंसक अथवा हिंसक परिवर्तन)। गांधीजी अबमर कहते थे “भारत की आत्मा गायों में रहती है।” भूमि सुधार ही प्रामीण विकास की कुन्जी है। प्रमुख लेख तीन खड़ों में है। पहले खड़ में कानून के द्वारा विशेष रूप से काश्तकार को भूमि का स्वामी बनाकर आय की विधमता को दूर करके समाज का सुधार करने की चर्चा है। दूसरे खड़ में प्रेम और अहिंसक मध्ये द्वारा समाज को बदलने की चर्चा है। तीसरे खड़ में संविधान के 81वें सशोधन का विश्लेषण है, विशेष रूप में परिवर्तन वगाल के सदर्भ में पचायत राज मम्याओं की भूमिका का। परिवर्तन की इन तीन पद्धतियों में कोई ऊब नीच का क्रम नहीं है। ये एक-दूसरे से स्वतंत्र भी अपना काम कर सकती हैं। लेकिन श्रेष्ठ परिणाम तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब इन तीनों पद्धतियों में ममन्वय हो और ये एक माथ मिल कर काम करें। कनून तभी प्रभावी साधन बन सकता है जब लोगों को कानून बनाने में पहले ही तैयार अद्या शिक्षित किया जाए। ज्य कोई प्रावधान कानून वा रूप तो यह आवश्यक है कि लोगों बो उसकी पूरी जानकारी दी जाये, उन्हें शिक्षित किया

जाये ताकि वे अपने अधिकारी को, कर्तव्यों को, दायित्वों को समझें। ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को ऊचा ठाने के लिए, भारतीय समाज में अधीष्ट परिवर्तन लाने के लिए कानून अनुकूल साधक का काम कर सकता है।

भारतीय समाज की प्रारंभिक विशेषताएं

लगभग उनीसर्वी शताब्दी के प्रारंभ तक भारतीय ग्रामीण संगठन का रूप समृद्ध जीवन वाले ग्राम समुदाय का था जिसमें अधिकार और कर्तव्य तथा समुदाय के विभिन्न वर्गों के आपसी आर्थिक तथा सामाजिक संबंध परपरा से निर्धारित होते थे और ग्राम पचायत के माध्यम से लागू किये जाते थे। राज्य को मालगुजारी की अदायगी के मामले में संपूर्ण ग्राम समुदाय एक इकाई के रूप में व्यवहार करता था। विशिष्ट अपवाद रूप में ही (ग्राम से) बाहर के किसी आदमी को गाव की भूमि पर स्वामित्व प्राप्त करने की अनुमति दी जाती थी। ग्राम समुदाय की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति गाव में बाहर के किसी व्यक्ति को भूमि नहीं बेच सकता था न ही किसी को हस्तान्तरित कर सकता था। संपूर्ण संगठन खेती और खेती करने वाली जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमीन की जोट पर केन्द्रित ग्राम के सामुदायिक जीवन की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर ढाला गया था।

ब्रिटिश शासन ने एक सर्वथा भिन्न व्यवस्था बनाई जिसने बलात् परिवर्तन की गति को तेज़ कर दिया। इस व्यवस्था में आर्थिक परिवर्तन की सामाजिक कोमर ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों जैसे खेतिहार मजदूरों, बटाई पर खेति करने वाले छोटे किसानों, गाव के शिल्पियों और निम्नकर्म करने वाले सेवकों को चुकानी पड़ी। ब्रिटिश मालगुजारी व्यवस्था ने भूमि में, जो स्वच्छदत्तपूर्वक खरीदी और बेची जा सकती थी, मालिकाना लगान वसूली के हितों को पैदा कर दिया। स्वतंत्रता से पहले गाव की भूमि पर जो पड़े की व्यवस्था लागू थी, उसे तीन मोटी श्रेणियों में बाटा जा सकता है जर्मांदारी, महलवाड़ी और रैयतवाहनी।

भारत में ग्रामीण जनता के बहुत बड़े प्रतिशत का गरीबी की रेखा से नीचे रहने का एक कारण यह है कि यहा प्रति परिवार खेती की जमीन का आकार छोटा है। उदाहरण के लिये प्रत्येक तीन में से दो जोतें दो हेक्टेयर से भी कम हैं। देश में 87 लाख छोटे किसान हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है।

यद्यपि अप्रेबों के द्वारा प्रचलित मालगुजारी व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुए विचौलियों को मिटाने के लिये पहले भी कदम ठाये गए थे वस्तुत व्यवहार में यह काम 1948 में मद्रास में बनाए गए कानून में ही शुरू हुआ। यह कानून सभी राज्यों में पास किया गया। जबकि उद्देश्य यह था कि खेतिहार (किसान) और राज्य के बीच विचौलियों को मिटाया जाए, व्यवहार में बनाए हुए कानूनों ने विचौलियों को जर्मांदारों के बराबर कर दिया जिसके परिणामस्वरूप रैयतवाड़ी के अन्तर्गत भूमि पर एक अधिकार

रखने वाले भूमालियों और मालागुजारी वभूलने वालों का एक वर्ग इस कानून-व्यवस्था में अदृश्य हट गया। माल्यवादी देशों के विपरीत भारत में विद्युलियों को मिटाने का काम हरजना दिये जिन नहीं किया गया।

भूमि सुधार के द्वारा खेत जोड़ने वाले को भूमि का स्वामी बनाने के मधी प्रयत्न ज्ञादाता अभफ्तन रहे हैं। यह इसी बात में भूष्ट है कि 1984 के अत में देश के विभिन्न न्यायालयों में भूमि-परिसीमन के 1.6 लाख मामले विचारणीय थे। भारत में मामीण जनता के बहुत बड़े प्रतिशत का गरीबी की रेखा में नीचे रहने का एक कारण यह है कि यहां प्रति परिवार गुरुती की जमीन का आकार होता है। ठदाहरण के लिये प्रत्येक तीन में में दो जोड़े दो हेक्टेयर में भी कम हैं। देश में 873 लाख ऐसे छोटे किमान हैं जिनके पास दो हेक्टेयर में भी कम जमीन है।

भूमि सुधार जी प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन इतना धीमा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 48 वर्षों बाद भी 23.8 प्रतिशत सोग भूमि के 71 प्रतिशत भाग पा अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार गाँवों में भूमिहीन मजदूरों की संख्या 70 लाख थी। इसमें प्रतिशत 62.20 लाख भूमिहीन मजदूरों की संख्या ज्युह रही है। नीचे दिये गये वितरण ने भारत में भूमि और लोगों के सघयों की व्यापक जानकारी मिलती है।

तालिका।

संखी की जमीन का अकार	ऐसी हक्कियों की संख्या	कुल प्रतिशत
10 हेक्टेयर	27,66,000	40
4 से 10 हेक्टेयर	79,32,000	11.2
2 से 4 हेक्टेयर	1,96,81,000	15.1
1 से 2 हेक्टेयर	1,34,32,000	19.1
1 से 4 हेक्टेयर	3,56,82,000	50.2
कुल	7,04,93,000	100
संखी 4 मई 1991 का जनकम्भा का गणकित प्रसन संख्या-644		

पट्टे की सुरक्षा और खेतों की भूमि का परिसीमन

मामीण थेत्र में आमदनी का प्रमुख माध्यन भूमि है। यदि आमदनी का प्रमुख स्रोत भूमि, मामीण जनता के एक घोटे अश को ही लाभ पहुँचाता है तो भूमि पर स्वामित्व का (वहा किया हुआ) दाचा मामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करने में अमफ्तल रहता है। इसलिये आप की अममानता को कम करने का मवमें श्रेष्ठ उपाय भू-स्वामित्व में विद्यमान अममानता को कम करना ही है।

पट्टे की सुरक्षा

मर आवं यग ने टिप्पणी करे हैं—“मनुष्य को स्वास्थ्य चट्टान का पक्का अधिकार दे दो,

वह उमे बगिया में बदल देगा, उमे एक बगिया नौ वर्ष के पट्टे पर दे दो, वह उने रोगिस्तान में बदल देगा।” इमलिये, पट्टेदारी के अधिकार की समाप्ति भूमि का सुधार करने के लिए धर्यम का, बेकार पड़ो हुई भूमि को सुधारने का अथवा खेतों की जमीन के उर्वरता को बनाये रखने की अपेक्षित दीर्घकालिक योजनाओं का नाश कर देती है। परिणामस्वरूप सामाजिक न्याय का लक्ष्य और अधिकारम उत्पादन दोनों की ही दृष्टि ने पट्टेदारी की सुरक्षा प्रदान करने वाली न्याय-व्यवस्था को अगोकार करने की आवश्यकता सिद्ध होती है। ऐसे न्याय-व्यवस्था का प्रयोजन खेतों करने वाले किसानों को खेत की जमीन पर स्थायी प्रभुता का अधिकार प्रदान करना होना चाहिए।

खेतों की भूमि का परिसीमन

भारत में भूमि सुधार का प्राथमिक लक्ष्य या भूम्वामियों की ममन्त्र भूमि यदि एक निश्चिन भीमा ने अधिक हुई तो राज्य उस भूमि का अधिग्रहण कर लेगा और ये छोटे किसानों में बाट दी जाएगी ताकि उनकी खेतों योग्य भूमि आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बन जाए अथवा भूमिहीन मजदूरों को दे दी जाए ताकि उनकी जमीन को आवश्यकता पूरी हो सके। विद्यमान खेतों की भूमि और इसके लागू करने को इकाई के परिसीमन के निमिद कानून दो चरणों में बनाए गए हैं। पहला चरण, जो 1972 तक चला, परिसीमन विषयक कानून अधिकतर भूम्वामी को इस कानून के लागू करने की इकाई मानता था। नन् 1972 के बाद यह निश्चय किया गया कि परिवार को खेतों की भूमि का आधार माना जाए। इससे आगे, परिसीमन भीमा को भी घटा दिया गया ताकि गाँवों में आमदनी के इन दुलंभ स्रोत का अधिक न्यायिक ढग से बचवारा हो सके।

मर आर्द्धर या ने टिप्पणी की है “मनुष्य को रुखी चट्ठान का पक्का अधिकार दे दो, वह उसे बगिया में बदल देगा, उसे एक बगिया नौ वर्ष के पट्टे पर दे दो, वह उसे रोगिस्तान में बदल देगा।”

समस्या

विद्यमान खेतों की भूमि पर भीमा का प्रतिबंध लागू करना एक बटिल समस्या है। इसके लिए वर्तमान भूमि-पद्धति का पुनर्गठन करना जरूरी है। इसके लिए स्वामित्व के अधिकारों की पूरी जाच करनी होगी। इसके भाव कई भास्याएँ जुड़ी हुई हैं जैसे, दुर्भावना से किए गए हम्मानरण, छूट और अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था।

भारत में भूमि सुधार का प्राथमिक लक्ष्य यह कि भूत्यामियों की समस्त भूमि यदि एक निश्चिन सांभ से अधिक हुई तो राज्य उस भूमि का अधिग्रहण कर लेगा और ये छोटे किसानों में बाट दी जाएगी ताकि उनकी खेतों योग्य भूमि आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बन जाए अथवा भूमिहीन मजदूरों को दे दी जाएगी ताकि उनकी जमीन की आवश्यकता पूरी हो सके।

अतिरिक्त भूमि और उसका बंटवारा

भूमि परिसीमन के पुराने कानून के अन्तर्गत 1972 तक भारत में करोब 0.23 लाख एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी जिसमें से 0.13 लाख एकड़ का पुन आबटन हुआ था। विहार, कर्नाटक, डॉसा और राजस्थान में कोई भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हुई थी। लेकिन इन राज्यों में भूपरिसीमन लागू होने से पहले ही जमीनों के बटवारे अथवा बेनामी हस्तान्तरण हो चुके थे।

भूमि का बंटवारा

मशोधित भू-परिसीमन कानून बोते हुए समय में अर्धात् 24 जनवरी, 1971 में लागू होने थे। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए 17 राज्य भरकारों ने भू-परिसीमन कानूनों का पुनरीक्षण कर दिया गया था और भू-सीमाओं को और कम कर दिया था। लेकिन न्यायालयों के हस्तक्षेप के कारण अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के कार्य को गहरा धक्का लगा।

1992 में इमका पुनरीक्षण हुआ। पता चला कि मालगुजारी-अदालतों में मुकदमों में फसी जमीनों का 75 प्रतिशत मुक्त हो जाना चाहिए जिसका फिर में आबटन कर दिया जाना चाहिए। मार्च 1985 और जून 1992 के बीच केवल मात्र बर्षों की अवधि में 0.711 लाख एकड़ भूमि का अतिरिक्त आबटन किया जा सका। नीचे दी गई तालिका 1980 से जून 1992 तक किये गए भूमि के आबटन को बतलाती है।

तालिका 2

भू-परिसीमन कानूनों को लागू करने की समवेत प्रगति (लाख एकड़)

	31.3.80 को	31.3.85 को	31.3.90 को	30.6.92 को
अतिरिक्त घोषित क्षेत्र	69.13	72.07	72.75	72.81
अधिकार में लिया हुआ क्षेत्र	45.50	56.93	62.12	63.53
आबटन क्षेत्र	35.50	42.64	46.47	49.75
साधारणता होने वाली बीमालय	24.75	32.90	43.60	47.59
स्रोत दार्शनिक विकास मंशनय की वार्षिक रिपोर्ट (1992-93)				

ऐसी शोधनीय स्थिति के लिए प्रामोण क्षेत्र एवं रोजगार मन्त्रालय द्वारा दिए गए करण इस प्रकार हैं-

- पाच में अधिक सदस्य वाले परिवारों द्वारा भू-परिसीमन कानून में निर्धारित सीमा से दुगुनी भूमि को अपने पास बनाए रखने का प्रावधान
- परिवार में बालिङ पुत्रों के लिए अलग में भू-परिसीमन सीमा का प्रावधान
- भयुक्त परिवार के प्रत्येक भागीदार को भू-परिसीमन सीमा के तिये अलग इकड़ माने जाने का प्रावधान

- भू परिसीमन सीमा का अतिक्रमण करके चाय, काफी, रबड़, इलायची और कोको की खेती तथा धार्मिक और खैराती संस्थाओं के लिए दी गई छूट
- भू परिसीमन सीमा को बचित करने के लिए भूमि के बेनामी और फर्जी हस्तानरण
- छूटों का दुरुपयोग तथा भूमि का गलत वर्गीकरण, तथा
- लोक-पूजी के विनिवेश के द्वारा नए मिचाई के साधनों में हाल ही में तैयार की गई भूमि पर उपयुक्त भू परिसीमन का लागू न किया जाना।

यहाँ में मेरे ही द्वारा किये गए निरीक्षणों में मेरे दो को उदाहरण के रूप में प्रमुख कर रहा हूँ।

पहला उदाहरण

दिल्ली में खामपुर गाव में (कल्पित नाम) एक कथा प्रचलित है कि गाव को भूमि के वर्तमान पाच स्वामियों के पूर्वजों ने यह सारी भूमि 1857 के विद्रोह में विटिश सैनिकों को सरक्षण प्रदान करने के कारण इनाम में प्राप्त की। भू परिसीमन से बचने के लिए इन भाइयों ने इस भूमि का कुछ हिस्सा एक योजना के निमित्त मरकार को बेच दिया। उन्होंने इसकी जानकारी उन काश्तकारों को नहीं दी जो इस भूमि को पांडियों से जोत रहे थे। काश्तकारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने आदेश दिया कि भूस्वामियों को तुरत मुआवजा दिया जाए। इस प्रकार (भूमि के स्वामी) भाइयों को मुआवजा मिल गया जबकि काश्तकारों को कुछ भी नहीं मिला वयोंकि उनके पास कोई आगम पत्र नहीं थे। पटवारी ने सरकारी बागजों को चालाकी से इस प्रकार तैयार किया कि उनमें खेती योग्य भूमि खेती के अयोग्य दिखाई गई ताकि काश्तकार किसी भी प्रकार के लाभ से बचित हो जाए।

काश्तकारों ने अपने अपने नाम से हलफनामे दाखिल करा कर सुप्रोम कोर्ट तक (कानूनी) लड़ाई लड़ी—उन्हें प्रतीक रूप में कुछ मुआवजा मिला। ये काश्तकार अभी भी विस्थापित हैं और कृषि व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य किसी कौशल को न जानने के असर अपने आप को पुनर स्थापित नहीं कर पाए हैं। अब नई पीढ़ी धीरे धीरे वैकल्पिक व्यवसायों की तलाश में गाव, मेर, पहाड़गढ़, काती, ज्या, रही, है।

दूसरा उदाहरण

हरियाणा राज्य दावा करता है कि यहाँ भूमि सुधार बचन और भावना दोनों ही दृष्टियों से लागू किए गए हैं। इसके एक गाव रामपुर में (कल्पित नाम) मैंने पाया कि कागज पर तो सब कुछ टीक-ठाक था। लेकिन जब मैंने गहराई से खोज बोन की तो मुझे पता चला कि दलितों के आगम पत्र पुराने/मौलिक भू स्वामियों के ही कब्जे में हैं। यह इस मिथ्या तर्क के आधार पर किया गया था कि दलितों के पास इन पत्रों को सुरक्षित

रखने के लिये मटूक या स्थान नहीं थे। भूम्बामी अभी भी दलितों के अपना काशतकार और भूमिहीन मजदूर भानकर ही ठनके माथ व्यवहार करते हैं यद्यपि भूमि का कानूनों स्पष्ट में हम्मानराज हो चुका है। दलितों का यह शोषण ठनके अज्ञान, शिथा के अभाव और माथ ही नौकरशाही की ठदामीनता के कारण ही है।

क्रियान्वयन न होने के कारण

पीएम अपूर्ण की अध्यक्षता में नियुक्ति किये गए योजना आयोग के कार्य-बल ने भूमि मुधारों के क्रियान्वयन न होने के लिये उत्तरदायी निम्नलिखित कारण बतलाएँ।

(1) राजनीतिक इच्छा की कमी,(2) निम्न वर्गों की ओर में दबाव का अभाव क्योंकि गरीब देहानी और खेतिहार मजदूर (अ) महिला और (ब) अमर्गठित हैं। यह तथ्य मरकारी रिपोर्ट में हो स्पष्ट है कि जो कहती है कि कुल 314 लाख कर्मकारों में में करीब 80 प्रतिशत (249 लाख) मार्मीण थे जो में हैं। करीब 45 प्रतिशत (200 लाख) खेती में लगे हुए हैं 85 प्रतिशत (267 लाख) अपने काम में लगे हुए हैं अथवा अनियमित बेतन पर काम करते हैं और केवल करीब 47 लाख जो नियमित रोजगार मिला हुआ है। अमर्गठित मजदूरों के मुख्य लक्षण हैं कम रोजगार के गभीर स्थिति (कम रोजगार पाने वाले मजदूर कम की उपलब्धता के अनुमान एक में अधिक मालिकों के लिए काम करते हैं) काम का विषय रुआ स्वस्त्रप (एक ही प्रकार का काम करने वाले अलग अलग म्यामों पर हैं और यह आवश्यक नहीं है कि वे एक माथ एक भौगोलिक सीमा वाले थेवर में रहते हों) गृह मूलक काम को करना भासूहिक भौदेवाजी करने की क्षमता में कम भगठन क्षमता का निम्न म्नर (ट्रैक यूनियनों को कम रोजगार पाने वाले विषये हुए और गृह मूलक व्यवसायों में लगे हुए मजदूरों तक पहुचने में गभीर कठिनाइयों का मामना करना पड़ता है) और अन्न में मालिक और कर्मकार के बीच ठोस भवध का अभाव। (3) नौकरशाही की उन्मानर्हीन और प्राय उदामीन प्रवृत्ति, (4) भूमि के प्रत्यक्ष रिकाडों का अभाव तथा (5) भूमि मुधारों के क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली कानूनी रुक्यर्हतें।

खड़दो

गाधीजी के लिये समाज को बदलने के भारतीय स्वार्थीनता आन्दोलन में स्वतंत्रता की प्रार्थि बेकल पहना चरण था। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण हीना था। अहिंसक सामाजिक आन्दोलन जिसमें खेत को जोतने वाले वे उम खेत का म्यामी बनाना था। इसमें भारत के साथों गरीबों की आड़ों में आम पोछने में महादता मिलने की मभावना थी। अपनी हन्ता के कुछ ही दिनों पहले ठन्होंने तिखा था कि कांग्रेस ने राजनीतिक स्वतंत्रता भाज बर ली है किन्तु इसे अभी आर्मिक, सामाजिक और नैतिक स्वतंत्रताएँ प्राप्त करनी हैं। ये स्वतंत्रताएँ राजनीतिक स्वतंत्रता में अधिक कठिन हैं।

भूदान का जन्म

जनवरी 1948 में माधोजी के मृत्यु के बाद उनके नवयोगियों में से, जो उनके स्वेच्छन समाज के स्वर्ग के प्रति समर्पित रहे, कुछ लोगों ने नवे मेवा सम के नाम से एक सम्बन्धित उद्योग की।

माधोजी के इत्यान्तिक उत्तमीष्यकरणी विनोबा भावे ने 1951 में अप्पे प्रदेश के हेलगाना जिले के घोड़ा करे यहाँ मूलिहान खेटोंहरे और उनके नामने मूल्यवानों के बीच उपभोक्ता बन रहा था। इन कावे प्रस्तुत में जब वे 18 अक्टूबर के दिन पांचवें लाल माव पहुंचे उनके पास उनके मूलिहान दोलिय और जिन्होंने उनसे मूलि प्राप्त करने में उनके सहाया करने के प्रार्थना की। विनोबा जी ने माव के लोगों के स्वेच्छन विनोबा उनसे दूठ किया, उनसे में कोई अपने आदर्शों के भूख में परने से बचने के लिए उनके मर्जने में जमीन देने के निरराजनी है। एक अचिन्तित जिनका नाम रामचन्द्र रहे हैं थे, दाम लाया और उनसे नीं एक डूसी जमीन देने के इच्छा प्रकट करे। उन्होंने कहा, “मैं हमेशा राजदोही रहा हूँ। हमारा नाम परिवार राजदोही है। ऐसिन मेरी मान्यवादी दर्शकों में अनहमति है, और जब तक विनोबा जी यहाँ नहीं आये थे, तब तक मेरे मन में ढलङ्ग था कि मैं क्या करूँ। मान्यवादी कहते हैं कि वे अदृश्य, रक्षणात् और उन्नत के द्वारा प्रेरित हुए जानने के लिये मुझे उनके जमीन का स्वरूप हिलाता है।”

विनोबा जी ने मूल्यवानियों से कहा, “आप तुम्हारे फाद बढ़े हैं तो तुम अपनी समाजित उनके बीच बातचार-बातचार बाटते। मुझे उनका छोटा बेटा मृग्जा। दौरियां बातचार तो तेरे हारे हुए जानने के लिये मुझे उनके जमीन का स्वरूप हिलाता है।”

दान में प्राप्त हुई मूलि का आवटन

विनोबा जी ने चार्टर्स दलित परिवारों से कहा कि वे स्वयं निर्णय करें कि वे (दान में प्राप्त हुई) मूलि क्ये कैले बाटना चाहेंगे और यह कि वे इन मूलियों को इकट्ठा निलंबन जोड़ना चाहेंगे या ब्लग-अलग। दलिलों ने उन्हें कहा है कि मूलि क्ये इकट्ठा निलंबन जोड़ना चाहेंगे। उनमें से अनेक छोटी जातियों के समूह—जैसे धोबी, चन्द्रकर, बुनकर—पहले से ही नमुदाद के रूप में इकट्ठे रह रहे थे। एक समूह में आठ परिवार, हर समूदाय के सकल एक दीवार के पीछे बने हुए थे। इन सभी का एक बरामदा था। एक नाय जुदाई अनेकों के लिए उन्हें इनके व्यवस्था का थोड़ा विस्तार करने की जरूरत थी। जिनमें प्रथेक समूह अनेक ब्लग-अलग क्षेत्र के प्रति उनरदादी हो। उन्होंने यह सी बस, उन्हें युक्तिप्रद करने के लिए 80 एकड़ से कमिशन की आवश्यकता नहीं है—हर एक के लिये दो एकड़। कदाचित् फ्रलग्नू बोन एकड़ का किसी और स्वयं में उभयोग हो सकता था।

माव छोड़े हुए जमा हुए समूह से विदा लेते हुए विनोबा जी ने टिप्पणी की “कादि

हर एक भूस्वामी रामचन्द्र रेहु बन जाए तो हम धरती पर स्वर्ग उतारते ।”

भूदान

विनोबा जी काफी सचेत होकर भारत के भूमिहीनों की समस्या के लिये एक ऐसे समाधान को खोज रहे थे जो हिंसक क्राति का विकल्प बन सके । उन्होंने सारे भारतवर्ष में पदयात्राओं का एक क्रम प्रारंभ करने का निश्चय किया जिसमें वे भूस्वामियों की अन्तरात्मा से अपील कर सकें, भूमिहीनों के लिए भूमि की धिक्षा माग सकें और इस प्रकार व्यक्तिगत दान-कर्म के द्वारा सामाजिक सुधार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें । उनका लक्ष्य त्रिविध क्रान्ति था ।

“पहले, मैं लोगों के हृदय बदलना चाहता हूँ । दूसरे, मैं उनके जीवन में एक परिवर्तन उत्पन्न करना चाहता हूँ । तीसरे, मैं मामाजिक ढांचे को बदलना चाहता हूँ । हमारा लक्ष्य केवल दया के कर्म करना नहीं है, किंतु दया का साप्राज्य बनाना ।”

भूदान के लिये इतना भारी उत्साह था कि वर्ष 1957 के अन्त तक, जिसका नाम भू-क्रान्ति वर्ष रखा गया था, 50 लाख एकड़ भूमि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था ।

विनोबा जी 6 जून, 1951 के दिन हैदराबाद से मध्य भारत में आए तो उन्होंने 12,000 एकड़ भूमि जमा कर ली थी । जिस किसी भी गाव में वे रुके उसमें से एक ने भी भूमि का दान करने से मना नहीं किया—उन्होंने एक दिन में औसत 240 एकड़ भूमि प्राप्त की । निजाम ने भी, जिसकी भारत के सबसे कृष्ण व्यक्ति के स्वप्न में प्रसिद्ध थी, कुछ भूमि दी थी । अगले तीन वर्षों में विनोबा जी के द्वारा पीछे छोड़े गए कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में और भी एक लाख एकड़ भूमि प्राप्त की ।

साम्यवादियों के लिये विनोबा जी का एक सदेश था, “रात के अंधेरे में क्यों आओ? दिन के उजाले में क्यों न आओ और क्यों न मेरी तरह ईमानदारी और प्यार से देखो?”

विनोबा जी ने भू स्वामियों से कहा, “अगर तुम्हारे पाच बेटे होते तो तुम अपनी सपत्ति उनके बीच बराबर-बराबर बाटते । मुझे अपना छठा बेटा समझो । ददिनारायण-दीन के रूप में प्रगट हुए भगवान के लिये मुझे अपनी जमीन का एक हिस्सा दो ।”

सही न्याय-विधान

विनोबा जी का विश्वास था कि भारत जैसे प्रजातत्र में व्यापक भूमि-सुधार लाने के लिए भूदान ही एकमात्र उपाय है । यह लोगों के मनों को छूता है और उनके हृदयों को छूता है । इससे सही न्याय विधान के लिये रास्ता तैयार होता है ।

भूदान की उत्पत्ति और इसके अर्थ की व्याख्या करने के लिए विनोबा जी हिन्दू

पौराणिक कथाओं के चमत्कारी कोश गृह का सहारा ले रहे थे। इस बात की व्याख्या के लिये उदाहरणस्वरूप दो पौराणिक कथाएँ नीचे दी जा रही हैं-

पहली पौराणिक कथा

राजा बलि की एक कथा है जिसमें विष्णु वामनावतार में वर मागने के लिये राजा के पास आए। असुर राजा बलि के गुरु, शुक्राचार्य, जानते थे कि याचक असल में कौन है, इसलिये कमण्डलु की जल की नलकी पर वे कोट बन कर चिपक गए ताकि दान का सकल्प लेने के समय उसमें भै जल न आ सके। दिव्य साधुवेशधारी याचक ने कोट को देख लिया और जल की रुकावट को हटाने के लिए कमण्डलु की नलकी में सीक भुमा दी। वर क्या था? वामनदेव अपने तीन पागों में जितनी धरती माप मँके। जब दान का वचन दे दिया गया, वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया और अपने दो पागों में ही सपूर्ण विश्व को माप लिया। जब तीसरे पग के लिये कोई स्थान नहीं बचा तब (उसे रखने के लिए) राजा बलि ने अपना सिर आगे बढ़ा दिया। भूदान, भूमि का दान, विनोदा जी कहते थे, एक दिन बलिदान अर्थात् राजा बलि के दान में बदल जाना चाहिये। सपूर्ण विश्व ईश्वर को समर्पित हो जाना चाहिये।

दूसरी पौराणिक कथा

पाण्डवों ने अधर्म की शक्ति के विरुद्ध महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध लडाई लड़ी। युद्ध का कारण क्या था? पाण्डवों के सबधीं उन्हें अपने उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि का हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे। पहले पाण्डवों ने राज्य नहीं, बल्कि एक नगर की माग की, तदनन्तर एक नगर की नहीं, बल्कि एक गाव की, उसके बाद एक गाव की नहीं, बल्कि एक भवन, उसके बाद एक भवन की नहीं, बल्कि एक कमरे की। लेकिन दूसरा पक्ष सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब उनकी माग नहीं मानी गई तब उन्होंने हथियार ठाने का निर्णय किया। इसी प्रकार आज के गरोब करेंगे, विनोदाजी ने कहा, यदि हम उनके अधिकारों में निरतर कट्टौती करते रहेंगे। इस कथा के अन्त में, एक भुलाया हुआ छठा भाई है, कर्ण उसे उसके जन्म के अवसर पर दूर छिपा दिया गया था। विनोदा जी इसे आज के समाज के ठपेक्षिन, वर्चित के प्रतीक के रूप में देखते थे। यही वह था जिसने कुल की एक शाखा के कान में दूसरे के विरुद्ध विष घोला और जो माता के द्वारा दिये गए कवच से युद्ध में सर्वशक्तिमान बन गया। क्या हम पाण्डवों की तरह अपने छठे भाई को भूल जाना चाहते हैं और आपनी नफरत और कलह को मड़काना चाहते हैं?

अप्रैल 1954 के अंत तक 32 लाख एकड़ भूमि भूदान में दी गई थी। इनमें से 20 लाख एकड़ भूमि व्यावहारिक रूप से अच्छी जर्मान थी। भूदान करने वाले दानाओं की जख्या 2,30,000 थी जिनमें से एक तिहाई के विषय में कहा जाता है कि उनका हृदय-परिवर्तन हो गया था। 60,000 एकड़ भूमि 20,000 परिवारों में बाटी गई।

भू-स्वामित्व के अधिकार का विसर्जन

वस्तुतः 1957 को भूक्रान्ति वर्ष के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष तक कुल 4.2 लाख एकड़ भूमि भूदान आन्दोलन में प्राप्त प्राप्त हो चुकी थीं, जबकि लक्ष्य 50 लाख एकड़ का था। इम निराशाजनक स्थिति का एक कारण यह है कि भू आन्दोलन अब व्यक्ति में अपनी भूमि के एक हिस्से के विसर्जन की माग नहीं कर रहा था बल्कि अब माग प्राप्त समुदाय के पक्ष में माप्यत्विक अधिकारों के पूर्ण विभर्जन की थी। यह प्राप्तदान की माग थी—गाव की मारी जमीन को एक जगह जमा करना और सपूर्ण प्राप्त समुदाय को इसका स्वामित्व मौजूदा।

मन् 1971 तक, 1,68,108 गांवों ने—भारत के कुल गांवों के एक चौथाई से कुछ अधिक ने—प्राप्तदान में शामिल होने की घोषणा कर दी थीं; लेकिन अधिकतर यह केवल 'मकल्प' की घोषणा ही थी। केवल करीब 5000 गाव ऐसे थे कि उनके अधिकार पत्र यथार्थ में प्राप्त ममिति को दस्तान्तरित किए गए थे, ये सरकारी तौर पर प्राप्त दान के रूप में पंजीकृत हुए थे।

मूलत कुछ ऐसा हुआ प्रतीत होता है कि मत स्वरूप विनोदा अथवा उनके प्रतिनिधि जयप्रकाश नारायण की यात्रा के फलस्वरूप ठब्बाह की लहर में, गाव अपने बो प्राप्तदान में शामिल घोषित कर देते थे। इसके बाद नेता लोग तो अगले गाव या स्थान की ओर चल देते थे और पीछे अपनी ओर से घोषित मकल्प को (कानूनी तौर से) सागू करने के लिए मर्वोदय कार्यकर्ताओं को ठाड़ जाते थे। आर्थिक साधनों की कमी और ऐसे कार्य को चलाने के लिये टपयुक्त शिक्षा प्राप्त कार्यकर्ताओं की कमी से भी आन्दोलन की पूर्ण रूप से मफलता न मिल सकी। परिणामस्वरूप, कागज पर जैसी आदर्श तम्बार दिखाई पड़ती थीं और वाम्निक स्थिति के बीच काफी बड़ा अन्दर था।

भूदान और प्राप्तदान आन्दोलन के प्रयोग से जा शिक्षा ली जा सकती है वह यह है कि सबसे पहले यह जरूरी है कि दान के पांत्रों में आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता के गुण तथा अपनी जमीन का प्रबंध स्वयं करने की क्षमता उत्पन्न की जाए।

इसके अतिरिक्त एक लाख से ऊपर भू-स्वामियों के द्वारा भूदान योजना के अन्तर्गत दान की गई 4.2 लाख एकड़ जमीन में से 1.85 लाख एकड़ जमीन या तो खेती के अयोग्य मिद्द हुई या कानूनी विवादों में फसी हुई मिली। 1970 के दशक के अन्तिम भाग तक भूदान में प्राप्त की गई कुल जमीन का केवल तीस प्रतिशत ही वास्तव में भूमिहीनों में बाटा गया था। इसमें आगे यह पाया गया कि जमीन का आबटन हो जाने पर भी, जिनको जमीन दी गई थी उनमें से अनेक भूदान से लाभ उठाने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि ये जमीन सिंचाई सुविधाओं से विहीन होने के साथ समतल भी नहीं थी। इसे मुधारने के लिये इन लोगों के पास धन और साधनों का अभाव होता था। उनके पास खेती शुरू करने के लिये आवश्यक औजारों, बीजों, ठर्वाकों और खेती के लिये

आवश्यक पशुओं को प्राप्त करने के माध्यों का अभाव था। इमके अतिरिक्त, उनमें भूमि का प्रबंध करने के लिये अनुभव और आत्म-विश्वास की कमी थी, क्योंकि उनका जीवन स्थानीय भूस्वामियों पर निर्भर था।

भूदान और ग्रामदान आन्दोलन के प्रयोग से जो शिक्षा ली जा सकती है वह यह है कि सबसे पहले यह जरूरी है कि दान के पात्रों में आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता के गुण तथा अपनी जमीन का प्रबंध स्वयं करने की क्षमता उत्पन्न की जाए। इसके अतिरिक्त नई प्राप्ति की गई जमीन का पूरा उपयोग करने के लिए जरूरी भौतिक और तकनीकी माध्यों का प्रावधान भी आवश्यक है। सक्षेप में, ये लोग अभी भी गांधी जी के ग्राम स्वराज और आर्थिक विप्रमता को भिटाने के लक्ष्य से काफी पीछे थे।

खड़ तीन

स्वाधीनता के समय से किए गए भूमि-सुधारों के प्रयत्नों का मूल्याकान इस बात को म्मष्ट करता है कि कुले खेती-योग्य भूमि का एक प्रतिशत ही बाटा गया है। ऐसा मुख्य रूप से अन्ताहीन मुकदमेबाजी और कानूनी विवादों के कारण है।

81वा संशोधन—मविधान संशोधन के 81वें विधेयक में मात राज्यों में भूमि सुधार मबधी कानूनों के आधारभूत मुद्दों को सविधान की नवीं सूची में रखने का प्रयत्न किया गया है। ये कानून अब अवाध्य हो गये हैं, क्योंकि धारा 31वी के अनुमार, नवीं सूची में शामिल सभी नियम/कानूनों को अदालत में इम आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये सविधान में प्रतिक्रिया भौतिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। न्यायालयों में मुक्ति चाहने वाले सात राज्यों में दोनों तरह के राज्य हैं—पश्चिम बगाल, केरल, कर्नाटक जैसे भूमि सुधारों में प्रशासनीय कार्य करने वाले भी और विहार, राजभ्यान, उडीसा और तमिलनाडु जैसे राज्य भी जिनका इस क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा इतिहास नहीं है।

अपल में कमी—भूमि सुधारों को हानि प्रमुख रूप में इसलिए उठानी पड़ी है क्योंकि पार्टी के स्तर पर अभिव्यक्ति निश्चय कदाचित् ही नीचे के स्तर पर कार्य में परिणत हुआ है। न्याय के सैद्धान्तिक प्रश्नों और न्याय सबको समान रूप से मुलभ होने की बात को एक तरफ करके भी यह सिद्ध है कि ग्राम सुधारों का कृषि की उपज पर सकारात्मक/भावात्मक प्रभाव है। यह याद रखना चाहिए कि पूर्वी एशिया का चमत्कार (ईस्ट एशियन मिरेकल) 1960 तथा 1970 के दशकों में उत्पादपूर्वक शुरू किये गए ग्राम सुधारों का ब्रह्मी है।

पश्चिम बगाल का प्रयोग—अपने देश में हाल तक अधिकतर पूर्वी भारत में, कृषि उपज में वृद्धि दर जनसख्या की वृद्धि दर से न्यूनाधिक मात्रा में कम ही थी। 1970 और 1980 के दशकों में पश्चिम बगाल में किये गए प्रयोग—आपोरेशन वर्ग के द्वारा काश्तकारी का पञ्चीकरण और पचायत चुनाव के द्वारा पार्टी का नियन्त्रण—की सफलता से राज्य में कृषि उपज में छह प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

दुर्भाग्य से, किन्तु यहा भी, मार्कर्मवादी कम्पनिस्ट (भी पीएम) सरकार को ग्रामीण मुधारों के लिए धीमे पड़ते हुए समर्थन का मामना करना पड़ रहा है। विहार और राजस्थान जैमे राज्यों को तो अभी लची दूरी तय करनी है। यहा तो अभी बधुआ मजटूरी, अत्यधिक व्याज पर धन देने की प्रथा और व्यक्तिगत सैन्य बलों द्वारा दलितों के वध जैमी ममन्नाए जारी है। विहार में, जबकि सालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल भरकार अपनी पहली अवधि में इम भोवे पर अमफल रही, हाल में, आपरेशन 'टोटरमल' के माध्यम में और अठियल अफमरों को आपरेशन 'कालदूत' द्वारा दण्डित करने की धमकी में, मुधार के प्रथन्म भर्ती मार्ग पर चलते प्रतीत होते हैं।

भूमि परिमोम्पन की नीति—खेनी की जमीन पर वर्तमान परिमीमन की व्यवस्था को जारी रखने की नीतिगत धोषणा भी स्वागत योग्य है यत्रपि कलांटक और पश्चिम बगाल इममें असतुष्ट रहेंगे। ठन्होने भू-परिमीमन को ढठाना चाहा था, प्रत्यक्ष ही, परिमाण की अर्थ नीति (Economy of Scale) का विमानों को लाभ देने के लिए। किन्तु, देश के शेष भागों में, जहा ग्राम सुधार अधिकतर अमफल रहे हैं, भू परिमीमन को लचा करने से दोषियों को ही लाभ पहुंचेगा—ठन्हे जिन्होने इममें बचने के लिए छल कपट का महारा लिया।

नवी मूर्ची कानून के विन्दू कोई गारण्टी नहीं—किनी कानून का भविधान की नवी मूर्ची में समावेश मात्र इस बात की गारण्टी नहीं है कि इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। कानूनों को अनेक अन्य आधारों पर चुनौती दी गई है, जैसे (i) भविधान की धारा 14, 19 और 31 से अमगत होने के, (ii) वालिंग बेटों और नावालिंग बेटों तथा वालिंग बेटियों और अविवाहित बेटियों के बीच भेदभाव करने के, (iii) भूमि के वर्गीकरण के आधार, (iv) भुआवजे की दर के (v) प्रामाणिक एकड़ की गणना के तरीके और (vi) परिवार शास्त्र की परिभाषा में मनमानी के आधार पर।

पचायने और भूमि सुधार—सोलह राज्य पचायत कानूनों की भविक्षात्मक परीक्षा 'वानी' (वालन्टरी एक्शन नेटवर्क इम इडिया) द्वारा की गई है। पश्चिम बगाल को छोड़कर, इन कानूनों में किमी अन्य राज्य के कानूनों ने भूमि सुधार के मामले में न तो पचायत की भूमिका का विवेचन किया है और न ही उसका उल्लेख।

प्रतिनिधित्व—भूमि सुधार पचायती राज की सफलता की कुंजी है। ठदाहरण के लिए, पश्चिम बगाल में भूमि सुधार पचायती राज में पहले आये। परिणामव्यूह पिछले में पिछले पचायत चुनावों में तीन पक्षियों वाले ढाचे के 46,000 चुने हुए सदस्यों में 75 प्रतिशत अध्यक्ष और सदस्य छोटे या सीमात किसान थे। इसके अतिरिक्त कुल क्रियाशील शेत्रों में से 19 प्रतिशत से भी अधिक में अनुभूचित जातियों का प्रतिनिधित्व है। कुल प्रतिनिधियों में 36 प्रतिशत से भी अधिक महिलाएं थीं। पचायत पद्धति के विभिन्न स्तरों पर 24,799 चुनी हुई महिलाएं हैं।

भूमि सुधार सर्वोच्च प्रायोगिकता—राज्य में भूमि सुधार ने सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त की क्योंकि प्रामीण सबधों का पुनर्गठन सरकार का मुख्य लक्ष्य था। सरकार ने भूमि सुधार के दो पक्षों पर जोर दिया जैसे पट्टेदारों के नामों का लेखा तैयार करना और अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में आवटन। इसके साथ जुड़ी हुई थी सरकार की भूमि सुधार से लाभान्वित होने वालों के लिए सम्यागत ऋण की सुरक्षा की विस्तार की नीति।

पचायतों और कृषक-संगठनों ने इन कार्यक्रमों को लागू करने में अतिशय प्रभावी भूमिका निभाई। पट्टेदारों के नामों का लेखा तैयार करने का कार्यक्रम, आपेरेशन बर्ग (ओबी) के नाम से जाना जाता है, इसे पहले नौकरशाही के द्वारा आरम्भ किया गया। बाद में पारपरिक पद्धति की कमी की पूर्ति नौकरशाही और पचायत के बीच व्यावहारिक सबधों को स्थापित करके की गई। ओबी कार्यक्रम में प्राम पचायतों ने मर्वाधक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओबी कार्यक्रम के अर्थपूर्ण पक्षों में शामिल हैं साध्य शिविर और असली बर्गादरों की पहचान। इन दोनों ही विषयों में पचायतों की हिस्सेदारी और बर्गादरों के नामों का लेखा तैयार करने के लिए दिए गए प्रोत्साहन ने इस सारे कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

81 वा सशोधन कहीं भूमि सुधारों के क्रियान्वयन न होने के फदे में न जा पड़े, इसके लिये राजनीतिज्ञों में, राजनीतिक पार्टियों में, शिखर से लेकर निचले स्तर तक नौकरशाही में दृढ़ समर्पण वी आवश्यकता है और आवश्यकता है भूस्वामियों के हृदय परिवर्तन की।

पचायत मिमितियों को भूमि के आवटन कार्यक्रम को पूरा करने का काम मौपा गया था। पचायत समिति के स्तर पर भूमि सुधारों की एक स्थायी समिति है जो इस काम को करती है। यह समिति, प्राम पचायतों और कृषक संगठनों की मदद से उन लोगों की सूची तैयार करती है जिन्हें अधिकार में आई हुई भूमि आवटित की जाती है। इस क्षेत्र में मिली सफलता प्रशमनीय है। पश्चिम बगाल में पचायतों के पुनर्जीवन में वामपथी मोर्चे की प्राप्त हुई अपेक्षाकृत अर्थपूर्ण सफलता का श्रेय वहां शिखर और तल्ले, दोनों ही स्तरों पर विद्यमान उत्कृष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

81 वा सशोधन कहीं भूमि सुधारों के क्रियान्वयन न होने के फदे में न जा पड़े, इसके लिए राजनीतिज्ञों में, राजनीतिक पार्टियों में, शिखर से लेकर निचले स्तर तक नौकरशाही में दृढ़ समर्पण की आवश्यकता है, और आवश्यकता है भूस्वामियों के हृदय परिवर्तन की। उनके द्वारा क्रियान्वयन के लिए भूमि सुधारों को अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है। साथ ही मेरे कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और बड़ी हुई उत्पादकता के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

भूमि का पुन आवटन प्रामीण गरीबों की बड़ी सख्ता को एक स्थायी पूजी/सपत्ति

का आधार प्रदान कर मिलता है ताकि वे भूमि पर आधारित और इससे जुड़े हुए टद्यमों के अपना मंके। उसी प्रकार खेती की जर्मान का एकीकरण, कवरशतकारी के नियम और सेखा प्रमाणों का नवीकरण, छोटे और भीमान्त खेतों के मालिकों द्वारा खेती की तकनीक व्ये मुधारकर साधनों के निवेश की पहुच को विस्तृत बना देगा और उपज को बढ़ाने में भीष्म योगदान करेगा। फिर भी, व्यवहार में यह पाया गया कि इम कार्यक्रम में और ममनित भाषीण विकाम कार्यक्रम अथवा एन आरई पी, आरएलजीपी में बहुत थोड़ा ही मवध है और यह अकेला ही दूसरों से अलग चल रहा है। गरीब किमानों को एक जुझास्त ट्रैड यूनियन के रूप में संगठित करना कदाचित् भूमि मुधारों को प्रभावी ढग में लागू करने का एक और उपाय हो मिलता है।

कृषि के विषय में गांधी जी का दर्शन—गांधीजी ने अपना जीवन, समाज, कृषि और बहाड़ की भममिट्पूर्ण दृष्टि को भारतीय कृषि की भमस्या पर लागू किया और इम विषय में एक निश्चित दर्शन को विकसित किया। उनका दर्शन औपनिषदिक मत्य पर आधारित था पूर्णमद् पूर्णमिद् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते जैसे जीवन और विश्व की एकता। जिम नए समाज को वे प्रतिष्ठित करना चाहते थे उनमें उन्होंने मर्वोदय समाज की मत्ता दी। गांधी जी की मृत्यु के बाद इस अवधारणा को विनोदा जी ने साकार किया।

सर्वोदय समाज—विनोदा जी ने कहा “मर्वोदय समाज मात्र एक मगठन नहीं है। यह एक ठर्जस्त्री शब्द है जो ब्राह्मिकारी विचारों का अभिव्यजक है।” मगठनों में वह शक्ति नहीं है जो महान् शरदों में है। शरदों में वानाने और साथ ही विगाहने की शक्ति है। ये भनुष्ठों और राष्ट्रों को ठड़ा भी मकने हैं और गिरा भी मकने हैं। हमने इन महान् शरदों में मेरे एक को अपनाया है। इसका क्या अर्थ है? हम इने गिनों की ठनति नहीं चाहते, बहुतों द्वारा भी नहीं, न ही मवधमे अधिक मरणा को हमारा सतोष हर एक के कल्पनाय में ही, ठंचे के भी और नीचे के भी, ताकतवर के भी और कमजोर के भी, बुद्धिमान के भी और जड़ के भी है। मर्वोदय उदात् और मर्वप्राही भाव को अभिव्यक्त करता है। इस आदर्श का यदि मन से और वजन मे अनुसरण किया जाए और व्यवहार में पालन किया जाये तो यह न केवल भूमि मुधारों को लागू करने में सहायक होगा बल्कि गांधी जी के सपनों के सर्वोदय समाज की भी रचना करेगा।

विनोदा जी कहा करते थे, “गरीबों के लिए मैं अधिकार प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहा हू। धनिकों के लिए मैं नैतिक विकास प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहा हू। यदि एक भौतिक दृष्टि से उमर उठता है तो दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि में, तो नुकसान में कौन है? इसके अतिरिक्त, भूमि क्या है? यह किमी के लिए कैसे मध्यव है कि वह अपने आपको भूमि का स्वामी समझे? हवा और पानी की तरह, जमीन भी ईश्वर की है। इस पर अपना अकेले का दावा करना म्यव ईश्वर की इच्छा का विरोध करना है। और ईश्वर की इच्छा का विरोध करके कौन मुखी हो सकता है? मधुमक्खी फूलों को नुकसान पहुचाए विना शहद जमा करती है। क्या हम भूम्बायियों को नुकसान पहुचाए

विना जमीन इकट्ठा नहीं कर सकते ? ”

विनोबा जो कहा करते थे, “गरीबों के लिए मैं अधिकार प्राप्त करने के लिए परिष्रम कर रहा हू। धनियों के लिए मैं नैतिक विकास प्राप्त करने के लिये परिष्रम कर रहा हू। यदि एक भौतिक दृष्टि से ऊपर उठता है तो दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से, तो तुक्सान में कौन है ? ”

अभी तक भारत में भूमि मवधी न्याय-व्यवस्था असफल रही है। हमन इसके विषय में बाने को हैं, लेकिन जब इसे लागू किया गया तब घोर निराशाजनक अनुभव हुआ। ऐमा क्यों ? क्योंकि न ही लोग और न ही भूस्वामी इसके लिए तैयार हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना प्रस्ताव आम किये हुए छ दशाद्विद्या बोत गई और प्रार्थीज मुघार के कानूनों के मुख्य पक्षों को मविधान की नवीं मूँची में रखने में 48 वर्ष अद्यवा करीब पांच दशाद्विद्या बोत गई। अक्सर कहा जाता है, “कानून की अपनी सीमाएँ हैं और कानून को तोड़ने वाले कानून बनाने वालों की अपेक्षा अधिक चतुर हैं।” अभीष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिये हमें स्वयं अपने आप को नियम में बाधने पर जोर देना चाहिए।

संदर्भ

- भट्टिया, बी.एम., फैमोन्स इन इण्डिया, कोणार्क पब्लिशर्स, प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, 1991, पृ 14-17
- दत प्रभात और दत चन्दन, दि वेस्ट बगान पचायनी राज एक्ट, 1944 इन स्टेट पचायत एक्स्सु, वालाण्टरो एक्शन नेटवर्क इण्डिया (वारी), नई दिल्ली, 1995 द्वारा प्रकाशित, पृ 175-193
- दत रुद्र और सुन्दरम्, क.पी.एम., इण्डियन इक्यनामी, एस. चाद एण्ड कम्पनी लिमिटेड, 1993, नई दिल्ली, पृ 428-439
- दत देव रिपोर्ट दु गांधी, गांधी स्मारक निधि, नई दिल्ली, 1982, पृ 71-130
- गगराडे, केंडी, पात्र दु दि पॉवरलेस कुरुक्षेत्र (इगनिश) जिल्द 93, संख्या 7, अप्रैल, 1995, पृ 3-8
- रियो एण्ड यू. प्रैविट्कल यूटोपियनिज्म ए. गांधीयन एप्रोब दु सूरल कम्युनिटी हैवलप्सेण्ट इन इण्डिया, कम्युनिटी हैवलप्सेण्ट जरनल, जिल्द 20, संख्या 1, 1985, पृ 2-9
- टेमिसन हल्लन, विनोबा भावेज रिवोल्यूशन आफ लब, हॉल्यूडी विल्स, बम्बई 1961, पृ 45-69, 122, 135, 136 और 221
- दि टाइम्स आफ इण्डिया, ए स्टैप फारवर्ड (सपादक्षेय), शुक्रवार, अगस्त 25, 1995, नई दिल्ली, पृ 10

भारतीय सार्वजनिक उपक्रम

वी.के. अग्रवाल

सार्वजनिक उपक्रम जनता के उत्थान के लिए जनता की गढ़े पसीने की कमाई पर सचालित होते हैं। धन और आर्थिक शक्ति का एक उचित एवं न्यायोचित वितरण करके यह समाज को एक नयी दिशा देने का प्रयास करते हैं। भारत का 'सन्तुलित क्षेत्रीय चिकास' कर भी सार्वजनिक उपक्रम एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य को पूर्ति करते हैं। इन उपक्रमों का उद्देश्य 'मेवा भावना' पहले तथा 'लाभ-भावना' बाद में रखा जाता है। लाभार्जन करना सार्वजनिक उपक्रमों का सक्ष्य रहता तो है, फिर भी मात्र लाभ उपार्जन करना उनकी नीति का मुख्य अग नहीं रहता जबकि निजी क्षेत्र का शायद ही कोई ऐसा वाणिज्यिक प्रतिपादन हो, जो लाभ न अर्जित करे और अनिश्चित काल तक चलता रहे। यिन लाभ के निजी उपक्रमों को बन्द होना ही चाहिए। सार्वजनिक उपक्रम कई बार निरन्तर हानि उठाने पर भी काफी समय तक सचालित किये जाते रहते हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम का एक उदाहरण कि बीमार मिलों का अधिग्रहण किया गया और आज निरन्तर एनटीसी की अनेक इकाइयों करोड़ों रुपये का घाटा राजकोष को दे रही है। सरकार चाहते हुए भी इन इकाइयों को बन्द नहीं कर पा रही है। सरकार बाह्य-वार इन बीमार इकाइयों को चेतावनी देती है, कार्य निपादन सुधार की बात पर जोर देती है, ये मिले करोड़ों रुपया राजकोष का घाटे में खा जाती हैं, फिर भी सार्वजनिक इकाइयाँ होने के कारण इनको बन्द कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है।

प्रश्न है, समाजहित में और सामाजिक उद्देश्यों के परिमेश्य में किसी भी सीमा तक क्या सार्वजनिक उपक्रमों को निरन्तर धारे, अक्षमता और अकुशलता का जामा पहनाकर देश और समाज के करोड़ों रुपये निगलने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये या फिर इन इकाइयों को ठीक कर, सुधार कर सामाजिक लक्ष्यों के साथ साथ, 'आर्थिक उन्नयन' को और उभ्युख कर आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम बनायें। अब समय आ गया है कि किसी भी दशा में सार्वजनिक उपक्रमों को करोड़ों रुपये की हानि उठाकर देश में सोमित्र तथा दुर्लभ आर्थिक समस्याओं को मनमाने लग से 'सामाजिक लक्ष्यों' का आवरण पहनाकर किसी भी सीमा तक धन वर्दादी की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार अब सार्वजनिक उपक्रमों की अक्षमता को गम्भीरता से ले रही है। अब इन उपक्रमों को

अपनी कार्यप्रणाली सुधार कर 'हानि की समस्या' और 'कम लाभदायकता की समस्या' का निदान करना ही होगा, अन्यथा घाटे ठठाने वाले उपक्रमों को बन्द होने के लिए वैदार रहना होगा।

समाज की आर्थिक क्रियाओं में भरकारी हस्तक्षेप। आर्थिक अमनुलनों को दूर करने, समाज के हिस्सों का सम्बद्धन करने तथा राष्ट्रीय हित में विकास-कार्यक्रमों के भवालित करने की दृष्टि से लोक-उपक्रमों को स्थापना, विस्तार एवं ठनकन वर्तमान सरकारों का एक अनिवार्य दायित्व हो गया है। आज विश्व का कदाचित् कोई देश होगा, जहाँ वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रमों को स्थापना और भवालन में सरकार द्वारा मक्किय भूमिका न निभायी गयी हो।

आज तो लोक-उपक्रम विश्व व्यापी घटना बन गये हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में, भले ही वह पूजीवादी हो अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था विकसित अथवा विकसोन्मुख अर्थव्यवस्था हो। सभी में भार्वजनिक उपक्रमों ने एक अभूतपूर्व स्थान बनाया है। भारत जैसे विकसोन्मुख राष्ट्रों में लोक-उपक्रम गतिशील तथा सुदृढ़ समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की नींव रख रहे हैं। भारत में इन इकड़ियों की महजा, इनमें निवेशित पूजी तथा इनको कार्यविधियाँ निरन्तर वृद्धि की ओर अग्रसित होती रही हैं।

सार्वजनिक उपक्रमों का उद्देश्य 'लाभ भावना' में ज्यादा 'नेवा भावना' है और समाज का उत्थान तथा धन और आर्थिक शक्ति का न्यायोचित वितरण करना भी इन उपक्रमों का लक्ष्य है। मनुलित धेरीय विकास के क्षरण भी इन उपक्रमों के सामाजिक पहलू सदा ही प्रथम स्थान पर रखे जाते हैं। आषुनिक परिप्रेक्ष्य में समाज की अनार घनराशि का विनियोग करने वाले उद्घम कितना भी घाटा ठठा लेने के लिए मनमाने दग में न्वरन्व नहीं छोड़े जा सकते। इन उद्यमों की लाभदायकता और हानि का सम्बन्ध विवेचन एक अनिवार्यता है। सार्वजनिक उद्यमों की लाभदायकता और घाटे को अन्य विभिन्न सम्बन्धित रथ्यों के आगे दिखाया गया है।

समस्त उद्योगों ने वर्ष 1993-94 में कुल 4,435 रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो कि वर्ष 1992-93 में मात्र 3,271 करोड़ रुपये था। चालू वर्ष में 120 इकाइयों ने 9,722 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जबकि 117 इकाइयों ने 5,287 करोड़ रुपये का घाटा ठठाया। वर्ष के दौरान मात्र 3 इकड़ियाँ ऐसी रहीं जिन्होंने न लाभ अर्जित किया और न घाटा ही ठठाया। विनियोजित पूजी पर शुद्ध लाभ का प्रतिशत वर्ष 1992-93 में 2.33 प्रतिशत रहा जो कि वर्ष 1993-94 में बढ़कर 2.78 प्रतिशत रहा। इन प्रकार 117 इकाइयों का ठठाया गया। 5,287 करोड़ रुपये का घाटा एक भयाभय प्रश्नचिह्न है, जिसका समाधान करना ही होगा।

सर्वाधिक घाटे वाली इकाइयाँ

तालिका 1 में वे दस इकड़ियाँ दर्शायी गयी हैं जिन्होंने 1994-95 में सर्वाधिक घाटा

दर्शाया है। ज्ञात है कि वर्ष 1994-95 में कुल 240 इकाइयों में से 117 इकाइयों ने 5,287 करोड़ रुपये का घाटा उठाया। इस सम्पूर्ण घाटे में से मात्र 10 इकाइयों ने 2,517 करोड़ रुपये का घाटा उठाया जो कि कुल घाटे का 47.6 प्रतिशत भाग है। इसी प्रकार 10 उत्तम निष्पादक इकाइयों ने इसी वर्ष 7,402 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया, जो कि लाभ अर्जित करने वाली इकाइयों के पूर्व लाभ 11,818 करोड़ रुपये का 62.64 प्रतिशत भाग है। तालिका 3 में उन 24 इकाइयों का विवरण है जिन्होंने या तो 20 करोड़ रुपये से ज्यादा घाटा वर्ष 1994-95 में बढ़ाया है या 20 करोड़ रुपये से ज्यादा शुद्ध लाभ में कमी की है।

तालिका 1
सर्वाधिक घाटे वाली इकाइयों (वर्ष 1993-94)

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	विवरण	शुद्ध हानि	हानि का प्रतिशत
1	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि	572.66	10.84
2	हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लि	366.73	6.94
3	डीटीसी	281.85	5.33
4	फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि	268.87	5.09
5	इण्डियन एयरलाइन्स लि	258.46	4.83
6	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि	246.84	4.67
7	सीमेट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि	147.13	2.78
8	न्यूविल्यन पावर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि	129.71	2.45
9	जैस्सोप एण्ड कं लि	125.51	2.37
10	एवेएमटी. लि.	119.26	2.26
	योग	2517.02	47.61
	हानि वाली इकाइयों की कुल हानि	5286.87	100.00

ऐसे 24 सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं जिनका वर्ष 1992-93 में लाभ 154.85 करोड़ रुपये था लेकिन वर्ष 1993-94 में ये घाटे में चले गए और यह घाटा 1,638.13 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस प्रकार वर्ष 1993-94 में इन 24 इकाइयों ने अपने घाटे में गत वर्ष की तुलना में 1,792.98 करोड़ रुपये का घाटा बढ़ाया।

सार्वजनिक इकाइयाँ एवं बढ़ता घाटा

सार्वजनिक उपक्रमों के उपलब्ध संसाधनों में से जब संसाधनों के उपयोग की रकम कम कर दी जाए तो अन्तर (यदि कोई हो तो) घाटा कहलाता है। वर्ष 1992-93 के अन्त में घाटे की सम्पूर्ण रकम 22,115.6 करोड़ रुपये थी और वर्ष 1993-94 में इस घाटे की रकम में 4,197.1 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ और घाटे की सम्पूर्ण राशि बढ़कर 26,312.6 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी। इस प्रकार निम्नांतर बढ़ते घाटे सार्वजनिक उपक्रमों का एक भयानक प्रश्न चिह्न बन गये हैं।

सार्वजनिक उपक्रम एवं बजटरी सपोर्ट

सार्वजनिक उपक्रमों को बजटरी सपोर्ट द्वारा भी एक बड़ी रकम उपलब्ध करायी जाती है। मात्रवीं योजना में 25,537 करोड़ रुपये की सहायता बजटरी सपोर्ट के रूप में दी गयी। वर्ष 1993-94 में भी 4,067.7 करोड़ रुपये की बजटरी सहायता राजकीय उपक्रमों को उपलब्ध करायी गयी। अन्य विस्तृत साख्यात्मक विवरण तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2
सार्वजनिक उपक्रमों को बजटरी एवं समाधन उपलब्धता

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	विवरण	शुद्ध आनंदिक समाधन	अतिरिक्त बजटरी समाधन	बजटरी सपोर्ट	योजना प्राप्ति (आठवां)
1	सार्वजनिक योजना	20,755.35	18,053.62	25,536.67	64,349.64
2	1990-91 (सशोधित अनुमान)	6,180.57	7,696.74	44,740.17	18,351.48
आठवीं योजना					
	1991-92 (सशोधित अनुमान)	7,293.45	7,987.82	3,617.07	18,898.31
	1992-93 (सशोधित अनुमान)	10,081.80	11,001.43	3,443.66	24,526.89
	1993-94 (सशोधित अनुमान)	9,862.03	14,743.93	4,067.65	28,673.61

अत्य क्षमता उपयोग

सार्वजनिक इकाइया अत्य क्षमता उपयोग की समस्या से भी छूत है। कुल मर्योक्षित इकाइयों में में 75 प्रतिशत में भी ज्यादा क्षमता का उपयोग करने वाली इकाइया 1991-92 में 56 प्रतिशत, 1992-93 में 54 प्रतिशत तथा 1993-94 में 52 प्रतिशत मात्र ही रह गई। कम में-कम 21 प्रतिशत इकाइया विचाराधीन समस्त वर्षों में 50 प्रतिशत क्षमता उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार अत्य क्षमता उपयोग की भमस्या भी सार्वजनिक उपक्रमों की एक गहन समस्या है तथा इस समस्या से उत्पादन लागत ज्यादा आती है तथा उत्पादकता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

निजीकरण तथा अपनिवेशन

सार्वजनिक उपक्रमों में निजीकरण, अपनिवेशन तथा भमता आशिकीकरण (डाइलूशन ऑफ इक्विटी) भी इन इकाइयों की अध्यमता, घाटे तथा समाधनों की बर्बादी का परिणाम है। एक ओर तो सार्वजनिक उपक्रम करोड़ों रुपये के घाटे डाक्टाकर राजस्व को प्रताडित करते हैं तथा दूसरी ओर बजटरी सपोर्ट की माँग सरकार से करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें सार्वजनिक उपक्रमों को करोड़ों रुपये की हाँनि ठाकर भी जारी रखना पड़ेगा क्योंकि यह उपक्रम सामाजिक न्याय लाते हैं। इनका सामाजिक योगदान

भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता।

अपनिवेशन तथा निजीकरण को भी कुछ विसर्गविधों इस प्रकार दी जा सकती है :

निजीकरण अच्छी और कार्यक्षम इकाइयों का न किया जाये, निजीकरण तथा समता आशिकीकरण घाटे की, अकार्यक्षम, बीमार एवं मृत प्राय इकाइयों का ही किया जाये, अपनिवेशन से प्राप्त धन को सरकार को स्थायी त्रट्ट भुगतान (आन्तरिक या बाह्य) में प्रयोग किया जाये, किसी भी दशा में अपनिवेशन की जाने वाली इकाइयों को सरकार (केन्द्रीय/प्रान्तीय) को सरकारी संस्थाओं, सरकारी बैंकों या वित्तीय संस्थाओं, बैंक-म्यूचुअल फण्डों को न बेचा जाए, अपनिवेशन की इकाइयों की समता मात्र निजी उद्योगों को अथवा निजी विनियोगकर्ताओं को बेची जाए; सरकारी एजेन्सियों को सरकारी उपकरणों के अश बेचना इस प्रकार होगा कि एक व्यक्ति अपनी एक जेब का रूपया दूसरी जेब में रख ले। समता का आशिकीकरण न कर यदि सार्वजनिक उपकरणों के प्रबन्ध का निजीकरण किया जाये तो यह अच्छा रहेगा, समझौता ज्ञापन प्रणाली (भेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग सिस्टम) को निजीकरण तथा अपनिवेशन की तुलना में प्रादूर्भाविता दी जाये, निजीकरण मात्र को ही समस्या का निदान न माना जाए, निजीकरण की एक सुविचारित व यथार्थवादी नीति बनायी जाये, निजीकरण उस नीति के तहत ही किया जाए, निजीकरण, अपनिवेशन, समझौता ज्ञापन प्रणाली, बीमा उपकरणों को बद्द करना, बजटरी सपोर्ट, अपनिवेशन से प्राप्त धनराशि के प्रयोग आदि नीतिगत प्रश्नों के हल हेतु एक पृथक् विभाग/बोर्ड बनाया जाये जिसमें आईईएस के अधिकारी, एम बी ए, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, निजी उपकरणी, तकनीकी विशेषज्ञ आदि रखे जायें, निजीकरण को एक नियमित प्रणाली न बनाया जाये, सरकारी उपकरणों में भौतिक संसाधनों के सुधार से पहले आवश्यकता है। मानवीय संसाधनों के सुधार व उसके नैतिक व चारित्रिक उन्नयन की। बिना मानव के सुधार मात्र भौतिक तत्वों को सुधार कर या तकनीक उन्नयन से समस्या का स्थायी हल न खोजा जा सकेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सार्वजनिक इकाइयों की लाभदायकता काफी कम है। एक बड़ी संख्या में इकाइयाँ घाटा डाठा रही हैं। लाभदायकता वाली कम-से-कम 10 मुख्य इकाइयों की लाभदायकता बनाये रखनी है और हानि वाली इकाइयों को ठीक करना पड़ेगा, अन्यथा सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र 'किसी का भी क्षेत्र नहीं' बना रहेगा अथवा 'घाटे वाला क्षेत्र' कहा जाना रहेगा। सार्वजनिक उपकरण की अधिमता, अकार्य-कुशल, कार्य निष्पादन व्यवस्था, कम लाभदायकता और बढ़ते घाटे के निवारण के लिए दो पहलू महत्वपूर्ण हैं—भौतिक पहलू और मानवीय तत्व। भौतिक पहलू में समयानुकूल सबोत्तम कार्य-प्रणाली और तकनीक, उत्तम उपकरण और कच्चा माल सुनिश्चित करना, पर्याप्त और समयानुकूल शक्ति तथा कर्जा की उपलब्धि कराना, कार्य-दशाओं की व्यवस्था करना, वैशानिक प्रबन्ध विवेकीकरण और अधिमता पर नियन्त्रण करना, पर्याप्त और उन्नत आदान व्यवस्थित तौर पर उपलब्ध कराना, शोध और अनुसन्धान पर पर्याप्त

भारत में लोहा और इस्पात उद्योग

अजय कुमार सिन्हा

स्वनवना के बाद महमूम किया गया कि देश की प्रगति के लिए बड़ी मात्रा में लोहे और इस्पात की आवश्यकता होगी। साथ ही यह भी महमूम विद्या गया कि इस मूलमूत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना लक्ष्य होना चाहिए। इसी विनाय और प्रयास का परिणाम है कि आज देश इस्पात के मामानों के टत्पादन में लगातार आत्मनिर्भर हो गया है। यही नहीं देश से लाने और इस्पात के निर्यात में वृद्धि हो रही है और आयान में लगातार कपी आ रही है।

भारत में साता और इस्पात उद्योग अति प्राचीन है। यह कुटीर उद्योग के रूप में गोंव गोंग में फैला हुआ है। लेकिन आधुनिक तरीके में लोहे का उत्पादन 1875 में आरम्भ हुआ जब पिंग आयरन चानाने के लिए परिचम बगाल में बराकर में एक कारखाने की स्थापना की गई। उम्मकी उत्पादन धमता एक लाख टन थी। 1889 में इस कारखाने के बगाल आयरन कंपनी ने अपने हाथ में लिया।

बास्तव में देश में आपुनिक प्रक्रिया में लोहा और इस्पात का उत्पादन 1901 में विद्यार के जमगेंदपुर स्थित टाटा आयरन एड स्टील कंपनी (इस्को) की स्थापना से आरम्भ होता है। म्हणुरहा और खरकई नदियों के मण्डप पर स्थित यह कारखाना आज भी लोहा और इस्पात के उत्पादन में अपर्णी है। 1919 में परिचम बगाल में बर्निंगपुर में इडियन आयरन एड स्टील कंपनी (इस्को) की स्थापना हुई। यह आज भारतीय इस्पात प्राधिकार 'मेल' की एक सहायक कंपनी है। 1923 में कर्नाटक में भद्रावती में भद्रावती आयरन एड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। अब इसका नाम प्राच्यात इंडीनियर प्रिंसेप्सौया के नाम पर विश्वेश्वरौया आयरन एड स्टील वर्क्स लि हो गया है और यह भी अब 'मेल' के अधीन है।

आपुनिक भारत के निर्माता पहित जवाहललाल नेहरू ने देश को आधारभूत उद्योगों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नीति लागू की उसी क्रम में द्वितीय पचवर्षीय योजना में मार्जिनिक ऐड में इस्पात के ठीन कारखाने लागाये गये— बिटेन को महात्मा से परिचम बगाल के दुर्गापुर में, झम के महायोग से मध्य प्रदेश के मिलाई में और जर्मनी के महोग में टद्दोमा के गठरकेस्ता में। इन कारखानों में 1959 में 1962 के बीच उत्पादन

आरभ हुआ। प्रत्येक बौद्ध प्रारंभिक उत्पादन क्षमता दस लाख टन थी। बाद में इनके विस्तार किया गया। दूसरी पचवर्षीय योजना में इस के सहयोग से बिहार के बोकरों द्वारा इसात कारखाने पर काम शुरू हुआ। इसमें 1978 में उत्पादन आरभ हुआ। 1979 में दुर्गापुर स्थित 'इस्को' पूरी तरह 'सेल' के अधीन आ गया। 'सेल' के अतर्गत चार और सयन्त्र हैं जो विशेष प्रकार के इसात, मिश्र धातु और प्रचलित मिश्र धातु का उत्पादन करते हैं। ये हैं—दुर्गापुर मिश्र धातु सयन्त्र, सलेम स्टेनलेस स्टील सयन्त्र (तमिलनाडु), चंद्रगढ़ (महाराष्ट्र) और भद्रावली। मध्य प्रदेश के ठज्जैन में एक पाइप और कस्ट आयतन सदर है, जो 'इस्को' की सहयोगी कपनी है।

'राष्ट्रीय इसात निगम' का विशाखापत्तनम इम्पात प्लाट सार्वजनिक बेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण कारखाना है। आग्ने प्रदेश में बगाल की खाड़ी के तट पर स्थित इन अत्यधिक कारखाने में 1992 में उत्पादन शुरू हुआ। इसकी वार्षिक उत्पादन इन्हीं लाख टन कच्चा इसात है।

घोरेतू तथा अर्द्धांशीय बाजार में माँग में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखकर 'में' अपने इसात संयंत्रों का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रहा है।

सरकार ने जुलाई 1993 में बोकरों द्वारा इसात कारखाने के आधुनिकीकरण (एस्टरेचरण) की मजूरी दी। इसके 1997 में पूरा हो जाने की आशा है। इसके अलावा कारबैंड के विस्तार और आधुनिकीकरण की एक महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर कारखाने की उत्पादन क्षमता चर्चमान 40 लाख टन से बढ़ कर 75 लाख टन हो जायेगी। इसके कार्यान्वयन पर 70 अरब रुपये लगते आयेगी। यह कारखाना अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा कर एक करोड़ टन करने के दौरान मूल सर्वधित वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया जायेगा ताकि कारखाने के मुनाफे में और बढ़ोत्तरी हो।

दुर्गापुर और राठरकेला कारखाने के आधुनिकीकरण का काम भी चल रहा है। 'में' ने 'इस्को' के पुनर्निर्माण के लिए 38 अरब 86 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है। 'सेल' अपनी विषयन और अनुसंधान तथा विक्रम शाखाओं को भी मजबूत बना रहा है। चूंकि 'सेल' मुनाफे में चल रहा है, अतः इन कर्मकालों के कार्यान्वयन में धूर की कमी नहीं होगी।

1994-95 में 'सेल' को 11 अरब 72 करोड़ रुपये का टैक्स से पहले का भारी मुनाफा हुआ। यह पिछले वर्ष के टैक्स से पहले के मुनाफे की तुलना में 115 प्रतिशत अधिक है। यह लगातार ग्यारहवां वर्ष है जब 'सेल' को लाभ हुआ है। यहां पर उल्लेखनीय है कि 'सेल' की सहायक कपनी 'इस्को' सहित इसके संयंत्र ने पिछले वर्ष 101 प्रतिशत क्षमता पर काम किया। यहीं नहीं दुर्गापुर मिश्र धातु कारखाना के घाटे में कमी आई और सलेम सयन्त्र को मुनाफा हुआ।

‘सेत’ के लाठों की कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता

	लाख टन
भितर्दि	40
दुर्गापुर	11
पटरकेला	15
बोकाडे	40
इस्को	4

जमशेदपुर स्थित निजी क्षेत्र के ‘टिस्को’ का भी विस्तार किया जा रहा है। 1994 में तीसरे चरण के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा हुआ। इसके साथ ही इसकी विक्री योग्य इस्पात उत्पादन क्षमता 27 लाख टन प्रतिवर्ष हो गयी है।

जुलाई 1991 में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी। इस्पात उद्योग क्षेत्र में निजी पूजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बाद में भी इस्पात उद्योग को निजी पूजी के लिए और आकर्षक बनाया गया। नये प्रावधानों में से कुछ इस प्रकार हैं—(क) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंस से मुक्त किया गया, (ख) इसे विदेशी निवेश के लिए प्राथमिकता वाले उद्योगों में शामिल किया गया, (ग) इसकी कीमत और वितरण पर से नियन्त्रण भमापा किया गया, (घ) पूजीगत सामानों के आयात पर शुल्क में कमी, (ङ) इसके आयात निर्यात को उदार बनाया गया।

इन परिवर्तनों के फलस्वरूप देश के कई पारों में निजी अधिकार समुक्त क्षेत्र में नयी इकाइया स्थापित की जा रही है। लगभग 60 लाख टन क्षमता की स्थापना की जा चुकी है। इनमें लियोड स्टील एंड निप्पोन डेनरो (महाराष्ट्र), इस्मर गुजरात (गुजरात), बिन्दल स्ट्रीप (मध्य प्रदेश) और मालविका स्टील (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं। इनके अलावा उडीसा के दाईतारी और गजम लथा कर्नाटक के विजयनगर में नयी इकाइया स्थापित की जा रही है।

स्पज आयरन जिसका उपयोग सेकड़री स्टील कारखानों में स्टील स्लैप के स्थान पर होता है का भी उत्पादन बढ़ रहा है। देश में स्पज आयरन की स्थापित उत्पादन क्षमता 1988-89 में तीन लाख 30 हजार टन थी जो अब बढ़कर 52 लाख 20 हजार टन हो गयी है। 1993-94 में 24 लाख दो हजार टन स्पज आयरन का उत्पादन हुआ जबकि 1994-95 में 30 लाख टन होने का अनुमान है। स्पज आयरन इकाइयों की सूची तालिका 1 में दी गई है।

पिंग आयरन, फाउंड्री और कस्टिंग उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। पिंग आयरन का उत्पादन मुख्य रूप में इस्पात कारखानों में होता है लेकिन वहा बेमिक मेह के पिंग आयरन का उत्पादन होता है, अतः फाउंड्री मेह के पिंग आयरन का यहे पैमाने पर आयात करना पड़ता है। लेकिन हात के वर्षों में सेकड़री क्षेत्र में पिंग आयरन उद्योग का करफो

विकाम हुआ। 1994 में सेंकेंडरी क्षेत्र में पिंग आयरन को वार्षिक ठत्यादन क्षमता 1095 लाख टन थी। इसके अलावा कई इकाइयों पर काम चल रहा है, जिनकी कुल ठत्यादन क्षमता 1004 लाख टन होगी। देश में विक्री योग्य इस्पात के ठत्यादन में लगावार बढ़ोत्तरी हो रही है। जिसे तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1

क्रमांक	स्पष्ट आयरन इकाई का नाम	स्थान
1	स्पष्ट आयरन इडिया लि.	कोटागुडम-आध प्रदेश
2	उडीसा स्पष्ट आयरन लि.	पलासपगा-उडीसा
3	आई पी आई टाटा आयरन लि.	जोड़ा-उडीसा
4	बिहार स्पष्ट आयरन लि.	चाँडीगढ़ बिहार
5	सनन्नैग आयरन एंड स्टील कंपनी लि.	भठण-महाराष्ट्र
6	जिंदल स्टील	रायगढ़ मध्य प्रदेश
7	एचडीजो. लि.	दुर्ग मध्य प्रदेश
8	कुमार मेटालजिकल कार्पोरेशन लि.	बैतायी-कर्नाटक
9	बैतायी स्टील एंड अल्युमि. लि.	कर्नाटक
10	गोल्डस्टार स्टील एंड अल्युम्यूनियम लि.	विजयनगर आध प्रदेश
11	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	चम्पा-मध्य प्रदेश
12	नौवा आयरन एंड स्टील लि.	विलासपुर मध्य प्रदेश
13	रायपुर स्टील एंड अल्युम्यूनियम लि.	रायपुर मध्य प्रदेश
14	पोनेट इस्पात लि.	रायपुर मध्य प्रदेश
15	रमिलनाडु स्पष्ट लि.	सलेम-रमिलनाडु
गैस आयरिन स्पष्ट आयरन संघर्ष		
16	इम्सर गुजरात लि.	हाजिर गुजरात
17	विक्रम इस्पात लि.	रायगढ़ महाराष्ट्र
18	नियोन फ्लैट्स इस्पात लि.	रायगढ़ महाराष्ट्र

तालिका 2 विक्री योग्य इस्पात का उत्पादन

वर्ष	लाख टन
1993-94	146.8
1994-95	169.6
1995-96 (अनुमानित)	207.9

1994-95 में घेरेलू बाजार में खपत में बढ़ोत्तरी और चीन आदि देशों में मांग कम होने से नियांत्र में कमी आयी। मुख्य आयातक देश हैं चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, दुबई, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, म्यामार, इंडोनेशिया, वियतनाम, वांगलादेश, ताइवान, नेपाल,

दक्षिण कोरिया और थाईलैंड।

देश में इस्पात की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। 1994-95 में इस्पात की खपत में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस्पात के मुख्य क्रेता इजीनियरिंग, निर्माण उद्योग, विद्युत, सीमेंट और आटोमोबाइल उद्योग हैं। यहा ध्यान देने योग्य है कि आटोमोबाइल उद्योग में इस्पात के स्थान पर प्लास्टिक का लगातार उपयोग बढ़ने के बावजूद इस उद्योग में इस्पात की माग बढ़ रही है। आटोमोबाइल में अब लगभग तीस प्रतिशत सामान प्लास्टिक का होता है।

दूसरी ओर पिछले चार वर्षों के दौरान इस्पात का आयात लगभग स्थिर रहा और पिंग आयरन और स्क्रेप के आयात में कमी आयी। इसे तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3
लोहा और इस्पात का निर्यात

वर्ष	लाख टन	करोड़ रुपय
1992-93	9.10	708.00
1993-94	22.20	1678.00
1994-95	17.13	-
1995-96 (अनुमानित)	20.00	

यद्यपि भारत विश्व का नवा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है लेकिन देश में प्रति व्यक्ति खपत भात्र 32 किलोग्राम है जबकि विश्व औसत 134 किलोग्राम है। यह दर जापान जर्मनी और सयुक्त राज्य अमरीका में क्रमशः 676 किलोग्राम 477 किलोग्राम और 383 किलोग्राम है। शहरीकरण में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में सपन्नता आ रही है। फलस्वरूप इस्पात की माग में बढ़ोत्तरी होगी और आशा की जाती है कि 2001-02 तक इस्पात की घेरेलू माग बढ़ कर तीन करोड़ दस लाख टन हो जाएगी।

भारत में लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क क्रोमाइट अयस्क और रिफ्राक्टरिज मैटीरियल का पर्याप्त भड़ार है तो दूसरी ओर इस उद्योग के सामने कोकिंग कोल की कमी और उसमें अधिक राख की समस्या है। पाचवें दशक में इस्पात संघर्षों के जो डिजाइन तैयार किये गये थे उनमें 17 प्रतिशत तक राख बाले कोकिंग कोल का उपयोग हो सकता है। लेकिन लगातार खुदाई के कारण कोकिंग कोल अधिक गहराई से निकालना पड़ता है। जिसमें राख की मात्रा 19 से 25 प्रतिशत होती है। राख में एक प्रतिशत की वृद्धि से ब्लास्ट फर्नेस के उत्पादन में 2 से 5 प्रतिशत की कमी आ जाती है, जिससे कोकिंग कोल को साफ करना पड़ता है। भारत में खनन योग्य कोकिंग कोल का भड़ार 17 अरब टन है जिसमें चार अरब 24 करोड़ टन प्राइम कोकिंग कोल है। प्राइम कोकिंग का अधिकांश भड़ार बिहार के झरिया और हजारीबाग क्षेत्र और पश्चिम बगाल का रानीगंज है। इसके कारण कुल खपत का आधे से अधिक आयात करना पड़ता है।

भारत में लौह अयस्क का विशाल भडार है। उन्नन योग्य लौह अयस्क का भडार 12 अरब 74 करोड़ 50 लाख टन है जिसमें हेमेटाइट नौ अरब 60 करोड़ बीम लाख टन और शेष मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट का विशाल भडार कर्नाटक और गोवा में है। हेमेटाइट के भडार विहार, उडोसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में हैं। भारत से लोहे और इस्पात के निर्यात को तात्त्विका 4 में दर्शाया गया है।

तात्त्विका 4

आशन मात्रा

(लाख टन में)

वर्ष	दिल्ली योग्य इस्पात	पिंग आवरण	स्कैप
1991-92	10.44	1.52	12.68
1992-93	11.16	0.73	25.73
1993-94	11.53	-	7.54
1994-95	15.00	0.20	-

भारत बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का नियांत करता है। बाजील, आस्ट्रेलिया और स्वरूप राष्ट्रों के राष्ट्रमण्डल (रूस और उसके सहयोगी देश) के बाद भारत चौथा मरम्मे बड़ा निर्यातक देश है।

उच्च कोटि के लौह अयस्क के विशाल भडार, मैग्नोज और बोमाइट की पर्याप्त उपलब्धता भस्ते कुशल मजदूर, घोरलू बाजार में इस्पात की माग में बढ़ोत्तरी तथा अतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिवधों की समाप्ति के फलस्वरूप भारतीय इस्पात उद्योग का भविष्य काफी उज्ज्वल है। भारत को उत्पादन लागत में कमी करनी होगी तथा गुणवत्ता में लगातार सुधार लाना होगा। बदरगाह रेल, टेलीफोन, मडक, बाजार जैमी आवश्यक मुविधाओं का विनाश करना होगा और ऊर्जा की खपत को अतर्राष्ट्रीय मौर पर लाना होगा। यह मतोंप्री बात है कि 'भेल' के मध्यब्रों में ऊर्जा की खपत में पिछले दर्द कमी आयी। यह लगातार सातवा वर्ष था जब ऊर्जा की खपत में कमी हुई। □

आर्थिक विकास का मॉडल क्या हो ?

सूरज सिंह

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की स्थिति एक माफ स्लेट की भाँति नहीं थी जिस पर स्पष्ट कुछ लिखा जा सके। ब्रिटिश शासन बगल में भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी कि विकास की कल्पना करना तक दूर था। धौ-दूध की नदियां बढ़ाने वाले देश में अकाल, गरीबी, मुख्यमरी व बेरोजगारी का साम्राज्य व्याप्त था और विश्व गुरु कहलाने वाले देश में अशिक्षा का बातावरण विद्यमान था। ऐसे में 15 अगस्त, 1947 के जब भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्ति मिली तो देश को विकास के पथ पर अप्रसर करने के लिये योजनाकारों के समय महती चुनौती आ खड़ी हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पटिहर जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत रूस में आर्थिक नियोजन के परिणामों में प्रभावित होकर भारत में भी नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया को अपनाने पर जोर दिया, फलत 15 मार्च, 1950 को एक सलाहकार सम्मेलन में योजना आयोग का गठन किया गया, जिसके निर्देशन में पहली अप्रैल, 1951 को प्रथम पचवर्षीय योजना का मूल्यांकन किया गया। तब से अब तक सात पचवर्षीय योजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं और आठवीं पचवर्षीय योजना क्रियान्वयन के पथ पर अप्रसर है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिहीनता की स्थिति से ढारने के लिए योजनावद् विकास की प्रक्रिया के अपनाये जाने के निर्णय के पीछे मुख्य रूप से तीन कारण रहे—

- (i) आर्थिक पिछड़ेपन से देश को असर डाकर आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास के अवसर प्रदान करना,
- (ii) आर्थिक साधनों का न्यायानुकूल वितरण,
- (iii) आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना।

नियोजन के चार दशक

1 अप्रैल, 1951 से प्रारंभ किये गये योजनावद् विकास के चार दशक पूर्ण हो चुके हैं। इस अवधि में विभिन्न घटों में विकास देखने को मिलता है। आकड़े बताते हैं कि

प्रत्येक पचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास में देशी देशी गई है। इसी प्रकार प्रति व्यक्तित्व आय व राष्ट्रीय आय में भी बढ़ि देखने की मिलती है। यह वर्ध्य वासिका से स्टट रूप से देखा जा सकता है।

दातिका

नियंत्रण वाल में अर्थिक विकास सहत राष्ट्रीय उपच एवं प्रति व्यक्ति आय

(नियंत्रण व्यक्ति दर प्रतिवर्ष)

योजना का नम	अर्थिक विकास की दर	सहत राष्ट्रीय उपच	प्रति व्यक्ति उपच
प्रथम	2.6	3.7	1.7
द्वितीय	3.9	4.1	1.9
तृतीय	2.3	2.7	(-) 0.1
चतुर्थ	3.3	3.4	2.9
पंचम	4.9	5.0	2.6
षष्ठी	5.4	5.5	3.2
सप्तम	5.5	5.5	3.4
अष्टम	5.6	-	-

(प्रति वर्ष)

दातिका में स्टट होता है कि प्रत्येक पचवर्षीय योजना में विकास की दर में बढ़ि हो रही है, किन्तु सभी राष्ट्रीय उपचाद को अनेक प्रति व्यक्तित्व आय में कमी आई है, इसका मुख्य कारण देशी ने बढ़ती उन्नतियाँ, वेपेज्याती, गरीबी का दुष्करण व अर्थव्यवस्था में व्याप्त सारी आर्थिक व सामाजिक असमानता है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपचा पूँजी निवेश घटनी लाभदायकता

नियोजन के रूपवकाल में विशेष कर 1956 को नदीन औद्योगिक नोविम में सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष बत्त दिया गया और इस क्षेत्र में बहुत उद्योग, कल्पनकारियाँ, वाष्प, बहुउद्देशीय चियाई परियोजनायें स्थापित की गईं। प नेहरू ने इन्हे भारत के वीर्य कह कर सम्बोधित किया। वे देश को दीड़ औद्योगिकता द्वारा विकास के उच्चरम रिक्षावर पर पहुंचाना चाहते थे। इस सम्बन्ध में उनका मानना था कि सभी देश चित्त देवता जो आराधना करते हैं वह देवता है औद्योगिकरण, वह देवता है मरीन, यह देवता है दीड़ उपचारकता और प्राकृतिक शक्तियों विधा साधनों का अधिकाधिक लाभदायक उपयोग।

मारी उद्योगों के विकास से सम्बन्धित महालेनोविस मॉडल पर द्वितीय पचवर्षीय योजना के दौरान अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करने के पांछे कई काल रहे जैसे, देश में उपचार व मानवीय व प्राकृतिक साधनों का अधिकतम विकास व विविधीकरण, मारतीय कृषि ने उन्नतियाँ के अत्यधिक दबाव के प्रतिकूल प्रभावों के दूर करना, दीड़

औद्योगिक विकास के मर्वांगीण आर्थिक विकास की पूर्व शर्त मानना आदि। विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं में मार्पंजनिक क्षेत्र पर भारी राशि विनियोजित की गई, जहां प्रथम पचवर्षीय योजना में कुल विनियोजित राशि का 46 प्रतिशत भाग मार्पंजनिक क्षेत्र पर विनियोजित किया गया, वहीं द्वितीय व तृतीय योजना में यह क्रमशः 55 प्रतिशत व 63.7 प्रतिशत रहा। मार्पंजनीय योजना में 48 प्रतिशत और आठवीं पचवर्षीय योजना में 43 प्रतिशत भाग का प्रावधान किया गया।

यद्यपि नियोजन के प्रारंभिक वर्षों में मार्पंजनिक क्षेत्र में काफ़ी आशाएँ रखी गई थीं, यहा तक कि मार्पंजनिक क्षेत्र की समस्त आर्थिक समस्याओं की रामबाण औरपंथि माना गया, किन्तु मार्पंजनिक क्षेत्र की इकाइयों में बढ़ते थाटे और इनके द्वारा सामाजिक उत्तरदायिलों का भली प्रकार निवांह किये जाने से इनके आलोचक इन्हें भफ़ल इसी बहकर सम्बोधित करने लगे। मार्पंजनीय योजना के लोक उपकरण न तो लोक रहे न ही उपकरण। यह मत्य है कि ट्रेनों में प्रकृत पचवर्षीय योजनाओं में मार्पंजनिक क्षेत्र में कुल पाच इकाइया विद्यमान थीं जिनमें 10 कोड रस्ते की घेरावें ऐनियोजित थीं। उपर्युक्त क्रम गई थीं कि इन इकाइयों की रागामें पास्त्रियों में देश की सेंगगारी व गरीबी का पूर्णत उन्मूलन कर दिया जायगा। आज देश में 240 में से भी अधिक इकाइया मार्पंजनिक क्षेत्र में विद्यमान हैं जिनमें 130 उपर्युक्त राज्यों में अधिक की सूझी विनियोजित है भाव ही यह कहनु मन्य है कि आज देश में कमज़ोरी की सम्भावना व गरीबी की रेखा में नीचे जीवन योग्य दर्गने वाली जनसंख्या 1956 की उपर्युक्त राज्यों में भी गुना अधिक है। यह भी मत्य है कि मार्पंजनिक क्षेत्र में जिम सेवा की आरामदाता गड़ी उपर्युक्त राज्यों में भी पूर्णत मफ़ल नहीं रहा। आज परिवहन, पैकिंग, डाक तार, बीमा, चिकित्सा व शिक्षा आदि क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के लिए आम उपभोक्ता द्वाग शिक्षादाते की जाती हैं।

भारत में मार्पंजनिक क्षेत्र का मॉडल पूर्णत विफल नहीं रहा तो इसे मफ़ल भी नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे कई कारण रहे जिनमें प्रमुख हैं

- (i) प्रबन्धकर्त्य कुरालता का अभाव
- (ii) मामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव
- (iii) राजनीतिक हम्लेय की बहुलता
- (iv) उत्तराधिकारी भेदों की निम्न गुणवत्ता और उच्ची सागत
- (v) पर्याप्त विवरण का अभाव
- (vi) निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का अभाव
- (vii) स्वापित दमदार का अत्य उपयोग

नियोजन क्षात्र में भारत में यद्यपि मार्पंजनिक क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया किन्तु 1970 के आने आने इसके दृष्टभाव मानने आने लगे जिसमें भुगतान मनुलन का

घाटा, अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि, बढ़ता हुआ विदेशी ऋण, विदेश मुद्रा भड़ार में भारी गिरावट आदि प्रमुख थे। इन सबके पीछे कई कारण गिनाये गये जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का असतोषजनक निष्पादन, निर्माण क्षेत्र के उत्पादन की निम्न गुणवत्ता और ऊची लागत, विभिन्न प्रकार के नियन्त्रणों, लाइसेंस व परमिट की बहुलता। इन समस्त कारणों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नवीन दिशा देने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप 1991 में नवीन आर्थिक नीति घोषित की गई।

आर्थिक उदारीकरण : एक अभिनव मॉडल

भारत में लगभग चार दशक तक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व छाया रहा। इस दौरान लोगों का वास्ता समाजवाद, लोक उपक्रम, लालफीताशाही, कोटा परमिट राज, लाइसेंस, प्रशुल्क नियन्त्रण आदि जैसी शब्दावलियों से पड़ा। इन सबका मिला-जुला असर 1990 में तब देखने में आया जब अर्थव्यवस्था की स्थिति बिल्कुल क्षीण होने को आ गई। ऐसे में इन समस्त समस्याओं से निजात पाने के लिये ही आर्थिक उदारीकरण का मॉडल अपनाया गया जिसको अपनाये जाने के कारणों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आयी रुकावटों को दूर करना, भारतीय अर्थ-व्यवस्था को भुगतान सक्ट व व्यापार सक्ट के जाल से मुक्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य कुशलता में वृद्धि करना, नौकरशाही, अकुशलता व ससाधनों के दुरुपयोग में कमी करना, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के समकक्ष लाना आदि प्रमुख हैं।

आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तहत अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपाय किये गये। अल्पकालीन सुधार उपायों में रूपये का अवमूल्यन, अनुदान में कटौती, सरकारी व्ययों में कटौती, अनिवार्य आयातों हेतु विदेशी मुद्रा की व्यवस्था प्रमुख है। दीर्घकालीन सुधार उपायों में औद्योगिक क्षेत्र में नियन्त्रणों व विनियमों में उदारीकरण, लाइसेंसिंग प्रणाली का सरलीकरण, आयातों का उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशन की नीति अपनाना, आयात व उत्पाद शुल्कों में भारी कटौती, निगम व आय कर की दरों का विवेकीकरण, फेरा व एम आरटी पी कानूनों का उदार बनाना तथा रूपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता आदि प्रमुख हैं।

आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए चार वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं। इस अवधि में कुछ अच्छे प्रभाव दृष्टिगोचर हुए हैं जैसे

- विदेशी मुद्रा भड़ार में वृद्धि,
- निर्यात विकास दर में वृद्धि,
- भुगतान सतुलन के चालू खाते के घाटे में कमी,
- विदेशी पूजी निवेश में वृद्धि,
- हवाला बाजार सम्बन्धी क्रियाओं पर नियन्त्रण,

● मुद्रा स्फीति की दरमें गिरावट ।

आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के प्रति कुछ आशकायें भी व्यक्त की जा रही हैं, जैसे बहुराष्ट्रीय क्षणियों को पूरी छूट दे देने से अर्थव्यवस्था का एकाकी व असतुलित विकास होगा (क्योंकि इनके द्वारा केवल उन्होंने क्षेत्रों में पूजी का विनियोग किया जाता है जहाँ लाभ की अत्यधिक सभावना हो), निजीकरण को अत्यधिक प्रोत्साहन दिये जाने से अर्थव्यवस्था में आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण व एकाधिकार से सम्बन्धित दोष ठत्सन होंगे, प्रशुल्क दरों में कमी किये जाने व बाहर से ऐसी पूजीगत वस्तुओं के आयात पर छूट का कोई औचित्य नहीं है, जिनका ठत्सादन देश में ही किया जा रहा है । कोर सेक्टर में निजी क्षेत्र को आमत्रण एवं बहुराष्ट्रीय क्षणियों को छूट देने के परिणाम घातक हो सकते हैं । सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेशन एवं पूजी-प्रधान तकनीक अपनाए जाने के परिणामस्वरूप देश में मुरस्सा के मुह की भाति फैलती बेरोजगारी में कमी होने के बजाय वृद्धि होगी, वर्तमान में देश में बढ़ते विदेशी पूजी निवेश पर अर्जित लाभाश जब विदेशी मुद्रा के रूप में देश से बाहर जायेगा तो भारत में स्थित विदेशी मुद्रा के कोणों पर दबाव बढ़ेगा और रूपये की स्थिति कमजोर होगी, मरकार द्वारा धोषित छूटों व रियायतों का लाभ धनी व्यवसायी वर्ग को ही अधिक मिल पायेगा, जो अन्ततोगत्वा समाज में वर्ग संघर्ष को जन्म देगा । इसी प्रकार विभिन्न कर आगतों में कमी किये जाने और गैर योजनागत व्ययों में कमी न किये जाने से कृपि, आधारभूत सरचना, शिक्षा, प्रामोण विकास आदि के लिए धन के आवाटन में कमी आयेगी । इस प्रकार वर्तमान में आर्थिक ठदारीकरण का अपनाया गया मॉडल भी देश की आर्थिक स्थिति को अत्यधिक सुदृढ़ कर पायेगा ऐसा नहीं लगता ।

भारत में आर्थिक विकास, वास्तविकता क्या है ?

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही देश में आर्थिक विकास को त्वरित गति देने हेतु नियोजन का सहयोग लिया गया । नियोजन के चार दशक पूर्ण किये जा चुके हैं इस दौरान आर्थिक विकास में यद्यपि तेजी आई है किन्तु साथ ही निम्न अनुतरित प्रश्न भी हमारे सामने उभरते हैं—

- क्या देश से गरीबी व बेरोजगारी का उन्मूलन किया जा चुका है ?
- क्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है ?
- क्या कठित विकास का स्वाद प्रत्येक व्यक्ति ले सका है ?
- क्या शहरी व प्रामोण अर्थव्यवस्था में सतुलन स्थापित किया जा सका है ?

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कई विकृतिया पैदा हो चुकी हैं जैसे विरासत में मिले हिन्दुस्नान के आज दो भाग हो चुके हैं 20 प्रतिशत लोगों का इंडिया व 80 प्रतिशत

ही रहकर अपना पुरतीनो धन्या करने में ठन्डे शर्म महमूम होती है। इसका परिणाम यह है कि आज गाव के गाव खाली होते जा रहे हैं और शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है जिसमें शहरीकरण में सम्बन्धित कई अन्य ममस्यायें जन्म ले रही हैं। इस दौरान एक विशेष प्रवृत्ति देखने में आई है। देश के नागरिकों में स्वदेशी वन्नुओं के स्थान पर विदेशी वन्नुओं का प्रदोग करने में होड़ बढ़ी है। आज किसी वस्तु का आविष्कार न्यूयार्क लदन या टोकियो में होता है तो उभका उपयोग दिल्ली, घर्षण या बगलौर के बाजारों में देखा जा सकता है। इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में प्रदर्शन प्रभाव कहा जाता है जो विकासशील देशों के विकास के लिए धारक ममझा जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जिस देश में विदेशी भाषा, विदेशी वन्नु और विदेशी सम्बूद्धि अपनाने पर गर्व महमूम किया जाना है उस देश के भविष्य का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। स्वतन्त्रता के पश्चात् देश के आर्थिक विकास के लिये विकास का जो मॉडल विकसित किया गया उसमें जनता के गाढ़े खून पमोने की कमाई में बड़ी बड़ी इमारतें स्थापित की गई किन्तु उनकी उपादेशता पर किसी वर्ग ध्यान नहीं गया। इस प्रकार अभी तक देश के विकास के नाम पर जो भी मॉडल बनाए गये, वे अपने लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णतः मफल नहीं हो सके।

विकास का मॉडल क्या हो ?

आज पूरा विश्व जबकि आर्थिक स्वयं में स्वयं को महा शक्ति के स्वयं में देखना चाहता है, भारत के लिए भी यह आवश्यक हो गया है कि वह नियोजन के इन चार दशकों में अपनाई गई विभिन्न योजनाओं व नीतियों का मूल्याकान करें। हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि दूसरे के भरोमे बैठ कर हम कभी भी सर्वांगीण विकास को मूर्त्ति स्वयं नहीं दे सकते। भला दूसरे में क्रहन सेकर धी पीकर स्वयं को ममृद्ध मान लेना क्यों बुद्धिमानी थोड़े है। यास्तविकता यही है कि देश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखत हुए अभी तक क्यों इन मॉडल ही विकसित नहीं किया गया। आज के मर्दर्म में देश में विकास के लिये लघु कुटीर व प्रामोद्योगों के विकास मॉडल को अपनाये जाने व स्वदेशी भावना ये प्रमुखता देने की सर्जन आवश्यकता है। इस मॉडल के कई लाभ हैं जैसे—

- देश में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, क्योंकि गाव के लोगों का यदि गावों में ही रोजगार उपलब्ध होगा तो वे शहर में क्यों आना चाहेंगे? इसमें ऊहा चेरोड़गारे में फझो आदेशी यहीं शहरीकरण से सम्बन्धित कई ममस्याओं जैसे आवास, चिकित्सा, पर्यावरण प्रदूषण, महामारी महगाई वृद्धि आदि पर रोक लग सकेगी।
- ममाज में आर्थिक सत्ता के केन्द्रोंयकरण व एकपक्षिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगेगी क्योंकि विकास के इस मॉडल में भवको अपना व्यवसाय स्थापित करने की छूट रहेगी।
- स्वदेशी उद्योगों को ही पनजाये जाने में और लोगों में उसके प्रति भावना

जाप्रद किये जाने से देश का पैसा देश में ही रहेगा। कम से कम ऐसा हो नहीं होगा कि देश के किनानों से दो रुपये किलो कालू खरेंद कर ढक्के चिन बना कर उसे कई गुना कच्ची करेसर पर भारतीय बाजार में ही बेचा जाने।

- अर्थव्यवस्था के आधार स्तर कृषि व पशु पालन के विशेष दर्जा मिलें। जिससे सतुलित आर्थिक विकास की अवधारणा को बल मिल जायेगा।
- ऐसा नहीं है कि विकास के इस मॉडल से भारत विश्व अर्थव्यवस्था ने अलग-अलग पड़ जायेगा, बल्कि विश्व में अपनी अच्छी स्थिति के बहुत रखने में सहम होगा। द्वितीय महायुद्ध में अनना सर्वत्व लूट देने के बद जानान ने भी लम्बा व कुट्टीरठद्योगों के मॉडल के अननाया और जाज विस्तरे जानान की आर्थिक स्थिति किसी से छिनी नहीं है।
- ननाज में जमी लोग समानवा के साथ जीवन निर्धारित कर सकेंगे, क्योंकि विकास के लिए किसी को कम या अधिक प्रोत्त्वाधन न दिया जाकर सभी समान जबसर मिलेगा साथ ही वर्ग सर्वर्ज जैसी बुराइयों पर भी देंक हा सकेगी।

विकास के इस नवीन मॉडल के परिणामस्वरूप देश में प्रत्येक हाथ को कम, प्रत्येक देट को भोजन, तन के कम्फा और सिर पर छत मिल सकेगी। आइये जरा कल्पना करे उम भारत को जब किसी को भी आर्थिक विकास के नारे देकर लूट न जाएगा, जब भूर्य की बौद्धिकता के लिए विश्व में उत्तरो पहचान बन सकेगी, देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं होगा, योजगार दिलाने के नाम पर किसी के अग नहीं निकले जायेंगे, गाड़ी ने कम करने में कोई परहेज नहीं करेगा, बल्कि गाव की हरी-भरी वादियों में मिट्टी के दैनंदिन व सौंधी सुगंध व नव प्रान दिलाने वाली व्यार का आनन्द ठठाने में हर कोई स्वद के गौरवान्वित महसूस करेगा। □

भारत के लिए अंटार्कटिका अनुसंधान का महत्व

श्याम सुन्दर सिंह चौहान

भूमण्डल का सातवा महाद्वीप अटार्कटिकर सारे विश्व के लिए अत्यधिक महत्व की नैसर्गिक शुद्धता वाली ऐसी प्रयोगशाला है जो मानव जाति के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और उसके अनुप्रयोग के ब्रेन्टरम अवसर प्रदान करती है। अटार्कटिका अनुसंधानों से जुड़े वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं को इसके माध्यम से वैश्विक पर्यावरणीय घटनाक्रमों जैसे वातावरणीय ओजोन परत का विरल हो जाना, भू मण्डल के सामान्य तापमान में वृद्धि हो जाना, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाना आदि का पता लगाने तथा उसका अनुश्रवण करने में सहायता मिली है। अटार्कटिका पर किए गए अनुसंधानों से दक्षिणी गोलार्द्ध में भौतिक विज्ञान से सबैयित अंकड़ों की सहायता से भौतिकीय परिवर्तनों करने में सहायता मिली है। हिमक्रिया विज्ञान विषयक अनुसंधान से तापमान आदान प्रदान तथा भौतिक एवं जलवायु पर अटार्कटिका के प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। इस महाद्वीप पर किए गए भू गणिक एवं भू भौतिकीय अनुसंधानों से महाद्वीपों के निर्माण एवं वैश्विक भू-गणिक इतिहास के बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त हुई हैं। पृथ्वी का भू चुम्बकीय थेट्र सौर पृथ्वी तल के बीच समकों तथा हमारी आकाश गगा के बाहर से आने वाली चहाप्णीय किरणों के अध्ययन की दृष्टि से अटार्कटिका सर्वाधिक उपयुक्त थेट्र है। जीवशारियों के एर्यावरण के साथ विशिष्ट अनुकूलन, समुद्री जीवों एवं जैव समाधनों के बारे में निर्णय लेने के लिए याचित सूचना, मानव जीव विज्ञान तथा विकिस्ता सबधी अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए अटार्कटिका का पर्यावरण अत्यधिक उपयोगी है।

अटार्कटिका अनुसंधान की वैश्विक व्यवस्था

विश्व के सभी देश भव्यति की इस विपुल सम्पदा को खोज एवं उसके अनुप्रयोग के लिए आतुर थे। आकार में भारत और चीन के भौगोलिक थेट्रफल से भी बड़े विश्व के इस सातवें महाद्वीप का १५ भूतिशत भू-भाग कर्त्त भर बर्फ से ढका रहता है। इसलिए इस तक पहुंचना तथा इस पर खोज व अनुसंधान करना एक दुरुह कर्त्त समझा जाता था। अनुसंधान एवं खोज में विभिन्न देशों के बीच टकराहट न हो इसके लिए मिल जुल कर

प्रयास करने को ही सर्वाधिक उपयुक्त माना गया। सन् 1959 में सद्युक्त राष्ट्र सभा के परिषेक मे बाहर भारत सहित विश्व के 112 देशों ने अटार्कटिक सधि 1959 पर हस्ताक्षर किए। इस सधि के प्रावधानों के अनुसार ही अटार्कटिका पर अनुसधान एवं खोज कार्यक्रम सचालित हो रहे हैं। वर्तमान में विश्व के 43 देश इस सधि के तहत अनुसधानरत हैं। इस महाद्वीप से सबधित भूमत्ता निर्णय एक 16 सदस्यीय परामर्श मण्डल द्वारा लिए जाते हैं। भारत भी इस मण्डल का सदस्य है। इस सम्मानजनक स्थिति के बीच भारत 1981 से ही अटार्कटिका पर अपना अभियान दल भेजता रहा है। 1981 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले अटार्कटिका अनुसधान अभियानों से आधारभूत तथा पर्यावरण विज्ञानों में उत्कृष्ट अनुसधान का व्यावहारिक आधार निर्मित हुआ है। इससे अटार्कटिका सधि के सदस्य देशों में भारत को सम्मानजनक स्थान रुद्धा मान्यता प्राप्त हुई है। इस सधि में भारत को स्थिति एक सलाहकार की है। भारत अटार्कटिका अनुसधान वैज्ञानिक समिति का सदस्य है और अटार्कटिका समुद्री सर्वोद मसाधन सरकार समझौते पर भी इमने हस्ताक्षर किए हैं। अटार्कटिका सधि के मलाहकार सदस्य देश 6 वर्षों के लगातार विचार विमर्श के बाद अटार्कटिका खनिज समाधन गतिविधियों के नियमन पर जून 1988 में ही महमत हो गए थे। अक्टूबर, 1989 में ये सभी देश इस बात पर भी सहमत हो गए कि अटार्कटिका के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय किए जाने की व्यवस्था की जाए। इस हेतु जून, 1991 में एक व्यापक भमझौता किया गया जिसमें अगले 50 वर्ष तक अटार्कटिका में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए खनन कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

अटार्कटिका अनुसधान कार्यक्रम

भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री न्यू श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हे अटार्कटिका अनुसधान में विशेष लुचि थी, को पहल एवं मार्ग निर्देशन पर सन् 1981 में अटार्कटिका अनुसधान का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस महाद्वीप के विशिष्ट स्थिति और पर्यावरण का लाभ उठाने हुए उन प्रमुख वैश्विक प्रक्रियाओं को भमझना है जिनसे मानव जाति के भविष्य बेहतर हो सके। उच्च वैज्ञानिक अनुसधान प्रकृति के इस अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में निम्न के सम्मिलित किया गया है-

- (i) अटार्कटिका की वर्जली महासागरीय प्रणाली तथा वैश्विक पर्यावरण का अध्ययन
- (ii) अटार्कटिका के भूम्भर मण्डल एवं गोप्टवाना भूमि की पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं का म्बम्भ निर्धारण तथा उन्निज ससाधनों व हाइड्रो-कार्बन ससाधनों का आकलन करना
- (iii) अटार्कटिका की पारिस्थितिक प्रणाली एवं पर्यावरणीय वैव तत्त्वों प्रणाली का

अध्ययन करना,

- (iv) सौर-भू प्रक्रियाओं का अध्ययन करना,
- (v) सहायक प्रणाली के लिए अभिनव प्रौद्योगिकिया विकसित करना,
- (vi) पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना, एवं
- (vii) आधारभूत आकड़े एकत्रित करना तथा उन्हें व्यवस्थित करना।

अटार्केटिका अनुसंधान कार्यक्रम एक बहुआयामी कार्यक्रम है जिसमें भू भौतिकी भू चुम्बकत्व, मौसम विज्ञान, भू गर्भ विज्ञान, जीव विज्ञान, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत, पर्यावरण फिजियोलोजी, वायुमण्डल विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, हिम विज्ञान, वैमानिकी एवं जलोच्चता विज्ञान आदि क्षेत्रों से सबधित वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के महासागर विकास विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, रक्षा मन्त्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय भू गर्भ सर्वेक्षण विभाग सहित 45 से अधिक विभाग, वैज्ञानिक व शोध संस्थान और विश्वविद्यालय अटार्केटिका अनुसंधान कार्यक्रम से मम्बद्ध हैं।

अटार्केटिका अनुसंधान हेतु भेजे जाने वाले अभियान दलों के परिवहन हेतु विदेशों से आयातित या किराए पर लिए गए पोतों—‘फिन पोलरिस’ तथा ‘थूले लैंग्ड’ ‘एम बी म्टीफन ब्राशनिकोव’ और ‘एम बी पोलर वर्ड’ का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है।

इन अभियान दलों के लिए आवश्यक माज मज्जा, उपकरण आदि उपलब्ध कराने में भारतीय थल सेना, नी सेना, वायुमेना तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास मण्डन ने उल्लेखनीय भूमिका निभायी है।

अटार्केटिका अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 14 अभियान दल अटार्केटिका जा चुके हैं। पहला अभियान दल महासागर विकास विभाग के मचिव डॉ एम जैड कासिम के नेतृत्व में दिसम्बर, 1981 में गया था जिसमें विभिन्न विभागों/ संस्थानों के 21 सदस्य शामिल थे। इन अभियान दलों का विवरण तालिका में दिया गया है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने अटार्केटिका में वर्ष 1983-84 में एक स्थायी केन्द्र ‘दक्षिण गणोत्री’ की स्थापना की थी। केन्द्र अब आपूर्ति आधार कैम्प के रूप में कार्य कर रहा है। इस केन्द्र से लगभग 80 किमी दूर हिमरहित क्षेत्र में दूसरा स्थायी केन्द्र “मैत्री” स्थापित किया गया है। यह केन्द्र शिरमाकर ओसिस नामक चट्ठानी इलाके में वर्ष 1988-89 में स्थापित किया गया है।

तात्त्विक

अंगरेजीका अनुसंधान हेतु श्रेष्ठे गए अधियान दलों का क्रियाण

अधियान दल	अधियान दल के नेता	भारत से प्रस्थान दिनांक	अधियान दल के सदस्यों की संख्या	विसेस
पहला	डॉ. एम.बैड कासिम	6 दिसंबर, 1981	21	
	सचिव, प्राहसानगर विकास विभाग			
दूसरा	डा. बांके रैन	28 नवम्बर, 1982	22	
	निदेशक भारतीय भू-गर्भ सर्वेषण			
तीसरा	डॉ. एच.के. गुप्ता	27 दिसंबर, 1983	83	कार्यकारी प्रद्योगशाला "टॉटिप्र
	निदेशक, धू-गर्भ विज्ञान अध्ययन केन्द्र			गगोड़ी" की स्थापना
	विज्ञानन्तपुरम्			सीधे उच्च आयुषि
चौथा	डॉ. बी.वी. घट्टाचार्य	4 दिसंबर, 1984	82	सचार सम्पर्क
	निदेशक, भारतीय खान स्कूल, घनबाद			प्रजाती की स्थापना
पाचवा	श्री ए.प.के. बौल	30 नवम्बर, 1985	88	
	पू.गर्भ वैज्ञानिक			
छठा	डॉ. ए.ए.व. पाहलेकर	26 नवम्बर, 1986	90	
	वैज्ञानिक, भारतीय सागर विज्ञान संस्थान, गोवा			
सातवा	डॉ. डी.आर. सेनगुप्ता	25 नवम्बर, 1987	92	
	वैज्ञानिक, सागर विज्ञान संस्थान, गोवा			
आठवा	डॉ. अमित्यसेन गुप्ता	24 दिसंबर, 1988	58	स्थायी केन्द्र "मैरी"
	वैज्ञानिक, राष्ट्रीय औतिक प्रयोगशाला			की स्थापना
नौवा	श्री आर. इवोन्द्र	30 नवम्बर, 1989	73	
	वैज्ञानिक भारतीय भू-गर्भ सर्वेषण			
दसवा	अनुपलक्ष्य	27 नवम्बर, 1990	72	
एवालहवा	डॉ. एस. मुकुर्जी	27 नवम्बर, 1991	98	
	वैज्ञानिक भारतीय भू-गर्भ सर्वेषण			
चारहवा	डॉ. बी.वी. घारलालकर वैज्ञानिक,	5 दिसंबर, 1992	56	
	राष्ट्रीय प्राहसानगर विज्ञान संस्थान			
तेरहवा	श्री सुधाकर राव वैज्ञानिक,	7 दिसंबर, 1993	58	
	भारतीय यौवान विज्ञान विभाग			
चौदहवा	डॉ. एस.डी. शर्मा वैज्ञानिक,	दिसंबर, 1994	62	ई-मेल सुविधा
	राष्ट्रीय औतिक इयोगशाला			प्राप्त की जयी

अंटार्कटिका अध्ययन केन्द्र

भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए गोदा में वास्को नामक स्थान पर अंटार्कटिका अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाने, अनुसंधान अभियानों के लिए आवश्यक माज सज्जा जुटाने, विशिष्ट प्रयोगशालाओं की सुविधाएं विकसित करने, अंटार्कटिका सबधी आकड़ों और भाहित्य के सकलन तथा विविध विषयों के अनुसंधान को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। पूर्ण रूप से चालू हो जाने पर यह केन्द्र धूकीय विज्ञान में अन्तर विद्यात्मक अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य करेगा। इस केन्द्र की स्थापना वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिपद की देख रेख में की जा रही है।

अंटार्कटिका अनुसंधान से लाभ एवं भारत के लिए इनका महत्व

अंटार्कटिका अनुसंधान पर गए 14 अभियानों से भारत को अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ गोड़वाना पुनर्निर्माण के एक भाग के रूप में प्रायद्वीपीय भारत और अंटार्कटिका के बीच शैलविज्ञान विषयक सहसम्बन्ध स्थापित करने में भफलता मिली है। इन अभियानों की अनुसंधानिक जानकारियों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इनसे भारत मानसून सबधी भविष्यवाणिया करने तथा सियाचिन जैसे ऊचे ठन्डे स्थानों में जलवायु से मानव द्वारा स्वयं को अप्यस्त बना लेने में विकसित कर लेने के रूप में लाभान्वित हुआ है। इन जानकारियों से ठन्डे तापमान में प्रौद्योगिकी तथा लम्बी दूरी की मचार प्रणाली को घेरेलू स्तर पर भी विकसित कर पाना सम्भव हो गया है। इम सुदूर महाद्वीप से एकत्र की गयी जानकारी तथा इसके चारों ओर के महासागरों से प्राप्त हुई सूचनाओं में पृथ्वी के क्रमिक विकास के इतिहास तथा वैशिवक चेतावनी 'प्रीन हाठम' प्रभाव एवं ओजोन परत में छिद्र हो जाने जैसी समस्याओं के निराकरण पर ध्यान देकर मानव समाज के भावी निर्वाह को सुसाध्य बनाया जा सकता है।

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिक पर स्थापित स्थायी केन्द्र 'मैत्री' पर लगायी गयी स्थायी मौसम बेधशाला द्वारा सर्वत रूप से विभिन्न प्रकार से मौसम विज्ञानी पैरामीटर्स सबधी आकड़े एकत्रित किए जाते रहते हैं। इन आकड़ों को दक्षिणी महासागरों के ऊपर के मौसम को समझने में प्रयुक्त किया जा सकता है। इनमें से कुछ आकड़े वास्तविक समय आधार पर वैशिवक दूर मचार नेटवर्क को भी हस्तान्तरित किए जाते रहते हैं। प्रीन हाठस गैसों एवं ओजोन छिद्र तथा दक्षिण हिन्द महासागर के ऊपर बजट पर इनके प्रभावों पर किए गए अध्ययनों से भी भारत काफी बड़ी मात्रा में लाभान्वित हुआ है। लम्बी दूरी के सचार की प्रजनन तकनीक पर भू चुम्बकत्व के प्रतिकूल प्रभावों के लिए सुधारवादी उपायों को भी सीखने में अंटार्कटिका अभियानों से प्राप्त आकड़े मदद कर सकते हैं। हिमत्रिया विज्ञान विषयक खोजों एवं हिमालयीन हिमानियों से ठनक पर सहसंबंध स्थापित कर लेने से भारत को अत्यधिक लाभ प्राप्त

होगा। अटार्कटिका पर भारतीय लोगों ने जिस प्रकार अत्यधिक ठण्डी जलवायु में सुगमतापूर्वक रहना सीख लिया है उससे हिमालय के सियाचिन जैसे अधिक ऊचाई वाले स्थानों पर मानव, विशेष रूप से सैनिकों के स्थायी रूप से रहने को सम्भव बनाया जा सकेगा।

अटार्कटिका पर मौजूद माइक्रोब्स सियाचिन जैसे उप्पे क्षेत्रों में मानव मल-मूत्र एवं कार्बनिक अपशिष्ट के स्वच्छ निस्तारण के कारणों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। प्रशिक्षित श्रमशक्ति अब अत्यधिक ठण्डी, दुरूह एवं एकाकी दशाओं में भी कार्य करने के लिए उपलब्ध है। शिरमेकर और आसिस तथा बोल्थैट पर्वतों के भूगर्भीय मानचित्रों से गोण्डवाना भूमि महसूबन्ध के रूप में भू-गर्भिक संसाधनों के वितरण के समझने में सहायता मिली है। तेरहवें और चौदहवें अभियान दलों के वैज्ञानिकों ने अटार्कटिका पर भारतीय मार्ग से मिलने वाले पहुंच जल (एंट्रोच वाटर) का जलोच्चया (हाइड्रोप्राफिक) चार्ट तैयार किया है। यह चार्ट दक्षिण गगोत्री हिमानी की मामने की ओर हिमानीय चलन की गति का अनुश्रवण करता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 800 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले औरविन पर्वतों का भू-गर्भीय मानचित्र तैयार कर लिया है। इस प्रकार अब तक अटार्कटिका महाद्वीप के 9,600 वर्ग किमी क्षेत्र का मानचित्रण भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया जा चुका है। प्रकाशिकी एयरोनोमी पर किए गए भारतीय प्रयोग द्वारा सौर प्लाज्मा तथा भू-चुम्बकीय क्षेत्रों की अन्तर्क्रिया, जो थरथराहट के रूप में परिणामित होती है, पर भी खोज की गयी है। रात्रीय भौतिक प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने विश्व में सर्वप्रथम एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो दिन में ही थरथराहटी प्रभावों की खोज कर सकता है।

जैव विविधता कार्यक्रम पर केन्द्रित चार अभिनव प्रयोग अटार्कटिका अनुसंधान अभियान पर भेजे गए दलों ने किए हैं। ये हैं—(i) मैत्री के चारों ओर की झीलों में शैवाल उपनिवेशीकरण, (ii) ऐसे निम्न तापीय जीवाणु की खोज जो अत्यधिक उप्पे स्थानों में मानव के मल एवं अन्य कार्बनिक अपशिष्टों के स्वच्छ निस्तारण में प्रयुक्त किया जा सके, (iii) अटार्कटिका स्तनधारियों (सील) और पक्षियों (पेंगुइन) की जनगणना करना ताकि एक दौर्धकालिक अनुश्रवण प्रोटोकोल तैयार किया जा सके, एवं (iv) पारिस्थितिक अनुश्रवण के लिए फ़ायलम टैडीपेडा को एक प्रमुख प्रजाति मानकर किए गए अध्ययन।

चौदहवें अभियान के दौरान अटार्कटिका पर इलेक्ट्रॉनिक मेल स्थापित करके इन्टरनेट के माध्यम से 'मैत्री' का भारत से सीधा दूरसंचार सबध स्थापित हो गया है।

अटार्कटिका अनुसंधानों का शैक्षिक महत्व तो है ही, इन जानकारियों के व्यावरारिक प्रयोग से भारत में वर्षा सबधी भविष्यवाणिया करने एवं मौसम मानचित्रण तकनीकों में सुधार करने, मौलिक रूप से अलग-अलग मौसमी प्रकृति के क्षेत्रों में मानव

द्वारा स्वयं को अप्यस्त बना लेने की सक्षम विधि विकसित करने में सहायता मिली है।

आने वाले दिनों में इस बात की प्रबल सम्भावनाएँ हैं कि भारत अटार्कटिका के ममुद्री खाद्य मसाधनों के व्यावसायिक दोहन के कार्यक्रम में शामिल हो जाए। भारत की रुचि क्रिल्स के ठत्तादन में है जिसे पारिस्थितिकीविद् मानव के लिए सम्भाव्य समुद्री भोजन मानते हैं जो विटामिन 'ए' का एक समृद्ध स्रोत है। जापान, रूस एवं पोलैण्ड क्रिल्स का ठत्तादन पहले ही प्रारम्भ कर चुके हैं। भारत के लिए क्रिल्स भविष्य में एक अच्छा नियांतक हो सकता है। इसी विचारधारा के तहत पन्द्रहवें अधियान में मत्स्य दृश्योग मध्य, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण एवं केन्द्रीय लवण एवं ममुद्री रमायन अनुसंधान मस्यान के वैज्ञानिकों को शामिल किया जा रहा है।

अटार्कटिका और उससे जुड़ी भावी सम्भावनाएँ

इममें कोई मन्देह नहीं कि अटार्कटिका अनुमधान में भारत एवं विश्व के अन्य देशों को प्रकृति के बारे में अनेक ऐसी ठपयोगी जानकारिया मिलेगी जिनके बारे में लोग अप्रतक अनभिज्ञ थे। इन जानकारियों से अनेक प्रकार के ठपयोगी अनुप्रयोग करके विकास की गति को तेज किया जा सकेगा। लेकिन विश्व के अनेक देशों के अनुमधान दलों के अटार्कटिका जाने और वहां पर रहने से वहां के पर्यावरण के असन्तुलित हो जाने का खदरा भी धीरे धीरे बढ़ना जा रहा है। मई 1995 में सिओल में आयोजित 19वीं अटार्कटिका भविधि परामर्शक बैठक में अटार्कटिक सधि प्रचालन की समीक्षा की गयी, पर्यावरणीय सुरक्षा से सबधित मैट्रिक्स भयाचार को अन्तरिम रूप से लागू किए जाने पर आम महमति स्थापित हुई, अटार्कटिक सधि प्रणाली के लिए सचिवालय की स्थापना पर विचार विमर्श किया गया तथा अधिकारों के प्रयोग में सबधित विषय वैज्ञानिक और सभार भाग्यों में महयोग पर विचार-विमर्श हुआ। इन विचार विमर्शों के आधार पर ही भारत सहित सक्रिय रूप से अटार्कटिका अनुसंधान से जुड़े परामर्शदाता देशों द्वारा नयाचार के उपबन्धों को यथा व्यवहार्य लागू किए जाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसंधानकर्ता देशों द्वारा अपशिष्ट निपटान के आधुनिक वैज्ञानिक तरीके प्रयोग में लाए जा रहे हैं। भारत से जाने वाला प्रत्येक अधियान दल अटार्कटिका में कार्यकलापों के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्याकन करता रहता है।

अटार्कटिका में पर्यटन उद्योग के विकास की अच्छी सम्भावनाओं को देखते हुए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अटार्कटिका आने वाले आगन्तुकों और गैर-सरकारी अधियानों को चौकस रहने में सहायता के लिए तथा उन्हें नयाचार के उपबन्धों का पालन करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक मिदानों का निर्धारण किए जाने की दिशा में पहल की गयी है।

अटार्कटिका समुद्री सजीव साधनों के सरक्षण के लिए आयोग और वैज्ञानिक समिति की 13वीं बैठक 24 अक्टूबर से 4 नवम्बर, 1994 तक होवर्ट (आस्ट्रेलिया) में

आयोजित की गयी। इसमें भारत सहित आयोग के सभी सदस्य देशों ने भाग लिया। इस बैठक में क्रिल ससाधनों, प्रजातियों की खेती, परित्र का प्रबोधन, निरोधण, सरक्षण के ठपायों के साथ अनुपालन, वैज्ञानिक अनुसधान के सरक्षण ठपायों के अनुप्रयोग पर विचार-विमर्श किया गया।

पर्यावरणीय प्रबोधन, अटार्कटिक में आकड़ा प्रबन्धन तथा पर्यावरणीय मामले एव सरक्षण, पर्यटन, आकर्सिक अनुकिया तथा अटार्कटिक प्रबन्धक इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क का विकास आदि मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय अटार्कटिक कर्यक्रमों तथा अटार्कटिक सभार एव प्रचालनों पर स्थायी समिति और अटार्कटिक अनुसधान पर 23वें वैज्ञानिक समिति की प्रबन्ध परिपद् की बैठकें आयोजित की गईं जिनमें भारत ने सक्रिय भागीदारी निभायी।

निष्कर्ष

पृथ्वी के क्रमिक विकास, जलवायु एव मौसम, खनिज, भू चुम्कीय, हिम क्रिया विज्ञान विषयक, जीव विज्ञान विषयक, शैल विज्ञान विषयक एव जलोच्चता विषयक अनेक प्रकर की विपुल जानकारी और सम्पदा अपने गर्भ में छिपाए भू-मण्डल का सारवा महाद्वृप अटार्कटिक अधिकारश विश्व के लिए आज भी रहम्यमय बना हुआ है। विश्व के वैज्ञानिक इस दुर्ब्ध तथा मानव जीवन व्यतीत करने के लिए लगभग अनुपयुक्त महाद्वृप के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करके उसका उपयोग मानव हेतु करने के लिए सन् 1959 से ही सर्व प्रयत्नरूप है। इस क्षेत्र में किए जा रहे अनुसधानों एव खोजों के मामले में भारत की स्थिति एक अद्भुती और परामर्शदाता देश की है। अटार्कटिक अनुसधान कर्यक्रम के अन्तर्गत भारत से 1981 के बाद से अब तक 14 अभियान दल अटार्कटिक जा चुके हैं जिनसे लगभग 45 नस्यानों/विपागों के 1,000 से अधिक वैज्ञानिक लाभान्वित हो चुके हैं। हालांकि अटार्कटिक की खनिज सम्पदा के व्यावसायिक दोहन पर अगले पचास वर्षों तक प्रतिवन्ध लगा दिया गया है, तथापि इस क्षेत्र की जैविक सम्पदा के दोहन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अटार्कटिक अनुसधानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भारत अपने अधिक ऊचाई वाले इलाकों में सामरिक महत्व के स्थलों की रखवाली अब अधिक भली प्रकर कर सकता है। इतना ही नहीं हिमालय के अधिक ऊचाई वाले क्षेत्रों में छिपी विपुल प्राकृतिक सम्पदा के व्यावसायिक दोहन की सम्भावनाएं भी चलाश सकता है। □

भारत मैक्सिको की भूल नहीं दोहरायेगा

वेद प्रकाश अरोड़ा

उत्तर अमरीका और मध्य अमरीका को मिलाने वाले देश मैक्सिको में आर्थिक सुधारों का बीड़ा लगभग दस वर्ष पहले तत्कालीन राष्ट्रपति कारलोस सालीनास ने देश को मजबूत बनाने तथा उसकी छवि सुधारने के लिए उठाया था। इधर भारत द्वारे 1991 के आर्थिक सकट से उबार कर प्रगति की डगर पर ले जाने के लिए आर्थिक सुधारों की शुरुआत लगभग चार वर्ष पहले की गई। मैक्सिको को अपना वित्तीय लेखा सतुर्लित रखने, व्यापार को उदार बनाने, अमरीका और कनाडा के साथ उत्तर अटलाटिक मुक्त व्यापार क्षेत्र 'नाफटा' स्थापित करने, सरकारीकरण से निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाने और आतंरिक अर्थव्यवस्था को अकुशों के घने जगल से बाहर निकालने के लिए एक आदर्श सुधारकर्ता देश का नाम दिया गया था। विदेशी पूजी का प्रवाह तेजी से होने, विदेशी मुद्रा भड़ा बढ़ाने और मुद्रा पैमों के मजबूत होने पर मैक्सिको के ढके चारों तरफ बजने लगे थे। सुधार और उन्नति के शिखर को छूने के बाद पिछले दो वर्षों से उसे वित्तीय झड़ाटों झड़ावातों का सामना करना पड़ रहा है। उसका व्यापार धाटा 1990 से साढ़े सात अरब डालर से 1994 में एकदम बढ़कर लगभग 28 अरब डालर हो गया। उसका काफी खाली हुआ विदेशी मुद्रा भड़ा उसकी अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत की मुह बोलती रहस्योर है। डालर की तुलना में उसके पैसों का मूल्य एक बार फिर 7.265 से 7.67 पर आ गया है। यह गत 9 मार्च के 7.70 के उस स्तर से कुछ ही ऊचा है जब मैक्सिको सरकार को दिमवर 1994 की अवमूल्यन जैसी स्थिति पैदा होने से बचने के लिए आपात उपाय करने पड़े थे।

उसके वित्तीय सकट से भारत के लिए चिंतित होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि भारत की स्थिति और मैक्सिको की स्थिति में कोई खास समानता नहीं है। समानता मात्र इतनी है कि आर्थिक सुधारों से पहले दोनों ने कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रखा था। दूसरी समानता यह है कि दोनों उदारीकरण बाजारीकरण, सार्वभीमीकरण और निजीकरण की राह पर चल रहे हैं लेकिन जहाँ मैक्सिको का अर्थव्यवस्था बुलदियों से नीचे गहराइयों में जा गिरा है वहाँ भारत का अर्थव्यवस्था गड़े से निकलकर विकास के राजमार्ग पर बढ़ निकला है। जमीन आसमान का यह अंतर भारत में 1991 और 1995 की स्थितियों

की तुलना करने पर नहीं ही स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए 1991 में मुद्रास्फीति देव गर्वि से बढ़ती हुई 17 प्रतिशत की दर तक पहुंच गई थी, लेकिन आज वह, उसके आधे से भी नीचे चली गई है। बब हमारे विदेशी भट्ठार में मात्र 1.4 अरब डालर रह जाने के कारण हमारे लिए आरक्षित सोने तक को बेचने और गिरवी रखने की नीवें आ गई थीं लेकिन आज इस भट्ठार में लगभग 20 अरब डालर जमा है।

मैक्सिको के सकट का मूल कारण आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि नए अवसरों और चुनौतियों का सही मामना न करना, सभावनाओं का लाभ न ठठाना तथा अर्थव्यवस्था का अकुशल प्रबन्धन था। पहले अतर्गृहीय मुद्रा क्रेप, विश्व बैंक और सम्पादित तथा अन्य विदेशी पूँजी निवशकों को यह प्रबल धारणा थी कि वेतन में विपुल आय के कारण मैक्सिको एक अडिंग आर्थिक ताकल्त बन गया है। इसीलिए अधिकतर विदेशी पूँजी निवेशकों, पूँजी लगाने के लिए मैक्सिको के ही प्रमुख देश थे। उसके प्राथमिक क्रम में भारत और चीन नीचे रहते थे। उधारी की रकम के बरते जाने से मैक्सिको ने अपने को अल्पकालिक उपायों तक सीमित रखा तथा दॊर्दकालिक नियन्त्रण और नीतियों के गौणवा प्रदान को, वरना कोई बजह नहीं थी कि वह मुद्रास्फीति के खिले से बचते हुए विकास न कर पाता। भरकार ने सुगमता में कर्ज मिलते जाने से घाटे पर लगाम लगाने का प्रयास नहीं किया। फिन्फूलखड़ों बढ़ती चली गई, भार्वजनिक शेत्र की इकाइयों में मजदूरों की सख्त्या आवश्यकता से अधिक होती चली गई, भरकार से भरकार ने मुद्रास्फीति के प्रभाव भ ढन्हे बचाने के लिए महाराई भत्ते एवं बेतन बढ़ाने की मारदी दी। परिणामस्वरूप बाजार में प्रत्येक चाज महगी होती चली गई। उसने ओलम्पिक जैसी आडम्बरपूर्ण परियोजनाओं पर भारी व्यय करने से हाश पूछे नहीं खोचा। इतना ही नहीं वह क राजनीतिकों नौकरशाहों और व्यापारियों ने भरकारी खजाने में धन निकालकर अमरोक्त और धूरेप में पूँजीनिवेश किया। आयात की तुलना में निर्यांत्र कम होने से खापार घाट बढ़ा चला गया। नरोजरन चालू खारे क्या घाट बढ़ा चला गया। यह घाट चार वर्षों की अल्पावधि में लगभग चौगुना हो गया। फिन्फूलखड़ों, पूँजी पलायन, व्यापारिक घाटे और विदेशी मुद्रा क्रेप के हास से सकट चतुर्दिक गहराता चला गया। इस म्याति में विदेशी पूँजीनिवेशकों का उल्लाह भी ठड़ा पड़ने लगा। वे अपने शेयर और प्रतिभूतियों को बेचकर डालर हानिल करने के लिए टौह पढ़े। नोटों की छपाई से खर्च चलाने पर बाजार में पैसों मुद्रा की भरमार हो गई। नरोजा यह हुआ कि 1985 से 1993 तक मुद्रास्फीति की दर 45 प्रतिशत तक पहुंच गई। इस उच्ची दर को नीचे लाने के लिए भरकार ने डपमोक्ता बम्बुओं पर आयात शुल्कों में भारी कटौती कर दी। 1982 में लगे 100 प्रतिशत शुल्क को पहले 1987 में घटा कर 20 प्रतिशत तक और इधर कुछ समय पहले 10 प्रतिशत तक कर दिया गया, लेकिन बेतन शुल्क बढ़ रहे खर्च के कम करने के लिए करें ठोन व्यापारिक बदम नहीं उठाया गया। कम दाम में आयातिव विदेशी

सामान में मैक्सिकों के बाजार पट गए। इसमें मैक्सिमिकों के अपने टद्दोगों के चक्रकंक की चाल धीमी पढ़ती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई और मरी का माहौल बनना शुरू हो गया। दूसरे, बढ़ते व्यापार घाटे और गिरते पूजीनिवेश में मैक्सिमिकों की मुद्रा पर दायर मढ़वा चला गया। आयात के भुगतान के लिए मैक्सिमिकों सरकार और फर्मों के लिए पैसों का बेचना तथा छालरों का खरीदना चलता था। परिणाम यह हुआ कि मैक्सिकों के बाजार में पैसों की बाढ़ मी आ गई। उम्मीद की खरीद में दूर हटने जाने में उम्मीद का मूल्य गिरना अनिवार्य था और ऐमा हुआ भी। पैसों का मूल्य बनाए रखने के प्रयास में मैक्सिमिकों के केंद्रीय बैंक ने छालरों के बदले पैसों खरीदने शुरू कर दिए। इसमें विदेशी मुद्रा भड़ार और खाली हो गया। नतीजतन पूजीनिवेशकों में अधिक घपराहट फैलनी शुरू हो गई। विदेशी पूजीनिवेशक अपने पूजी भड़ार और कारोबार को बचाने के लिए तेजी से योरिया विम्बर बाध कर अन्यत्र जाने शुरू हो गए।

20 दिसंबर, 1994 को राष्ट्रपति एर्नेस्टो चैहिलो की नई भरकार न पैसों का न्यूनतम ममर्यन मूल्य निर्धारित कर दिया। पैसों के 30 प्रतिशत में अधिक अग्रमूल्यन में स्थिति बदल में बदलते हो गई। पैसों के विनिमय मूल्य में गिरावट कही रक्त का नाम नहीं ले रही थी। पहले अगर लगभग तीन पैसे एक डालर के बराबर थे तो बाद में मात्र पैसों का विनिमय एक डालर में होने लगा। मुद्रा और पूजी बाजार में यह गिरावट तभी कुछ थम पाई जब अमरीका ने राहत और महायता के एकमुश्वर कार्यक्रम की घोषणा की। तब अमरीका, मैक्सिमिकों को तेल में होने वाली आय के बदल में 40 अरब डालर देने पर राजी हो गया। मैक्सिमिकों के उत्तर अमरीका मुक्त व्यापार मण्डल नाफ्टा का मदम्य होने के नाते भी अमरीका उम्मीद महायता के लिए ठिक हो गया। अगर वह ऐमा न करना तो स्वयं अमरीका में मैक्सिमिकों के नागरिकों का दृमरा गैरकानूनी पलायन आरम्भ हो जाता। मैक्सिमिकों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी तीन अरब डालर की एकमुश्वर महायता देने की योजना बनाई।

इधर भारत में मैक्सिमिकों जैसी स्थिति उत्पन्न होने के आमार नहीं हैं। हमारे सुधारों का चाल चलन और चेहरा भी कुछ भिन्नता लिए है। भारत में सुधारों के दो पदाव हैं। पहले पदाव में हमने 1991 के गहरे आर्थिक मक्ट में उत्तरने तात्पालिक उधार चुकाने, दूसरे विकास प्रक्रिया को गतिशील बनाने, भुगतान मतुलन को और विगड़ने से रोकने और विदेशी मुद्रा भड़ार में आवक की फिर शुरूआत करने का प्रयास किया। दूसरे पदाव में हम अधेरी कोटरी से बाहर आकर प्रगति की राह पर आगे बढ़ने लगे हैं। इसके लिए वित्तीय, राजकोषीय और विनिमय दर में सुधार करने, औद्योगिक और कृषि उन्नादन बढ़ाने तथा निर्यात में वृद्धि कर उमे आयात की बराबरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। कर प्रणाली को सरल बनाने तथा उमे व्यापक आधार प्रदान करने के साथ साथ पूजी बाजार की विनियोग दूर करने में मुम्भेदी में काम किया जा रहा है। मार्केजनिक थेट्र वी इकाइयों के कुछ शेयरों की विक्री में राजकोष बढ़ाने के साथ साथ

ठनके कामकाज को सुधार कर ठन्हें अधिक मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों में बदला जा रहा है। सुधारों से मजदूरी पर कई प्रतिकूल असर न पड़े, बल्कि वे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनसे लाभान्वित हों—इसके लिए भी विशेष कदम ठाटा गए हैं। अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी सस्थागत भारतीयों तथा विदेशी सस्थागत एवं गैर-सस्थागत पूजी निवेश से बचाए गए सरकारी धन से शहरी और प्रामीण खेत्रों के गरीबी को रेखा से नीचे जिंदगी बसार कर रहे लोगों के कल्पाण की अनेक परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं और सुधारों को मानवीय पुट देते हुए लाखों बेरोजगारों के लिए रोजगार क्ष मुशाय किया गया है। सरकार ने नौवीं पचवर्षीय योजना के अत तक शिक्षा पर सकल धोरेल उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करने का सकल्प किया है। इसके अलावा सरकार गरीबी उभूलन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तो फर्मों उद्योगों को देहाती इलाकों में विजली पैदा करने, खागवानी, फूलों की खेती करने, खाद्य परिशोधन और वन लगाने जैसे कामों में पूजी लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। असगठित मजदूरों के लिए कल्पाण कोष बनाने तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए दो अध्यादेश जारी किए गए हैं। सरकारी व्यय में कटौती के लिए नए आयोग और नई समितिया बनाने पर प्रतिवध लगा दिया गया है। यह इसलिए जरूरी समझा गया है कि पहले ही विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों द्वारा गठित लाभग 900 समितियों पर अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। प्रत्येक समिति के अध्यक्ष को मन्त्री का दर्जा और तदनुसार सुविधाएं दी जाती हैं। सदस्यों और कर्मचारियों पर जो खर्च होता है, वह अलग। सरकार अपव्यय रोकने के साथ ही रुपये का मूल्य गिरने से बचाने, वस्तुओं को अधाव न होने देने तथा पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती दरों पर चीजें उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है। उधर मैक्सिसको में एक दशक से किए जा रहे ढाकागत सभायोजन के दौरान आम लोगों के लिए अभावों का दौर बना रहा और वे मूल्यों में कमी के लिए तरसते रहे, जबकि पूजीपति और धनाद्य व्यापारी बेराकटोक धन बटोरते रहे। इस सब ने वहा चियापास क्षेत्र के विद्रोह में समिधा क्ष काम किया। इस स्थिति में मैक्सिसको व्य निर्यात आयात से पिछड़ता चला गया और चालू खाते का घाटा निरवर बड़ा आकार लेता चला गया। वर्ष 1994 के दौरान चद सप्ताहों में ही सुरक्षित विदेशी मुद्रा भडार 25-26 अरब डालर से लुढ़क कर साढे छह अरब डालर हो गया।

जब हम मुद्रास्फीति पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि 1985 से 1993 तक मैक्सिसको की मुद्रास्फीति की ओसत दर 45 प्रतिशत रही जो कमर तोड़ देने वाली थी। इसके विपरीत भारत में यह दर 17 प्रतिशत से नीचे उत्तर कर नी और दस प्रतिशत के बीच चलती रही और अब यह आठ प्रतिशत के आसपास है। फिर भारत में मुद्रास्फीति का एक बड़ा कारण पिछले कई वर्षों से किसानों को ठनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना रहा है। आबादी के एक बड़े भाग किसानों को रबी और खरीफ फसलों की उपज बढ़ाने

के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार प्रति मौसम विभिन्न उत्पादों के अधिकाधिक मूल्य निर्धारित करती चली आ रही है। बुनियादी उपभोक्ता वस्तु की इस मूल्य वृद्धि का प्रभाव अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ना स्वाभाविक है। अक्सर यह कहा जाता है कि भारत पर विदेशी कर्ज 1980 के लगभग 24 अरब डालर से बढ़कर 92 अरब डालर तक पहुच गया है अर्थात् साढे तीन गुना से भी अधिक हो गया है। विकासशील देशों में ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है और यह कर्ज उसके वार्षिक सकल धेरेलू उत्पाद के 37 प्रतिशत से भी अधिक हो चुका है। यह भी कहा जाता है कि अतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से हमें जो सहायता मिलती है उससे अधिक राशि मूल रकम और ब्याज चुकाने में चली जाती है। लेकिन इस संदर्भ में इस बात को नजरअदाज कर दिया जाता है कि इसमें से काफी राशि जुलाई 1991 से पहले उधार ली गई थी और अब उसे चुकाना पड़ रहा है। दूसरे, इस संदर्भ में देखने की बात यह है कि भारत की ऋण भार चुकाने की क्षमता कितनी हो गई है। इस क्षेत्री पर भारत को कसने पर हम पाते हैं कि पिछला और वर्तमान कर्ज चुकाने की उसकी ताकत एवं क्षमता निरतर बढ़ती जा रही है। विश्व बैंक ने भी टबी आवाज में कहा है कि भारत के ऋण फदे में फसने की आशका नहीं है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत पर 1993 में 92 अरब डालर का कर्ज चढ़ चुका था, जबकि मैक्सिको 118 अरब डालर के कर्ज में काफी गहरा ढूब चुका था। अगर भारत पिछला कर्ज चुकाए बिना 26 अरब डालर का कर्ज और ले ले, तभी यह मैक्सिको की इस लक्षण रेखा को पार करने का खतरा मोल लेगा। लेकिन देश पर विदेशी ऋण का बोझ इस समय पहले से अधिक आसानी से ठठाया और उतारा जा रहा है। 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में विदेशी ऋण की राशि प्रतिवर्ष छह अरब डालर की औसत से बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन अब ऋण-वृद्धि की दर एक अरब डालर से भी नीचे चली गई है। इधर कुछ किस्तें तो हमने समय से पहले चुका दी हैं। सबसे बढ़कर 1985 से 1993 तक की अवधि में मैक्सिको के विदेशी ऋणों के मुगतान की दर लगभग 45 प्रतिशत थी तो भारत में यह उससे 15 प्रतिशत कम अर्थात् 30 प्रतिशत से भी नीचे रही है। इतना ही नहीं, कुल ऋण में अल्पकालिक ऋण का प्रतिशत नाटकीय ढांग से बहुत कम को गया है जो वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक शुभ सकेव है। अब हम दोषकालीन ऋणों का या फिर विश्व बैंक से सम्बद्ध अतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से प्राप्त आसान शर्तों वाले कर्जों का सहारा लेकर ऋण भार करने की सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जहा तक प्रतिव्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय का सबध है इस अवधि में यह भारत में तीन प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। इस वर्ष तो राष्ट्रीय आय लगभग 5.5 प्रतिशत बढ़ जाने को आशा है। इसकी तुलना में मैक्सिको में वृद्धि दर बहुत कम यानि 0.90 प्रतिशत रही। भारत में औद्योगिक उत्पादन में भी कम-से-कम 5.5 प्रतिशत बढ़ोतारी से उसके 12 से 13 प्रतिशत हो जाने की आशा है। निर्यात और आयात का अतर कम होता जा रहा है। निर्यात में 27 प्रतिशत की वृद्धि एक महत्वपूर्ण धारणा है। कृषि उत्पादन में तो हम कीर्तिमान पर कीर्तिमान

स्थापित करते बले जा रहे हैं। 1994-95 में सभी क्षेत्रों में वृद्धि के कारण वास्तविक मकल घरेलू उत्पाद 6.2 प्रतिशत बढ़ गया। 1993-94 में इससे कम अर्धात् 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैक्सिको के चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का आठ प्रतिशत था, जबकि भारत में यह घाटा निरतर घटता जा रहा है। 1990-91 में यह घाटा सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत से कुछ अधिक था, जो इस वर्ष एक प्रतिशत से भी नीचे चला गया है। मैक्सिको ने अपनी बाहरी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह उदारीकृत बना दिया है, जबकि भारत ने उपभोक्ता वस्तुओं के आयात तथा रूपये की विनिमय दर के नियमन का प्रयास किया है। देखा जाए तो यहा मशीनों और औद्योगिक कच्चे माल को छोड़ अन्य वस्तुओं का आयात एक तरह से बद है, इसलिए अनेक मचों से विकसित देश तथा अतर्गतीय मण्डन हमसे आयात के नए नए दरवाजे खोलने का आग्रह करते हैं। रही बात हमारी मुद्रा रूपये की, तो अभी पिछले दिनों जब डालर की तुलना में इसके मूल्ये में कुछ गिरावट आई तो रिजर्व बैंक ने इनक्षेप कर उनकी स्थिति फिर मजबूत कर दी। मुक्त बाजारीकरण की तरफ कदम बढ़ाने का मनलब यह नहीं कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका ममाप्त हो गई है और स्थिति गभीर होने अथवा मक्ट उत्पन्न होने पर वह दखलत न दे। भारतीय मुद्रा रूपये को गिरने से बचाना तो उनका परमावश्यक कार्य है। इस सब को देखते हुए ही कहा जाता है कि मैक्सिको का पिछला दशक खोए, लुटे और उजड़े विकास का दशक रहा। लेकिन भारत के आर्थिक सुधारों ने एक वर्ष के अंदर ही मक्ट को पार करते हुए विकास कार्यों को सकलनापूर्वक पुनर्जीवित कर उनमें प्राण पूक दिए।

तो भी मैक्सिको के घटना चक्र ने कुछ मोख और चेनावनी दी है। उनकी अर्थव्यवस्था टूटने में पहल भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था से बेहतर थी। उनकी विकास दर और निर्यात दोनों अधिक थे, लेकिन जावधानी न बताने के कारण उने दुर्दिन देखना पड़ा तथा उनके यहा विदेशी पूजी प्रवाह की धारा मुख्ती चली गई। उनके आर्थिक परिदृश्य ने यह भी उजागर कर दिया है कि मुद्राम्भीति, महगाई और गर्याँवी के बैंलगाम बढ़ते आकार की ममय पर यथोचित तराश कर छोटा कर देना चाहिए, बरना सम्बन्ध में खाये जा रहे लच का निल चुकाने पर हाश ठिकाने लग जाते हैं। तब विदेशी मुद्रा भड़ार की मुख्द द्वितीय एक झूटा दिलामा और भ्रामक दमल्ली सावित होंगी। अमरीका ने मैक्सिको को कुए में गिरने से बचा लिया, लेकिन हमें ऐसी स्थिति बचाने के लिए आर्थिक दूषि में सम्बन्ध कोई भी देश नहीं। अमरीका नहीं चाहता था कि उसकी सीमा पर सकट में विरा कोई अर्थ तब हो और वह भी मैक्सिको जो उत्तर एटलाटिक मुक्त व्यापार क्षेत्र, 'नापट्य' का मदस्य है, इसलिए भारत को अपने विदेशी मुद्रा भड़ार के लिए विदेशी उधार और पोर्टफोलियो पूजी निवेश पर अधिक निर्भर नहीं करना चाहिए। दूसरे, उमका विदेशी मुद्रा भड़ार तभी मजबूत माना जायेगा जब उमका निर्यात आयात में अधिक होगा तथा उसके व्यापार के अनुकूल मतुलन होगा। □

भारत में जनजातियां : समस्या एवं समाधान

मनोज कुमार द्विवेदी

भारतीय ममाज में विभिन्न धर्मों, जातियों और मम्रदायों के अनुयायी हैं, इसीलिए इमे अनेकना में एकता का देश कहा जाता है। अनादिकाल से ही यहा के बन्य तथा पर्वतीय क्षेत्रों के एकत्र व निर्जन स्थलों में खुले आममान के नीचे, घास फूस की झोपड़ियों व छम्हों में रहने तथा जगली खाद्य पदार्थों का सेवन करने वाले आदिम ममूहों का निवास रहा है। ये समूह अपने पौराणिक परिवेश तथा मस्तृति के अनुरूप ही जीवन यापन करते हैं। इन्हीं समूहों को विकसित लोगों ने आदिवासी, जनजाति, बन्य जाति तथा बनवामी आदि नाम दिए हैं।

भारत में लगभग 300 प्रकार की जन जातिया पायी जाती हैं जिनमें भील, गाँड और सथाल ऐसी जनजातिया हैं जिनकी जनसंख्या 40 लाख में भी अधिक है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है। जहा पर मुख्यत पाण्डों, कोरवा, मुण्डा, कोल, गाँड तथा भील आदि जनजातिया पायी जाती हैं। इसके बाद ठड़ीसा का क्रम आता है जहा मुख्यत कोल और गाँड जनजातिया पायी जाती हैं। तीसरा स्थान विहार का है जहा मुख्यत कोरवा, वैंगा, गाँड, हो, मुण्डा व सथाल आदि जनजातिया पायी जाती हैं तथा इसके बाद आध प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र का स्थान है जहा चेचू, गदवा, भील, डुविया, गाँड, भीणा और भीलों के उपर्याग की जनजातिया निवास करती हैं।

विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट है कि भारत में जनजातीय गणना का कार्य सर्वप्रथम म्बत्तत्रज्ञ पूर्व 1881 में किया गया था किन्तु कठिनपय अनिप्रभितताओं के कारण सही आकलन नहीं हो पाया। 1931 से जनगणना का कार्य स्थायी रूप से प्रारम्भ हुआ किन्तु 1951 में भारत पाक विभाजन के कारण इसमें बाधा आई। 1961 से 1991 तक की जनगणनाओं में आदिवासियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गयी। इससे स्पष्ट है कि देश की बढ़ती आबादी में इनकी वृद्धि दर की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कि तालिका 1 से स्पष्ट है।

तालिका 1

भारत में जनजातीय जनसंख्या 1961-91

वर्ष	कुल जनसंख्या (करोड़ में)	जनजातीय जनसंख्या (करोड़ में)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1961	43.91	3.01	6.87
1971	54.80	3.80	6.93
1981	68.33	5.26	7.69
1991	84.39	6.55	7.76

सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति

आजादी के 48 वर्ष बाद भी भारत में जनजातियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति यथावत है। इनकी मानसिकता रूढिवादिता, अधिविश्वास तथा पूर्वाग्रहों से इतनी प्रसित है कि ये उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करते। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि स्थानीय भाषागत अवरोध आदिवासियों में शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव होने में अहम् भूमिका रखता है। अधिकाशत ये लोग अपनी समस्याओं का निदान आपसी प्रेम, सौहार्द तथा सहभागिता से स्थानीय स्तर पर ही कर लेते हैं।

आदिवासियों के मकान मिट्टी की दीवाल, धास-फूस, बास-बल्ट्सी के छप्परों, जगली झाड़-फूस के दरवाजों से बने होते हैं, इन्हीं छप्परों में ये रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और जानवरों को भी रखते हैं। इन छप्परों में रहने वाले अधनगे, भूखे, दीन-हीन तथा गरीबी से जूझते ये आदिवासी अधिकाशत अपने परिवार के पेट की ज्वाला शात करने के लिए भजदूरी, मेहनत व जगलों का सहारा लेकर मामूली आय से परिवार को बमुश्किल दो वक्त की रोटी दे पाते हैं।

भारतीय जनजातीय-समाज अपने सामाजिक, सांस्कृतिक रूढियों, अज्ञानताओं से इतने बधे होते हैं कि बीमारियों से बचने व ठीक होने के लिये अस्पतालों की शरण न लेकर अपने देनी देवता की पूजा-अर्चना में विश्वास रखकर उनकी शरण लेते हैं तथा आराध्य देव का आह्वान अपने रक्त तथा बकरे व मुर्गे की बलि देकर बड़ी धूमधाम से स्थानीय बाद्ध यत्रों एवं महिलाओं-पुरुषों के सामूहिक नाच-गानों के बीच करते हैं। जनजातीय महिलाओं में पर्दा प्रथा न के बराबर है और दैनिक पारिवारिक दायित्वों तथा दिनचर्या के उपरान्त नि सकोच पुरुषों के साथ बराबरी से कड़ी मेहनत, परिश्रम व घनार्जन करती हैं। जनजातीय महिलाओं को कहीं भी मेलों, मदिरों तथा अन्य कार्यों हेतु जाने में रोक नहीं होती, ये पुरुषों की भाँति स्वतंत्र होती हैं। इनके यहा पुत्री-जन्म पर खुशिया मनाई जाती हैं। महिलाओं में जेवर आदि पहनने का शौक भी बहुत होता है जिसे वे अपनी आय के अनुसार पहनती हैं।

आर्थिक स्थिति

भारत के बन्ध एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि न्यूयर्सेवी मस्थाओं एवं शामन द्वारा करोड़ों रुपये व्यय करने के बावजूद आज भी इनका शोषण चरकरार है। शासन द्वारा पट्टे के रूप में दी गई भूमि में परिवार के मध्यी सदम्यों द्वारा कड़ी मेहनत व कठिन परिश्रम करने के बाद भी उत्पादन का अल्प भाग ही मिल पाता है क्योंकि इनकी जमीनों पर अधिकवशत स्थानीय सम्पन्न व दबग व्यक्तियों का कब्जा रहता है और अपनी ही जमीन में मजदूरी करके ये प्रतिदिन 15-20 रुपये कमाते हैं।

आदिवासियों की आय वृद्धि के मुख्य स्रोत के रूप में वनों से लकड़ी कटना, फलों फूलों व जड़ी-बूटियों को लाकर सुखाना विपणन व्यवस्था के अभाव के कारण इन्हें विचौलियों व तस्करों को अत्यन्त सस्ती दर पर बेचना पड़ता है। ठेकेदार आदि विचौलियों व तस्करों में मिलकर आदिवासियों की आड़ में वन्य सम्पत्ति का सफाया कर लाखों कमा रहे हैं जबकि आदिवासी हरे वृक्ष व डालों व सूखी लकड़ियों को ही कटकर लाते हैं जिसमे मूल वृक्ष मुरशित पड़ता है और फलदार फूलता है। इसके अलावा ये वनवासी अपनी आय के बढ़ाने के लिये लूपूर्धन, कृषि, मजदूरी व अन्य व्यवसायों में कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बाद भी अज़ङ्गतकी कार्यक्रम स्थिति यथावृत्त है।

समस्याएँ

भारतीय जनजातीय समाज वर्तमान में विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से प्रसिर है जो मुख्यतः इस प्रकार हैं—

- 1 अशिक्षा जो रुद्धिवादिता, अज्ञानता, पेरेप्पराओं में अंध विश्वास के कारण इन्हें आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के प्रहण करने से रोकती है तथा सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में निर्धारित आरक्षण मुविधा का लाभ ठड़ाने से भी वचित रखती है,
- 2 निर्धनता जिसके कारण ये कुपोषण, झणप्रस्तता, अत्याचार व शोषण के शिकार हैं,
- 3 जनसहया वृद्धि एवं आवासीय समस्या,
- 4 वनों तथा बन्ध उपजों पर नियन्त्रण से आय में भारी कमी,
- 5 कृषि हेतु उपजाऊ भूमि व सिंचाई व्यवस्था न होना,
- 6 विकास योजनाओं में सह भागिता का अभाव,
- 7 सरकारी मुविधाओं, अधिकारों व प्रबंध सूचना प्रणाली की अनभिज्ञता,
- 8 सरकार द्वारा आवाटित भूमि पर स्थानीय सम्पन्न व दबग वर्ग का अधिकार,
- 9 मदिरा पान, रोति रिवाजों, रुद्धियों तथा अघ विश्वासों के दूर करने हेतु अनुकूल

अभिप्रेरणा को कमी,

10 शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की कर्तव्य के प्रति उदासीनता,

11 विषणु एवं यातायात का अभाव ।

शासकीय प्रयास

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने योजना आयोग की मिफारिश पर जनजातीय विकास के लिए योजनाएं एवं उपयोजनाएं बनाईं तथा इन्हें सरकारी व गैर-सरकारी सम्पत्तियों के माध्यम से लागू किया । सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए करोड़ों रुपये विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं एवं उपयोजनाओं में व्यय किए गए । इन योजनाओं व उपयोजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, पशुपालन एवं आर्थिक उन्नयन पर विशेष वल दिया गया तथा जनजातीय विकास हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना भी की गयी । इसका उद्देश्य भूमि हस्तातरण, साहूकारी, वन आदि क्षेत्रों को शोषणमुक्त कर पर्यावरण एवं स्वच्छता में सुधार करना था । जनजातियों की शिक्षा में सुधार हेतु स्थानीय स्तर पर ही छात्रवृत्ति युक्त स्कूलों की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अस्पताल एवं तस्करों तथा ठेकेदारों से बचाने हेतु विषणु सुविधाओं के लिये जनजातीय सहकारी विषणु विकास संघों की स्थापना तथा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कम दर पर ब्याज से ऋण दिलाने के लिए सार्वजनिक बैंकों की स्थापना भी प्रमुख लक्ष्य था ।

तालिका 2

जनजातीय विकास हेतु विभिन्न योजनाओं में व्यय राशि

पचवर्षीय योजना	वर्ष	व्यय राशि (करोड़ रुपय)
प्रथम	1951-56	19.83
द्वितीय	1956-61	42.92
तृतीय	1961-66	51.05
उपयोजना	1966-69	68.50
चतुर्थ	1969-74	166.34
पांचवां	1974-79-80	489.35
छठी	1980-85	470.00
सातवां	1985-89	1500.00

अभी हाल ही में वर्ष 1995-96 के बजट में गरीबों की आवासीय समस्या को दूर करने हेतु इदिरा आवास योजना के तहत वर्ष 1994-95 में चार लाख मकान निर्मित कराने के लक्ष्य को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है । इसी प्रकार 65 वर्ष से ऊंचर वृद्ध गरीबों हेतु 75 रुपये प्रतिमाह पेशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।

गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार एवं स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन दिए

जाने की योजना भी प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 1995-96 के बजट के अनुसार जनजातीय बहुल्य एक सौ ज़िलों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नावार्ड अनुसूचित जनजातियों की कर्ज की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 400 करोड़ रुपये की ऋण राशि देगा। केन्द्र सरकार सहित राज्य सरकारें व स्वयंसेवी संस्थाएं भी जनजातीय विकास के पुनीत कार्य में लगी हैं।

समाधान हेतु सुझाव

प्रथम पचवर्षीय योजना से आज तक शासन द्वारा करोड़ों रुपये व्यव किये गये फिर भी ये लोग अशिक्षा, दारिद्र्य एवं सामाजिक कुरीतियों से प्रसित हैं। इसलिए प्रश्न ठठता है कि क्या केवल इनकी समस्याएं आर्थिक प्रयासों से सुलझायी जा सकती हैं। अगर ऐसा होता तो एक भी जनजातीय परिवार समस्याओं से जूझते हुए पाया नहीं जाता। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि आज तक शासकीय व अशासकीय तत्र इनके साथ समरसता स्थापित करने में असमर्थ रहा है। हमारे देश में जनजातीय विकास योजना की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन में इनकी सास्कृतिक महत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे सहभागितापूर्वक स्वीकार्यता का अत्यधिक अभाव रहा है।

विकास तो हर मानव की आवश्यकता है और वह इसे प्राप्त भी करना चाहता है। वर्तमान भौतिकवाटी युग में बहुत से जनजातीय परिवार ऐसे हैं जिन्होंने वर्तमान आधुनिक समाज से अभिप्रेरित होकर अपनी सास्कृतिक रूदिवादिता, धर्मान्धता, भाग्यवादिता व अकर्मण्यता को तिलाजलि देकर शिक्षा की महत्ता को समझा। देश की कुल आबादी का 7.76 प्रतिशत जनजातीय आबादी का बहुत बड़ा भाग आज भी गरीबी के आसू वहा रहा है। अत विकास योजनाओं एवं क्रियान्वयन में इनकी सास्कृतिक महत्ता एवं महभागिता को सुनिश्चित करना हमारी अनिवार्यता है। ऐसी योजना को कार्य रूप देने हेतु निम्न मुख्य विकास बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा।

- 1 जनजातीय समाज में व्याप्त रूदिवादिता, अध विश्वास एवं अज्ञानता को दूर करने के लिए ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जाना चाहिए जो इनकी मूल सम्कृति के अनुरूप हो तथा रोजगार एवं आय वृद्धि में सहायक हो,
- 2 मार्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु स्थानीय स्तर पर वन्य एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पाये जाने वाले सासाधनों व कच्चे पदार्थों पर आधारित परम्परागत व्यवसायों को विकसित करने के लिए कुशल, अनुभवी तथा जनजातीय समस्याओं से परिचित प्रशिक्षकों द्वारा समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने चाहिए,
- 3 स्थानीय स्तर पर समस्त विपणन सुविधाओं हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि लोग बिचौलियों का सहारा न लेकर उचित कीमत प्राप्त कर सकें,
- 4 आवटित भूमि पर कब्जा दिलाने तथा कृषि से सबधित समस्त सुविधाएं प्रदान

कराने हेतु सक्षम, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करे जानी चाहिए,

- 5 प्रत्येक माह में एक बार दूर्य-श्रव्य माध्यमों द्वारा प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र में शासकीय नीतियों, जनजातीय सुविधाओं तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता की भावना विकसित करे जानी चाहिए,
- 6 वन्य उपजों के उपभोग हेतु आवश्यक कानून एवं शर्तों के अधीन स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए,
- 7 आवासीय तथा पशुपालन सबधी सुविधाएं सर्वप्रथम आदिवासी क्षेत्रों में ईमानदारी से प्रारम्भ की जानी चाहिए,
- 8 बालकों/बालिकाओं को बाल श्रम से अधिक वृत्तिकर देकर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाना चाहिए,
- 9 उचित पोषाहार, पर्यावरण, स्वच्छता तथा पेयजल आपूर्ति सबधी सुविधाएं शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए,
- 10 महिलाओं व पुरुषों में बढ़ती मद्यपान सबधी प्रवृत्तियों को रोकने हेतु विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग निस्तर करना चाहिए।
- 11 जनसंख्या नियन्त्रण हेतु परिवार नियोजन के प्रति स्थानीय स्तर पर अधिक जागरूकता पैदा करनी चाहिए,
- 12 सरकार द्वारा नियोजित कर्मक्रमों व सुविधाओं को शीघ्र तथा ईमानदारी से लाभार्थियों तक पहुंचाने हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा समय समय पर मानीटरिंग व मूल्याकन्न किया जाना चाहिए,
- 13 आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

जनजातीय विकास की समस्या हमारे समाज का अभिशाप बनकर रह गई है। अब सरकार को 'इन क्षेत्रों में अपनी समस्त योजनाओं को लाभार्थी वर्ग तक पहुंचाने में प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति जागरूक रहना होगा ताकि ये आदिवासी हमारी विकसित राष्ट्र धारा से जुड़ सकें तथा भारतीय समाज को विकास के मार्ग में ले जाने में सहायक सिद्ध हो सकें। □

भारतीय पर्यटन उद्योग

अरुण शर्मा

विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों में पर्यटन उद्योग का अपना अलग एवं विशिष्ट महत्व है। प्रदूषण रहित यह उद्योग रोजगार के अवसर जुटाने तथा विदेशी मुद्रा के अर्बन के सम्बन्ध में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ल्ड ट्रेवलस एण्ड ट्रैविज़ कॉन्सिल, ब्यूसेल्स के अनुसार 1995 में पर्यटन उद्योग का अशादान विश्व के कुल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) का 10.9 प्रतिशत होगा तथा यह उद्योग 21.2 करोड व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेगा। 2005 तक यह सख्त्या बढ़कर 33.8 करोड हो जायेगी, जो कुल रोजगार का 10 प्रतिशत होगी, अर्थात् अगली शताब्दी में प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पर्यटन से रोजगार प्राप्त करने वाला होगा।

पर्यटन के रोजगार के महत्व को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि किसी उत्पादन उद्योग में 10 लाख रुपए विनियोजित करके हम 12 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर जुटाते हैं, जबकि पर्यटन के क्षेत्र में इतनी ही राशि विनियोजित कर हम 88 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। जहाँ तक विदेशी मुद्रा के अर्बन का प्रश्न है, भारत ने 1994-95 में पर्यटन के माध्यम से 7,374 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की। विदेशी मुद्रा की दृष्टि से पर्यटन तीसरा स्थान रखता है, लेकिन पर्यटन के बढ़ते महत्व को देखते हुए अगले दो वर्षों में ही इसे दूसरा स्थान प्राप्त होने की सभावना है तथा सन् 2000 तक 10 हजार करोड रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा के अर्बन का लक्ष्य भी काफी पहले अर्थात् 1997 में ही पूरा होने की ठम्मीद है। आज विश्व के अनेक छोटे-बड़े राष्ट्र मात्र पर्यटन के आधार पर ही अपनी अर्थव्यवस्था को भजबूत करने में सक्षम हो पाये हैं। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्व बढ़ता जा रहा है।

भारत पर्यटन की दृष्टि से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र माना जा सकता है। भारत की सुदृढ़ संस्कृति, अनूठी कला, गौरवमय इतिहास, यहाँ की स्वस्थ परम्पराएँ, भौगोलिक विविधताएँ आदि पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी क्षमता रखते हैं। पर्यटकों को देने की दृष्टि से हमारे देश में इतनी अधिक क्षमता है जिसकी एक पर्यटक कल्पना भी नहीं कर सकता है। हिमालय की बर्फ से ढको पर्वत मालाएँ, थार के

तपते हुए रेगिस्तान, शात एवं हजारों मीलों तक फैला विशाल ममुद्रवट इन सभी का भगम भारत में ही सभव है। ताजमहल, कुतुबमीनार, अजन्दा-एलोरा जैसे अनेक कला व कारीगरों से भरपूर स्मारक, किले एवं मन्दिर इत्यादि हमारा गौरवमय इतिहास दर्शाने में सक्षम हैं। रामायण एवं गीता के मस्कारों वाली यह धरती जिसने जैन व बौद्ध जैसे धर्मों को जन्म दिया है निश्चित रूप से सास्कृतिक रूप से भी बहुत अधिक धनाद्य है। इसके अग्रिमत वीज त्वौहारों, सगीत एवं नृत्य से जुड़े लोगों की जीवन-शैली हमारी न्यस्त्य परम्परा को दर्शाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हम पर्यटन को उन कचाइयों पर नहीं पहुंचा पाये, जहा हम पहुंचने की क्षमता रखते हैं। इतनी अधिक पर्यटन क्षमताएं रखने वाला भारत पर्यटन को दृष्टि से महत्वपूर्ण विश्व के प्रमुख 20 राष्ट्रों में भी अपना स्थान नहीं रखता है। विश्व के अनेक द्योते राष्ट्र जैसे टक्का, थाइलैण्ड, हागकाग, मिंगापुर, मलेशिया इस दृष्टि ने भारत से कहों आगे हैं। यदि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की सख्ता पर दृष्टिपात करें तो निम्न आकड़े भी उन्माहवर्धक नहीं माने जा सकते हैं—

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक पर्यटक आगमन
1992-93	19 लाख	18 लाख
1993-94	20 लाख	18 लाख
1994-95	22 लाख	19 लाख

इम प्रकार उपरोक्त आकड़े दर्शाते हैं कि भारत में पर्यटक आगमन में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। जबकि एशिया के ही अन्य राष्ट्रों में वृद्धि की यह दर 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक है। इम प्रकार सन् 2000 तक 50 लाख पर्यटकों का लक्ष्य भी मन्देहात्मक प्रतीत होता है। भारत में पर्यटन का धौमो गति में विकास यह दर्शाता है कि अभी तक भी हम पर्यटन के महत्व को पूरी तरह से समझने में अमर्फन रहे हैं, इसी कारण में इम क्षेत्र में आने वाली विभिन्न वाधाओं को तत्परता ने दूर नहीं किया जा सकता है।

भारतीय पर्यटन उद्योग की प्रमुख वायाएं

आज भारतीय पर्यटन उद्योग विभिन्न वाधाओं से प्रसित है। पर्यटन में सम्बन्धित आपारभूत ढांचे जैसे होटल, ट्रान्सपोर्टेशन का पूर्ण रूप में विकास नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त पर्यटन केन्द्रों पर अवधरण, सुविधाओं वा अभाव है। पर्यटक दोनों अधिकार उठाने की सुविधा को ले। विगत वर्ष अनेक बड़े दूर आपरेटरों को भारत पर्यटन का कार्यक्रम मात्र इम आधार पर रद्द करना पड़ा कि यहा उठाने के लिए होटलों की कमी है। निम्न सारणी भारत व एशिया के कुछ अन्य राष्ट्रों में कमरों की उपलब्धता को दर्शाती है—

राष्ट्र	कमरों की उपलब्धता
सिंगापुर	27 029
मलेशिया	61 005
वाईलैण्ड	2 12,387
भारत	49 068

भारत में महानगरों में कमरों की उपलब्धता निम्न प्रकार है—

शहर	कमरों की उपलब्धता
दिल्ली	6 722
बम्बई	8 638
मद्रास	4 111
कलकत्ता	2 152

एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 45 000 कमरों की और आवश्यकता है। विंगत दो तीन वर्षों में एक नया आयाम और विकसित हुआ है जिसके कारण होटलों की कमी बहुत अधिक अनुभव की जाने लगी है। उदारीकरण एवं मुक्त व्यापार के इस युग में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के कारण भारत आने वाले व्यापारिक पर्यटकों की सख्त्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस कारण से पर्यटन की दृष्टि से खाली समझे जाने वाले समय (अप्रैल से मित्रमंगल) में भी होटलों में कमरों की उपलब्धता नहीं रहती है। फलस्वरूप परम्परागत पर्यटकों द्वारा पहले से आरक्षण के बावजूद ठन्हें ठहरने का ठचित स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है। महानगरों में स्थित बड़े बड़े होटल भी परम्परागत पर्यटकों के स्थान पर व्यापारिक पर्यटकों को अधिक महत्व देने लगे हैं। इसी नये आयाम के कारण होटल मालिकों एवं दूर आपरेटरों तथा ट्रैवल ऐजेन्टों से समन्वय में बाधा उत्पन्न होने लगती है। होटल मालिक होटलों की कमी के कारण व्यापारिक पर्यटकों से अधिक-से अधिक राशि वसूलने की प्रवृत्ति रखते हैं, फलस्वरूप वह दूर आपरेटरों एवं ऐजेन्सी को अग्रिम रूप में किराया आदि बताने में विशेष रुचि नहीं लेते हैं। इस कारण दूर आपरेटर एवं ट्रैवल ऐजेन्सियों को अग्रिम बुकिंग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार बताई गयी दर में परिवर्तन भी विषय परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। इन सभी बातों से विदेशी पर्यटकों के मन में भारत के प्रति एक गलत प्रभाव पड़ता है।

भारतीय पर्यटन उद्योग में ट्रासपोर्टेशन अथवा यातायात दूसरी प्रमुख समस्या है। पर्यटन की दृष्टि से वायु रेल तथा महक परिवहन किसी की भी सेवाएँ सतोषजनक नहीं, मानी जा सकती हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों का वायुमार्ग से जुड़ा न होना, गतव्य स्थानों के लिये सीमित उड़ानें, हवाई अड्डों पर सुरक्षा व अन्य कारणों से लगाने वाला समय, निर्धारित समय से देरी से उड़ान आदि प्रमुख समस्याओं का आये दिन पर्यटकों को सामना करना पड़ता है। रेलों में अत्यधिक भीड़ भाड़, आरक्षण में असुविधा, रेलों का देरी से चलना रेलों में आरामदायक सफर का अभाव आदि अनेक समस्यायें पर्यटकों पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसी प्रकार सड़कों का खराब रख रखाव आरामदायक

बसों व कारों का अभाव द्रुतगामी सेवाओं का अभाव आदि सड़क मार्ग की प्रमुख समस्याएँ हैं जिनका एक आम पर्यटक को सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हमारी यातायात व्यवस्था पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल नहीं मानी जा सकती है।

इनके अतिरिक्त और भी अनेक अनगिनत समस्याएँ हैं जो पर्यटकों के मन में एक खोज उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिये होटल में रुचिकर भोजन का न मिलना, होटल में आवश्यक सुविधाओं का अभाव, पर्यटन स्थलों पर व्याप्त गदगी व दूषित वातावरण, योग्य एवं अनुभवी गाइडों का अभाव, ट्रैवल एजेन्टों अधिक गाइडों द्वारा पर्यटकों को ठगने की प्रवृत्ति, विदेशी-मुद्रा परिवर्तन में कठिनाई आदि अनेक समस्याएँ हैं जिन पर अविलम्ब चिंतन कर इनके समाधान की आवश्यकता है।

नवीनतम प्रयास एवं सुझाव

पर्यटन के बढ़ते महत्व को देखते हुए इसकी समस्याओं के अविलम्ब समाधान हेतु पर्यटन मत्रालय द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके निकट भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की सभावना है। होटलों की कमी को देखते हुए निजी उद्यमियों की भागीदारी से नये होटलों के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अनेक विदेशी होटल शृंखलाओं व अप्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर होटल निर्माण के कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

यातायात व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण, विमान सेवाओं की सख्ता में कृदिं, सड़क और रेल परिवहन के विस्तार के सम्बन्ध में अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। पर्यटन मत्रालय के अनुसार जून 1996 तक देश में 20 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे तैयार करने का प्रावधान है। विमान सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से मरकार ने निजी विमान कम्पनियों को भी आन्तरिक उड़ान की अनुमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त चार्टर विमान सेवा भी देश में आरम्भ की गयी। वर्ष 1994 में भारत में 980 चार्टर उड़ानें आर्या जबकि 1993 में यह सख्ता 605 उड़ानें थी। एक अनुमान के अनुसार इन अतिरिक्त प्रयासों एवं विदेशी कम्पनियों को अधिक उड़ानों की अनुमति देने से साल भर में 12 लाख अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी।

विदेशों में भारत की छवि को नये रूप से प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में भी हाल में विदेशी दूर आपरेटरों के साथ मिलकर पर्यटन मत्रालय ने अनेक निर्णय लिये हैं। भारत की छवि एक अत्यधिक 'वहन करने योग्य गतव्य स्थान' के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। एक निर्धारित बजट में एक विदेशी पर्यटक जहा यूरोप में मात्र 6 दिन व्यतीत कर सकता है वहीं इन्हे ही बजट में भारत में 12 दिन व्यतीत कर सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशों में भारत के सम्बन्ध में प्लेग, मलेरिया, साम्रादायिक दगों आदि के सम्बन्ध में जो प्रान्तिया व्याप्त हैं उन्हें भी प्रभावशाली ढग से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

ठपरोक्त प्रयासों के अतिरिक्त और भी अनेक सुझाव हो सकते हैं जो हमारे पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने में कारगर मान्यता हो सकते हैं। आज भारत आने वाले 90 प्रतिशत पर्यटकों का आगमन दिल्ली अथवा बम्बई के माध्यम से होता है। इन दोनों ही शहरों में व्यापारिक पर्यटकों की भरमार रहने के कारण परम्परागत पर्यटकों को ठहरने की असुविधा रहती है। अत इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि भारत में नवीन प्रवेश द्वारा विकसित किये जाए।

होटलों की कमी को देखते हुए हमें घरों में उपलब्ध अतिरिक्त कमरों के प्रयोग की योजना 'पेइंग गेस्ट' को और अधिक आकर्षक बनाना चाहिये। अनेक राष्ट्रों में यह योजना अत्यधिक लोकप्रिय सावित हो रही है।

'पैलेस ऑन व्हील्स' के समान निजी उद्यमियों एवं रेल मत्रालय के सहयोग से अनेक रेलें चलाई जा सकती हैं। इससे जहा एक ओर पर्यटन स्थल का विकास होगा वहाँ दूसरी ओर ठहरने की समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

किसी पर्यटन स्थल के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को भी पर्यटन से जोड़ा जाए। पर्यटन विकास के लिए स्थानीय समाजों का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिये।

दूर आपेटरों व गाइडों के द्वारा पर्यटकों को ठगने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए कारगर प्रयास की आवश्यकता है। इम सन्दर्भ में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटन मत्रालय द्वारा ऐसी दुकानों का मचालन किया जाना चाहिए जहा से पर्यटक खरीददारी आदि कर सके।

पर्यटन क्योंकि राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाला विषय है अत इस मन्त्रन्य में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए विलासिता कर में कमी करेंगी। अनेक राज्यों में आज भी कुल बजट राशि का एक प्रतिशत में भी कम पर्यटन परव्यय किया जाता है, अत इसमें भी वृद्धि की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

विगत तीन दशकों से तीव्र गति से पर्यटन उद्योग का महत्व बढ़ रहा है तथा आने वाले समय में यह विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्यम होगा। अत आवश्यकता इस बात की है कि हम इस उद्योग के महत्व को समझें। जहा तक पर्यटन की दृष्टि से भारत का प्रश्न है यह बात निसन्देह कही जा सकती है कि हमारे देश में पर्यटन विकास की व्यापक सभावनाएँ हैं। जरूरत मात्र इस बात की है कि हम इस उद्योग में आने वाली कठिनाइयों पर गभीरतापूर्वक विचार कर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। आवश्यकता पर्यटन के मन्त्रन्य में सही दिशा निर्देशन व नीति निर्माण की है, आवश्यकता 'पर्यटकों का स्वर्ग भारत' के सपने को साकार करने की है। □

महात्मा गांधी का सपना साकार हुआ

राजीव यंची

भारत में पचायते लोकतंत्र की जननी रही हैं। यदि देखा जाए तो लगभग दो हजार वर्ष पूर्व पचायतों का वर्चस्व अपनी चरम भीमा पर था। परन्तु धीरे-धीरे इन सम्प्रयोगों के कार्य-कलापों में विमर्शिया आने लगीं और लोकतंत्र की नीव पर बनी पचायते वश घरेहर बनने लगीं। देश में पचायतों के प्रति विश्वास के पतन का यही मुख्य कारण था।

स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकार ने इन्हें पुन मन्त्रिय और मशक्त बनाने के निरतर प्रयास किए हैं। योजना आयोग ने 1957 में बलवतराय मेहता समिति गठित की जिसकी मिफारिशों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को पचायती राज की तीन स्तरीय ढाँचे की घोषणा की थी। परन्तु वित्तीय शक्तियों के अभाव में यह प्रणाली सार्थक न बन सकी। मन् 1978 में अशोक मेहना ममिति ने पचायतों की आर्थिक मिथ्यति को सुधारने हेतु कुछ सुझाव दिए जो अगीकार न हो सके।

लगभग 10 वर्ष बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने एक बार फिर पचायतों को अस्तित्व में लाने और उन्हें सुदृढ़ बनाने का बीड़ा ठटाया परन्तु उनके कार्यकाल में भी मविधान सशोधन पारित न किया जा सका। कांग्रेस सरकार के मत्ता में आते ही प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के अथक प्रयासों का ही परिणाम रहा कि 73वा मविधान सशोधन अधिनियम लागू हो गया। देश के सभी राज्यों में पचायतों के बुनाव हुए और लोकतात्त्विक ढग से चुनी हुई पचायते अस्तित्व में आ गई हैं।

मविधान सशोधन के अनुरूप पचायतों को अधिकार दिया जाना, उन्हें निश्चित कार्यकलापों को जिम्मेदारी सौंपे जाना और इन कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें पैसा दिया जाना, उन्हें भुदृढ़ और सक्रिय बनाने के लिए नितात आवश्यक है अन्यथा पिछले तीन वर्षों से किए गए प्रयास भी पिछले प्रयासों को भावित निरर्थक हो जायेंगे। प्रधानमंत्री ने यह जरूरी समझा कि इस सबध में देश के कोने-कोने से पचायतों के अध्यक्षों को राजधानी में बुलाया जाए, उनको कठिनाइयों को सुना जाए, उन्हें उनके कर्तव्यों और अधिकारों की जानकारी दी जाए तथा उन्हें वित्तीय शक्तिया सौंपी जाए।

9 व 10 अक्टूबर, 1995 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 125वीं जन्म शताब्दी समारोह के अग के रूप में देश के पचायर अध्यक्षों का एक सम्मेलन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ जिसे राष्ट्रपति डॉ शक्त दयाल शर्मा, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रामीण क्षेत्र व रोजगार मंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र, कृषि मंत्री डॉ बलराम जाखड़, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री माधवराव मिथिया, कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी, पर्यावरण एवं बन राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट, जल संसाधन मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल, प्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री उत्तमभाई एवं पटेल, श्री विलास मुर्तमवार, कर्नल राव राम सिंह एवं प्रमिद्ध समाजसेवी एवं गांधीवादी श्री बीड़ी पाडे आदि नेताओं ने सम्बोधित किया।

सम्मेलन में उपस्थित सभी राज्यों के पचायर अध्यक्षों का स्वागत करते हुए डॉ जगन्नाथ मिश्र ने प्रतिनिधियों से कहा कि आप लोगों को यहाँ बुलाने का हमारा आशय आपको कठिनाइयों को सुनना, उनका हल निकलना और आपको अपने कार्यों और अधिकारों द्वारा वित्तीय शक्तियों के बारे में जानकारी देना है। इसके बाद पांच विषयों पर अलग अलग मुप बनाए गए। ये पांच विषय थे

1. पचायरी राज मन्त्रालय अधिकार एवं कार्य
2. योजना के विकासीकरण में पचायरों की भूमिका
3. प्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रचार प्रसार
4. नोटि एवं योजना बनाने वालों, प्रशासकों एवं पचायर प्रतिनिधियों के बीच महयोगी परिचर्चा
5. मामाजिक मण्डल में पचायरों की भूमिका

पचायरों के माध्यम से मजबूत भारत के निर्माण का आह्वान

प्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र ने सम्मेलन के सम्बोधित करते हुए कहा कि पचायरी राज महात्मा गांधी के प्रिय था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस विषय में क्रफो काम कराया। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी के नेतृत्व में मजबूत पचायरी राज की स्थापना करने का स्वप्न साकार किया गया है। इसके लिए यह देश उनका सदैव ज़रूरी रहेगा।

73वें संविधान संशोधन के जरिए यो मन्त्र में महत्वपूर्ण बातें हुई हैं जो हचायरों में अनुनूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इस प्रकार पचायरों के क्रम-क्रम ये वर्तमान केन्द्र सरकार ने पहली बार दलितों और महिलाओं की ममानवनक भागीदारी को तय किया है।

केन्द्र सरकार ने गांधी के विकास के लिए विशाल धनराशि तय की है। इस साल

यह 7,700 करोड रुपये तक पहुंचा दी गई है। आठवीं पचवर्षीय योजना में इसके लिए विशाल धनराशि यानी 30,000 करोड रुपये की व्यवस्था है। इसमें से पचायती राज की व्यवस्था पर काफी बड़ी राशि खर्च की जायेगी।

डॉ मिश्र ने बताया कि अभी हाल ही में तीन नयी योजनाएं शुरू की गई हैं और इन पर अमल का अधिकार भी पचायतों को दिया गया है। ये योजनाएं हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था और प्रामीण मुफ्त इश्योरेंस स्कीम।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को तीन प्रमुख भंडे इस प्रकार हैं—

(क) 65 साल या उसके ऊपर के वेसहारा गरीब लोगों के लिए 75 रुपये प्रति माह की सहायता।

(ख) गरीब परिवार के रोटी कमाने वाले को अचानक स्वाभाविक मौत पर 5,000 रुपये की और दुर्घटना में मृत्यु पर 10,000 रुपये की एक मुश्त सहायता।

(ग) गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए दो बच्चों तक तीन तीन सौ रुपये की प्रसूति सहायता और साथ में प्रसव के बाद के सारे लाभ भी।

इन योजनाओं पर आवेदन लेने, उन पर सिफारिश करने, बच्चों के लिए भोजन तैयार करने आदि का पूरा काम पचायतें ही करेंगी। बीमा की किस्तें लेने और जमा करने तथा दावों के निपटान कराने का काम भी पचायतें ही करेंगी। अतत ससाधनों, सत्ता और अधिकार पर नियन्त्रण के साथ साथ प्रशासनिक उपायों और कोयों से पचायती राज सम्बायें मजबूत होंगी और लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनेंगी।

पचायते लोगों का विश्वास जीते

प्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री उत्तमभाई एवं पटेल ने सम्मेलन में उपस्थित पचायत अध्यक्षों का स्वागत करते हुए कहा कि दो हजार वर्ष से भी अधिक समय से हमारे देश में किसी न किसी रूप में पचायती राज व्यवस्था विद्यमान रही है। अतीत काल की पचायती राज व्यवस्था के उदाहरण हमें वात्मीक रामायण, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पचायतों के माध्यम से जनतत्र के विकेन्द्रीकरण पर सबसे ज्यादा जोर देकर 'ग्राम स्वराज' को सर्वोत्तम माना। अब जबकि वल्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी वी नरसिंह राव के अथक प्रयासों के बाद महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना साकार हुआ है, महात्मा गांधी की 125वीं जयती के शुभ अवसर पर इस समारोह का आयोजन ठनको सबसे बड़ी श्रद्धाजलि होगी। आज के शुभ अवसर पर यहा उपस्थित हम सब लोगों का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के सपने को देश के कोने कोने में सही रूप में साकार करने के लिए दृढ़ सकलत्य ले और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गाव के लोगों को इस

अभियान में एक जुम्बिश के रूप में जोड़ें।

श्री पटेल ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने आठवीं पचवर्षीय योजना के लिए प्रामीण विकास हेतु 30,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है जो कि पूर्व पचवर्षीय योजना की तुलना में कहीं अधिक है। यह भी तथा किया गया है कि गरीबी की रेखा में नीचे जीवन विता रहे लोगों के लाभ के लिए जबाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित प्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के लिए जिलों तथा पचायतों को सीधे राशि दी जाए। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि गरीबी ठम्बूलन के सभी केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हमारी पचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाए। श्री पटेल ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि गरीबों के लिए शुरू की गई तीन नई योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम एवं प्रामोण क्षेत्रों में सामूहिक जीवन बीमा योजना के कार्यान्वयन में भी पचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी।

राज्य सरकारे पचायतों को अधिक जिम्मेवारी सौंपे—कर्नल राव राम सिंह

प्रामीण क्षेत्र और रोजगार राज्य मंत्री कर्नल राव राम सिंह ने कहा कि पचायती राज मस्त्याओं को भागीदारी से सरकार की विकास योजनाओं को सफल बनाने में महायना मिलेगी। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे पचायती राज मस्त्याओं को शक्तिया प्रदान करें। गाव में सरकार द्वारा मुहैया करायी जाने वाली सभी सेवाओं जैसे—कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा का पर्यवेक्षण पचायत द्वारा ही कराया जाना चाहिए। प्राम कर्मचारियों को बेतन भी पचायत द्वारा ही दिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इसमें जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

पचायते गाव के विकास कार्यों पर धेनी निगाह रखें—मुतेमवार

प्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री विलाम मुतेमवार ने कहा “आठवीं योजना में गरीबी ठम्बूलन पर विशेष जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य गाव के गरीब लोगों को स्व रोजगार, मजदूरी रोजगार तथा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के जरिए रोजगार तथा आय के साधन उपलब्ध कराना है। सरकार का यह प्रयत्न है कि इस सदी के अत तक सबको रोजगार मिले। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमने ऐसे कई कार्यक्रम चलाये हैं जो विशेष रूप में समाज के डपेक्षित वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अनुमूलिक जातियों, जनजातियों, महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के हितों को इन कार्यक्रमों में विशेष सरक्षण दिया गया है।”

“स्व रोजगार कार्यक्रमों के तहत हमने एक समग्र प्रामीण विकास कार्यक्रम बनाया है जिसका लक्ष्य चयन किए गए प्रामीण परिवारों की आमदनी को बढ़ाकर गरीबी की रेखा

से ठन्हें ठमर ठठाने में मदद करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वित्तीय सम्पदाओं द्वारा भरकारी सहायता और ऋण के माध्यम से लक्षित समूह को लाभकारी सम्पदा और निवेशों के रूप में मदद दी जायेगी।"

अत में श्री मुतेमवार ने पचायत प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्पित करते हुए कहा कि स्वरोजगार के इन सभी कार्यक्रमों में पचायतों के भवत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ठन्हें यह मुनिश्चित बरना है कि योजनाओं से लाभ पाने वालों की सही सही पहचान की जाए। पचायतों यह काम ग्राम समाजों की खुली बैठकों में करें। वे यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे लोगों को जो कुछ भी दिया जा रहा हो वह अच्छी ब्वालिटी का हो। पचायतों को चाहिए कि वे समय-समय पर और हर स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति की ममीका करें तथा उनके क्रियान्वयन पर पैनी नजर रखें। ऐसा करके ही वे जमीनी स्तर के विकास को मुनिश्चित कर सकती हैं।

सम्पेलन की सिफारिशें

चुनाव—जहा कहीं पचायतों का गठन नहीं हुआ है वहा चुनाव तत्काल कराये जाने चाहिए।

मुपुर्दगी—पचायतों गठित करने के बाद उन्हें कार्यशील बनाने के लिए पर्याप्त शक्तिया, कार्य और वित्तीय मुपुर्दगी के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

विनीय सहायता—केवल विषयों को हस्तातिरित कर देने से पचायतें तत्र तक भक्षण नहीं बन मक्कीं जब तक कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय महायता न दी जाए। इमलिए राज्य विन आयोग वी सिफारिशें मिलाने तक पचायतों राज सम्पदाओं को पर्याप्त धनराशि दिए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

सापों द्वारा जुटाना—अपने स्वयं के समाधन उटाने के लिए पचायतों को अधिकार दिए जाने चाहिए और उन्हें गतिशील बनाया जाना चाहिए।

प्रशासन को सुदृढ़ बनाना—पचायतों को मौंपी गई जिम्मेदारियों और निधियों की अधिक मात्रा में प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें प्रशासनिक और तकनीकी तौर पर सुदृढ़ बनाया जाए। कर्मचारियों के सभी पद भरे होने चाहिए। ग्राम पचायत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक अलग मर्वग बनाया जाना चाहिए।

पचायतों के चुने प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बीच सांहार्दपूर्ण सम्बन्ध—पचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने वे स्वस्थ परम्परा का विकास करना चाहिए तथा नई व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग में कर्मान्वित करने के लिए एक-दूसरे की भूमिका के भमान करने की भावना होनी चाहिए।

प्रतिदृष्ट एवं जागरूकता सुनन—पचायतों के नव निर्वाचित मदम्यों को अपनी भूमिका में पूर्ण परिचित कराने के लिए उन्हें सूचना एवं शिक्षा के माध्यम में अपनी नई

जिमेदारियों के प्रति सजग बनाया जाना चाहिए। इसके लिए समस्त सचार माध्यमों को प्रयोग किया जाना चाहिए। जागरूकता सूजन की यह प्रक्रिया निरतर चलती रहनी चाहिए। इस सबध में भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है कि उन तक सभी सूचना पहुचे।

स्थायी समितिया—उपयोगी और शीघ्र निर्णय लेने तथा सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए पचायतों को स्थायी समितिया गठित करनी चाहिए। इन समितियों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शामिल किया जाना चाहिए।

जिला आयोजन—सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं और समाजनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिले की योजना बनाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

प्राम सभा—प्राम सभा को एक प्रतिनिधि जनतत्र के मध्य के रूप में सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इनकी बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए और उनमें विकास कार्यों से सबधित विभिन्न विषयों पर विचार होना चाहिए। प्राम सभा में स्थानीय लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर चर्चा होनी चाहिए और इसे लोगों की आकाश्वाओं की पूर्ति हेतु कार्य करना चाहिए। प्राम सभा को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का चयन करना चाहिए।

पारदर्शिता—पचायतों को स्वशासी सम्पत्तियों के कार्यों में लोगों के विश्वास को सुदृढ़ करने में अपनी जिमेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

उपेक्षित समूहों के प्रति सकारात्मक कार्यवाही—पचायतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के कमज़ोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकास कार्यों को तेज किया जाए और उन्हें इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जाए। पचायतों को विशेष रूप से इन वर्गों के प्रति होने वाले सभी प्रकार के शोषण और भेदभाव को समाप्त करने तथा विकास के लाभों का समान वितरण करने के लिए कार्य करना चाहिए।

सामाजिक भागीदारी—पचायतों को सामाजिक विकास, विशेष रूप से साक्षरता, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम आदि के लिए लोगों को संगठित करना चाहिए।

ग्रामीण विवादों का निपटान—ग्रामीण स्तर के विवादों के समाधान में पचायतों की भूमिका होनी चाहिए। यदि सभव हो तो ग्राम पचायतों की न्यायिक शक्तिया दी जाए। इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और गाँवों पर एक सामाजिक दायित्व भी आयेगा। ग्राम पचायतों को विगत में चल रही प्रणाली की गहन समीक्षा करने के बाद गाँवों में न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इससे पचायती राज प्रणाली की प्रतिष्ठा

बढ़ेगी और गावों के दैनिक करयों में ठनकर महत्व बढ़ेगा।

भूमि सुधार—पचायते भूमि सुधार कर्यक्रम के सफल बनाने और सीमा से अधिक भूमि का उचित वितरण सुनिश्चित करने में प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है।

झिला प्रामोज विकास एजेंसियों का झिला परिषदों के साथ सम्बन्ध—झिला प्रामोज विकास एजेंसियों का जिला परिषदों के साथ समन्वय होना चाहिए। जिला परिषदों के अध्यक्ष जिला प्रामोज विकास एजेंसी के पदेन अध्यक्ष होने चाहिए।

गरीबी उन्मूलन कार्य—प्राम पचायत स्तर पर सचालित एवं कार्यान्वित हो रहे सभी गरीबी उन्मूलन कर्य पचायतों के अधीन होने चाहिए।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए पचास लाख सिपाही तैयार

सम्मेलन के महत्व को रेखांकित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री भीष्म राव ने कहा यों तो सासद और विधान सभाओं में जनवा के प्रतिनिधि एकत्र होते रहते हैं लेकिन सारे देश के प्रतिनिधियों का पचायती राज अध्यक्षों के सम्मेलन में एक साथ इकट्ठा होना बहा ही दुर्लभ अवसर है। इसे नये इतिहास की नींव बताते हुए उन्होंने कहा कि 1947 में देश की आजादी के बाद भारत की क्लेट-कोटि जनता को मही अर्थों में स्वराज प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा

“हमारे सासद 800 के करीब हैं, दिल्ली में, पालियामेट में और सारे राज्यों की सरकारों में, राज्यों की विधान भूमियों में, विधान परिषदों में। चुन्न मिलाकर उनकी गिनती बनती है पाच हजार जिनके आधार पर लोकतंत्र इस देश में चल रहा है। आज पचायती राज के आने के बाद आप हिसाब लगाइये कि कहा पाच हजार, कहा पचास लाख। यानी पाच हजार पर पाच लाख हुए। तो सौ गुना हुए, पचास लाख हुए तो हजार गुना हुए। तो हजार गुना लोग आज तैयार हैं इस देश में, जिनकी दिलचस्पी लोकतंत्र में बन गयी है। आज पचास लाख लोग तैयार हो जाएंगे, अपना सिर कटवाने के लिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए।”

लोकतंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत

आजादी के बाद देश में पचायती राज प्रणाली की स्थिति का जिक्र करते हुए श्री नरसिंह राव ने कहा कि 1959 में जब यह प्रणाली लागू की गयी तो पचायत मिमितिया आदि बनीं। लेकिन उनका म्बरूप कुछ और था। उनके नियमित चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। कई राज्यों में वो 17-17 साल तक पचायते विना चुनाव के रहीं। भ्यार्गेय राजीव गांधी ने इस कमजोरी को दूर करने के लिए पहल की और पचायती राज मस्ताओं के चुनाव नियमित रूप में कराने के लिए सविधान में संशोधन के लिए कदम उठाया। सच्चे अर्द्धों में लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी।

तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास कर्यक्रम उभी सफल हो सकते हैं जब लोग उनके बारे में बाग़रूक हों और उनमें दिलचस्पी लें। गरीबी दूर करने के कर्यक्रमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “आपके गावों में जो काम होता है वह आप जिस खूबी से कर सकते हैं, उस खूबी से मैं नहीं कर सकता। आपके गाव में किसी गरीब की रक्षा करनी हो, मदद करनी हो तो यह काम आप बखूबी कर सकते हैं, मैं नहीं।” तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह बात स्वीकार करे कि गाव में कैन व्यक्ति गरीब, निराश्रित और सहायता का हक्कदार है, यह बात गाव के लोग बेहतर जानते हैं। इस बारे में सरकार के पास जो सूचनाएँ सरकारी रिपोर्टों के रूप में आती हैं, उनमें गलती की गुजाइश रहती है। हो सकता है किसी नौजवान को गलती से वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगे। सेकिन जब इस तरह के कार्यक्रमों को जिम्मेदारी पचायतों को सौंप दी जाएंगी तो ऐसी गलती को कोई समावना नहीं रहेगी। इस तरह लोगों को पूरा न्याय मिल सकेगा।

तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद हम गरीबी दूर करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। “इसका कारण यही है कि पैसा कहीं भी चू में लोक होता चला जा रहा है। आज हमें मालूम हो गया है कि पचायती यज एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम पैसा सही तरीके से खर्च करा सकते हैं। जो इससे लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं, गावों में उन तक पैसा पहुंचाने के लिए हमें एक माध्यम मिला है। दैसा पहुंचाना हमारा काम है। लेकिन जब सही आदमी को सही मदद मिलती है तो वह सफलता आपके रहेगी और आप ही के जरिए यह काम होगा। यह आपका इमरहान भी होगा और आपकी सफलता भी होगी।”

तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि नयी पचायत राज प्रणाली के तहत केन्द्र सरकार पचायतों को धन उपलब्ध करायेगी। ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे केन्द्र और राज्यों के बीच राजनीतिक मतभेदों के क्षणप पचायतों को धनराशि मिलने में कोई अड़चन न आने पाये। उन्होंने इस मामले में दलगत मतभेदों को भुलाकर कर्य करने की आवश्यकता पर भी चोर दिया।

नये पचायती राज कानून के तहत पचायतों को जहा अनेक अधिकार सौंपे गये हैं वही उनके दायित्व भी बहुत बढ़ गये हैं। गावों के विकास, सामाजिक सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों दूर करने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व अब करफे हद तक पचायतों पर आ गया है। इस कार्य में पूरी आर्थिक सहायता देने कर आश्वासन देवे हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पचायत अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि सही लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि “पचायतों के जरिए ममाज-सुधार का काम बहुत अच्छे तरीके से कराया जा सकता है। अब यदि कहीं किसी ने कोशिश नहीं कि तो मैं समझता हूँ कि यह कोशिश करे जानी चाहिए। इमरे देश में एक ओर विकास हो रहा है, लेकिन विकरस केवल सहक या उद्योग के कार्यक्रम तक नहीं रहा है। विकास बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें इसान का दिमाग भी आता है। यह

न हो तो देश के विकास का कुछ मतलब नहीं है।"

नयी पचायत राज प्रणाली को भफ्ट बनाने में केन्द्र की ओर से हस्तभव सहायता का आश्वासन देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पचायत अध्यक्षों से कहा कि वे पूरी लगन से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाए। □

कागज उद्योग—समस्याएं और समाधान

प्रणय प्रसून वाजपेयी

पिछले चार वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की काया पलट हो गई है। निलंबित अर्थव्यवस्था की जगह उदारीकृत अर्थव्यवस्था और खुले बाजार की नीति ने देश की आर्थिक गतिविधियों को नई स्फूर्ति और जीवतता प्रदान की है। आर्थिक आकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाला कल और अधिक चमकीला होगा। 1991-92 में 0.9 प्रतिशत की समग्र आर्थिक वृद्धि की तुलना में 1994-95 में 5.3 प्रतिशत की दर होने की सभावना है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि जो जून, 1991 में मुश्किल से एक अरब डालर थी वह फरवरी 1995 के मध्य तक 19.5 अरब डालर हो गई। निर्यात के डालर मूल्य में 1991-92 में हुई वास्तविक गिरावट की तुलना में 1993-94 में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई। विदेश व्यापार में चालू खाते का शाटा 1990-91 के लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में घटकर 3150 लाख अमेरिकी डॉलर रह गया। मुगतान मतुलन की स्थिति 1994-95 में और भी मजबूत हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत में अधिक वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि और विदेशी निवेश में तेजी से बढ़ती वृद्धि खुद ही मारी कहानी कह डालते हैं।

इन सब स्थितियों की पृष्ठभूमि में कागज उद्योग राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। सरकार द्वारा पिछले बजट में दी गई कर रियायतों (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर समेत), पूजी बाजार में सुधार से व्याज दर में कमी और अनेक करणियों द्वारा समुद्र पार में वित्तीय मसाघतों को जुटाने जैसे प्रयास उद्योग की सेहत को दृष्टि से बेहतर मकेत हैं। इन सब प्रयासों व गतिविधियों से उद्योग को अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हम कागज उद्योग की स्थिति पर नजर ढालेंगे।

कागज उद्योग किसी देश का अत्यत महत्वपूर्ण एव आधारभूत उद्योग होता है। प्रति व्यक्ति कागज के उपभोग से औद्योगिक, सास्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों के क्षेत्र में प्रगति और विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में प्रति व्यक्ति कागज का उपभोग विश्व के अन्य देशों की तुलना में अत्यत कम है। भारत में 3.2 किंवा कागज

क्षे प्रति व्यक्ति खपत है जबकि अत्यधिक विकसित देशों में 200 किमा कागज क्षे प्रति व्यक्ति खपत है।

देश में पहली भर्तीनी कागज मिल 1832 में पश्चिम बगाल में सेहमपुर में लगाई गई थी। प्रथम पचवर्षीय योजना के शुरू में (1950-51) एक लाख 6 हजार टन कागज का उत्पादन होता था जबकि 90,000 टन कागज का आयात किया जाता था। कागज के उत्पादन में दूसरी पचवर्षीय योजना से 1980 के प्रारम्भ तक तेजी से बढ़ोतरी हुई, जब आयात कम होकर 60,000 टन रह गया और उत्पादन में भी 10 गुना बढ़ि रहा। दूसरे शब्दों में, वर्ष 1980 में कागज का उत्पादन 11.12 लाख टन तक पहुंच गया। वर्ष 1985 में 15.60 लाख टन, 1990 में 19.56 लाख टन, और वर्ष 1993 में 22.00 लाख टन और 1994 में 22.18 लाख टन तक कागज का उत्पादन पहुंच गया। लेकिन कागज उद्योग के स्थापित क्षमता और क्षमता के वास्तविक उपयोग के बीच का अंतर बढ़ता चला गया। दूसरे शब्दों में स्थापित क्षमता में तो लगातार बढ़ि होती रही गई जबकि क्षमता के उपयोग में गिरावट होती रही। गालिकर 1 से हम कागज उद्योग के स्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग का अनुमान लगा सकते हैं—

तालिका 1

वर्ष	स्थापित क्षमता	उत्पादन (लाख टन में)	क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)
1970	8.68	7.58	78
1975	10.68	8.80	82
1980	15.18	11.12	73
1985	23.50	15.60	66
1990	30.49	19.56	64
1991	34.18	21.28	60
1993	35.51	22.00	-
1994	37.86	22.18	60

(अनुमानित)

उद्योग की मौजूदा स्थिति

इस नमय देश में 380 कागज मिले हैं जिनमें 21 बड़ी मिले हैं जबकि 359 छोटी मिले हैं। इन मिलों के कुल उत्पादन क्षमता 37.90 लाख टन है जबकि उत्पादन 22.68 लाख टन हो रहा है। कुल स्थापित क्षमता में बड़ी मिलों का हिस्सा 34 प्रतिशत है जबकि कुल उत्पादन का 44 प्रतिशत बड़ी मिलों में आता है। कुल मिलों में से 150 मिलों में उत्पादन 10.66 लाख टन हो रहा है जो कि उनकी स्थापित क्षमता का 29 प्रतिशत है। 359 छोटी मिलों में से 147 मिले अर्धांत् 41 प्रतिशत मिलों बढ़ पड़ी हैं अथवा उनमें उत्पादन नहीं हो रहा है। यह स्टॉट है कि उन मिलों में जहाँ वार्षिक उत्पादन 33 हजार टन

में अधिक है, वहाँ मिलों की रुग्णता अधिक है।

कच्चे माल के आधार पर इकाइयों का वर्गीकरण

कच्चे माल के आधार पर कागज मिलों को भोटे तौर पर तीन भागों में बाटा जा सकता है। ये हैं—(1) लकड़ी पर आधारित मिलें (2) कृषि उत्पाद पर आधारित मिलें और बेकार (अपशिष्ट) कागज पर आधारित मिलें। कुल 380 कागज मिलों में से 111 मिलें (29 प्रतिशत) कृषि उत्पाद पर आधारित हैं, 241 मिलें (63 प्रतिशत) अपशिष्ट कागज पर आधारित हैं जबकि शेष 28 मिलें (8 प्रतिशत) लकड़ी (काष्ठ) पर आधारित हैं।

तालिका 2 में विभिन्न उत्पादों पर आधारित मिलों का वर्गीकरण किया गया है। तालिका में इनकी स्थापित क्षमता पर वास्तविक उत्पादन को दिखाया गया है—

तालिका 2

वर्गीकरण	क्षमता (लाख टन)	क्षमता (प्रतिशत में)	उत्पादन (लाख टन)	उत्पादन (प्रतिशत में)
कृषि आधारित	11.53	30.4	6.89	29.94
बेकार कागज पर आधारित	11.90	31.6	6.77	29.64
लकड़ी पर आधारित	19.49	38.0	8.83	40.42
	37.90	100.0	22.49	100.00

तालिका से दो बातें स्पष्ट हैं—प्रथम, कृषि और बेकार कागज पर आधारित मिल की कुल क्षमता 62 प्रतिशत है और उत्पादन 23.43 लाख टन है जो कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत है।

कागज मिलों का भौगोलिक विभाजन

सह्या की दृष्टि से कागज मिलों के भौगोलिक विभाजन में अत्यधिक असमानता नज़र आती है लेकिन क्षमता और उत्पादन की दृष्टि से यह असमानता कम है। उत्तर में 143 मिलें, पश्चिम में 128 मिलें, दक्षिण में 65 मिलें और पूर्व में 44 मिलें हैं। स्थापित क्षमता की दृष्टि से उत्तर का 21.66 प्रतिशत, पश्चिम का 29.68 प्रतिशत, दक्षिण का 25.03 प्रतिशत और पूर्व का 23.63 प्रतिशत है। उत्पादन की दृष्टि से उत्तर का योगदान 22.60 प्रतिशत, पश्चिम का 26.48 प्रतिशत, दक्षिण का 29.72 प्रतिशत और पूर्व का 21.2 प्रतिशत है।

कागज उद्योग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें 33,000 टन प्रतिवर्ष से कम उत्पादन करने वाली छोटी कागज मिलों की कमफी बड़ी संख्या मौजूद है। ये छोटी मिलें मुख्यतः कृषि या फिर बेकार (अपशिष्ट) कागज पर आधारित हैं। कृषि

आधारित मिले लाभ उत्पादन पैमाने के लाभ से तो वचित रहती ही हैं, साथ ही प्रौद्योगिकी और पर्यावरण समस्याओं के अलावा इनमें छाणता का अनुपात भी ज्यादा रहता है।

मांग विश्लेषण

वर्ष 1993-94 में कागज व गत्ता तथा अखबारी कागज की कुल अनुभानित माग 29.10 लाख टन थी जिसमें कागज व गत्ते की माग 22.90 लाख टन थी जबकि अखबारी कागज की माग 6.20 लाख टन थी अखबारी कागज के 2.02 लाख टन आयात समेत कुल आयात 2.50 लाख टन हुआ। हालांकि माग में कुल चूंदि 5 प्रतिशत वार्षिक रही लेकिन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में यह माग अलग-अलग थी। औद्योगिक उत्पादन में चूंदि के साथ ही कागज उद्योग के औद्योगिक क्षेत्र की माग ने सास्कृतिक क्षेत्र की माग को पीछे छोड़ दिया। अखबारी कागज के क्षेत्र में विकास की दर समान और स्थायी बनी रही।

सास्कृतिक क्षेत्र की माग 60 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत हो गई जबकि औद्योगिक क्षेत्र की माग 37 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई। औद्योगिक रूप से विकसित देशों में पैकिंग क्षेत्र में कागज की सर्वाधिक माग रही, जैसाकि निम्न तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3

वर्ष	सास्कृतिक	पैकिंग (प्रतिशत में)	विशिष्ट कार्य हेतु
1960-61	60	37	3
1970-71	56	41	3
1980-81	49	47	3
1990-91	46	50	4
1993-94	45	50	5

निर्यात एवं आयात

कागज उद्योग ने पिछले पाच वर्षों में निर्यात के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन (निष्पादन) किया है। 1989-90 की तुलना में 1993-94 में निर्यात में 7.5 गुणा चूंदि दर्ज की गई है। हालांकि वर्ष 1993-94 में निर्यात में कमी आई। सभवत इसकी मुख्य बजह विश्व बाजार में भदी का होना था। पिछले पाच वर्षों के दौरान कागज उद्योग के निर्यात को तालिका 4 में दिखाया गया है।

उत्पादन में निरतर चूंदि की बजह से देश विभिन्न किस्मों के कागज व गत्ते के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता के मुकाम पर पहुंच चुका है। कुल घेरेलू माग का सिर्फ 2 प्रतिशत ही आयात किया जा रहा है। यह आयात भी कुछ विशिष्ट प्रकार के कागज के लिए हो रहा है जैसे मार्टिपेर, फोटो पेपर अधिक मजबूती वाला क्राफ्ट पेपर।

फिल्टर पेपर, केवल और कन्डेसर पेपर आदि। तालिका 5 में पिछले चार वर्षों की आयात की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका 4

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये)
1989-90	7.8
1990-91	12.1
1991-92	32.7
1992-93	60.4
1993-94 (अनुमानित)	53.3

तालिका 5

वर्ष	मात्रा	मूल्य (करोड़ रुपये)
1990-91	46 700	170.36
1991-92	34 421	147.25
1992-93	39 159	161.35
1993-94	46 817	236.07

मात्रा की दृष्टि से पिछले चार वर्षों में आयात लगभग स्थिर रहा है। आयात मुख्य रूप से चीन, जापान, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, फिल्मैंड, जर्मनी, ब्रिटेन और सयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश से हो रहा है।

जहाँ तक अखबारी कागज के आयात का प्रश्न है, वर्ष 1993-94 में 2.02 लाख टन अखबारी कागज का आयात किया गया। देश को इसके लिए 290.08 करोड़ रुपये की राशि अदा करनी पड़ी। चमकीले कागज की संपूर्ण जहरत जो कि लगभग 40,000 टन है, का आयात करना पड़ा।

भारत विश्व उत्पादन का सिर्फ 1.19 प्रतिशत कागज का उत्पादन करता है और मूल्य की दृष्टि से भारत का योगदान सिर्फ 0.87 प्रतिशत है जबकि भारत में विश्व की कुल आबादी के 16 प्रतिशत लोग निवास करते हैं। यूरोप का, जो कि विश्व की कुल आबादी का 20 प्रतिशत है, विश्व उत्पाद में 67.5 प्रतिशत योगदान है। भारत में कागज मिलों की औसत क्षमता 10,000 टन उत्पादन की है जबकि एशिया-प्रशासन क्षेत्र के देशों की मिलों की औसत क्षमता 85,000 टन और यूरोप/अमेरिका की 3 लाख टन तक है।

समस्याएँ

भारत का कागज उद्योग सिर्फ क्षमता के मामले में ही पिछड़ा हुआ नहीं है बल्कि यह प्रौद्योगिकी, कच्चे माल, गुणवत्ता और पर्यावरण जैसी समस्याओं से भी घिरा हुआ है। उत्पादन के दौरान प्राप्त आतंरिक और बाहरी लाभ मिल की स्थापना और संसाधन की

प्रौद्योगिकी के निर्धारण और उपयुक्तता के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ इकाइयों के छोड़कर कागज उद्योग में पुराने सबसे और अप्रचलित प्रौद्योगिकी कार्परत है। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिक उन्नयन में बहुत ही कम पैसा निवेश किया गया। फलस्वरूप, अवर्याद्वीप बाजार में भारत कहीं ठहर नहीं पाता। घटिया उत्पादन और अत्यधिक मूल्य के बजह से भारतीय उत्पाद का कोई खरीदार नहीं होता।

मोटे तौर पर कागज उद्योग अनेक समस्याओं का समना कर रहा है। बड़ी कागज मिलों की निम्नलिखित समस्याएँ हैं

- (1) वनों से मिलने वाले कच्चे माल का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना। कागज उद्योग 70 के दशक के मध्य तक वन उत्पादों विशेषकर बास और बाद में सकड़ी पर निर्भर था। लेकिन 1975 के बाद से अपरपरागत कच्चे माल जैसे खोर्ड, जूल, पुआल और बेकर कागज का भी उपयोग होने लगा। लेकिन इन कच्चे मालों की उपलब्धता और स्थान के मोर्चे पर कागज उद्योग मारखा रहा है।
- (2) प्रौद्योगिकी की पुरानी खपत।
- (3) ऊर्जा के अधिक खपत
- (4) आधुनिकीकरण की अधिक पूजीगत लागत
- (5) निवेश की ऊर्जी लागत।
- (6) प्रबल्पकार्य विस्तरिता और
- (7) कुशल श्रमिकों का अभाव।

छोटी कागज मिलों की निम्नलिखित समस्याएँ हैं

- (1) अकुशल रसायन स्टिकरी प्रणालिया—जिनकी वजह से उत्पादन लागत अधिक हो जाती है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। कागज उद्योग पर्यावरण के मामले में वायु, जल और भूमि के मामले में कोई खास चिह्न नजर नहीं आता। बड़ी मिलों की सोडा निकास व्यवस्था न होने से पर्यावरण को मर्झीर खतरा उत्पन्न होने का अदेश है।
- (2) पुराने उपकरण जिनके उत्पादकता कम है और ऊर्जा के खपत अधिक है।
- (3) कच्चे माल की कमी।
- (4) राशीय वन नीति में औद्योगिक प्रयोग के लिए औद्योगिक वनों को अवैध घोषित कर दिया गया है। कागज और अन्य बन-आधारित उद्योगों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे अपना कच्चा माल प्राप्त करने के लिए बूझ उगाने वाले व्यक्तिगत उत्पादकों से सीधे संपर्क स्थापित करें। यद्यपि यह प्रबल्पकारिक सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि पेड़ बनने में 7-8 वर्ष लग जाते हैं।

समाधान हेतु ठपाय

ट्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक वृक्षारोपण के लिए ट्योगों को बटिया और बेकार भूमि उपलब्ध कराने पर विचार किया जाए। निजों भूमि का वृक्षारोपण के लिए उपयोग करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। करगज ट्योग के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे अपनी मौजूदा स्थिति में जहाँ तक सभव हो, खोई और अन्य कृषि के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने के लिए परिवर्तन करें और उसकी आवश्यकता अनुरूप अपने उपकरणों का आधुनिकीकरण करें।

चीनी उत्पादन में लगावार वृद्धि में कच्चे माल के रूप में खोई का उपयोग करते हुए अप्रिम योजना बनाने और चीनी उत्पादन के साथ कागज उत्पादन के जोड़ने की आवश्यकता है। ऐसा एक सयत्र तमिलनाडू राज्य में चलाया जा रहा है। ऐसे और अधिक सयत्रों की योजना बनाने और उसे व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। इसे चीनी मिलों के बायलरों में ढालने और कागज के उत्पादन के बास्ते विद्युत का सह उत्पादन करने के लिए क्रेयले को पर्याप्त आपूर्ति अथवा किसी अन्य वैकल्पिक ईंधन की ज़रूरत है।

इमके अतिरिक्त, कागज ट्योग को अपने उत्पादन और वित्तीय स्थिति में सुधार में मदद करने के लिए हाल के वर्षों के दौरान विभिन्न नीति सबधीं उपाय किए गए हैं।

- (1) प्रतियोगी लागत पर कच्चे माल की निरतर आपूर्ति।
- (2) कच्चे माल के आयात के लिए उदारीकृत सुविधाएं।
- (3) गैर-पारपरिक कच्चा माल इम्मेमाल करने के लिए उत्पादन शुल्क में रियायतें।
- (4) कागज और गते की विभिन्न किम्भों की अलग-अलग पट्टी (वैडिंग) बनाना।
- (5) गने की खोई, कृषि सबधी अवशेषों से न्यूनतम 75 प्रतिशत तुगदी पर आधारित कागज के विनिर्माण के लाइकों से मुक्त करना।
- (6) स्थापना स्थल सबधी नीति को शर्तों के आधार पर गैर पारपरिक कच्चा माल उपलब्ध कराना।
- (7) प्रौद्योगिकी और उत्पादकता के जरिए उत्पाद व प्रक्रिया का उन्नयन।
- (8) अनुकूलतम आकार के सयत्रों के जरिए लागत प्रतियोगी बनाना और
- (9) पर्यावरण व प्रदूषण नियन्त्रण उपायों के जरिए उपयोग को नियंत्रित करना।

कागज ट्योग की ममस्याओं को दूर करने में सिर्फ मरकरी उपाय ही प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकते वैल्क उपयोग को निजों प्रयास भी करने होंगे। चूंकि खुले बाजार की नीति और आर्थिक उदारीकरण ने कागज ट्योग को जहाँ एक ओर अपनी स्थिति सुधारने का मौका दिया है वही दूसरी तरफ उन्हें अतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के मैदान में ला खड़ा किया

है। अत आवश्यक है कि वे समय रहते सरकारी और अपने निजी प्रयासों के बरिष्ठ उद्योग का पुनर्निर्माण और नया रूप प्रदान करें जो कि गुणवत्ता और लागत के स्तर पर अतर्दृष्टीय बाजार में ठहर सके। साथ ही पर्यावरण के पक्ष पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए उद्योग को उपयुक्त प्रौद्योगिकी भी तलाश करनी पड़ेगी। वित्तीय स्थिति में मुधार लाने का बेहतर मौका है।

आने वाला दशक कागज उद्योग के लिए न सिर्फ महत्वपूर्ण साबित होने वाला है बल्कि निर्णायक भी। विश्व बाजार से मटी के बादल छट चुके हैं। खुले बाजार की नीति, मुरावे दौर का भव्यतिपूर्ण समझौता, विश्व व्यापार समझौता और आर्थिक मुधार ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व में आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान की है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 56 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत और साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। देश की आर्थिक विकास की वृद्धि दर लगभग 2 प्रतिशत के आस पास अनुमानित है जबकि देश की जनसंख्या इस सदी के अत तक एक अरब तक पहुच जाएगी। कागज का उपभोग मौजूदा 3.2 किम्बा प्रति व्यक्ति से बढ़कर 5 किम्बा होने की उम्मीद है। इस सदी के अत तक कागज की मांग 50 लाख टन तक पहुचने की स्थापना है। इसमें अखबारी कागज की मांग भी शामिल है।

इस समय अखबारी कागज समेत कुल उत्पादन 20.8 लाख टन है। अत आगामी 6 वर्षों में कागज व गत्ता तथा अखबारी कागज की मांग में 20.2 लाख टन की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वर्ष 2000 तक 50.9 लाख टन की स्थापित क्षमता वै जरूरत पड़ेगी।

देश और विश्व में हो रहे आर्थिक मुधार, खुले बाजार की नीति, प्रशुल्क की दृटी दीवारों ने आर्थिक गतिविधियों को तेज कर दिया है, लोगों की उपभोग क्षमता को बढ़ाया है। इसका मकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ने की सभावना है। मकारात्मक प्रभाव के अतर्गत बढ़ती मांग उत्पादन में वृद्धि को प्रेरित करेगी। वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक प्रभाव के अतर्गत घरेलू बाजार के उत्पादों के मर जाने की आशाका है। अत विकास के इस विरोधाभास पर नजर रखना आवश्यक है। कागज उद्योग को इन सब जमीनी टक्कीकों पर नजर रखते हुए सतुरित विकास को दरफ बढ़ने के प्रयास करने चाहिए। निश्चित रूप से राजकीय सहायता के लिए उद्योग की अपेक्षाए जायज है लेकिन उद्योग को स्वयं प्रयास भी करना होगा। अत उचित ममन्वय और नीतियों के क्रियान्वयन से प्रौद्योगिकी उन्नयन, लागत को न्यूनतम करने, उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता में मुधार, कीमतों में कमी के जरिए अतर्दृष्टीय बाजार में कागज उद्योग अपने को स्थापित कर सकता है।

अखबारी कागज

1981 तक नेशनल न्यूज़प्रिंट एड पेपर मिल्स लिमिटेड (नेपा) देश में अखबारी

कागज का उत्पादन करने वाली एकमात्र इकाई थी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इस मिल ने 1955 में अपना उत्पादन शुरू किया था।

इस समय देश में अखबारी कागज की 21 मिलों (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में 4, राज्य सरकार के क्षेत्र में 2 और निजी क्षेत्र में 15 हैं जिन्हें अखबारी कागज नियन्त्रण आदेश 1962 की अनुसूची-1 के अनुसार अखबारी कागज उत्पादन मिलों घोषित किया गया है) उनको कुल क्षमता 5 40 लाख टन है।

वर्ष 1994-95 के दौरान अखबारी कागज का अनुमानित उत्पादन 4 00 लाख टन है जबकि 1993-94 के दौरान इसका कुल वास्तविक उत्पादन 3 61 लाख टन था।

देश में अखबारी कागज की आवश्यकता को स्वदेशी उत्पादन और आयात दोनों प्रकार से पूरा किया जा रहा है। देश अखबारी कागज के आयात पर प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च कर रहा है। वर्ष 1993-94 में 2 02 लाख टन अखबारी कागज का आयात किया गया।

आठवीं योजना में अखबारी कागज को दो प्रमुख परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं—89,000 टन प्रतिवर्ष और 200 टन प्रतिदिन कम्पोजिट अखबारी कागज की क्षमता के माध्य नेपा की “ठत्तर प्रदेश ब गैस बेस्ड न्यूज़प्रिंट परियोजना” और पजाब एपो न्यूज़प्रिंट लिमिटेड की “प्रिंटिंग एड राइटिंग पेपर परियोजना” इन दोनों परियोजनाओं का आठवीं योजना के अंत तक यानि 1997 में पूरे होने की बात है।

अखबारी कागज के उत्पादन में अत्यधिक पूजी लगती है और उद्योग को स्थापित करने में काफी समय लगता है। यद्यपि, मूल्यों पर नियन्त्रण नहीं है लेकिन लाभप्रदता अपेक्षाकृत कम है और निजी क्षेत्र अखबारी कागज के उत्पादन कार्य में आगे नहीं आता है। नई चीनी क्षमता के साथ खोई पर आधारित अतिरिक्त क्षमता के सूजन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसी समन्वित चीनी अखबारी कागज यूनिटों को कई प्रकार के बाहरी लाभ होंगे और दोनों उद्योगों की क्षमता में सुधार होगा।

दूसरी तरफ, सरकार ने अखबारी कागज के आयात को कम करने के उद्देश्य से औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्रों द्वारा 6 90 लाख टन की अतिस्कृत क्षमता की स्वीकृति दी है। इसके अलावा 15 77 लाख टन की क्षमता के लिए अक्टूबर, 1994 तक 30 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल किए जा चुके हैं। जो मिलों बी आई एस मानक के अनुरूप अखबारी कागज बना रही हैं और जो समाचार-पत्रों के लिए सतोपजनक गुणवत्ता वाला कागज मुहैया करा रही हैं, उन्हें अखबारी कागज नियन्त्रण आदेश 1962 की अनुसूची 1 में शामिल करने के लिए विचार किया जा रहा है।

अखबारी कागज मिलों के उत्पादन में सुधार करने और उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न नीति सबधी उपाय किए गए हैं जैसे कि खोई, कृषि, अवशिष्ट पदार्थ और अन्य गैर पारम्परिक किसम का कच्चा माल प्रयोग करके बनाई गई 75

प्रतिशत लुगदी, अखबारी कलगज को लाइसेंस मुक्त करना, अखबारी कलगज के विनिर्माण के लिए लकड़ी, लुगदी का शुल्क मुक्त आयात और अखबारी कलगज के उत्पाद शुल्क से छूट देना । □

भावी ऊर्जा संकट और उसका समाधान

धनंजय आचार्य

किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास वहाँ के ऊर्जा संसाधनों के विकास से जुड़ा होता है। सच तो यह है कि सामाजिक-आर्थिक विकास और ऊर्जा का विकास वृत्तमन्वित देश की उन्नति के सन्दर्भ में एक दूसरे के पर्याय हैं। आज हमारी 90 प्रतिशत ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से हो रही है, किन्तु परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के भडार सीमित हैं। साथ ही ऊर्जा की खपत में भी प्रतिवर्ष 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। अत यदि वर्तमान दर से ही, परम्परागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होता रहा तो आगामी 50 वर्षों में कोयला, 15 वर्षों में खनिज तेल, 20 वर्षों में प्राकृतिक गैस और 100 वर्षों में यूरोनियम तथा परमाणु ईंधन के भडार समाप्त हो जाएंगे। स्पष्ट है, भविष्य में हमें गहन ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। भावी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए हमें अभी में संचेट होकर निम्न तीन बारों पर ध्यान देना आवश्यक है—

- (1) नए परम्परागत ऊर्जा स्रोत भडारों का पता लगाना।
- (2) ऊर्जा का सरक्षण, तथा
- (3) ऊर्जा के नए विकल्पों की खोज।

नए परम्परागत ऊर्जा स्रोत भंडारों का पता लगाना

भावी ऊर्जा संकट के मद्देनजर, हमें पूरी तरहता एवं तम्मयता से अभी से ही नए परम्परागत ऊर्जा स्रोत भडारों की खोज प्रारम्भ कर देनी चाहिए। वर्तमान कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरोनियम तथा थोसियम के ज्ञात भडारों के अतिरिक्त हमारे देश में इन खनिजों के पर्याप्त भंडित भडार मिलने की प्रबल सभावनाएँ हैं। आवश्यकता है नवीन तकनीकों का प्रयोग कर उनकी खोज करने की। यहा॒ जल विद्युत के विकास की भी पर्याप्त भौगोलिक दशाएँ मौजूद हैं, जिनका समुचित उपयोग अपेक्षित है।

कर्म का संरक्षण

मरद ने दो गांड़ से जनमथा वृद्धि के बारे लोगों की बढ़ती मांग, कर्मों के परम्परागत रूपों के घटने भड़ाए एवं मात्र उनसे सम्बन्ध में लोकों की प्रवृत्ति ने उन्हें कर्मों संकट की समस्या लड़ाने के दो हैं। अंड़: शारीरिक नकट से निवारने के लिए कर्मों का सरकार भी अन्य वरदक है। कर्मों नारकन के क्रम में हमें स्वर्णयन के बारे, खनिज देल, प्राकृतिक गैंग टथा जल विद्युत पर ध्यान देना अन्य वरदक है, कर्मों के स्वभूतिक परम्परागत कर्मों लोट हैं। कोषले के नारकन के लिए निन्द देले के करार निन्द हो जाते हैं—

खानों से सुदूराई के समय कोषले की बर्बादी और रोक जारी कोषले के गुरुत्वकारी के लिए क्षेत्रनियन्त्रण प्लान का ठन्डोग किया जाए। घटिया किसी के कोषले को वैज्ञानिक अनुसाराने के द्वारा ठन्डोगी बनाया जारी कोषले के ठोकातादन का गुरुत्व ठन्डोग किया जाए। फटियों से स्वचालित स्थान द्रुतता किया जाए। कोषला खानों में लगाने वाली आग को रोकथान ले जाए।

हन्ते देश में कोषले के बाद पेट्रोलियम दूषण महत्वपूर्ण कर्मों लोट है। छान्सर मुडक दशा रेत परिवहन के थेवे में हो इनका पोरादन करने महत्वपूर्ण है। अपनी देश में महकों द्वारा दोषे जाने वाले 80 प्रदिग्नि कर्मों दशा 49 प्रदिग्नि महल ढाँचल या पेट्रोल चालिन वहनों ने ही दोषे जा रहे हैं। वर्दमान ने हमें लोकों मार्ग के पूर्ति के लिए विदेशों ने टेल ऊपाद करना पड़ रहा है, जिन्हें प्रतिवर्ष लगभग 16,000 करोड़ रुपये मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा व्यव करना पड़ रहा है। इन बातों के द्वारा नहीं देल के खाने प्रतिवर्ष 8.5 प्रतिशत की दर में बढ़ भी रहे हैं। इन बातों के द्वारा में रुद्ध दुर्घटन देल के नए महारों का पता लगाने के लायनार्ड इम्प्रेस नारकन करना भी अन्य वरदक है। निनाकिन टक्काफ अनल में लाकर हन खनिज देल का सरकार कर सकते हैं—

- देल के हर प्रकार की बर्बादी को रोक जाए।
- देल निकालने के लिए टच्च दक्कांजों, दबों एवं ठन्डकरनों का प्रयोग किया जाए।
- देल निकालने के क्रम में देल कूनों से निकलने वाली गैसों का तच्चन डिपिड तरीके से किया जाए।
- देल टक्कादन पर नियन्त्रण रखा जाए।

पर्वदीप तथा ग्रानाइट क्षेत्रों में कर्मों का एक महत्वपूर्ण लोट लकड़ी है। टेक्निक विगत दो दशकों से हमारे देश में इसका अन्यायिक दुरुन्योग प्रारम्भ हो गया है। इनके दुरुन्योग से वहा पर्वदीप प्रदूषण की गम्भीर समस्या ठन्डल हो गई है, वहाँ गंधर्व परिवारों के समक्ष कर्मों संकट भी ठन्डल हो गया है। अब कर्मों के इन लोट का सरकार

भी अत्यावश्यक है। इसके संरक्षण के लिए निम्न तरीके अपनाए जाने चाहिए—

- व्यापारिक विदोहन पर नियन्त्रण रखा जाए।
- उतने ही पेड़ काटे जाए जितने लगाए जाए।
- चारा व ईंधन के लिए उपयोगी, दीर्घकाल तक पुनर्जीवित होने की क्षमता रखने वाले वृक्ष लगाये जाए।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम को पूरे देश में एक जन-आनंदोलन का स्वरूप देकर चलाया जाए।

जलविद्युत हमारे देश में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम ठाठाकर अनावश्यक खपत एवं बर्बादी को नियन्त्रित कर नए स्रोतों का पता लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार अणु शक्ति का भी समुचित उपयोग एवं संरक्षण जरूरी है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखकर हम परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण कर सकते हैं।

ऊर्जा के नए विकल्पों की खोज

औद्योगिक तथा घरेलू कार्यों के लिए ऊर्जा की दिनोंदिन बढ़ती मांग के ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प खोजे जाए क्योंकि वर्तमान ज्ञात परम्परागत ऊर्जा स्रोत तीव्रगति से समाप्त होते जा रहे हैं। साथ ही परम्परागत ऊर्जा, पर्यावरण प्रदूषण को भी जन्म दे रही है, जो आज जीव समुदाय के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है।

जब हम भावी ऊर्जा मक्ट के विकल्पों की बात सोचते हैं तो सर्वप्रथम हमारा ध्यान गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों की ओर जाता है। इसमें पवन, सूर्य, जल, लकड़ी, गोबर आदि से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। ये कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं। भारत में गैर पराम्परिक ऊर्जा की कुल सभावित क्षमता लगभग 2,00,000 मेगावाट के बराबर है, जिसमें 31 प्रतिशत सौर ऊर्जा में, 31 प्रतिशत समुद्र जल से, 25 प्रतिशत वायोफ्यूल से, 12 प्रतिशत वायु से तथा 2 प्रतिशत अन्य तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विवरण निम्न प्रकार से है—

सौर ऊर्जा—आज सौर ऊर्जा, ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभर कर सामने आयी है। सूर्य एक विशाल परमाणु रिएक्टर है जिसमें हाइड्रोजन लगातार उच्च तापमान तथा दाब पर जल रहा है और ऊर्जा को उत्पन्न कर उत्पर्जित कर रहा है। स्पष्ट है, सूर्य ऊर्जा का अग्राध भट्टाच है, जो कभी न खत्म होने वाला है। सौर ऊर्जा का उपयोग समुद्र जल से ताजा जल तैयार करने, खाना पकड़ने, रोशनी करने, छोटे पम्प एवं मोटर वाहन चलाने, कारखानों, होटलों और सरकारी भवनों में पानी गर्म करने आदि में सुगमतापूर्वक किया जा सकता है।

खासकर अतिरिक्त विज्ञान के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का महत्व तो और भी अधिक है क्योंकि इसके द्वारा वायुयानों, राकेटों तथा कृत्रिम उपग्रहों में ईंधन की समस्या का समाधान अतिरिक्त में ही सभव हो सकता है। अत इसके उपयोग से भारी मात्रा में कोयले, पेट्रोल, जल विद्युत एव लकड़ी की बचत होगी तथा पर्यावरणीय सतुलन भी कायम रहेगा।

हमारे देश में इस दिशा में केन्द्रीय भवन अनुसधान संस्थान, राष्ट्रीय भू भौतिक प्रयोगशाला तथा केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन संस्थान के वैज्ञानिक शोधरत हैं तथा इस दिशा में वैज्ञानिकों को आशिक सफलता मिल भी चुकी है। वर्तमान में हमारे देश में सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर कुन्कर तथा आशिक रूप से जल को गर्म करने, ताजा जल तैयार करने आदि में हो रहा है। निसदेह भविष्य में सौर-ऊर्जा भावी ऊर्जा संकट का एक सशक्त विकल्प साबित होगा।

ज्वारीय ऊर्जा—भारत का समुद्री टट बनाफी विस्तृत है और हम जानते हैं कि समुद्री ज्वार में असीम शक्ति है। अत समुद्री ज्वार से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यहा पर्याप्त भौगोलिक सुविधाएँ हैं। साथ ही इसके विकास के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान भी हमारे पास उपलब्ध है। इस तकनीकी ज्ञान के सहरे भौगोलिक सुविधाओं का उपयोग कर यहा वृहद पैमाने पर विद्युत उत्पादन की सभावनाएँ हैं। खुशी की बात है कि इस दिशा में हमारे वैज्ञानिक शोधरत हैं। अनेक परीक्षणोपरान्त अब तक चार समुद्री उत्स्थलों का चुनाव किया गया है, जहा ज्वारीय विद्युत उत्पादन के सर्वाधिक अनुकूल भौगोलिक परिस्थितिया है। ये टट स्थल हैं—सुन्दरवन मिथ्यत गगा डेल्टा का क्षेत्र, खम्भात की खाड़ी का क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर का क्षेत्र। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत को पहला सयत्र की उत्पादन क्षमता 150 मेगावाट विद्युत उत्पादन की है। अभी कच्छ की खाड़ी में भी एक ज्वारीय विद्युत उत्पादन सयत्र निर्माणाधीन है। इस सयत्र की संस्थापित उत्पादन क्षमता 900 मेगावाट की है। परियोजना के पूर्ण हो जाने के उपरान्त यहा संस्थापित विजली धरों में कुल 36 यूनिटें होंगी, जिसमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट की होगी। इसका निर्माण कार्य नेशनल पावर कारपोरेशन द्वारा सम्पादित किया जा रहा है तथा दिसम्बर 1995 तक इसके पूर्ण हो जाने की सभावना है।

भारत में ज्वारीय विद्युत उत्पादन न केवल खर्च के हिसाब से व्यावहारिक है, बल्कि गैस और कच्चे पर आधारित अन्य परियोजनाओं के मुकाबले उपयुक्त और सस्ती भी होगी। इसका सर्वप्रमुख लाभ यह होगा कि इससे प्राप्त होने वाली विजली प्रदूषण मुक्त होगी तथा विद्युत उत्पादन के लिए मौसम पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुमान इससे पर्यावरण या जलवायिक दशाओं पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। समुद्री जीव-जन्तुओं, निकटस्थ जीव समुदायों अथवा वन्य प्राणियों पर भी इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्वारीय विद्युत उत्पादन से, पारम्परिक ऊर्जा

स्रोतों के अधिक इम्प्रेमाल से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। भूमि के धसने, बनों के विनाश होने तथा लोगों के विस्थापन की समस्याएं जो मुख्य रूप से जल विद्युत परियोजनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं, से भी हम लोग बच जाएगे। स्मृष्टि है, कि भारत के लिए ज्वारीय विद्युत उत्पादन एक लाभकारी योजना है।

भू-तापीय ऊर्जा—भूपर्फटी के नीचे भूगर्भ तक तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी के अदर यह ठप्पा, रेडियो सक्रिय खनियों के विखण्डन अथवा विविध प्रकार के चुम्बकीय, यांत्रिक या ग्रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। इस ठप्पा का उपयोग भी ऊर्जा समाधन के रूप में किया जा सकता है। हमारे देश में भू-तापीय ऊर्जा प्राप्ति के विस्तृत सभावित क्षेत्र है, जिसमें हिमालय नागा सुशाई भू-तापीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय भू-तापीय प्रदेश, पूर्वी भारत आर्कियन भू-तापीय प्रदेश, अण्डमान निकोबार भू-तापीय प्रदेश, उत्तर भारतीय प्री-केम्ब्रियन भू-तापीय प्रदेश, कैम्बे-मेवर भू-तापीय प्रदेश आदि विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

यहा भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग भवनों को दृष्टिकोण से बनाए रखने, फल मध्यी आदि के शीतलन भड़ारों को शीतल करने के लिए, हरित कृषि तथा अन्तरण, मुख साधनों और अप्रत्यक्ष ठप्पा उपयोगों में करके वृद्धि पैमाने पर परम्परागत ऊर्जा की नवत को जा मकती है। वर्तमान में भारत में इस प्रकार की परियोजनाएं लदाख की पूर्ण धारी तथा मणिकर्ण में क्रियाशील हैं।

परमाणु ऊर्जा—परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणुओं के विखण्डन से प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरोनियम, थोरियम, लिथियम आदि खनियों की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से हमारे देश में इन खनियों के पर्याप्त स्वित भड़ार है। अत यहा वृद्धि स्तर पर अणुशक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन कर उपयोग-घर्षों एव अन्य प्रयोजनों में प्रयुक्ति किया जाना चाहिए। वर्तमान में अणुशक्ति का अत्यधिक महत्व है। यह टेक्नोलोजी की ऐसी नवीनतम कड़ी है, जिस पर 21वीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति निर्भर है। देश के मीमित ऊर्जा समाधनों को देखते हुए इसकी महत्वा और भी बढ़ गई है। इसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।

गोवर गैस ऊर्जा—भारत में पर्याप्त सख्ता में पशु पाले जाते हैं। इससे प्राप्त अधिकाश गोवर तथा मलमूत्र का उपयोग जलावन तथा फसलों में खाद्य के रूप में किया जाता है। गोवर से बहुत कम लागत पर गोवर गैस का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग खाना पकड़ने, रोशनी करने तथा छोटे छोटे कुटीर उपयोगों में सफलतापूर्वक हो सकता है। भारत में राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना इस दिशा में क्रियाशील है। मार्च 1993 तक देश में 17.63 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके थे। 1993-94 में और 1.5 लाख बायोगैस प्लान्ट लगाए गए। एक अनुमान के अनुसार भारत में बायोगैस से 17 हजार मेंगावाट ऊर्जा उत्पादन की सभावना है। गोवर गैस प्लान्ट का अपविष्ट उत्तम

खाद भी होता है। जिसका प्रयोग कर फसलोत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि सभव है।

पवन ऊर्जा—ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों में पवन शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। पवन में असीम शक्ति है, जिसका उपयोग पवन-चक्की संयंत्र द्वारा विद्युत उत्पादन कर कूपों से जल निकालने, आटा-चक्की चलाने, फसलों की कटाई और उसे तैयार करने में किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार देश में पवन शक्ति से 30,000 मेगावाट विजली उत्पादन को क्षमता है। इस क्षेत्र में सरकार सकारात्मक प्रयास कर रही है। दिसम्बर 1994 तक देश में कुल 802 पवन चक्की केन्द्र तथा लगभग 300 वायु सचालन केन्द्र स्थापित किए जा चुके थे। 1991 के अन्त तक पवन चक्कियों द्वारा कुल 62 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाने लगा था।

अपविष्ट पदार्थों में प्राप्त ऊर्जा—भारत में विविध ऐसे अपविष्ट पदार्थ हैं, जिनका उपयोग नहीं होता है, वे यू ही बर्बाद होकर पर्यावरणीय असतुलन की अभिवृद्धि ही करते हैं इन अपविष्ट पदार्थों में ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक अब विकसित हो चुकी है। अत इसका ममुचित उपयोग अपेक्षित है। कुछ प्रमुख अपविष्ट पदार्थ जिनसे विद्युत उत्पादन या ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित हैं

लिम्नाइट कोशला में तेल निकालना—हमारे देश में लिम्नाइट कोशला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देश में ऊर्जा समाधनों की कमी को देखते हुए इम प्रकार के कोशले में तेल तथा कृत्रिम पेट्रोल बनाया जा सकता है। जर्मनी और इंग्लैंड में घटिया किस्म के कोशले में भारी मात्रा में तेल निकला जा रहा है। अत भारत में भी लिम्नाइट कोशले का उपयोग तेल तथा पेट्रोल बनाने में किया जाना चाहिए।

पावर अल्कोहल बनाना—भारत में आलू, गन्ना, चुकन्दर तथा निलहन का पर्याप्त उत्पादन होता है। इन पदार्थों की जड़ों तथा तने से अल्कोहल मिट्ट बनाई जा सकती है, जिसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिलाकर कई प्रकार की मर्शानों एव इजानों में किया जा सकता है। यहा शब्दकर तथा चीजों के कारखानों में प्राप्त करोड़ों टन शीरा से ढातम किस्म का स्प्रिट बनाया जा सकता है। यद्यपि अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एव विहार में कुछ स्थानों पर शीरा से अल्कोहल स्प्रिट बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं तथापि भविष्य में अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के कारखाने स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, ताकि प्रतिवर्ष करोड़ों टन शीरा का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जा सके।

विभिन्न प्रकार के चुराई में तेल प्राप्ति—चैज्ञानिक परीक्षणों के उपरान्त अब यह प्रमाणित हो गया है कि लकड़ी के चुराई, व्यर्थ होने वाले पर्तों, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की जड़ों में भी तेल बनाया जा सकता है। हमारे देश में इन पदार्थों कमी नहीं है। अत इन पदार्थों का उपयोग तेल बनाने में किया जाना चाहिए।

धान की भूमि में विद्युत उत्पादन—विगत वर्षों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई

दिल्ली के रसायन इंजीनियरी विभाग के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्रौद्योगिकी विक्रिसित की है, जिसके द्वारा चावल की भूसी में विजली पैदा की जा सकती है। अध्ययनों के अनुसार प्रतिवटा 250 किलोग्राम धान की भूसी समाधित करने वाले मयत्र में 122 किलोवाट विद्युत उत्पादित हो सकती है। यदि इम विद्युत उत्पादन का कुछ भाग चावल मिल को बताने में भी प्रयुक्त किया जाए, तो भी अतिरिक्त विजली बचेगी, जिसका उपयोग अन्य कार्यों में किया जा सकता है। चावल की भूसी को हवा की अनुपस्थिति में 350 सेटीमेड तापमान पर जलाने पर जलनशील गैसें—हाइड्रोजन, कार्बन डाई आक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड तथा मिथेन का मिश्रण होता है। इम गैस का उपयोग जेनरेटरों में जिम्में इंधन के रूप में हीजल व गैम दोनों प्रयुक्त होते हैं, किया जा सकता है।

ठोम कचोर से ऊर्जा—आज नगरीय जनसख्त्या सीढ़ी गति से बढ़ रही है। जनसख्त्या वृद्धि में अनेक नई-नई समस्याओं का उद्भव भी होता जा रहा है। इसमें अब एक नई समस्या और जुड़ गई है—ठोस कचोर बो ठिकाने लगाने की। कलकत्ता और वार्षई जैसे महानगरों में हर दिन मैकड़ों टन ठोस कचोर निकलता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर ठोस कचोर को इमीनरेटरों में जलाकर प्राप्त उष्णा को अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है।

साधारणत नगरीय कचोर में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए इसे इंधन गैसों में बदलना आर्थिक और तकनीकी रूप से मुविधाजनक होता है। कचोर में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों को वायु की अनुपस्थिति में 530 से 600 सेटीमेड तापमान पर गर्म करने से कचोर की प्रकृति के अनुमार उल्के तेल, कार्बनिक एमिड, एल्कोहल तथा इंधन गैसें प्राप्त होती हैं। ये भी आर्थिक दृष्टि में अत्यन्त लाभदायी होते हैं।

शुक्र एवं कम आर्द्धता वाले कचोर बो उच्च ताप एवं दाय पर हाइड्रोजन गैस में उपचारित करने से मिथेन नायक अत्यधिक जलनशील गैस प्राप्त होती है, जिसका उपयोग भिन्न कार्यों में हो सकता है। इसी प्रकार गीले कचोर के छोटे छोटे टुकड़ों को बन्द कुन्दों में मिथेन उत्पन्न करने वाले वैकटीरिया की उपस्थिति में सहाने पर ये वैकटीरिया कचोर में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को मिथेन कार्बनडाई आक्साइड में बदल देते हैं। इन गैसों के मिश्रण का इंधन मान भी काफी उच्च होता है।

निष्कर्ष—यदि हम अभी में उपरोक्त यात्रों के प्रति सचेष्ट होकर सकारात्मक प्रयास प्रारम्भ कर दें तो आने वाले वर्षों में हम न सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, भावी ऊर्जा के मक्ट की सभावना भी खत्म हो जाएगी। हमारे देश में ऊर्जा स्रोतों की कमी नहीं है। आवश्यकता है उन समस्त स्रोतों के माही एवं सुनियोजित ढग में उत्पादन एवं उपभोग करने की।

यह हर्ष बी बात है कि भारत मरकार ऊर्जा के विकल्प की खोज में सतत् प्रयत्नशील है। मरकार ने ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों के अन्वेषण एवं उनकी

कार्थशीलता के लिए 12 मार्च, 1981 को एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित करके तथा सितम्बर 1982 को गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग का गठन कर इस क्षेत्र में तन्मयता से प्रयास प्रारंभ कर दिया है। जुलाई 1992 में इस विभाग को मन्त्रालय को दर्जा प्रदान कर सरकार ने इसे और प्रभावी तथा महत्वपूर्ण बना दिया है। □

आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय

जी. एल. झारिया एवं आर. के. तिवारी

देश में भूमिका लाने गरीबा दूर करने व जामाजिक न्याय स्थापित करने को बातें कही हो चुकी हैं और कुछ हद तक सफलता भी मिली है लेकिन इस समृद्धि से उन लोगों को क्या हामिल हुआ जिनके परिव्राम के बल पर भूमिका आई है। वे तो आज भी यथा न्याय हैं, वस्तुत टपशोभनावादी मम्कृति ने केन्द्रीकरण को प्रवृत्ति को जन्म दिया, परिणामम्बव्यप विश्व के मर्वाधिक भूमिकाली राष्ट्र अमरीका के पास विश्व के ममाधनों का 55 प्रतिशत भाग केन्द्रित है, जबकि विश्व को मात्र 5 प्रतिशत जनसंख्या ही वहाँ निवास करना है। इतना ही नहीं बल्कि वे मध्ये विकासित राष्ट्र जिनके जनसंख्या मात्र 15.4 प्रतिशत है, विश्व के 78.2 प्रतिशत ममाधनों पर अधिकार जमाये बैठे हैं। ये राष्ट्र किसी न किसी प्रकार भे विश्व के विकासशील एवं अविकल्पित देशों को अपने भकड़जाल में फ़ना कर इस सीमा को बरकरार बनाये रखना चाहते हैं। इम ग्रिथि में विकास के माध्य माध्य मामाजिक न्याय में विमगतियों का होना स्वाभाविक है।

आर्थिक वृद्धि से आशय

वृद्धि एक मामान्य प्रक्रिया है जो स्वतं भवातित होती रहती है। इसमें जनसंख्या, घरेल, आय में वृद्धि की गति प्राकृतिक होती है। अर्थात् आय के माध्य प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने में जीवन म्भार में वृद्धि हो जाती है तथा जीवन म्भार मुख्यतः टपशोग के स्वर पर निर्भर करता है। अत टपशोग व जीवन म्भार में वृद्धि आर्थिक विकास का सही मापदण्ड है। आधुनिक अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का अच्छा मापदण्ड मानते हैं, वशतें न्यायोचित वितरण एवं जीवन म्भार में वृद्धि होनो चाहिये। मसुकत राष्ट्र सम्बन्ध की रिपोर्ट के अनुमार—“विकास मानव की भौतिक आवश्यकताओं से नहीं अपितु उनके जीवन की मामाजिक दशाओं के सुधार से मन्दन्यत है। अत विकास न केवल आर्थिक वृद्धि ही है, अपितु आर्थिक वृद्धि और मामाजिक-सास्कृतिक सम्बन्ध तथा आर्थिक परिवर्तनों का योग है।” इम प्रकार स्पष्ट कहा जा सकता है कि चन्द मुझे मर लोगों के पास मर्पति का केन्द्रीकरण हो जाने के आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता, अपितु मर्पति में वृद्धि के माध्य साध उसके ममान वितरण में जीवन स्वर में वृद्धि

को ही आर्थिक समृद्धि कहा जायेगा।

सामाजिक न्याय से आशय

वैदिक काल से ही सामाजिक न्याय व्यवस्था, भारत की विशेषता रही है। वेदों में इसका उल्लेख मिला है, “सर्वेभवन्तु सुखिन्, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुखं भाग भवेत् ॥ अर्थात् सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सरका कल्याण हो, कोई भी दुख का भागीदार न बने। स्पष्ट है कि वैदिक दर्शन में सामाजिक न्याय को प्रधानता रही है। इसी धारणा को भारतीय सविधान में भी साकार रूप प्रदान करते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों के अन्तर्गत कहा गया है कि “राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित कर, भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।” इस प्रकार सामाजिक न्याय से आशय है कि, एक राष्ट्र के मध्ये नागरिकों को बगैर भेदभाव के जीवन-यापन हेतु यथेष्ठ दधा समान अवसर दिये जाए, समान कार्य के लिये समान मजदूरी दी जाए, आर्थिक उन्नति करने के लिये सबको रोजगार के समान अवसर दिये जाए, इसके साथ ही समाज के पिछड़े कमज़ोर वर्गों को संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे अन्य नागरिकों की भाँति अपना विकास कर सकें।

भारत के सदर्भ में कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् योजनाबद्ध विकास के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, किन्तु इसके साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक सरचना के विविध घटकों में विषमता बढ़ी है, परिणामस्वरूप देश में केन्द्रीकरण की स्थिति उन्पन्न हुई और समयानुसार बलवती होती गई। आर्थिक विषमता को जन्म देने वाले घटक निमानुसार हैं—

विनियोग नीति में विसर्गति

वाम्तविक भारत ग्रामों में निवास करता है। यहां की 80 प्रतिशत जनमछ्या ग्रामीण है, किन्तु हमारे सारे विनियोजन 20 प्रतिशत जनसख्या के लिये है। स्वतंत्र भारत में देश के भवांगोण विकास के लिए योजनाबद्ध विकास की रूपरेखा रखी गई है, उसमें काफी विभगितया रही है। प्रथम पचवर्षीय योजना में ग्रामों को वरीयता देकर कृषि और ग्रामोद्योगों पर विशेष बल दिया गया और कृषि एवं लघु ग्रामोद्योग, सगठित ड्योग, खदानें इन चारों मर्दों में कुल विनियोग का क्रमशः 74.9 और 10.9 प्रतिशत कृषि एवं लघु ग्रामीण ड्योग इन दो मर्दों पर विनियोजित किया गया। सगठित ड्योग एवं खानों में मात्र 14.2 प्रतिशत धन लगाया गया। किन्तु द्वितीय पचवर्षीय योजना में लेकर आठवाँ पचवर्षीय योजना तक कृषि में विनियोग विपरीत हो गया। सातवाँ पचवर्षीय योजना में इन चार मर्दों में से कृषि एवं ग्रामीण ड्योगों पर कुल व्यय का क्रमशः 34.8 तथा 4.5 प्रतिशत व्यय हुआ। जबकि खान एवं सगठित ड्योगों में 60.7 प्रतिशत तक

धन लगाया गया।

आठवीं पचासर्वोय योजना के प्रथम वर्ष 1992-93 में प्रामोज विकास के लिये 3,100 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है, जबकि 1991-92 में यह राशि 3508 करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार कृषि हेतु 1049 करोड़ 75 लाख रुपये आवंटित किये गये जो पूर्व वर्ष की तुलना में मात्र 3 प्रतिशत अधिक हैं, किन्तु विडम्बना यह है कि प्रामोज विकास के लिये बजट का मात्र 20 प्रतिशत भाग रखा गया। टद्योग नियोजित तथा आश्रित जनमरुद्या अवलोकन ने पता चलता है कि कृषि एवं प्रामोज टद्योगों में लगभग 86 प्रतिशत जनमरुद्या लगा है, टममें 60 प्रतिशत में अधिक, तथा जिनमें 86 प्रतिशत जनमरुद्या लगा है, टममें 40 प्रतिशत में वर्ष पूजी विनियोजित की गई है। विनियोजन नीति का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जहा अधिक विनियोग हुआ वहा प्रगति की गणि अधिक नेत्र हो गई, वह क्षेत्र विकास में आगे बढ़ गया। यही कारण है कि औद्योगिक क्षेत्र में 1950-51 क्रमे अपेक्षा 1990-91 में उत्पादन में 10 गुना वृद्धि हो गई है। कृषि क्षेत्र विभेद के कारण पांचे रह गया, कृषि क्षेत्र में तीन गुना वृद्धि हो पायी।

कृषि पर आश्रित जनमरुद्या के अनुपात में कृषि का विकास न होने के कारण राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कम हो गया। औद्योगिक क्षेत्र का अशा अपेक्षाकृत बढ़ता चला गया, परिणामस्वरूप प्रामोज एवं शहरी क्षेत्रों में निरन्तर विषमता का विस्तार होता चला गया। हमारी आर्थिक विषमता का चित्र यह दर्शाता है कि आधी जनमरुद्या को आय 5 प्रतिशत सुविधा मध्यन लोगों के बराबर है। राष्ट्रीय मम्पति के लगभग आधे के मालिक मध्यन वर्ग के 10 प्रतिशत सोग है जबकि मध्यमे गरीब 10 प्रतिशत लोगों के 6.5 राष्ट्रीय मम्पति का 0.1 प्रतिशत है। देश की आवादी का लगभग आधा हिस्सा केवल 6.8 प्रतिशत राष्ट्रीय मम्पति का मालिक है, जबकि एक प्रतिशत मध्यन लोगों के पास राष्ट्रीय मम्पति का 15 प्रतिशत भाग है। यह हमारी अधिक प्रगति एवं सामाजिक न्याय का एक चित्र है जो यह बतलाना है कि योजनावद्ध विकास ने गरीब को और अधिक गरीब तथा अमीर को और अधिक अमीर बनाया है। मरकारी आकड़ों के अनुमान देश के 37 प्रतिशत जनमरुद्या आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनदापन कर रहे हैं। अत विनियोग की इस विमगति को दूर कर ममाज के 80 प्रतिशत लोगों को लक्षित कर विनियोजन किया जाना चाहिये। तर्भी सामाजिक न्याय के भाथ अर्थिक ममूदि को प्राप्त किया जा सकता है।

आयानित तकनीक बनाय देरोजगारी में वृद्धि

म्बदेश तकनीक को विकास आधार न भानकर विदेशी तकनीक पर निर्भरता बढ़ने में जहा एक ओर देश म तकनीकी विकास अवरुद्ध हुआ है, वहीं दूसरी ओर विदेशों पर निर्भरता में वृद्धि होती जा रही है। वर्ष 1980 के बाद देश में उदारीकरण की नीति

अपनाई गई तथा विदेशी दूकानों के आयातित करने के द्वाट दो गई इससे न्याय उच्चे उद्योगस्थि त्वदेशी दूकानों के ठन्कोग छोड़कर विदेशी दूकानों के अपनाने तो, परी-मन्त्रवृष्ट ठन्के लागो में वृद्धि हुई किन्तु देश के मानवीय सम्पादन के फाँक्त वर्द्ध होने लगा। आज 10 अब मानक श्रम दिन हर वर्ष बिना काम के नह हो रहा है। आठवीं पदवर्षीय योजना कल तक पहुचवे-पहुचवे देश के यह स्थिति हो गई कि देश में 40 करोड़ के लगभग लोग बेकार और अद्वैतेयगार हो गए। साथ ही बाजार में विदेशी कम्पनियों के प्रधुत्व बढ़ता गया। देश में लगभग 1700 विदेशी कम्पनियों ने प्रवेश कर लिया जो भावों के घटों के ठजाड़ हो रहे हैं। अब देश के श्रमजीवों, मनवीय अभिनदा से उखड़ी हुई जिद्यों जीने के लिये विवरा हो गये हैं। श्रमशक्ति एवं प्रदूषण विवरा, कुर्सित तथा निष्पद्धोगी हो गई है। इसके साथ ही आरोग्य में देश के सम्बद्ध विदेशों के जाने लगा, दूकानों के आयात तथा विदेशी कम्पनियों के स्थापना ने कार्यक मन्त्रित्व दो बढ़ी है किन्तु इसका बहुत बहा भाग विदेशों के चला जा रहा है, ऐसे यो भाग भारत में बच जाता है, वह कुछ गिने चुने औद्योगिक धरानों में केन्द्रित होता जा रहा है। आज देश जिन रस्ते पर बढ़ता जा रहा है, क्या यह देश के आम नामाजिकों के सम्बद्ध है? अथवा 15 करोड़ लोगों का रास्ता है, इन प्रकार देश पूजावाद के गिरन्त में जाता जा रहा है, जो नामाजिक न्याय के विलोद है। नामाजिक न्याय के स्थापना के लिये हमें देश में व्यदेशी श्रम प्रधान दूकानों के प्रयोग और बढ़ावा देना होगा।

विदेशी क्रांति भार में वृद्धि

विदेशी क्रांति जो राशि तथा ठन्क्य मन्त्रवृष्ट दूकानों अपेक्षवस्तु के लिये दिल व्य विषय बना हुआ है। विकासशील देशों में भारत मध्ये अधिक अन्तर्राष्ट्र देशों में ने एक है। भारत में विदेशी क्रांति के आकड़े विवादास्त्र दृष्ट हैं क्योंकि भारत सरकार और त्रिवर्ष बैंक क्रांति मन्त्रन्यो आकड़ों में काफ़ी विवरणदाते हैं। सरकारी आकड़ों के अनुसार यह 5 वर्षों में विदेशी क्रांतों के बकलदा राशि में दाइं गुना वृद्धि हो गई। वर्ष 1985-86 में यह 40,311 करोड़ रुपये के विदेशी क्रांति थे वहीं 1990-91 के अब में इनकी राशि बढ़कर 1,00,425 करोड़ हो गई। जबकि आर्थिक सहायोग एवं विकास संगठन, पेरिन ने अपने सर्वेषज में भारत के विदेशी क्रांतों को, 1989 के अब में देय राशि 71.3 अब हाल बोलित की है। त्रिवर्ष बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 1991 में भारत पर 70,876 मिलियन हातर विदेशी कर्व है। जो हमारे निर्यात के लगभग 4 गुना है तथा कुल व्यापक मुगदान कुल व्ययों के 24 प्रतिशत तक पहुच गया है। विदेशी ने जो क्रांति लिया है ठन्क्य लगभग 60 प्रतिशत तक मुगदान क्रांतों के चुकाने में खर्च हो जाता है। देश के प्रत्येक नागरिक पर लगभग 6 हजार रुपये का विदेशी कर्व है। बढ़ते हुए क्रांतों का दबाव सामाजिक न्याय के विपरीत है, क्योंकि अधिकतम क्रांति औद्योगिक क्षेत्रों के लिये त्रिवर्ष गये हैं, जिनमें जनकर्त्त्व का अल्प भाग लगा है। हमारे आय का वह भाग जिनके ठन्क्यों नामाजिक विकास कर्यों में किया जाना चाहिये था, क्रांतों के मुगदान में चला

जाता है। इस प्रकार विदेशी क्रम जहा एक और आर्थिक विकास में अवरोधक भिन्न हो रहा है वृद्धि दूसरी और सामाजिक न्याय के बढ़ती भी है।

बढ़ता हुआ काला धन वनाम सामाजिक शोषण

कला धन, वह धन है जो समाज के जिस वर्ग को मिलना चाहिये उसे न मिलकर बीच के किन्हीं अन्य सोगों द्वारा छीन लिया जाता है। परिणाम स्वरूप यह धन ममाज के आर्थिक एव सामाजिक म्वरूप को विकृत कर देता है। आज की अविटपभोक्तवादी मस्तूरी, जीतिकवाद के कारण काले धन को समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। एक अध्ययन के अनुसार प्रति घटे ५७ करोड़ रुपया कला धन पैदा हो रहा है। मार्वर्जनिक वित एव नीति मम्मान के अनुमार प्रति वर्ष भारत में ९०,००० करोड़ रुपये करते धन का निर्माण होता है, जिसमें से ५०,००० करोड़ रुपये वस्त्री के तथा ४०,००० करोड़ रुपये अन्य अनुचित हथकर्मों के माध्यम से होता है। काले धन के कारण ममाज में निरन्तर अमीरी एवं गरीबी बीच खाई बढ़ती जा रही है। करते धन के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप महाराई में वृद्धि हो रही है। रोजगार के अवसरों में कमी आ रही है, तथा ममाज में विलासिता एव प्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार करते धन के माध्यमाजिक न्याय की स्थापना करना अमम्भव प्रतीत हो रहा है।

निजीकरण का बढ़ा स्वरूप

किसी भी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में वहा की सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। औद्योगिक प्रशिक्षण, अनुसधान तथा टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिये एव समाधनों को जुटाने के लिये सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही बचत विनियोग तथा पूजी निर्माण के लिये देश में उचित बातावरण भी सरकार बनाती है। निजी क्षेत्र केवल ठन्हीं टेक्नोलॉजी में पूजी लगाता है, जहा उत्पन्न लाभ की सभावनाए होती है, किन्तु जिनमें साध की प्रत्याशा कम होती है तथा जोखिम अधिक होती है। आर्थिक ममाधनों की दृष्टि से भी इसे महत्व दिया जाता है, आर्थिक अमानता में कमी, राष्ट्र के सतुलित विकास, आर्थिक स्थिरता, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वित्तीय क्रियाशीलता में समृद्धि आदि के कारण भी मार्वर्जनिक क्षेत्र में विनियोग की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम ही कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिन्हें निजी क्षेत्रों में नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे—यातायात एव दूरमचार, अस शस्त्र, उपभोक्ता सरक्षण, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सोगों के लिए विकास कार्यक्रम इत्यादि।

नवीन आर्थिक नीति १९९१ के अनुमार उदारीकरण के साथ-साथ निजीकरण को भी नदावा दिया गया है। इस नीति के तहत औद्योगिक रूपांतर की आठ में मार्वर्जनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिया गया। वर्तमान में सार्वजनिक टेक्नोलॉजी की सह्या घटाकर मात्र आठ कर दी गई। परिणामस्वरूप गिने चुने मूजीवादियों को और अधिक पूजी सामूहीकरण करने के लिये अवसरों में वृद्धि हो गई है। अत आर्थिक विषमता

में और वृद्धि होगी जिससे राष्ट्र में भवित्व तो बढ़ेगी किन्तु सामाजिक न्याय के बारे में सोचना बेमानी होगा।

वितरण की विसंगतियाँ

राष्ट्रीय आय के वितरण के सदर्थ में यह कहा जाता है कि एक निश्चित भाग स्वचालित रूप से सभाज के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच जायेगा, किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। वितरण में इतनी विसंगतियाँ हैं कि इसके द्वारा सामाजिक न्याय के बारे सोची भी नहीं जा सकती, अनुत्पादक भेवा में लगे श्रमिकों दधा प्रत्यक्ष में उत्पादक भेवा में लगे श्रमिकों के पारिश्रमिक में विषमताएँ विद्यमान हैं। एक ओर वे अधिकारी हैं जिन पर हर वर्ष करोड़ों रुपये व्यय करके प्रशासक, इंजोनियर, डॉक्टर तथा तकनीकी शेत्र के ठच्च अधिकारी बनाए जाते हैं। जब वे सेवा शेत्र में आते हैं, तब्दे नवोच्च वेवनमान दिया जाता है। यही नहीं उन्हें मकान, चिकित्सा, वाहन, सचार साधन उपलब्ध कराया जाता है। फिर भी वे नकाबपोश हैं जो मर्वीषिक छटाचार में लिप्त रहते हैं। अवैधानिक तरीके से इन्हें किरनी आय हो रही है, उनके बगलों एवं अन्य मुविधाओं का अध्ययन कर जात किया जा सकता है। दूसरी ओर वे नामान्य श्रमिक हैं, जो नाम भाव करे शिक्षा, प्रशिक्षण लेकर अपने परिष्रम से पूर्ण मनोदोग ने कर्म करते हैं, जिनकी कुशलता सर्वद्वन्द्व में देश का नाम मात्र कर व्यय होता है, उनका वेवनमान बहुत कम होता है, साथ ही मानवीय मुविधाएँ जैसे—आवास, शिक्षा, चिकित्सा, आदि भी बहुत निम्नस्तरीय होती हैं। वास्तव में जो उत्पादन करते हैं जो देश की समृद्धि बढ़ाते हैं, और निर्माण के दावे को खटा करने के लिये अपना खून पसीना एक कर देते हैं, उन्हें प्रथम वर्ग जी तुलना में क्या हानिल होता है, ऐसा स्थिति में स्वचालित वितरण पद्धति द्वारा सामाजिक न्याय को स्थापना के बारे में नोचा भी नहीं जा सकता।

मूल्य नीति में विसंगति

वर्दमान में भारत में दोन प्रकार की मूल्य नीति अपनाई जा रही है। सार्वजनिक उद्योगों के उत्पादों के लिये, निजी शेत्र के उद्योगों के लिये वथा कृषि शेत्र के लिये, अलग-अलग मूल्य नीतिया अपनाई जा रही है। सार्वजनिक शेत्र का मूल्य नीति कर आधार, घाटे को कम करना अथवा लाभ में परिवर्तित करना होता है, अर्थात् कुन्त देनदारियों के आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है। इसक स्थाप उदाहरण के लिया वथा लोहा उद्योग है। केवल लाभ उपयोग प्राय गरेब तबके के लोगों द्वारा भी किया जाता है। किन्तु 'केवल' की क्रमतों में इतनी वृद्धि हो गई है कि इंधन उत्तर में पकाई जाने वाली रोटी से अधिक महगा हो गया, इसी प्रकार निजी शेत्र का मूल्य निर्धारण आधार उच्चतम लाभ करे प्राप्ति होता है, इसक समर्थन सरकार द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि साल में दो-दोन बार मूल्य में वृद्धि होना आम बात है। इस नीति के परिणामस्वरूप आम नागरिकों की जेव में पैमा निकलकर पूजापरियों बहे व्यापारियों और उद्योगपरियों की

जेब में चला जाता है। आम नागरिकों के जीवनस्तर में गिरावट आना स्वाभाविक है। देश में तो सरा बढ़ा कृषि क्षेत्र है जहा समर्थन मूल्य निर्धारण नीति अपनाई जाती है जो बाजार मूल्य से काफी नीचे रहती है। इसके साथ ही जब फसल आती है तब मूल्य काफी कम हो जाता है, अनाज जब व्यापारियों के पास पहुच जाता है, मूल्य में बढ़दि हो जाती है। इस प्रकार किसानों का निरतर शोषण होता है। वे बिचौलियों से बच नहीं पाते और सामाजिक न्याय की कल्पना धरी रह जाती है।

सातवीं पचवर्षीय योजना अवधि में एकत्रिकृत प्रामोण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रामोण रोजगार कार्यक्रम, प्रामोण भूमिहीन रोजगार गारन्टी स्कीम, भूमि सुधार कार्यक्रमों के बावजूद देश में निर्धनता की स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है। भारतीय योजनायें अभी तक अतिदीनता की अवस्था को दूर कर पाने में सक्षम नहीं हो पायी हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि पूर्व में ही यह मान लिया गया था कि विकास के साथ राष्ट्रीय आय में बढ़दि होगी और इसके साथ ही प्रगामी कराधान और सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों द्वारा गरीबों का जीवनस्तर उन्नत हो जायेगा, इससे राष्ट्रीय आय में तो बढ़दि हुई किन्तु लाभ का अधिकांश भाग उद्योगपतियों द्वारा हडप लिया गया।

सारांश

यदि पहले से ही समता के साथ लोकतात्त्विक मूल्यों की स्थापना को गई होती, व्यक्ति की गरिमा बढ़ाकर उनमें मानवीय मूल्यों के प्रति निरतर प्रतिबद्धता का भाव जगाया गया होता, तथा भौतिकवादी केन्द्रीकरण नीति के स्थान पर पुरुषार्थवादी विकेन्द्रित समाज की स्थापना की गई होती तो आज भारत का विकास तो होता हो, साथ ही सामाजिक न्याय की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। इस सदर्थ में गांधी जी का कथन उल्लेखनीय है—“यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार ही वस्तुएँ लें तो दुनिया में न तो गरीबी रहेगी न कोई भूखा मरेगा।” निसदेह आर्थिक व्यूह रचना में परिवर्तन के माध्यम से ही विकास दर में तेजी तथा सामाजिक न्याय स्थापित कर सकने में हम सफल हो सकेंगे। अत देशकाल एव परिस्थिति के अनुरूप आर्थिक सरचना के स्वरूप में परिवर्तन किया जाना चाहिये। आर्थिक सरचना में परिवर्तन के समय भारतीय अर्थ-व्यवस्था की विशेषताओं को ध्यान में रखकर नीतिया निर्धारित की जानी चाहिये। तभी भारत में विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकेगी। □

कल्याण की वागडोर लोगों के हाथों में

पंचायतों की भूमिका

के.डी. गंगराडे

लेखक का कहना है कि विकास तथा कल्याण कार्यों के लिए लोगों को संगठित, शिक्षित, जागृत तथा प्रेरित करने में पंचायती राज सम्बन्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

73वें भविधान भरोधन के बाद पंचायती राज प्रणाली समूचे देश में लागू हो गई है। इस कदम से गांवों में लाखों करोड़ों 'बेजुबान' लोगों को 'जुबान' मिल गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है सत्ता के विकेन्द्रीकरण, प्रसार तथा पुनर्वितरण के कार्य को आगे चढ़ाना। सरोधन में त्रि स्तरीय पंचायती राज सम्बन्धों को जिम्मेदारिया मौजूदे का प्रावधान है ताकि वे स्थानीय अधिकार प्रहण करके मत्वे रूप में त्रिनिधि लेने वाली सम्पार्द बन सकें। साथ ही भरकार जो अब तक मेवाओं की 'दावा' तथा लोगों के कल्याण कार्यों की 'मरक्क' बनी रही है अब स्थानीय हितों तथा कल्याण कार्यों के प्रबन्ध एवं मनालन का अपना दायित्व इन सम्बन्धों को सौंप देगा।

गरिमा—मनुष्य को उसकी गरिमा तथा जिम्मेदारी को उच्च भावना वापिस लौटाने वाली यह मामाजिक कार्यमोत्ति निश्चित रूप में मानवीय आयाम को रक्षा करेगी। गांव का व्यक्ति अब निर्भरता की मम्कृति से मुक्त होकर आत्मनिर्भर बन सकेगा। विश्व मकाट में उपजी मामाजिक समस्याएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें हल न किया जा सकता हो। वेशक हमारे मार्ग में अभीष्ट वाघाएँ हैं तथा हमारी ताल्कालिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता के सही क्रम में रख पाना कठिन है परन्तु हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारे देश की जनता ने मत्वे हृदय से जो नई आर्थिक व्यवस्था अपनाई है उसे सवाद के अवधर की ममानता तथा आपमी भाईचारे की भावना पर आधारित होना होगा। अतः विजय उसी मनुष्य की होगी जो केवल अपनी भावनाओं तथा सपत्नि में ही लिप्त न रहकर अपने माधियों और पदोन्मियों के हितों के प्रति भी जागरूक होगा।

लक्ष्य—ममाज कल्याण का क्षेत्र अत्यत व्यापक है जिसमें सब तरह के प्रथाओं और स्थितियों के लिए स्थान है। उसका अतिम लक्ष्य आज भी ऐसे व्यायसंगत तथा सतुलित ममाज की रचना करना है जिसमें राष्ट्रीय विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलें।

को कल्याण गतिविधिया, विशेष रूप से 29 में से चार गतिविधिया सौंपी गई हैं, जो इस प्रकार है—(1) परिवार कल्याण (2) महिला एवं बाल विकास (3) समाज कल्याण जिसमें विकलागों तथा मानसिक रूप से व्याधित लोगों का कल्याण शामिल है, और (4) कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण।

वेन्द्र तथा राज्य सरकारों को इन चार कल्याण ध्येयों की पूरी जिम्मेदारी संधे पचायती राज सम्पदाओं को सौंप देनी चाहिए। इन सम्पदाओं में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के फलस्वरूप इन वर्गों को अपने ही विकास एवं कल्याण के लिए किए जाने वाले कामों में सक्रिय सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

कल्याण—भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था—“हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं और इस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं। कल्याण देश के प्रत्येक व्यक्ति की साझी सपत्ति होनी चाहिए और आज की तरह उस पर केवल सपन वर्गों का हक नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से उन वर्गों को जो इस ममता उपेक्षित हैं और विकास व प्रगति के अवसरों में विचित हैं इसके घेरे में लाया जाना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा—“समाज कल्याण का मुख्य बिन्दु मनुष्य की सब तरह से भलाई करना है तथा कल्याणकारी सरकार को अपने प्रत्येक नागरिक की भौतिक तथा सामाजिक भलाई के लिए न्यूनतम अवमर अवश्य उपलब्ध कराने चाहिये। इससे शोषण और विषमताएँ ममाज होंगी और व्यक्ति के आत्मविकास के लिए प्रावधान होगा।” उन्होंने सामाजिक सेवाओं तथा समाजकल्याण कार्यों के बीच स्पष्ट अंतर किया। सामाजिक सेवाएँ वे हैं जो ममूचे समाज के लिए होती हैं, जबकि समाज कल्याण का उद्देश्य उन सेवाओं को बढ़ावा देना है जो उन व्यक्तियों और समूहों को सामाजिक आवश्यकताएँ पूरी करें जो सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक कारणों से सामान्य समाज के लिए उपलब्ध कराई गई सेवाओं का लाभ नहीं ठाठा सकते। उनके अनुसार महिलाओं वच्चों तथा विकलागों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

उद्देश्य—समाज कल्याण की अवधारणा के दो पहलू हैं—(1) परिवार को, जिसके माध्यम से आवश्यकताएँ पूरी होती हैं सामाजिक संस्था के रूप में मुद्रृ एवं समर्थ बनाने के लिए कल्याण उपयोग करना, और (2) जीवन धारन की परिस्थितियों का सामना करने की व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना। समाज कल्याण प्रणाली का भुख्य उद्देश्य ऐसी बुनियादी परिस्थितियों का निर्माण करना है जिनमें समाज के सभी सदस्य उन्नति व पूर्णता प्राप्त करने की अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकें। यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जो पचायती राज सम्पदाओं को निचले स्तर पर धार पचायतों और धार सभाओं के महयोग से निभानी चाहिये। कल्याण के चार माडल हैं जिनमें से किसी भी माडल को धार पचायतों अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपना सकती है।

पक्की सड़क बनेगी परतु उसके लिए खर्च ठाना सरकार के बूते से बाहर है। इसलिए हमें खुद सड़क बनानी होगी जिसके लिए मैं पत्थर एकत्र कर रहा हू।” इस कहानी में पचायतों राज सम्पादों के लिए यही संदेश छिपा है कि सहायता के लिए बाहर देखने के बजाय लोगों के कल्याण का काम वे अपने हाथों में लें।

कल्याण का आत्मनिर्भर मॉडल यामीण समुदाय के सक्रिय सहयोग तथा सहभागिता पर आधारित है। पचायतों अपने कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारिया संभालने के लिए गैर सरकारी समितियाँ और उप समितियाँ बनाने की दिशा में पहल कर सकती हैं या सरकारी तथा अन्य बाहरी एजेंसियों के कामों में पूरक भूमिका निभा सकती हैं। धन का प्रबंध अत्यत व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। कल्याण मेदाओं को जिन लोगों को जखरत है उन तक पहुंचने के लिए स्थानीय उपसमिति में उसके क्षेत्र में पड़ने वाले हर 25 परिवारों के लिए एक स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए। इन प्रतिनिधियों को स्थानीय समस्याओं तथा आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए, योजनाएँ तैयार करनी चाहिए और गांवों के लोगों तथा किसान संघ से उपलब्ध संगठनों के सहयोग से उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए।

अध्ययनों के परिणाम—भारत के गांवों में हुए विकास तथा कल्याण के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए जो अध्ययन किए गए हैं उनक आधार पर पचायतों को दो बांगों में बाटा जा सकता है। पहले वर्ग की पचायतों में विकास तथा कल्याण की आत्मनिर्भर विधि के अर्तात् समाज के सक्रिय सहयोग तथा उसके प्रभाव के बारे में एक-दूसरे से जानकारी लेने देने का तरीका अपनाया गया। इस वर्ग में सम्पादों पर लोगों का अपना नियन्त्रण रहा।

विकास और कल्याण की योजना का खाका सम्पादों द्वारा उपलब्ध कराया गया परतु सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि इन सम्पादों ने औपचारिक समितियों या नियन्त्रण महल के ही नहीं, आम कार्यकर्ताओं के सुझावों को भी माना।

केन्द्र, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से नेताओं ने सहायता उसी ढंग से मार्गी जिस ढंग से समितियों (पचायतों) और निकायों (याम सभाओं) ने उन्हें लेने को कहा। नेता अधिक लोकतात्रिक थे और उनके फैसले आपसी सबधों तथा एक-दूसरे की राय पर आधारित थे।

दूसरे वर्ग की पचायतों में कुछ बाहरी लोग थे जिन्होंने पचायतों के कुछ नेताओं के माध्यम से काम किया। उनका पचायतों पर नियन्त्रण था। विकास एवं कल्याण की विधि उन्होंने ही तय की। विनोद सासाधन राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए। सरकार, नेता और सम्पाद एक-दूसरे से गहरे जुड़े रहे तथा जिस प्रक्रिया से वे एकन्जुट रहे वह परस्पर निर्भरता से युक्त लोकतात्रिक प्रक्रिया नहीं थी। पहले वर्ग में विकास और कल्याण का केन्द्र स्थानीय सम्पाद थीं। योजनाएँ बनाने तथा उनके क्रियान्वयन का काम सम्पादगत

दगा से हुआ हालातिक उनमें धीमापन रहा जिससे कल्पाण कार्य रेजो से नहीं चलाए जा सके।

आन्ध्र नहायदा ददा म्बावलम्बन के दृष्टिकोण के क्षरण पहले वर्ग की पचासठे रुप मस्त्यार दूसरे वर्ग की मस्त्याओं की दरह अनुदान कर मुह ताकने वाली नहीं बनी। आत्मनिर्भरता ददा कल्पाण की भावना औपचारिक प्रशासन और समाज कल्पन सम्बांओं टक ही नीतिव नहीं रही। इसकी बड़े अन्य क्षेत्रों में फैली और मनोरजन, शिक्षा आदि उनके दरह के कल्पाण कर्मक्रमों की रचना के भाष्ट इस भावना कर और विस्तर हुआ।

पहले वर्ग की पचासठों द्वाप किये गये परिवर्तन ददा कल्पाण में भौतिक लक्ष्यों के प्राप्ति को प्रमुखठा नहीं दी गयी। उनका उद्देश्य समुदाय के सदस्यों में निहित समझबंध का इन हृद वक विकास करना रहा कि वे समाज कल्पाण सबधी अपनी आवश्यकताओं ददा भवासनों के भवचन लें और उसके बाद अपनी कोशिशों से परिवर्तन सारे के कर्मक्रम खुद दैयर जर सके। इसके लिए समाज कल्पाण व सामाजिक परिवर्तन के प्रक्रिया को नम्बागत रूप देना ही नहीं बल्कि उसके समाजीकरण करना भी चाहिए। समाजीकरण की प्रक्रिया को उन्नर से नहीं धोपा दना चाहिए। दूसरे वर्ग की सम्भालों में कर्म की प्रक्रिया नेता-केन्द्रित और अनुदानो-नुखो थी। इनसे जांधक लोग प्रेरित नहीं हो सके, जबकि पहले वर्ग की प्रक्रिया अन-केन्द्रित रूप समुदायो-नुखो थी।

माहना एव दान कल्पाण—भारत में महिलाओं की दशा का अनुमान मुख्यों के तुलना में महिलाओं की सख्ता के कम अनुपात से लगता दर सकता है जो 1981 में 935 प्रति हजार से घट कर 1991 में 929 प्रति हजार रह गया है, और 1971 के 932 के स्तर से भी कम है। इन मेंभावपूर्ण अनुपात का मुख्य करण लड़कियों के प्रति डोँडा के दृष्टिकोण है।

सभी न्हों की पचासठ सम्भालों के सदस्यों की महिलाओं की स्थिति तुष्टाने से नवीनित विभिन्न काल्पनों और कल्पाणकरी उपायों की पूरी जनकरी दी जानी चाहिए। महिला नदन्यों को अपने अधिकारों के लिए सर्वव करने की दृष्टि से इन उपायों पर विशेष रूप ने ध्यान देना चाहिए।

पचासठों का हम्मांषे—पचासठों की महिलाओं ददा बालिकाओं के कांडिकर्णे के बदावा देने के प्रदात करने चाहिये। आठवीं योजना में निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए नव तरह की कोशिशों की जली चाहिए।

- (1) अनुभूचित जाति/उन्नजाति के सभी बालकों और बालिकाओं की स्कूलों में व्यापक भरती।
- (2) सभी बच्चों के लिए एक किलोमीटर की दूरी तक प्रादिक विद्यालय खोलना दद पटाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों, करमकर्जी बच्चों ददा स्कूल न जा सकने वाली

लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का प्रबंध ।

- (3) उच्च शिक्षा के मुकवले प्राथमिक शिक्षा का अनुपात वर्तमान 4 : 1 से बढ़ाकर 2 : 1 करना जो प्राइमरी से उम्र की कक्षाओं तथा अन्य बच्चों में अधिक लड़कियों को पढ़ाई के अवसर देने के लिए आवश्यक है ।

इन कायों को पूण करने के लिए पचायते सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों से विरीय तथा अन्य प्रकार की सहायता ले सकती है ।

परिवार नीति एवं बाल कल्याण—बालिकाओं की उपेक्षा का शिकार होने से बचाने के लिए पचायतों को आवारिक व बाहरी समाजनों की सहायता से निम्नलिखित उपाय करने चाहिए—

- (1) बालघर, शिशुकेन्द्र तथा इस प्रकार की अन्य सेवाओं को सम्यागत रूप दिया जाए ।
- (2) कामकर्जी महिलाओं के काम का स्वरूप तथा समय इस तरह तय किया जाए कि वे बच्चों की आवश्यकताएँ पूरी कर सकें ।
- (3) काम करने वाले मा वाप, विशेषकर भूमिहीन मजदूरों के लिए आराम का समय बढ़ाया जाए ।

पचायतों को सरकार की ओर से सहायता तथा विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा निम्नलिखित रूपों में उपलब्ध होनी चाहिए, (क) टीकाकरण, (ख) परिवार नियोजन तथा गर्भनिरोधक उपायों की जानकारी, (ग) व्यावसायिक विकित्सा सेवाओं की व्यवस्था, (घ) पोषाहार, स्वास्थ्य रक्षा एवं रोगों के बारे में जानकारी, (च) प्रमव पूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल के लिए सम्यागत सहायता एवं मुविधाएँ ।

महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सुझाई गई अन्य नीतिया इस प्रकार हैं—कामकाजी महिलाओं के लिए, (1) पुरुषों के समान वेतन/दिहाड़ी, (2) वेतन सहित मातृत्व अवकाश का कानूनी अधिकार, (3) घर के निकट काम का स्थान (4) स्त्री पुरुष में किए जाने वाले भेदभाव का मुकाबला करने के सम्यागत उपाय ।

सामान्य (1) विधवाओं, विकलागों, वृद्धजनों आदि को सहायता, (2) दहेज, हिसा तथा बहुविवाह की रोकथाम से मवधित कानूनों के बारे में जागृति लाना और जानकारी देना, (3) महिलाओं के प्रति सम्मान एवं गरिमा के जीवनमूल्य विकसित करना, (4) परिवारों के लिए परामर्श तथा परिवार कल्याण एजेंसी की व्यवस्था करना, (5) समन्वित बाल विकास योजना का प्रबंध पचायतों के हाथ में देना ।

समन्वित बाल विकास योजना—भारत में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सख्ती करीब 15 करोड़ है । इनकी बहुत माध्यारण किन्तु अलग अलग तरह की आवश्यकताएँ

है—प्यार, देखभाल, सीखने तथा खेलने के अवसर, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषणाहार। इसके बावजूद अधिकतर बच्चे ऐसे आर्थिक व सामाजिक बातावरण में रहते हैं जो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधक हैं। उनकी आवश्यकताएँ पूरी करने तथा क्षमताओं का पूर्ण विकास करने के ठहेश्य से 2 अक्टूबर, 1975 को समन्वित बाल विकास योजना प्रारम्भ की गई। पहले पहल 33 विकास खड़ों में लागू की गई यह योजना अब देश के 70 प्रतिशत विकास खड़ों तथा 260 शहरी स्लम थेट्रों में चल रही है।

इस योजना की बिम्मेदारी पूरी तरह से पचायरों को सौंप दिए जाने से दोपहर का भोजन देने की इस परियोजना को पूरे साल चलाने के लिए धन आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। गावों के लोग इसमें सक्रिय रूप से दिलबस्ती लेंगे तथा वे इसे सरकार की सहायता से चलने वाली अपनी योजना मानकर चलेंगे। इससे योजना की लागत में भी कमी आयेगी। सक्षेप में कहा जाए तो प्राथमिक स्तर पर परिवार ही सबसे स्वाभाविक सगठन और समाज की बुनियादी स्वाभाविक इकाई है और इसके सदस्य साझे आर्थिक और सामाजिक हितों के कारण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह अस्तित्व एवं सुरक्षा के लिए एक मुद्रद केन्द्र है जिसमें सभी सदस्य अभिभावकों की सामाजिक सत्ता के अपौन साझा भोवा बना कर रहते हैं। मा-बाप पैतृक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर बच्चों की तब तक देखरेख करते हैं जब तक वे अपने बलबूते पर काम करने लायक नहीं हो जाते। इसी प्रकार बच्चे भी अपने मा-बाप की जरूरतों का ध्यान रखते हैं और बृद्धावस्था में उनकी देखभाल करते हैं। यद्यपि सयुक्त परिवार प्रथा विखर रही है फिर भी किसी सकट की स्थिति में परिवार के सभी सदस्य सहयोग करने को एक साथ आ जाते हैं। परस्तर सहयोग और सहायता की इस व्यवस्था को अवश्य ही पुष्ट किया जाना चाहिए ताकि किसी बाहरी कल्याण संस्था या एजेंसी की आवश्यकता ही न पड़े।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण—इस सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के हितों को रक्षा के लिए सविधान में किए गए अनेक प्रावधानों तथा उनकी भलाई के लिए चलाए गए विशेष कार्यक्रमों के बावजूद इन बगों की स्थिति अभी तक शोचनीय बनी हुई है। अस्थृतता पर रोक तथा नौकरियों के लिए आरक्षण उपायों से भी दलितों की हालत में खास मुधार नहीं हो पाया है। देश में, खासकर मारीज थेट्रों में छुआछूत किसी न किसी रूप में मौजूद है।

पचायरों के सदस्यों को चाहिए कि वे इस बात की शापथ लें कि वे छुआछूत नहीं करेंगे और साथ ही विशेष अभियान चलाकर और दलितों के अधिकारों की रक्षा करके लोगों को अस्थृतता निवारण के बारे में जागरूक बनाएंगे। सामूहिक भोजन तथा अतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पचायरों को यह भी देखना चाहिए कि अनुसूचित जातियों की दशा बेहतर बनाने के लिए चलाई जाने वाली विकास एवं कल्याण परियोजनाओं के फलस्वरूप शेष समाज से उनकी दूरी न बढ़ने पाये।

उदाहरण के लिए विभिन्न योजनाओं के अतर्गत उन्हें दिए जाने वाले मकान या प्लाट आमतौर पर मुख्य गाव से दूर होते हैं जिससे अन्य जातियों के लोगों के साथ उनके घुल-मिल कर रहने में बाधा आती है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष रूप से खोले जाने वाले स्कूलों और छात्रावासों के कारण इन जातियों के छात्रों का दूसरी जातियों के साथ ज्यादा मेलजोल नहीं बढ़ पाता। इस तरह के अलगाव वाले काम नहीं किए जाने चाहिए।

पचायतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम और परियोजनाएं इस प्रकार क्रियान्वित की जाए कि धीरे धीरे वे समाज की मुख्य धारा का अग बन जाए।

पचायतों को अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण की दिशा में कारगर कदम ठाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए—

- (1) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करने में मदद करना।
- (2) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के भूमिहीन लोगों को जपीन देने और कृषि के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के तरीके दृढ़ना।
- (3) इन वर्गों को दिए जाने वाले लाभों में चोरी या हेराफेरी को रोकना।
- (4) जनजातीय इलाकों में प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से पाचवी अनुसूची के अतर्गत नियम कानून बनाना।
- (5) छठीं अनुसूची के तहत उपलब्ध आत्मप्रबध से सबधित प्रावधानों को पाचवीं अनुसूची के धेत्रों पर भी उपयुक्त ढग से लागू करना।
- (6) जनजातीय आदादी की बहुलता वाले धेत्रों में, चाहे वे अनुसूचित धेत्र धोपित हों या नहीं, देसों शराब की दुकानें बद करने के लिए हर तरह के प्रयास करना।

पचायतों को अस्पृश्यता समाप्त करने तथा उपेक्षित वर्गों को समाज के सभी लोगों को बराबर ममान एवं गरिमा दिलाने के लिए निचले स्तर पर कार्यक्रम चलाकर कमज़ोर वर्गों के उत्थान में सच्ची दिलचस्पी दिखानी चाहिए। लोगों को इस प्रकार जागृत तथा संगठित किया जाना चाहिए कि वे प्रशासन पर उन नीतियों को बदलने के लिए दबाव डाल सकें जो अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण के अनुरूप नहीं हैं।

विकलागों का कल्याण—विकलागों तथा अक्षम लोगों का कल्याण एक अत्यत जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह काम तभी पूरा हो सकता है जब सभी नागरिक, स्वयंसेवी संगठन, सरकार तथा पचायतों इस बारे में सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारी महसूस करें।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार भारत में एक करोड़ 12 लाख लोग अर्थात् कुल आबादी का लगभग 1.9 प्रतिशत हिस्सा कम से कम एक विकलागता से पीड़ित है। 10 प्रतिशत से अधिक विकलाग ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक तरह की शारीरिक अपगता है। एक से 14 साल की आयु के करीब 3 प्रतिशत बच्चे बढ़ने में देरी के विकार से पीड़ित हैं। अब अधिक से अधिक लोग यह मानने लगे हैं कि विकलागों को भी वही अवसर और अधिकार मिलने चाहिए जो समाज के अन्य लोगों को उपलब्ध है। ऐसा करने के लिए विकलागों को समाज से जोड़ने की दृष्टि अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। विकलागों को शारीरिक चिकित्सा, विशेष शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं देना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें अन्य लोगों से जोड़ने के लिए समाज में अलगाव पैदा करने वाले दृष्टिकोण को बदल कर नया सकल्प लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए इन लोगों का इलाज तथा पुनर्वास करना ही काफी नहीं है बल्कि समर्थ लोगों की सोच को बदलना भी आवश्यक है ताकि विकलागों को शेष समाज के साथ पूर्णरूप से जोड़ा जा सके।

सर्वोदय और विकलाग—सर्वोदय का उद्देश्य सामान्य लोगों का ही नहीं, बल्कि विकलागों का भी कल्याण करना है। सर्वोदय से विकलाग एवं सामान्य लोगों के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। गांधीजी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक चलता फिरता मदिर है। किसी भी अक्षम व्यक्ति का अपमान नहीं किया जाना चाहिए और किसी को भी अपने हाथों अपनी जान नहीं लेने देना चाहिए। समाज के विकलाग भी ईश्वर को उतने ही प्रिय हैं जितने सामान्य लोग। विकलाग लोगों के काम का भी उतना ही महत्व है जितना साधारण लोगों के काम का। अत उन्हें भी अपने काम से आजीविका अर्जित करने का समान अधिकार है।

उपसहार—स्वतत्रता के बाद से, विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में अनेक कल्याण योजनाएं तथा कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं परन्तु निचले स्तर पर उनका क्रियान्वयन असतोपजनक रहा है। इसलिए अब पचायतों तथा विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन के क्षेत्र को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों का पहला काम है—पचायतों के निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण शिविर लगाकर और स्थानीय भाषाओं में साहित्य उपलब्ध कराकर आवश्यक जानकारी देना। पचायतों के सदस्यों को अपना दायित्व कारगर तथा उचित ढंग से निभाने सायक बनाने में स्वयंसेवी संगठनों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सभी पचायतों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में एक भी प्रामाणी भूखा न रहे और कोई भी किसी का शोषण न कर सके। इम मामले में कमज़ोर वर्गों के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मदस्यों को कल्याण से मबद्धित करनूं और विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली तकनीकी और वित्तीय सहायता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पचायतों

को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा मूल्याकन के लिए 'निगरानी संस्था' के रूप में काम करना चाहिए। समूचे काम का आदर्श वाक्य 'आत्मनिर्भर' बनना होना चाहिए तथा दूसरों की ओर ताकने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। अन्य पचायती राज संस्थाओं से संपर्क में वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के रूप में संसाधन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों से तालमेल बनाकर चलने से सहयोग प्राप्त करने और विभिन्न स्तरों पर कल्याण कार्यक्रमों को समन्वित करने में मदद मिल सकती है। इससे पचायते अपने सदस्यों में इस बात के लिए गौरव का भाव पैदा कर सकेंगी कि वे अपने लोगों की कल्याण सबधी आवश्यकताएँ स्वयं पूरी करने में समर्थ हैं। □

भारत में आर्थिक सुधार—एक समीक्षा

एस.आर. मदान

लेखक ने नई आर्थिक नीति के सन्दर्भ में लोगों के सदेह को निराधार बताया है। लेखक के विचार में भारतीय उद्योगों में विदेशी विनियोग पर नियन्त्रणों में ढील तथा विदेशी इक्विटी पार्टीसिपेशन में उदारीकरण देश में अधिक विदेशी इक्विटी पूजी को प्रोत्साहित करेगा। विदेशी पूजी आतंरिक पूजी की कमी को पूरा करेगी तथा तकनीकी हस्तातरण एवं आधुनिक प्रबन्धकीय तकनीकी ज्ञान के हस्तातरण से आधुनिक तकनीक का लाभ देश को मिलेगा।

जब किसी भी प्रकार के सुधार का विचार हमारे मस्तिष्क में आता है तो उससे पूर्व कुछ खुराकिया अवश्य ही हमें दिखाई देती है। जब आर्थिक सुधारों की बात इस देश में चली तो उसमें पूर्व हमारा देश नियोजन, उत्पादन एवं वितरण के सबध में समाजवाद के लुभावने आदर्श पर चल रहा था। देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 112 खरव, 50 अरब, 65 करोड़ का विनियोग था। सार्वजनिक क्षेत्र एक सफेद हाथी की तरह बन चुका था और हमारे विदेशी विनियमय भडार को निगल रहा था तथा अपनी अकुशलता के कारण उपभोक्ताओं को घटिया बस्तुएँ ऊचे मूल्यों पर उपलब्ध करा रहा था। हमारे आयात, निर्यातों से अधिक थे। सरकारी खर्च बढ़ रहा था। सरकार पर आतंरिक एवं बाह्य ऋणों का बोझ बढ़ रहा था। इस कारण से बजट के घाटे में नृदि हो रही थी जिससे विपरीत भुगतान सत्रुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तथा हम कीमतों की वृद्धि की समस्या मे त्रस्त थे। मुद्रास्फीति की दर 17% थी और हमारा विदेशी विनियमय कोष घट कर मात्र एक अरब डालार रह गया था। यह कुल आयातों के लिए 2 सप्ताह के भुगतान के बराबर था। इस प्रकार देश की साख दाव पर लगी हुई थी। ऐसे बुरे समय में देश को सौभाग्य से डॉ मनमोहन सिंह जैसा वित्त मंत्री मिला। उन्होंने इबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये तथा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आर्थिक सुधारों की घोषणा की।

विपरीत भुगतान सत्रुलन तथा मुद्रास्फीति जैसे राजकोषीय सकर्तों की प्रकृति के अल्पकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उन्होंने भारतीय रूपये के अवमूल्यन की घोषणा

की। डालर के साथ रूपये के मूल्य में 23% तथा अन्य दुर्लभ मुद्राओं के माथ 20% अवघूल्यन की घोषणा की गई। व्यापार नीति सबधी कुछ सुधारों की घोषणा की गई। जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई और सरकार ने 1991-92 का बजट प्रस्तुत किया।

दीर्घकालीन उद्देश्य था “ढाचागत समायोजन”। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त किया, पूजी बाजार का उदारीकरण किया, विदेशी व्यापार को नियन्त्रण मुक्त किया तथा विदेशी पूजी को भारत में आमन्त्रित किया। इन कदमों के पीछे निर्यात में वृद्धि तथा भुगतान सतुलन को ठीक करने का विचार काम कर रहा था। इस समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से \$ 2.3 अरब का ऋण लिया। सरकार ने विश्व बैंक से भी ढाचागत समायोजन ऋण \$ 500 मिलियन का लिया जिसके साथ शर्त यह थी कि राजकोषीय धाटे को 6.5 प्रतिशत तक नीचे लाया जाए। शेत्रानुसार आर्थिक सुधारों को चार श्रेणियों में बाटा गया—

(I) औद्योगिक सुधार—औद्योगिक क्षेत्र में सुधार लाये जाने हेतु जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई जिसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(1) उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी पूजी विनियोग 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत तक किया जा सकता है। (2) विदेशी तकनीकी समझौतों के लिए सरकार की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। (3) निर्यात मूलक इकाइयों को विदेशी पूजी निवेश में अतिरिक्त छूट दी गई है और आयात में भी काफी छूटें दी गई हैं। (4) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अशों को निजी क्षेत्र को भी बेचा जा सकता है। (5) नये कारखाने लगाने के लिये डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डिवलपमेंट के यहा पर्जीकरण करना अब आवश्यक नहीं है। (6) दूसरी अनुसूची में दिये गये उद्योगों, जिनकी सख्त घटाकर आठ कर दी गई है, को छोड़कर किमी भी उद्योग के बिना लाइसेंस लिये स्थापित किया जा सकता है। (7) नये उद्योगों को अब उत्पादन कार्यक्रम बताना आवश्यक नहीं है। और पुरानी इकाइयों को विस्तार के लिये सरकार से अनुमति देना भी अनिवार्य नहीं है।

(II) बाहु क्षेत्र—इस क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार किये हैं। आयात निर्यात को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। चैलियाह समिति की सिफारिशों के आधार पर उत्पादन एवं तटकरों में कमी को गई है। विदेशी विनियमों की दरों में भी परिवर्तन किया गया है जिससे श्रम प्रधान कृषि क्षेत्र, लघु उद्योगों तथा सेवा उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके।

एक मार्च, 1992 से देश में विदेशी विनियम दर नीति के अन्तर्गत (लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मेनेजमेंट सिस्टम) लागू किया गया था जिसके अन्तर्गत रूपये को अशत परिवर्तनीय बना दिया गया था। 1993-94 से रूपये को पूर्णत परिवर्तनीय बना दिया गया है। इस नीति के अन्तर्गत वर्तमान खाते पर सभी विदेशी विनियम प्राप्तियों जैसे

निर्यातों, सेवाओं और रेमोटेन्सेज को बाजार में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जा सकता है। जब यह व्यवस्था प्रारम्भ की गई थी, व्याप्त स्थिति में विदेशी विनिमय की माग उसकी पूर्ति से अधिक थी। अत विदेशी विनिमय की बाजार दर सरकारी विनिमय दर से अधिक थी। निर्यातकों को इस व्यवस्था से भूर्व बहुत लाभ था। इस पद्धति से विदेशों से विनिमय प्राप्तियों को सरकारी माध्यम से प्राप्त करने की प्रेरणा मिली है। उससे विदेशी विनिमय, गैरकानूनी सौदों तथा चोर बाजारी से हट कर सरकारी रास्ते से देश में आना प्रारम्भ हो गया है और उन लोगों को उपलब्ध होने लगा है जो कि चल्नुओं और सेवाओं का आयात करना चाहते हैं, तथा विदेशों में यात्रा करना चाहते हैं। अब वे इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अधिकृत विक्रेताओं से विदेशी विनिमय प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्धति से यह लाभ हुआ है कि विदेशी विनिमय की सरकारी तथा बाजार दर में बहुत मामूली अतररह गया है। प्राप्तियों की मात्रा में कई गुण वृद्धि हुई है। चालू खाते का घाटा 1990-91 में 3 प्रतिशत से घट कर 1994-95 में 0.5 प्रतिशत से भी कम हो गया है। हमारी आर्थिक योग्यता में भी विदेशी विनियोजकों का विश्वास बढ़ा है और बाह्य क्षेत्र का भी आकार अब बहुत बड़ा हो गया है।

(III) वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र—इस क्षेत्र में लाये गये सुधार नर्सिंहम समिति की सिफारिशों के आधार पर किये गये हैं। वैधानिक तरलता अनुपात (एस एल आर) तथा नकदी सचय अनुपात (सी आर आर) में कमी इन सबमें से अधिक महत्वपूर्ण सुधार है। यदि ये अनुपात अधिक ऊचे होते हैं तो बैंकों की लाभदायकता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। बैंकों को अब यह भी अधिकार दे दिया गया है कि मार्मीण शाखाओं को छोड़कर अपनी शाखाओं को कही भी खोल अथवा बद कर सकते हैं। उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र में दिये जाने वाले ऋणों के सबध में पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। व्याज दर का विनियन्त्रण करने में भी वे स्वतंत्र हैं। रिजर्व बैंक द्वारा अब व्यापारिक बैंकों को अपनी अपनी व्याज दरों निर्धारित करने की आज्ञा देना भी एक प्रशसनीय कदम है जिससे बैंकों में आपसी प्रतिस्पर्द्ध बढ़ेगी। बैंकों द्वारा ग्राहकों को अधिक ग्राहक सुविधायें कम खर्च पर उपलब्ध कराई जा सकें, इस उद्देश्य से सरकार ने मार्च 1995 में 5 नये विदेशी बैंकों को भारत में बैंकिंग कार्य सम्पन्न कराने की सुविधा प्रदान कर दी है जो कि शीघ्र ही अपना काम प्रारम्भ कर देंगे। रिजर्व बैंक ने ऐसे विदेशी बैंकों के भारत में प्रवेश की शर्तों को भी उदार बना दिया है। इनमें से तीन प्रमुख बैंक हैं—बैंक ऑफ सीलोन (ओलका), स्थान कर्मशाल बैंक (थाइलैंड) तथा अब बगला देश बैंक (बगला देश)।

बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और निर्यात साख को भी बढ़ाया जा रहा है। प्राइवेट बैंकों को खोलने की अनुमति हो जाने से प्राइवेट बैंक भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्रतिस्पर्द्ध करेंगे और उससे ग्राहकों को अच्छी सेवा सस्ती दर पर मिलेगी। राष्ट्रीयकृत बैंक अब निजी पूजी भी आमत्रित कर सकते हैं। अत उनमें अधिक कुशल प्रबन्ध

नियत्रण एवं उत्तरदायित्व की भावना जागृत होगी। भारतीय स्टेट बैंक तथा ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के इश्यूज वो आ भी चुके हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी व्यक्तिगत लाभदायकता बढ़ाने के लिये कहा गया है। बैंकों को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से बदलने के लिए उन की कार्यप्रणाली का पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि वे अतिरेक उत्पन्न कर सकें और हूबते ऋणों की अधिक बसूली कर सकें।

(IV) प्राथमिक क्षेत्र—देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी वाधा है कृषि मामीण क्षेत्र में आधारभूत मरवना का अभाव। यह कठिनाई आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के पश्चात् और अधिक मुखर होकर सामने आई है। शक्ति, सचार, रेल, सड़क, सिचाई, भूमि-सरक्षण एवं बैंकिंग आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहा पर अब भी भारी विनियोग की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1995-96 के बजट में यह व्यवस्था की गई है कि निजी क्षेत्र को इन मरवनात्मक सुविधा की कमियों वाले क्षेत्रों में विनियोग आकर्षित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिये भारत सरकार नावार्ड सहयोग से एक नया प्रामीण मरवनात्मक विकास अनुदान लगभग 2,000 करोड़ रुपये की राशि से स्थापित करने जा रही है जो कि राज्य सरकारों एवं राज्यों द्वारा स्थापित नियमों को इन क्षेत्रों में चल रही ऐसी योजनाओं के लिये बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा। बान्धव में भारत जैसे कृषि प्रधान देश में प्राथमिक क्षेत्र में, जहा जनसत्त्वा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का बहुमत है, उन क्षेत्रों में नावार्ड प्रामीण क्षेत्रीय बैंकों तथा भाख सहकारिताओं के माध्यम से ऋण नुविधायें उपलब्ध करायेंगे। नावार्ड इस उद्देश्य के लिये 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगा।

वर्तमान स्थिति

भारत में आर्थिक सुधार लागू होने के पश्चात् अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। देश में जब ये सुधार प्रारम्भ हुए थे मुद्रा स्फीति की दर 17 प्रतिशत थी। जिसमें पहले दो-दोन वर्षों में काफी गिरावट आई। 1993 के मध्य में स्फीति दर घट कर 7 प्रतिशत रह गई। किन्तु 1994-95 में इस दर में फिर काफी वृद्धि हुई। 18 जनवरी, 1995 को समाप्त हुए सप्ताह में वह घट कर 11.55 प्रतिशत हो गई। इस वर्ष में विभिन्न महीनों में इसमें उत्तर-चढ़ाव होते रहे। फरवरी, 1995 में वह थोड़ी घटकर 11.37 प्रतिशत रह गई। भारत सरकार की सजगता तथा रिजर्व बैंक द्वारा ठारे गये कदमों से एक अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाले सप्ताह में वह पुन घट कर एक इकाई में (9.38 प्रतिशत) पर आ गई। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति को सख्त किया है। अत्यधिक तरलता पर रिजर्व बैंक ने कई दिशाओं से बार किया है। मावधि जमाओं से ब्याज की दर में एक प्रतिशत की वृद्धि की गई है। व्यापारिक बैंकों को निर्देश दिया है कि वे गैर खाद्यान्न ऋण देने में मावधानी बरतें क्योंकि रिजर्व बैंक का यह मत है कि उत्पादन माग की उपेक्षा भाख के विकास में अधिक वृद्धि हुई है। बैंकों द्वारा दी जाने

बाली साख की व्याज दर में भी एक प्रतिशत वृद्धि को गई है इससे भी तरलता में सिकुड़न आयेगी। अत यदि उद्योग अपनी कुशलता का स्तर बढ़ा लेते हैं तो बैंकों की 65,000 करोड़ रुपये की जमाराशि इसके लिये पर्याप्त होगी और उद्योगपतियों द्वारा लागत में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं होगा। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि इन उपायों में मुद्रास्फीति की दर को 8 प्रतिशत तक बनाया जा सकेगा।

जहा तक राजनीपीय धाटे का सबध है 1994-95 के बजट में उसे छह प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य था किन्तु वास्तव में वह 6.7 प्रतिशत रहा। 1995-96 के बजट में उसे 5.5 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। स्पष्ट है हमने जो वायदा विश्व बैंक को किया था हमारा राजनीपीय धाटा लगभग इस सीमा के निकट ही है।

हमारी विकास दर सुधारों को लागू करने में पूर्व एक प्रतिशत में भी कम थी। 1992-93 तथा 1993-94 में हम इसे बढ़ाकर 4.3 प्रतिशत तक ले आये थे। 1994-95 में यह 5.3 प्रतिशत थी और 1995-96 तक इसके छह प्रतिशत तक बढ़ जाने की समावना है।

जहा तक देश में खाद्यान्न का मबध है 1991-92 में यह 168 मिलियन टन होगा। इसका लाभ वह हुआ है कि हमारे खाद्यान्न भडार जो 1994 में 13.9 मिट्टन थे वे अब बढ़कर 30 मिट्टन हो गये हैं।

नई आर्थिक नीति ने रोजगार के क्षेत्र में अपने उत्तम परिणाम दिखाने प्रारम्भ कर दिये हैं। वर्ष 1991-92 में तीन मिलियन लोगों को रोजगार दिया गया था जो कि 1994-95 में बढ़कर छह मिलियन हो गया है।

आर्थिक नीति की आलोचना का एक और कारण यह भी बताया जाता था कि इसमें आयातों की बढ़ आ जायेगी और निर्यात कम हो जायेगे। किन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। इस नीति ने हमारे आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है और हमारे निर्यात अब 90 प्रतिशत आयातों की वित्तीय व्यवस्था करते हैं जबकि नई आर्थिक नीति से पूर्व निर्यात 60 प्रतिशत आयातों की वित्तीय व्यवस्था करते थे।

एक बात और भी ठल्लेखनीय है कि योजना काल के प्रथम 40 वर्षों में कुल मिलाकर जितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत को स्वीकृत हुआ था उससे कई गुण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1991-94 की अत्य अवधि में स्वीकृत हो चुका है।

आर्थिक सुधारों को अधिक उपयोगी बनाने के लिये सुझाव

(1) प्रन्यव कर की दरों में विवेकीकरण—यद्यपि वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने चैलियाह कमेटी के सुझावों के आधार पर प्रत्यक्ष करों में काफी छूटे दी हैं और उसे विवेकीकृत करने का प्रयास किया है किन्तु इस दिशा में आंतर बहुत कुछ किया जाना चाहिए है। उन्होंने इस बार भी आयकर की अधिकतम दर में कोई कटौती नहीं की है। यदि इसे

घटाकर बीम प्रतिशत तक ला दिया जाए तो यह उत्तम होगा। हमें टेक्स स्लेट्स में भी कमी करने चाहिये। हमें कर आधार का विस्तार करना चाहिये न कि बढ़ने करदागारों के ठन्डीडन में वृद्धि। हर्ष का विषय है कि वित्तमंत्री ने व्यापारियों एवं छोटे दुक्खनदारों पर अनुभानित कर लगा कर कर-आधार का विस्तार करने की दिशा में जहाँ कदम डाला है।

(2) विदेशी विनियम भवयों द्वारा मानीर्यर्ग करना—भारत में बढ़ रहे विदेशी पूजी आयाद से हमारा विदेशी विनियम भड़ार निरतर बढ़ रहा है जो 1993-94 में 15.07 अरब डालर था वह 1994-95 में बढ़कर 19.6 अरब डालर हो गया है। इससे डालर के तुलना में रुपये का मूल्य बढ़ जाने में हमारे नियंत्रों में कमी हो सकती है। अब रिजर्व बैंक ने डालर खरीदना भी प्रारम्भ कर दिया है जिसने मुद्रा को मात्रा में वृद्धि हो रही है। यदि नमय रहते इस प्रवृत्ति को नियंत्रित नहीं किया और विदेशी विनियम भड़ार के उत्पन्न मानीर्यर्ग नहीं को गई तो इसमें पुनर मुद्रा प्रसार का खतरा पैदा हो सकता है और कोमटों में वृद्धि हो सकती है।

(3) आर्थिक मुद्धारों का घानवीय आधार—नई आर्थिक नीति के आलोचकों का मत है कि आर्थिक मुद्धारों को लागू करने समय गरीब जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जा सकता है। ऐसे दृष्टिकोण से जनता को नहीं रखा जा सकता है। भरकार ने तो इन मुद्धारों के भाव गरीबी दूर करने तथा आर्थिक अनुभानता को कम करने के परम्परागत ढंगों का भी पूरा पूरा ध्यान रखा है। 1995-96 का बजट तो इसके प्रति पूर्णतः सजग रहा है। बजट में शामिल किये गये ऐसे कार्यक्रमों में इदिया विकास योजना में 10 लाख लोगों के लिए 1995-96 में रहने के लिये भक्तन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। एक राष्ट्रीय नेता नहायता योजना बना कर 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को वृद्धिवस्था पेशन 75 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। प्रामील ईंट्री के निवासियों को सामाजिक मुरक्का प्रदान करने के लिये एक बीमा योजना बनाई गयी है जिसके अन्वर्ग 70 रुपये वार्षिक प्रीमियम देकर 5,000 रुपए का जोखिम कवर करने के लिये एक सामाजिक बीमा दोलमी दी जायेगी और इस 70 रुपए की प्रीमियम राशि में ने भी आधा हिस्सा ही बोमाकृत व्यक्ति को देना होगा शेष केन्द्र एवं राज्य भरकारों वहन करेगा। इसी प्रकार दोपहर के खाने के मध्य में देहात के बच्चों के बास्ते एक बच्चा पौष्टिक योजना भी बनाई गई है। पिछले दो वर्षों के बजटों में भी सरकार ने प्रामोज ईंट्री के विकास के लिये काफी बड़ी धनराशि बन आवृत्त किया था और शिक्षा, स्वास्थ्य, भाष्टरता वथा जल प्रदाय जैसे कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया था ताकि जनमाधारण के जीवन स्तर को गुणवत्ता में नुधार लाया जा सके।

(4) आयनों पर मेरे लाइमैम हटाना—आयातों के काफ़ी बड़े भाग पर अब भी लाइसेंस प्रजाली का प्रभुत्व है। लाइसेंस रुपया क्लॉटराज धृष्टान्त एवं अकुशलता के जन्म देता है। अत लाइसेंस के प्रतिवध यद्याशीघ्र हटाये जाने चाहिये क्योंकि आयात वस्तुओं पर लगे प्रतिवध ऐसे ढंगों को सरकार द्वारा प्रदान करके उपभोक्ताओं को धृष्टि

किस्म की वस्तुओं को महगे मूल्यों पर खरीदने के लिए विवश करते हैं और पूजी प्रवाह के भी लाभकारी ठदोगों में प्रवाहित होने से योक्ते हैं।

(5) तटकरों का विवेकोक्तरण—इस समय स्थिति यह है कि निर्मित ठत्पादों पर कम्पोनेन्ट्स की अपेक्षा अधिक दर से कर लगता है। अत जब कई दरों होती हैं तो ऐसा हो सकता है कि ठत्पादन में प्रयुक्त होने वाली कच्ची वस्तु पर अतिम ठत्पाद की अपेक्षा अधिक दर से कर लग जाए। अत सभी तटकरों कर एक ही दर से लगाया जाना चाहिए चाहे ठत्पाद की प्रकृति कैसी भी हो। इसका एक और भी लाभ होगा कि इससे वस्तुओं के सभी प्रकार का वर्गीकरण समाप्त हो जायेगा और वर्गीकरण के कठरण होने वाली मुकदमेबाजी भी कम हो जाएगी।

(6) आर्थिक सुधारों को अत्यधिक स्वीकार्य बनाना—भारत में इस समय जनसख्त्या का लगभग 30 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा है। उसे आर्थिक सुधारों के लिये तब तक ठत्पाहित नहीं किया जा सकता है जब तक कि ये सुधार महगाई के रोकने में सफल नहीं हो पाते और 6 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में ठोस प्रयास साबित नहीं हो जाते। अत आर्थिक सुधार कर्त्यक्रम इस प्रकार चलाया जाना चाहिये कि इसका लाभ धनी लोगों के कम तथा निर्धनों के अधिक हो। इतना ही नहीं आर्थिक सुधारों की गति इतनी तेज भी नहीं होनी चाहिए जैसा कि लेटिन अमेरिका तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में हुआ है। वहां पर अति मुद्रास्फीति की रिस्ति पैदा हो गई है। भारत जैसे देश में तो इस सबध में और भी सावधानी बरती जानी चाहिये क्योंकि हमारा आय कम ग्राफ अत्यधिक विषय है।

(7) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का हाँआ निराधार—आर्थिक सुधारों के आलोचक यह कह कर इनकी आलोचना करते हैं कि भारत में एक 'ईस्ट इंडिया' कम्पनी व्यापार करने आई थी जो 150 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन करने में सफल हो गई थी। अब यदि उससे बड़े आकर्षण की बहुत अधिक सख्त्या में कम्पनिया आ गई तो देश की प्रपुसता खतरे में पड़ जाएगी। विदेशी पूजी के निर्बाध आयात से तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की स्थापना से देश के ठदोग बरबाद हो जायेंगे क्योंकि देशी कम्पनिया उनकी प्रतिस्पर्द्ध का मुकाबला नहीं कर पायेंगी। इस सबध में तो इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि "केवल बच्चे को ही सरथण दो।" जब वह बड़ा हो जाए तो उसमें प्रतिस्पर्द्ध में खड़े होने की क्षमता होनी चाहिये। देशी अक्षम ठदोगपतियों को अक्षमता का बोझ बेचाए उपभोक्ता क्यों उठाये। वैसे यदि हमारे देश का ठदोगपति ईमानदारी, लान, निष्ठा एवं नैतिकता से कर्य करे तो वह विश्व के किसी भी ठदोगपति से कम कुशल नहीं है। फिर विदेशी पूजी को भी भारतीय पूजी की बराबरी पर ही रखा गया है। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में स्थापित होने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रबध एवं नियन्त्रण (कुछ अपवादों को छोड़कर) भारतीयों के ही हाथ में होगा। उन कम्पनियों पर यह भी दायित्व ढाला गया है कि भारतीय प्रबधकों और उक्नीकी विशेषज्ञों के ठत्पादन प्रक्रियाओं में

प्रशिक्षण देंगे ताकि भारतीय विशेषज्ञ कालान्तर में विदेशी विशेषज्ञों के प्रतिस्थापन बन सकें।

निष्कर्ष

यद्यपि देश में अब भी मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है और आगे आने वाले समय में कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य प्रचलित रहेगी किन्तु भारतीय उद्योगों में विदेशी विनियोग पर नियन्त्रणों में ढील तथा विदेशी इक्विटी पार्टीसपेशन में उदारीकरण देश में अधिक विदेशी इक्विटी पूँजी को प्रोत्साहित करेगा। विदेशी पूँजी आनंदरिक पूँजी की कमी को पूर्ति करेगी। तकनीकी हस्तातरणों एवं आधुनिक प्रबद्धकीय तकनीकी ज्ञान के हस्तातरणों से आधुनिक तकनीकों का लाभ देश को मिलेगा। इस प्रकार नई आर्थिक नीति द्वारा विदेशी पूँजी को मिलने वाले प्रोत्साहन से हमारी आतंरिक बचत दूरी (गैप) तथा विदेशी विनियम दूरी भी भरेगा जिससे देश में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की गति तीव्र होगी।

कुछ लोगों को सदैह है कि आर्थिक सुधारों के लागू होने का वही परिणाम यहा भी होगा जो कि मैक्सिको का हुआ है। किन्तु ऐसे लोग निराशावादी हैं और उन्हें भारत एवं मैक्सिको की परिस्थितियों में अन्तर का ज्ञान नहीं है। मैक्सिको में आर्थिक सुधारों की असफलता का कारण वहा राष्ट्रीय आय की धीमी विकास दर एवं प्रतिवर्ष 45 प्रतिशत मुद्रारक्षीति की दर रहे हैं। यहा पर आर्थिक सुधारों को अत्यधिक तीव्र गति से अचानक ही अल्पावधि में लागू किया गया। किन्तु भारतीय परिस्थितिया वहा से पूर्णत भिन्न है। हमने अपने आर्थिक सुधार लागू करने की गति धीमी रखी है। यहा पर मुद्रा प्रमाण की दर भी नियन्त्रण से बाहर नहीं है। हमारे वित्तमंत्री भी अधिक मुलझे हुए एवं अनुभवी अर्थशास्त्री हैं। फिर भी हमें मैक्सिको के दुखद अनुभव का फायदा ठाना चाहिये किन्तु दूध में जल को देखकर पूरा दूध ही गदी नाली में नहीं पेंक देना चाहिये। □

बाल श्रम निवारण की चुनौतियां और समाधान

उमेश चन्द्र अग्रवाल

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही बच्चों को सरकार देने, उन्हें राष्ट्रीय निधि के रूप में पहलीवित होने देने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त अवसर देने के अनेक प्रयास किए गए। सरकार द्वारा देश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना हमारे सर्विधान की धारा 45 में उल्लिखित है। सर्विधान में ही नागरिकों के मूलभूत अधिकारों में मुख्यतः धारा 15(3) के द्वारा सरकार को बच्चों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार है और सरकार ने इस प्रकार के कई कानून बनाये भी हैं। धारा 23 के द्वारा बच्चों के क्राय विक्राय एवं उनके द्वारा गैर कानूनी तथा अनैतिक कार्य कराने पर रोक है। साथ ही बच्चों को भय दिखाकर या बिना पारिश्रमिक के काम कराना भी प्रतिबन्धित है। इसी प्रकार धारा 24 के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खटानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम पर लगाने पर रोक लगी हुई है। इसके अतिरिक्त सर्विधान के नीति-निर्देशक तत्वों में धारा 39 के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार को निर्देश दिये गये हैं। धारा 39 (ई) में सरकार को बच्चों के बचपन की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश हैं कि उन्हें ऐसे कार्यों में न लगाया जाए जो उनकी उम्र और स्वास्थ्य के लिए घातक हों।

कानूनी द्वारा सुरक्षा

बच्चों के लिए सर्विधान में प्रदत्त अधिकारों के सुनिश्चितीकरण और उनको शोषण से मुक्त कराने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न कानून भी बनाये गये हैं। जैसे 1949 में राजकीय विभागों एवं अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के नियोजन हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। कुछ अन्य कानूनों द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रमिकों को शोषण और पीड़ा से बचाने के लिए उनकी वर्ती हेतु न्यूनतम आयु और सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसमें बागान श्रमिक अधिनियम 1951, व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम 1958, मोटर परिवहन अधिनियम 1961, बीड़ी सिगरेट सेवा शर्त नियोजन अधिनियम आदि प्रमुख हैं। 1974 में 'राष्ट्रीय बाल नीति प्रस्ताव' भी प्रसरित किया गया

जिसमें बच्चों को पर्याप्त शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ शोषण के विरुद्ध ठन्हे सरक्षण प्रदान करने हेतु पर्याप्त उपाय करने पर जो दिया गया। बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में विस्तार से अध्ययन करने हेतु 1979 में गढ़ि 'गुरुपदास्वामी सभिति' ने भी बाल श्रमिकों की समस्या को गभीर बतावे हुए शीघ्र ही पर्याप्त एवं आवश्यक कदम उठाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सुझावों वे कार्यान्वयन हेतु प्रयास भी किए गए हैं।

बाल श्रम प्रथा के तन्मूलन हेतु सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास एक विस्तृत अधिनियम बनाकर किया गया है जिसे 'बाल श्रम नियेध एवं नियमन, अधिनियम 1986' कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 18 हानिकारक उद्योगों जैसे कालीन बुनाई, निर्माण कार्य, साबुन निर्माण और पत्थर काटने आदि में कार्य करने पर रोक लगा दी गई है। 1987 में 'राष्ट्रीय बाल-श्रम नीति' की घोषणा और इसके क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कदम भी उठाये गये हैं। अतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से इस हेतु दो परियोजनाएँ—आईपीईसी अर्थात् बाल श्रम के समाप्ति हेतु 'अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम' और सीएलएएसपी अर्थात् 'बाल श्रम कार्य दृष्टि सहयोग कार्यक्रम'—भी प्रारम्भ की गई हैं। सितम्बर 1990 में 'राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान' में श्रम मत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में अध्ययन, शिक्षण और प्रशिक्षण, शोध परियोजनाएँ आदि चलाने हेतु बाल श्रमिक कक्ष की स्थापना की गई है। इस कक्ष के प्रमुख उद्देश्य हैं—

- 1 भारत में विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रों में कार्यरत बाल श्रमिकों की स्थिति और दशा के बारे में प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध कार्य का विवरण प्रकाशित करना।
- 2 बाल श्रमिकों से सम्बन्धित विभिन्न कर्मियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न सचार सामग्री जैसे ब्रव्य व दृश्य, बीड़ियों, मुद्रित सामग्री आदि दैपार करना।
- 3 बाल श्रमिकों से सम्बन्धित मौजूदा कानूनों तथा उनके कार्यान्वयन का पुनरुत्तोकन करना।
- 4 कार्यशालाओं, सम्मेलनों, गोष्ठियों द्वारा, जिनमें विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं योजनाकर्त्तों, प्रशासकों और बाल श्रमिकों के क्षेत्र में कार्य कर रही गैर सरकारी समितियों का सहयोग लिया गया हो, लोगों को जागरूक तथा शिक्षित करने में महायता करना।
- 5 बाल श्रम पर विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयी विभागों तथा मत्रालयों के बीच राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना।
- 6 बाल श्रमिकों के क्षेत्र में कार्यरत प्रशासकीय कर्मचारियों और गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

7 अनुसधान और अत्यावधि फेलोशिप, अनुसधान परियोजनाओं आदि द्वारा प्रशिक्षण के लिए मुविधाएँ प्रदान करना ताकि इस क्षेत्र में अधिक जानकारी प्राप्त करें जा सके।

इम कक्ष द्वारा विभिन्न उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों का पता लगाकर चुनी हुई प्रथ्य मूची प्रकाशित करे गई है।

अनेक परियोजनाएँ

महकों पर धूमकर जीविका कमाने वाले बच्चों के कल्याण हेतु केन्द्र मरकार द्वारा आठवीं पचवर्षीय योजना में 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इम योजना को देश के 11 बड़े नगरों में लागू किया जा चुका है। गत वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवमर पर घोषित बाल श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु 850 करोड़ रुपये की पाच वर्षों की व्यापक योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू किये गये हैं। केन्द्रीय श्रम मंत्री ने इम शताब्दी के अन्त तक देश के 20 लाख बाल श्रमिकों को घातक उद्योगों से हटा लेने का सकल्प व्यक्त किया है और इम सम्बन्ध में कारगर कदम भी ठाये जा रहे हैं। 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बाल श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करके मध्यनियत राज्य मरकारों के माध्यम से इनकी समस्याओं के निराकरण और बाल श्रम ठन्मूलन हेतु विभिन्न प्रभावी कदम ठाने हेतु प्रयास किया जाना प्रशासनीय कदम है।

केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मगठन की महायता से राज्य मरकारों, गैर सरकारी भगठनों और श्रम मगठनों के सहयोग से बाल श्रम निवारण हेतु देश में कई परियोजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य परियोजना क्षेत्रों से धीरे धीरे बाल-श्रमिकों को हटाना है और बाल श्रमिकों के परिवारों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करके सम्बन्धित कानून के उचित पोषण की व्यवस्था बनाना है। घातक उद्योगों में बाल श्रमिकों को हटाने की योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय बाल श्रम ठन्मूलन प्राधिकरण' का गठन भी किया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और प्रयासों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कुछ गैर सरकारी संगठनों, मजदूर संघों और श्रमिक-परिषदों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इम सभी देश में 100 से अधिक गैर सरकारी संगठन बाल श्रमिकों के लिए कल्याण की योजनाएँ चला रहे हैं। यद्यपि इन संगठनों की पहुंच केवल बड़े बड़े नगरों तक और बाल श्रमिकों की लगभग एक प्रतिशत आवादी तक ही है लेकिन जिम प्रकार अन्त मरकार की नीति इम प्रकार के संगठनों को भरपूर सहयोग प्रदान करने की है, उससे आशा वधती है कि शीघ्र ही बाल श्रमिकों के उन्मूलन में इन संगठनों की और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी।

ठक्कत विवरण में भूषि है कि देश को बाल श्रमिकों से मुक्त कराने और इम समस्या

के नियाकरण हेतु अनेक प्रावधान, नियम, कानून, योजनाएँ और परियोजनाएँ परिचालित हैं। भरकारी, गैर सरकारी और अन्तर्राष्ट्रीय भगठनों के सहयोग में अनेकानेक ठोक प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन विडम्बना यह है जिसने बच्चों को इन प्रभासों के माध्यम से श्रम बाजार से मुक्त कराया जाना है उससे अधिक बच्चे श्रमिक के रूप में बाजार में पहुंच जाते हैं और उनकी सख्ता में कमी के स्थान पर बटोरी होती जा रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार यह सख्ता एक करोड़ 7 लाख और 1981 में एक करोड़ 11 लाख थी। 1986 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन द्वारा किए गये सर्वेक्षण के अनुसार यह सख्ता 1 करोड़ 73 लाख बढ़ाई गई है। वर्तमान में इस सख्ता के दो करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध के मौजूदन से किए गए नवीनतम नमूना सर्वेक्षण के अध्ययन से विदित होता है कि महानगरों में बाल श्रम को समन्व्य और गभीर है। केंद्रीय दिल्ली में बाल मजदूरों की सख्ता चार लाख बढ़ाई गई है जिसमें न सगमग एक लाख बच्चे विभिन्न घरों में मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। शेष छाय की दुकानों, ढाबों, स्कूलर और कार मरम्मत की दुकानों, भवन निर्माण और कुनौगिरी आदि के कादों में लगे हुए हैं।

विभिन्न दृष्टिगों में लगे बाल श्रमिकों को मख्ता पर मदि नजर ढालें दो पन्ना चलता है कि इनके ऊपर कई दृष्टिगों काफ़ी मीमा तक निर्भर करते हैं। जैसे क्लोन दृष्टिगों में मिजांपुर, मदोही (उप्र.), करमोर और जयपुर में लगभग टाई लाख बच्चे कर्मचर हैं। बीड़ी दृष्टिगों में भी टाई लाख, पीरवल और काच दृष्टिगों में लगभग एक लाख, दियातलई और आतिशबाजी में 50 हजार, बृक्षारोपण में लगभग 70 हजार, जरों की कढाई में लगभग 45 हजार बच्चे श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त हीरे जवाहरत पर पालिश, चौपी मिट्टी, हस्तशिल्प, हौंसरी, हैंडलूम, लकड़ी की नक्काशी, स्लेट, पत्थर की खुदाई आदि दृष्टिगों में भी कपकों बड़ी सख्ता में बाल श्रमिक लगे हुए हैं।

समस्या को सुलझाने में चुनौतिया

देश को बाल श्रमिकों के क्लस्क में मुक्ति दिलाने हेतु अभी तक किए गये प्रयत्नों और उनमें मिले परिणामों के अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता जा सकता है कि इस महत्वपूर्ण अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं जिनके विषय में गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। और उनके नियन्त्रण हेतु व्यावहारिक समाधान खोजे जाने चाहिए। नामान्य तौर पर इस सम्बन्ध में पहली चुनौती इनके बारे में सही आकड़ों का उपलब्धी की है। श्रमिकों के सम्बन्ध में सरकारी भगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रशिक्षणों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों आदि द्वारा प्रकाशित आकड़ों में बहुत कुछ मिलती है। अत यह समस्या के नियाकरण की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में मही मही आकड़े एकत्र किए जायें। इस कार्य के लिए सरकार के यदि आवश्यक हो तो केवल कुछ प्रतिष्ठित एवं विश्वतनीय स्वयंसेवी मन्दाओं को सहायता लेनी चाहिए तथा इस ओर विशेष ध्यान देकर विभिन्न प्रकार के

कार्यों में लगे बाल श्रमिकों की ठीक-ठीक सख्त्या, उनकी ठीक ठीक आयु, पारिवारिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, कार्य के घटे, कार्य की दशाएँ, वेतन अथवा पारिश्रमिक की दरों आदि की ठीक-ठीक सूचनाएँ सकलित की जानी आवश्यक हैं तभी उनके पुनर्वास और कल्याण की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

बाल श्रमिकों की समस्या को सुलझाने में दूसरी प्रमुख चुनौती अधिक विपन्नता अथवा बेरोजगारी से सम्बन्धित है। देश में अधिकांश बाल श्रमिक पारिवारिक गरीबी अथवा पारिवारिक बेरोजगारी के शिकार हैं। परिवार के सदस्यों को दो जून की रोटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभिभावकों द्वारा उन्हें असमय ही परिवार के बोझ को उठाने के लिए विवश किया जाता है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनमें कोई प्रौढ़ सदस्य नहीं है और मजबूरी में उन परिवारों के बच्चों को श्रम बाजार की शरण लेनी पड़ रही है। हालांकि युवकों को रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु, सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ और सुविधाएँ प्रदत्त कराई जा रही हैं लेकिन जनसख्त्या के बढ़ते प्रकोप के कारण उनका असर आशिक तौर पर ही हो पा रहा है। इस समस्या के निराकरण के लिए प्रत्येक परिवार के कम से कम एक प्रौढ़ सदस्य को रोजगार के अवसरों की गारटी प्रदान करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके लिए सरकार को अधिक प्रभावी योजनाएँ बनाकर उनको ठीक से क्रियान्वित करना होगा तथा ऐसे परिवारों को जिनमें कोई प्रौढ़ अथवा रोजगार युक्त सदस्य नहीं है, उनको नियमित आय के साधन खुटाने हेतु आवश्यक कदम उठाने होंगे।

इस समस्या के लिए उत्तरदायी तीसरी प्रमुख चुनौती इन्हें रोजगार देने वालों की लोधी अथवा शोषण की प्रवृत्ति है। ये चाहे ढाबों और चाय की दुकानों के मालिक हों घरेलू नौकरों के रूप में कार्य कराने वाले सेठ, साहूकार अथवा अफसर हों अथवा काच, जरी, कालीन, आविशवाजी, माचिस आदि उद्योगों को परिचालित करने वाले उद्योगपति हों, सभी का उद्देश्य अधिक से अधिक श्रम कराकर कम से कम पारिश्रमिक भुगतान कर उनका शोषण करने का रहता है। इसके लिए यदि उन्हें कानून की परिधि से बचने लिए झूठे सच्चे आकड़े प्रस्तुत करने पड़ें तो उन्हें कोई सकोच नहीं होता है। इस चुनौती का मुकाबला सरकार को अपने निगरानी तत्र को मजबूत करके तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की सहायता से दृढ़तापूर्वक करना होगा।

इस क्षेत्र में चौथी प्रमुख चुनौती इस समस्या के समाधान हेतु बनाये गये नियमों और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से सम्बन्धित है। यद्यपि बच्चों को श्रमिकों की दुनिया में प्रवेश से रोकने हेतु अथवा उनके शोषण को प्रतिबन्धित करने हेतु सरकार ने अनेक कानूनी प्रावधान किए हैं लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि इन कानूनों और प्रावधानों का न तो कड़ाई से पालन सम्भव हुआ है और न ही इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त वातावरण बनाया जा सका है। यद्यपि पिछले कई वर्षों से इस दिशा में सरकार ने कुछ कड़े और प्रभावी कदम भी उठाये हैं और कहीं कहीं अच्छी सफलता भी

अधिकार को है लेकिन उपलब्ध कानूनों में खामियों का लाभ उठाकर अधिकार दोषी लोगों को दफ्तर कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इन चुनौती का सामना करने हेतु सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि सम्बन्धित अधिनियम में सशोधन कर 14 वर्ष तक को आयु के सभी बच्चों को किसी भी ठिकाने अद्वा प्रक्रिया में रोजगार देने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये और बाल श्रम शोषण को गैर जमानती अपराध घोषित कर कड़ी-से-कड़ी सजा की व्यवस्था करे। इसके साथ-साथ कानूनी प्रावधानों को इतना सशक्त और प्रभावी बनाया जाये जिससे कि अपराधी को बच निकल जाने हेतु कोई रास्ता नहीं मिल सके।

बाल श्रम निवारण के क्षेत्र में पाचवीं प्रमुख चुनौती इन्हे श्रम क्षेत्र में हटाकर इनके पुनर्वास अद्वा शिक्षा की व्यवस्था से सम्बन्धित है। कानूनी प्रावधानों का दृढ़दापूर्वक उपयोग कर इन्हें इनके कार्यक्षेत्र में हटा कर इनके उचित पुनर्वास एवं शिक्षा की समुचित व्यवस्था तुरन्त उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। साथ ही साथ अब आवश्यक हो गया है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निश्चित रूप से मविधान में शामिल नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाये। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विद्यालय जाने वाले इस आयु वर्ग के बच्चों की मख्या 2 करोड़ में बढ़कर 15 करोड़ भी अधिक हो गई है लेकिन अभी तक लगभग 1.5 करोड़ बच्चे विद्यालयों में नहीं जा पाते हैं। इन बच्चों के माता पिता को प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जागरूक और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जाना भी आवश्यक है। पर्याप्त प्रचार द्वारा जन भावनाओं को प्रेरित कर जनमानस के इस बुराई के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। कानूनों के प्रभावों क्रियान्वयन के साथ साथ जन सहयोग और जन चेतना द्वारा भी इस बुराई को नियन्त्रित करने में सहायता प्राप्त की जा सकती है। बाल अधिकारों के समर्थक अनुरोद्धार संगठनों की अभी हाल ही में बाल श्रमिकों के हाथों से बने सामान की समूर्ध विश्व में बहिष्कर कर दमको बैठे ठोस कदम भी अपने देश के नागरिकों द्वारा उठाये जा सकते हैं।

टक्के वर्षित भभी प्रयासों से निश्चित हो हमारा समाज बाल श्रमिकों से मुक्त हो सकेगा और देश के भभी बच्चों को उनके अधिकार प्राप्ति का मार्ग प्रशम्न होगा। पिछले 5-6 वर्षों से विशेष रूप से इस मुद्दे की ओर अतर्यायीय झूकदू, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा इम ममले पर दिए गए वक्तव्य और योजनाओं की घोषणा, सत्तद और कुछ राज्यों के विधान महलों में इम मामले में छिड़ी बहस और उठाये गये ठोस कदम, सन् 2000 तक सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य मेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु सरकार का दृढ़ निश्चय, गैर मरक्करी संगठनों और श्रमिक संघों की भागीदारी और जन सचार माध्यमों द्वारा जन चेतना के प्रयासों से जो अनुकूल वातावरण बना है, उससे विश्वास हुआ है कि निश्चित ही अब इस दिशा में आशारीत सफलता प्राप्त होगी और लाखों-करोड़ों बच्चों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो सकेगों □

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन

एस. सी. गुप्ता

निगम की स्थापना (Establishment of IFCI)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात् 1948 में सप्तद में एक विशेष अधिनियम "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948" पारित करके की गयी थी। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत का सबसे पुराना व पहला विकास बैंक है। यह औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन एवं मध्यमकालीन वित्तीय सुविधायें प्रदान करता है। यह निगम परियोजना वित्त पोषण, वित्तीय सेवायें तथा प्रवर्तन सेवायें प्रदान करता है। परियोजना वित्त-पोषण (Project Financing) के अधीन निगमित और सहकारी बैंकों की औद्योगिक इकाइयों को उनके नये सिरे से स्थापित करने के लिए, विस्तार, विविधोकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सुविधायें उपलब्ध करवाता है। वित्तीय सेवाओं (Financial Services) में बैंकेन्ट बैंकिंग और समवर्गीय सेवायें, उपस्कर वित्त पोषण, उपस्कर लीजिंग, उपस्कर उपार्जन तथा पूर्तिकार ठापार योजना भवित्वित हैं। प्रवर्तन सेवाओं (Promoter's Services) में वकनीकी सलाहकार सहायता, जोखिम पूँजी, उद्यम पूँजी, प्रौद्योगिकी विकास, पर्यटन तथा पर्यटन से सम्बन्धित कार्य-कलाप, आवास, प्रतिभूति बाजार का विकास, निवेशकर्ताओं की सुरक्षा, अनुसधान, प्रबन्धकीय दक्षता का विकास, उद्यमियों का विकास इत्यादि सम्भित है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) ये सभी सेवायें तथा सुविधायें औद्योगिक विकास के लिए प्रदान करता है। आईएफसी (उपक्रम कर अवरण एवं निरसन) अधिनियम 1993 के अनुसार आईएफसी अधिनियम 1948 के अधीन गठित आईएफसीआई उपक्रम का कार्य 1 जुलाई, 1993 से इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कंपोरिशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड नाम के एक नवीन कम्पनी को संतुष्टि गया है। गत चर्चों में निगम के कार्यक्षेत्र में इसकी भूमिका की आवश्यकता की ध्यान में रखते हुए कहफी विस्तार किया गया है।

निगम के वित्तीय स्रोत (Financial Resources of IFCI)

निगम अपने वित्तीय संसाधन अशपूजी, कोप एवं अधिशेष, दीर्घकालीन ऋण, चालू दायित्व एवं प्रावधान इत्यादि से जुटाता है। यह दीर्घकालीन ऋण बौद्धस निर्गमित करके, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम व इसकी सहायक इकाइयों, भारत सरकार, क्रिटिकास्टल्ट-फर-बाइडरफर्म (KFW), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा निर्गमित किये गये विदेशी बौद्धस से प्राप्त राशि में से विदेशी मुद्रा ऋण तथा विदेशी ऋण संस्थाओं से विदेशी मुद्रा में छूप ले सकता है।

31 मार्च, 1994 को निगम की प्राधिकृत पूजी (Authorised Capital) 1000 करोड़ रुपये थी, जो दस रुपये वाले अशपत्रों में विभक्त है। इसी तिथि को निगम की निर्गमित और अभिदृढ़ पूजी (Issued & Subscribed Capital) 353.62 करोड़ रुपये थी तथा चुकवा अशपूजी (Paid up Share Capital) भी 353.62 करोड़ रुपये थी। इसमें सार्वजनिक निगम के माध्यम से जुटायी गयी रकम 136.6 करोड़ रुपये सम्मिलित है। इनके रिजर्व एवं निधिया 998.5 करोड़ रुपये की थी। भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक से उधार 16.9 करोड़ रुपये और बौद्धस तथा ऋणपत्रों के रूप में उधार की रकम 4145.5 करोड़ रुपये भी सम्मिलित थे। इसी तिथि को निगम की कुल परिसम्पत्तिया 10255 करोड़ रुपये की थी जिसमें 412 करोड़ रुपये के विनियोग और 8412 करोड़ रुपये के ऋण एवं अप्रिम सम्मिलित थे।¹

निगम का प्रबन्ध एवं संगठन (Management and Organisation of IFCI)

निगम का प्रबन्ध एक सचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के अलावा 12 अन्य सचालक होते हैं। पूर्णकालिक अध्यक्ष को नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के द्वारा की जाती है तथा शेष 12 सचालकों में 4 सचालक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) के द्वारा, 2 सचालक केन्द्रीय सरकार के द्वारा, 2 सचालक अनुसूचित बैंकों के द्वारा, 2 सचालक बीमा एवं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा तथा शेष सचालक सहकारी बैंकों द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। सचालक मण्डल निगम के कामों का सचालन व्यवसाय, उद्योग तथा जन साधारण के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक सिद्धान्तों एवं नीतियों के आधार पर करता है। इसकी सहायता के लिए एक केन्द्रीय समिति भी बनायी गयी है जिसमें पांच सदस्य होते हैं। निगम को समय-समय पर परामर्श देने के लिए पांच सलाहकार समितिया और गठित की गयी हैं जो सूती वस्त्र, चौनी, इजीनियरिंग, रासायनिक उद्योग व विविध उद्योगों से सम्बन्धित हैं। निगम केन्द्रीय मरकार के द्वारा दिये गये निदेशों का पालन करने के लिए पूर्णरूप से बाध्य है।

जैसा कि उम्र बताया गया है कि निगम का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।

¹ भारत में विकास बैंकिंग की रिपोर्ट 1993-94 खेत्र 26

इमके अलावा इसके 8 थेट्रीय कार्यालय—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, चण्डीगढ़, हैदराबाद, गौहाटी तथा नई दिल्ली में हैं और 12 शाखा कार्यालय—अहमदाबाद, बगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कानपुर, कोचीन, जयपुर, पणजी, पटना, पुणे, शिलाग व शिमला में हैं। इस प्रकार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के कार्यालय मम्पूर्ण राष्ट्र में फैले हुए हैं।

निगम के कार्य (Functions of IFCI)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करता है—

- (1) निगम मम्पूर्ण देश में औद्योगिक विकास के लिए मुख्य रूप से दो कार्यों के लिए क्रम देता है—(A) परियोजना वित्त-पोषण (Project Financing) तथा (B) प्रवर्तन मम्पन्धी क्रियायें (Promotional Activities)।
- (2) परियोजना वित्त पोषण मम्पन्धी क्रियाओं (Project Financing Operations) में निगम प्रत्यक्ष वित्तीय महायता निगमित एव महकारी थेट्रों में स्थापित होने वाली नवीन इकाइयों, ठनके विकास एव विनार, विविधीकरण तथा आधुनिककरण के लिए कई स्थानों में देता है। यह महायता भारतीय रूपया, विदेशी मुद्रा क्रम, अभिगोपन, प्रत्यक्ष अशफत्रों एव क्रणपत्रों का क्रय, स्थागित भुगतानों की गारण्टी तथा विदेशी ऋण के रूप में होती है।
- (3) निगम की प्रवर्तन मम्पन्धी क्रियाओं में प्रामीण और पिछड़े हुए थेट्रों में ठद्योगों का ठद्भव एव विकास मम्पिलित है। इमके साथ ही निगम प्रामीण और पिछड़े हुए थेट्रों में, अपने द्वारा स्थापित तकनीकी भलाहकार मगठन के महयोग से साहभियों का भी विकास करता है। इमकी प्रवर्तन सम्पन्धी मेवायें अनुसूचित जाति, अनुमुचित जनजाति और शारीरिक रूप में अव्वस्थ (Handicapped) लोगों के लिए भी ठपलव्य हैं।
- (4) चर्तमान में निगम डच भार्क लाइन साथ, जो कि इसे जर्मन मधीय गणराज्य (Federal Republic of Germany) क्रेडिटास्टाल्ट फर-वाइडरफक्ट (Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, KFW) से प्राप्त है, में व्यवसाय करता है। अभी हाल ही में, निगम को यह अनुभवित पिली है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय पूजी बाजार में अपने को पवान सकता है।
- (5) निगम ने नई दिल्ली में एक जोखिम पूजी प्रतिष्ठान (Risk Capital Foundation, RCF) को स्थापना, अभी कुछ वर्ष पूर्व को है, जो साहसियों को प्रवर्तन मम्पन्धी कोषों में अपना हिस्सा बढ़ाने को प्रेरित करता है।
- (6) ठद्योगों के प्रवन्ध में पेशेवर व्यक्तियों को बढ़ाने तथा ठनकी कार्य-कुशलता में

वृद्धि करने के लिए निगम ने प्रबन्ध विकास संस्थान (Management Development Institute, MDI) की स्थापना की है तथा इसकी एक विस्तार शाखा के रूप में विकास बैंकिंग केन्द्र (Development Banking Centre, DBC) भी स्थापित किया है।

- (7) निगम ने अन्य अधिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर भारतीय साहसी विकास प्रतिष्ठान (EDII) की स्थापना की है जिसका प्रमुख ठहरे साहसी विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा साहसी विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देने वालों को प्रशिक्षित करना है।
- (8) निगम, भारत मरकर द्वाये स्थापित “शक्ति विकास कोष” वा “बृद्धि आधुनिकीकरण कोष” के प्रशासन के लिए एक जिम्मेदार संस्था के रूप में भी कार्य कर रहा है।
- (9) निगम मध्येन्ट बैंकिंग नेवाये भी प्रदान करता है।
- (10) निगम ने अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों के प्रोत्साहन देने के लिए देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और प्रबन्ध संस्थानों से सम्पर्क जोड़े हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गौहाटी और मद्रास विश्वविद्यालयों में तथा भारतीय प्रबन्ध सम्बन्धान, अहमदाबाद (IIMA) में अपनी एक-एक कुल्ता (Chair) स्थापित की है।

निगम की उपलब्धिया (Achievements of IFCI)

निगम के द्वाये किये गये कार्यों की प्रगति का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

- (1) कुल स्वीकृत एवं वित्तित महायता (Total Sanctioned and Disbursed Assistance) 31 मार्च, 1994 के निगम अपनी स्थापना के लगभग 47 वर्ष पूरे कर चुका है। इस अवधि के दौरान निगम ने अपने ठहरे देशों के अनुसार देश में औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन एवं मध्यमकालीन वित्तीय महायता प्रदान की है। 31 मार्च, 1994 तक निगम ने देश में औद्योगिक विकास के लिए कुल 19293.7 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है तथा जिसमें से 12545.1 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की है। इसे टालिका 1 द्वाये बताया गया है।

टालिका 1 के विस्तैषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के द्वाया अपने अब तक के सम्पूर्ण जीवनकाल में स्वीकृत एवं वितरित वित्तीय सहायता में कुछ वर्षों को छोड़कर अच्छी वृद्धि हुई है तथा कुल स्वीकृत वित्तीय सहायता में कुल वितरित सहायता का प्रतिशत भी सदैव लगभग दो तिहाई रहा है। वर्ष 1971-72, 1973-74, 1982-83 तथा 1985-86 में यह प्रतिशत 75 से भी अधिक रहा है और वर्ष 1974-75 में यह प्रतिशत 127.58 रहा है। निगम ने अपने द्वाये स्वीकृत कुल वित्तीय सहायता में से 65.02 प्रतिशत वितरित की है जो लगभग दो तिहाई है।

तालिका 1
कुल स्वीकृत एवं विनाशित वित्तीय सहायता

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कुल स्वीकृत सहायता	कुल विनाशित सहायता	विनाशित सहायता में	प्रतिशत
				कुल स्वीकृत सहायता का
1970-71	32.3	17.4		53.86
1971-72	28.7	23.3		81.18
1972-73	45.7	28.0		61.26
1973-74	41.9	31.9		76.13
1974-75	29.2	37.0		127.58
1975-76	51.3	34.7		67.64
1976-77	76.6	54.9		71.67
1977-78	113.4	57.5		50.70
1978-79	138.5	73.5		53.06
1979-80	137.9	91.0		65.98
1980-81	206.6	108.9		52.71
1981-82	218.1	169.4		77.67
1982-83	230.2	196.1		85.18
1983-84	321.9	224.5		69.14
1984-85	415.4	272.9		65.69
1985-86	499.2	403.9		80.90
1986-87	798.1	451.6		56.58
1987-88	922.6	657.1		71.22
1988-89	1635.5	997.5		60.99
1989-90	1817.0	1121.8		61.73
1990-91	2491.9	1574.1		63.16
1991-92	2392.9	1604.8		67.06
1992-93	2471.8	1732.5		70.09
1993-94	3980.7	2163.1		54.33
1994-95	19293.7	12545.1		65.02

मोट भारत में विकास दैविंग की रिपोर्ट 1993-94, ऐज 23

(2) योजनावार स्वीकृत एवं सविनाशित वित्तीय सहायता (Plan-wise Sanctioned and Disbursed Financial Assistance) निगम देश के औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन एवं भव्यमकालीन वित्तीय सुविधायें परियोजना वित्त (Project Financing) तथा वित्तीय सेवायें (Financial Services) के रूप में प्रदान करता है। निगम परियोजना वित्त-रूपया वित्त, विदेशी मुद्रा ऋण, हामीदारी-साधारण एवं पूर्वांधिकार अशपत्र, ऋणपत्र एवं बौद्धन्, प्रत्यक्ष अभिदान, गाराण्टी इत्यादि के रूप में प्रदान करता है तथा वित्तीय सेवायें—ठपकरण लॉंजिंग, ठपकरण खारीट, ठपकरण ऋण,

आनूर्तिकर्ता ब्रह्म, क्रेता ब्रह्म, किस्त ब्रह्म, लोचिंग और किराया खरीद संस्थाओं के विद इत्यादि के रूप में प्रदान करता है। निगम के द्वाएँ योजना बार स्वीकृत, संविधानित महायता तथा बक्षया राशि का 31 मार्च, 1994 तक क्या अंतर तात्त्विक 2 में दिया गया है—

तात्त्विक 2

योजनाबार स्वीकृत संविधानित सहायता तथा बक्षया राशि 31 मार्च 1994 को

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना	स्वीकृत सहायता	संविधानित सहायता	बक्षया राशि
1 परियोजना वित्त:			
(क) रुपया वित्त	11418.7	8544.0	5586.3
(ख) विदेशी मुद्रा रुपये	2669.3	1936.3	2103.2
(ग) हानीदारी-			
(i) इकिवटी/अधिमान शेदर	727.1	99.4	62.9
(ii) डिवेचर एवं बैन्डस	430.3	43.1	29.3
(ग) प्रनदन अभियान-			
(i) इकिवटी/अधिमान शेदर	129.0	86.5	149.4
(ii) डिवेचर एवं बैन्डस	358.5	169.2	97.2
(ग) गार्हटिया	976.1	495.0	413.0
उपचोड़	16709.0	11273.5	8441.3
2 विद्युत सेवाएँ			
(क) उपकरण लोचिंग	584.4	291.8	169.4
(ख) उपकरण खरीद	35.8	26.7	16.9
(ग) उपकरण रुपये	677.4	505.7	333.3
(घ) आनूर्तिकर्ता रुपये	260.1	33.3	18.3
(इ) क्रेता रुपये	637.6	120.6	65.6
(ब) किस्त रुपये	10.5	7.8	-
(द) लोचिंग और किटया खरीद	373.9	285.7	157.3
संस्थाओं को वित्त			
उपचोड़	2584.7	1271.6	760.7
कल्प. डोड	19193.3	12545.1	9312.0

सेवा भारत में विकास बैंकिंग की रिपोर्ट 1993-94, पेज 141

यदि हम तात्त्विक 2 का विश्लेषण करें तो पता लगता है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड ने 31 मार्च, 1994 तक कुल स्वीकृत सहायता में से 16709 करोड़ रुपये को सहायता परियोजना वित्त के लिए स्वीकृत की गयी है जो कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 85 प्रतिशत है तथा 2584.7 करोड़ रुपये को सहायता विद्युत सेवाओं के लिए स्वीकृत की गयी है जो कुल स्वीकृत महायता का लगभग 15 प्रतिशत

है। इसी प्रकार निगम ने अपने आर्थिक जीवन काल में कुल विवरित सहायता में से 11273.5 करोड़ रुपये की महायता परियोजना वित्त को विवरित की है जो कुल विवरित महायता का लगभग 89.86 प्रतिशत है तथा शेष लगभग 10 प्रतिशत विवरित सहायता वित्तीय मेवाओं के गयी है। 31 मार्च, 1994 के निगम की कुल बकाया धनराशि 9202 करोड़ रुपये थी जिसमें 8441.3 करोड़ रुपये परियोजना वित्त के रुपा 760.7 करोड़ रुपये वित्तीय मेवाओं के मम्मिलित थे।

(3) उद्योग वार स्वीकृत सहायता (Industry wise Sanctioned Assistance) निगम देश में सभी बड़े उद्योगों के विकास के लिए दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय महायता स्वीकृत एवं विवरित करता है। निगम ने अपने आर्थिक जीवनकाल के 46 वर्षों में जो विभिन्न उद्योगों को आर्थिक महायता स्वीकृत की है उसका व्यौरा निम्न तालिका 3 में दिया गया है—

तालिका 3
31 मार्च, 1994 को उद्योग वार स्वीकृत सहायता

(राशि करोड़ रुपयों में)

उद्योग	राशि	कुल स्वीकृत सहायता का प्रतिशत
1 द्वाद्ध उत्पाद	1281.7	6.65
2 खाद्य	2166.8	11.24
3 कागज	617.0	3.19
4 रेह	279.7	1.45
5 टर्टरक	750.3	3.88
6 रसायन एवं रसायन उत्पाद	2317.5	12.02
7 भोजनपट्ट	1218.1	6.32
8 मून धानुषे		
(a) सोहा एवं इस्पात	2659.0	13.78
(b) अन्तैह	149.3	0.78
9 धानु उत्पाद	192.6	0.99
10 मरीनटी	594.3	3.08
11 विभिन्नी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति	1378.2	7.25
12 परिवहन उत्पत्ति	677.8	3.52
13 विभिन्नी उत्पादन	1031.6	5.34
14 मेवाएँ	921.4	4.77
15 अन्य	3038.4	15.74
कुल रेंग	19273.7	100.0

स्रोत रात में विकास बैंकिंग की रिपोर्ट 1993-94, पृष्ठ 145

यदि हम दालिंब 3 के विस्तृत बन करें तो पटा लगता है कि नियम ने दृष्टि ने विधिन ठिकानों के अन्ते आर्थिक जीवनक्रम में जो विदीप चहरा स्वरूप के हैं उसके विवरण भाग-मूल घटना ट्रोन, रसायन एवं रसायन ठत्ताद, वत्त ट्रोन, विनों और इत्येक्ष्वानिक उपक्रम, खाद उत्पाद इत्यादि के गया है जो कुल स्वरूप महज व्यवसाय 5। प्रदिवाव है वहा रोप लगाया जायी स्वीकृत सहरदा रन्द ट्रोन के गया है।

(4) राज्यवार स्वीकृत सहरदा (Statewise Sanctioned Assistance): नियम देश के सभी राज्यों द्वारा केन्द्र संचालित प्रदेशों के औद्योगिक विकास के लिए दिवाव वहरदा प्राप्ति ने हां स्वीकृत करता है। नियम के द्वारा स्वीकृत सहरदा के राज्यवार व्यौध दालिंब 4 ने दिया गया है—

दालिंब 4 राज्यवार स्वीकृत सहरदा (31 दिसंबर 1994 वां)

(रुपीय कर्ड रुपीय)

राज्य	रुपीय	कुल स्वीकृत सहरदा का अनुप्राप्ति
1. ब्रह्मपुर्देश	1549.5	8.73
2. झारखण्डप्रदेश	0.2	0.01
3. झज्जन	116.1	0.60
4. बिहार	277.7	1.23
5. बंगल	36.0	0.15
6. गुजरात	3254.5	15.53
7. हायदराबाद	692.1	3.19
8. हिन्दूस्तनप्रदेश	361.1	1.57
9. बंगलुरु कर्नाटक	29.3	0.13
10. कर्नाटक	953.2	4.94
11. केरल	215.9	1.12
12. नवज़देश	1308.5	7.09
13. नेहराह	3137.1	16.12
14. नेपाल	2.4	0.01
15. नेपाल	8.0	0.04
16. नगालैंस	2.6	0.01
17. छोटाई	453.6	2.36
18. पश्च	1025.7	5.33
19. राजस्थान	1013.1	5.25
20. दिल्ली	3.0	0.01

21. दैनिकनालू	1311.5	6.80
22. जिउरु	4.4	0.02
23. डलखंदेश	2059.6	10.67
24. खीरपटी बहाल	1002.9	5.21
25. राष्ट्रीय राजधानी एवं-दिल्ली	511.0	2.65
26. साथ इन्डस्ट्रियल प्रदेश:	122.7	0.65
(क) अग्निपान और बिल्डर	2.7	0.01
(ख) दमन और टीव	6.0	0.03
(ग) दादर और नवर हवेली	19.1	0.10
(घ) चाष्टीबढ़	17.2	0.09
(ज) घारियेरी	77.7	0.40
कुल योग	19293.7	100.0

मेरा यात्रा में विकास बोर्ड व्ही रिपोर्ट 1993-94, पृष्ठ 142.

वालिका 4 के विस्तेषण से पता लगता है कि निगम ने सम्पूर्ण भारत में सबसे अधिक वित्तीय सहायता की स्वीकृति महाराष्ट्र, गुजरात, डलखंदेश, आग्नेयप्रदेश तथा मध्यप्रदेश के दो हैं जो इसकी कुल स्वीकृति सहायता का लगभग 58 प्रतिशत है जो आधी से भी अधिक है तथा शेष स्वीकृत सहायता अन्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के गयी है जो कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 42 प्रतिशत भाग है।

(5) पिछड़े हुए क्षेत्रों को स्वीकृत सहायता (Assistance Sanctioned to Backward Areas) निगम देश में औद्योगिक सहायता प्रदान करते समय पिछड़े हुए एवं कमज़ोर थेत्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देता है। निगम के द्वारा 31 मार्च, 1994 तक जो कुल सहायता देश में औद्योगिक विकास के लिए 19293.7 करोड़ रुपये की स्वीकृत की गयी है उसमें से 9086.7 करोड़ रुपये पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए है जो कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 47 प्रतिशत है। निगम के द्वारा पिछड़े हुए एवं कमज़ोर थेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत सहायता का राज्यवार व्यौग्य वालिका 5 में दिया गया है—

चृत्तिका 5

निम्न द्वारा लिखे हुए क्षेत्रों को एव्वला स्वीकृत विक्रीय सहायता दा व्यापार 31 मार्च 1994 ल

(परियोग संख्या)

राज्य	लिखे हेतु को स्वीकृत सहायता	कुल लिखे हेतु को स्वीकृत सहायता का प्रदान
1. आइनदेश	714	7.52
2. अहमदाबाद प्रदेश	02	0.01
3. असम	1161	1.27
4. बिहार	464	0.52
5. गोवा	560	0.54
6. गुजरात	988.9	10.33
7. हरियाणा	221.3	2.44
8. हिमाचल प्रदेश	361.1	3.97
9. जम्मू-दक्ष कश्मीर	29.8	0.33
10. कर्नाटक	460.7	5.07
11. केरल	928	1.02
12. मध्यप्रदेश	1295.8	14.15
13. महाराष्ट्र	1311.6	14.45
14. मणिपुर	24	0.02
15. मेघालय	80	0.09
16. नागालैण्ड	26	0.02
17. उड़िसा	201.3	2.22
18. पञ्जाब	433.8	5.32
19. राजस्थान	555.7	6.12
20. मिशिगन	30	0.03
21. उत्तरप्रदेश	499.8	5.50
22. दिनुप	44	0.05
23. उत्तराखण्ड	1095.2	12.05
24. पर्सियन बगाल	412.9	4.55
25. राष्ट्रीय एवं धनी संसदित्यों		
26. सभ इंसिट फैद	1053	1.16
(अ) अमृकान और निवीबर	2.7	0.03
(ब) दफन और दृष्टि	60	0.06
(ग) दादरा और नगर हवेली	191	0.21
(घ) बडोगढ़		
(द) पाहिंवेठे	777	0.86
कुल केंद्र	9086.7	100.0

नोट भारत में विभास बैंकिंग की रिपोर्ट 1993-94, पृष्ठ 142.

गालिका 5 के गहन अध्ययन से पता लगता है कि निगम ने अपने आर्थिक जीवनकाल में देश में पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए सबसे अधिक सहायता महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात व आधिप्रदेश को स्वीकृत की है जो पिछड़े क्षेत्रों को कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 60 प्रतिशत है तथा शेष स्वीकृत सहायता पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 40 प्रतिशत देश के अन्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को गयी है।

(6) क्षेत्रवार स्वीकृत एवं वितरित सहायता (Region wise Sanctioned and Disbursed Assistance)- निगम देश में औद्योगिक विकास के लिए सभी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता स्वीकृत एवं वितरित करता है जिससे देश में सतुलित औद्योगिक विकास संभव हो। यह सार्वजनिक, संयुक्त, सहकारी और निजी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता स्वीकृत एवं वितरित करता है। निगम के द्वारा अपने 46 वर्ष के आर्थिक जीवनकाल में विभिन्न क्षेत्रों को जो वित्तीय सहायता स्वीकृत एवं वितरित की गयी है उसका ब्यौरा गालिका 6 में दिया गया है—

गालिका 6

निगम द्वारा क्षेत्रवार स्वीकृत एवं वितरित सहायता 31 मार्च, 1994 तक

(करोड रुपयों में)

क्षेत्र	स्वीकृत सहायता	कुल स्वीकृत		कुल वितरित सहायता का प्रतिशत
		सहायता का प्रतिशत	वितरित सहायता	
1 सार्वजनिक	1778.3	9.22	812.6	6.47
2 संयुक्त	1871.8	9.71	1306.7	10.42
3 सहकारी	847.8	4.39	683.5	5.45
4 निजी	14795.8	76.68	9747.3	77.66
कुल योग	19293.7	100.00	12545.1	100.00

सेत्र भारत में विकास बैंकिंग की रिपोर्ट 1993-94, ऐज 146

गालिका 6 के विश्लेषण से पता लगता है कि निगम के द्वारा सबसे अधिक वित्तीय सहायता निजी क्षेत्र को स्वीकृत एवं वितरित की है। 31 मार्च, 1994 तक निगम ने अपने सम्पूर्ण आर्थिक जीवनकाल में कुल 19293.7 करोड रुपये की सहायता स्वीकृत की, जिसमें से 14795.8 करोड रुपये की सहायता मात्र निजी क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गयी जो कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 76.68 प्रतिशत है तथा शेष 24.32 प्रतिशत सहायता अन्य तीनों क्षेत्रों को क्रमशः सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी क्षेत्रों को स्वीकृत हुई है। ठीक यही स्थिति क्षेत्रवार वितरित सहायता की है। निगम ने अपने सम्पूर्ण आर्थिक जीवनकाल में कुल 12545.1 करोड रुपये की सहायता वितरित की है जिसमें से सार्वजनिक, संयुक्त, सहकारी व निजी क्षेत्र को क्रमशः 812.6 करोड रुपये, 1306.7 करोड

रुपये 683.5 करोड रुपये व 9742.3 करोड रुपये गयी है। निजी क्षेत्र के कुल विदर्भ सहायता का लगभग 77.66 प्रविशत भाग गमा है व शेष सहायता 22.34 प्रविशत रेत तीनों क्षेत्रों के वितरित हुई है। साधारण के रूप में हम यह कह सकते हैं कि निगम ने निचों क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया है।

(7) डेव्हेवर स्वीकृत सहायता (Purpose-wise Sanctioned Assistance) निगम राष्ट्र में औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन विटेंड मुविधायें नवोन औद्योगिक इकाइयों को स्थापना के लिए, विस्तारविशेषज्ञ, आधुनिकीकरण, पुनर्वास तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान करता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निगम ने अपने 46 वर्ष के आर्थिक जीवन काल में जो विटेंड सहायता स्वीकृत की है उसका व्यौरा चालिका 7 में दिया गया है—

तालिका 7

निगम द्वारा डेव्हेवर स्वीकृत सहायता 31 मार्च 1994 तक

(एशि करोड रुपयों में)

उद्देश्य	कुल स्वीकृत सहायता	कुल स्वीकृत सहायता में उद्देश्य का प्रतिशत
1 नवीन परिवेश बनायें	1075.9	55.74
2 विकास/विशेषज्ञ	4382.6	22.72
3 अन्य निवासीकरण/सतुर्तन उपकरण	3854.7	19.98
4 पुनर्वास	159.8	0.82
5 अन्य	140.7	0.74
कुल योग	19293.7	100.00

मेत्र अवलम्बन में विकास बैंक द्वारा रिपोर्ट 1973-84, देव 146.

यदि हम उपरोक्त चालिका 7 का अध्ययन करें तो पता लगता है कि निगम के द्वारा अभी तक वित्तीय कुल सहायता स्वीकृत की गयी है उसका लगभग 55.74 प्रविशत भाग नवीन परिवेशबांओं को स्थापना के लिए गया है तथा शेष 44.26 प्रविशत भाग विस्तार/विशेषज्ञ, आधुनिकीकरण/सतुर्तन उपकरण, पुनर्वास तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वीकृत हुआ है।

निगम की कार्यप्रणाली की आलोचनायें (Criticisms of Working of IFCI)

उपरोक्त विवेचन से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि भारतीय औद्योगिक वित निगम (IFCI) ने देश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह भारत का सबसे पुराना व पहला विकास बैंक है। पिछले व कमज़ोर क्षेत्रों (Backward Areas) के विकास पर अपनी कुल स्वीकृत राशि का लगभग आधा भाग आवर्तित किया है। देश के आघारभूत उद्योगों के विकास के पूरी तरह प्रोत्साहित किया है। इसके

साथ ही प्रवर्तन सम्बन्धी क्रियाएं (Promotional Activities) भी बही मात्रा में औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित की हैं, लेकिन फिर भी निगम की कार्यप्रणाली की निम्नतिथित आधारों पर आलोचना की जाती है—

- (1) कुछ ट्यॉगों पर विशेष ध्यान—निगम की कार्यप्रणाली के आलोचकों का यह कहना है कि निगम ने अपने जीवनकाल में कुछ ही ट्यॉगों (आधारभूत) पर अधिक ध्यान दिया है जैसे रसायन व रसायन उत्पाद, सूती वस, धातु व धातु उत्पाद, विजली और विजली के उपकरण, खाद्यान उत्पाद इत्यादि। जबकि शेष ट्यॉगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिली है।
- (2) अपर्याप्त स्वीकृत एवं विवरित सहायता—ऐसा कहा जाता है कि निगम ने 31 मार्च, 1994 तक अपने 46 वर्ष के जीवनकाल में जो वित्तीय महायता स्वीकृत एवं विवरित की है, वह कमफी कम है। यह सहायता भारतीय वित्तीय सस्थाओं के कुल योगदान में मात्र लगभग 10 प्रतिशत के बराबर है।
- (3) अन्युक्ति विकास—जैसा कि पहले बताया गया है कि निगम ने सम्पूर्ण भारत में केवल 4 राज्यों—महाराष्ट्र, गुजरात, आध्रप्रदेश व उत्तरप्रदेश को कुल स्वीकृत महायता कम 50 प्रतिशत से अधिक सहायता दी है और बाकी की सहायता शेष सभी राज्यों में विवरित हुई है। यह स्थिति देश में असतुलित विकास को बढ़ावा देगी।
- (4) पिछड़े हुए क्षेत्रों पर कम ध्यान—यद्यपि निगम को कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 50 प्रतिशत भाग पिछड़े व कमजोर क्षेत्रों को गया है, लेकिन यह कम है तथा इस ओर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- (5) नियंत्रित क्षेत्र पर अधिक ध्यान—यदि हम निगम द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय सहायता का खेत्रवार अध्ययन करें तो पता लगता है कि लगभग दो तिहाई सहायता नियंत्रित करे गयी है और शेष मात्र एक तिहाई सहायता क्रमशः मयुक्त, मार्वर्जनिक व सहकारी क्षेत्र के गयी हैं जो काफी कम है।
- (6) देशवार सहायता का अनुचित वितरण—यदि हम निगम द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय महायता का देशवार अध्ययन करें तो पता लगता है कि कुल स्वीकृत सहायता का लगभग दो तिहाई भाग नवीन इकाइयों के स्थापना के लिए ही है और शेष मात्र एक तिहाई आधुनिकीकरण एवं पुनर्निर्माण व विस्वार एवं विविधीकरण को गया है, जो काफ़ी कम है।
- (7) क्रम देने में विषय—निगम की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में यह आलोचना की जाती है कि निगम क्रम स्वीकृत करने में कमफी देही करता है और फिर आसानी से उपकरण वितरण (Disbursement) भी नहीं होता है।

- (8) व्याज की ऊची दर—चर्चमान में निगम के द्वारा वसूल की जाने वाली व्याज की दर काफी ऊची है जो औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है।
- (9) कुशल एवं योग्य कर्मचारियों का अभाव—निगम में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण रूप में योग्य एवं कुशल नहीं हैं तथा इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था का भी अभाव है।
- (10) अनुवर्ती कार्यवाही असन्तोषजनक—निगम को ऋण वितरित करने के बाद अनुवर्ती कार्यवाही (Follow-up Action) सन्तोषजनक नहीं है जिससे ऋण के दुरुपयोग होने का डर रहता है।
- (11) ऊची प्रबंध लागत—इस सम्बन्ध में आलोचकों का यह कहना है कि निगम की प्रबंध लागत काफी अधिक आती है जिससे इसके शुद्ध लाभों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
- निगम की कार्यप्रणाली को उपरोक्त समस्त आलोचनायें नाममात्र की हैं इनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। निगम के कार्य काफी सन्तोषजनक चल रहे हैं जिनसे देश में तीव्र औद्योगिक विकास समव हुआ है। निगम भारत का सबसे पुराना, पहला और महत्वपूर्ण विकास बैंक है जिसकी ख्याति दूसरे देशों में भी है। □

जमीन से रिश्ते ही भविष्य का नक्शा बनाएंगे

लितेन्द्र गुप्त

जात पात पर आधारित प्रामाण समाज को सामती प्रवृत्तियों से मुक्त करने और लोकतंत्र की खुली हवा में लाने के लिए सत्यान का अधिकार ही काफी नहीं था, जोत की अधिकतम सीमा भी जल्दी बाधी जानी और उस पर अमल होता तो इस कार्य में बड़ी मदद मिलती। यह मत व्यक्त करते हुए लेखक ने बताया है कि भूमि सुधार के 1972 से पहले और बाद बने कानूनों की गिरफ्त सब बचने के लिए भूमि स्वामियों को बहुतेरा समय मिला और उन्हें बेनामी हन्तारण तथा अन्य उपायों से कानून का धता बता दी। लेखक का कहना है कि देश में बेरोजगारी और बढ़ती जरूरतों के अनुसार पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि सुधारों को गति देना आवश्यक है क्योंकि 'गरीबी हटाओ वार्यक्रम' के अतर्गत किए अन्य सभी उपाय अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं।

कोई दोन सौ साल पहले तक खती ही राजनीतिक और आर्थिक मत्ता का सबसे घरेस्तम्भ आधार था—भारत में भी और सात समदर पार भी। टद्दोग थे भगार धुआ ठगलने वाली चिमनिया नहीं थी। एक ही छन के नीचे बड़े पैमाने पर माल तैयार करने वाले कारखाने था मजदूर नहीं थे। इस्तेंड में, फिर जर्मनी और फ्रान्स में आया मशीन युग, जिमने इन देशों में खेतिहार ममाज के मूल्यों और जीवन शैली को दफनाकर औद्योगिक ममाज की नींव रखी। अब इस शती के आखिरी चरण में कम्प्यूटर आधारित सचार क्रति एक बार फिर दूरामी परिवर्तन का मदेश दे रही है। आल्वन टाप्लर के शब्दों में कृषि क्रति, औद्योगिक क्रति के बाद यह सचार क्रति विकास मात्रा की तीमरी लहर है जिसमें बुद्ध-दस मत्ता का स्रोत रोणा।

भारत में कमोवेश तीनों लहरें एक साथ चल रही हैं। मकन राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि थेत्र की हिमेटारी एवं तिहाई भी अधिक नहीं बचो है जबकि टद्दोग और मेवा थेत्रों का योग दो-तिहाई तक पहुच गया है। उपमह, टीवी, टेलीफोन, फैक्स, इटरनेट द्वारा तमाम विषयों को अधुनान जानकरी धर बैठे प्राप्त की जा सकती है। तीमरी लहर भारत और अन्य विकासशाल देशों के अपनी लपेट में लेने जा रही है।

राष्ट्रीय उत्पाद, राजन्व और व्यापकायिक लाभकरिता की दृष्टि में कृषि थेत्र का

वर्चस्व भले ही घट गया हो, प्रलब्ध और परेष्पर रूप से आजीविक प्रदान करने में वह पहले नवर पर है। इस्लाम भारत में कृषि भूमि का दर्जा संपोर्त है और आगे भी यह नियंत्रित रहेगा। परिवहन देशों के बीच पर अकेले औदोगिक व्यापार द्वारा अद्यत्वस्था का क्षणाकर्त्त्व भारत और चीन संघर्षे अधिक आवादी बाले देशों में नहीं हो सकेगा क्योंकि बुनियादी परिस्थितियों में जमीन-आनंदान का अवर है। परिवहन के टेक्नोलॉजी व्याप्ति पर यद्यपि अल्पदूर हम डिंडा संकेत है—कुछ नकल करके, कुछ अन्ने अनुकूल टालकर और कान्फ्रैंट कुछ स्वयं नई विद्या इंजाव करके। नई और पारस्परिक प्रणालियों में सामनव्य विठा कर बढ़व होता क्यों जा सकती है।

अवर्योग्य पारिवर्तन के आधों ने कृषि भूमि से हमारे और करस्टकरण के सिद्धे के बदले, जिन कैले ढन्हे सुधारने के केशिरा हुई और छब हो रही है, यह समझने और नमझाने के तिर पांछे मुहकर देखना जरूरी है।

प्लानी कर्म लडाई (सन् 1757) के अप्रेब विजेताओं ने बगाल में लगान वसूलने के अधिकार हासिया लिया। कुछ ही बर्षों बाद बिहार और डाँडासा के इलाके इन्स्ट इंडिया कम्पनी के अधिकार में आ गए। लगान के दरे ड्योडो से भी अधिक हो गई। लगान और व्यापारिक लूट के हो परिणाम या 1770 के दुर्भिष्ठ जितमें बगाल में लाखों लोग मुख्यमंथों के शिकार हुए।

अप्रेबों ने इन क्षेत्रों में लगान वसूली के लिए जमीदार नियुक्त किए और जमीन के मालिकाना अधिकार उनके सौन दिए। भूमि पर कास्टकर का आनुचरीक अधिकार नभाव हो गया। जमीदार वसूली के बाद नियांत्रित भाग भरकरी खजाने में जमा करके शेष संरित अन्नने ऐसे आराम के लिए रख लेता। हलवाहों से खुदकर वाले जमीन पर खेती करता। प्राकृतिक विनदा नाने पर भी लगान में छूट न मिलने पर करस्टकर कर्म लेता और उसे चुक्क न पाने पर बेदखल कर दिया जाता। लगान भी इटा कि किसान के पास अनन्त गुजारे लायक मुर्झिकल से कुछ बचवा। इच्छ तरह साहूकरी क्य ध्या चमक। जमीदार, चाहूकर और चरकर दोनों कास्टकर को कगाली के लोर धकेलते रहे। रैयटवाही क्षेत्रों में जमीन जरकर की हो गई जिस पर करस्टकर बद्दिंदार जैसी हैंसियद से खेती करता और पेट कट कर भी लगान बदां करता।

चार्टर्ड उन्नाह, एवन्य और व्यापारिक लाइकलिंग की दृष्टि से कृषि देश क्य चर्चस्व एवं ही कट गया है, प्रत्यह और पहुँच रूप से आजीविक प्रदान करने में वह महते नवर पर है।

ठनीसवां शासवी के ठहराव से करस्टकर पर दूसरे बबरेस्त मार पड़ने लगे। बिदानी करखानों का माल भारत में आने और नियांठ के रस्ते बद किए जाने से भारतीय डटोग चौपट होने लगे। ठनीसवां लगे लोग मुख्यमंथों के शिकार होने लगे। बहुट से लोगों ने गावों में अन्त्र लिया, क्योंकि वहा जमीन भी और मजदूरी जनने की गुजाइश भी। इन तरह खेतिहार मजदूरों के जमार वर्ग विशेष के रूप में पहचानी जाने

लगो। कृषि भूमि पर आवादी का दबाव बढ़ता गया।

अपेक्षों की कृषि और काश्तकार नीति के अनेक कुपरिणाम निकले जिनमें से कुछ कर उत्तेज अप्रासाधिक नहीं होगा।

- सन् 1770 से 1942 तक कई इलाकों में कई बार गभीर दुर्भिक्ष पड़े जिनमें लगभग तीन करोड़ भारतीय भुखमरी के शिकार हुए।
- 1911 से 1941 के बीच अनाज के उत्पादन में 29 प्रतिशत कमी आई। नकदी फसलों का क्षेत्रफल तो बढ़ गया था, भगवर वास्तविक कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में जमीदार और काश्तकार पूजी निवेश नहीं कर रहे थे। आम काश्तकार की कम्परलगान के बोझ से दूट चुकी थी। अधिकतर किसान कर्ज के बोझ से कराह रहे थे। कहा जाने लगा था कि भारतीय किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्जदार ही मरता है।
- ठन्नीसवीं शताब्दी में जमीदारी और सूदखोरी के खिलाफ कई जगह किसानों ने विद्रोह किया जैसे कि मलावार क्षेत्र में मोपला विद्रोह, छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह आदि।

स्वाधीनता संघर्ष के अतिम चरण में स्वाधीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में देखें। गए सप्ताहों में कृषि क्षेत्र को परोपजीवी विचौलियों के चगुल से मुक्त करने का सकल्प रामिल था। राष्ट्रीय आयोजन समिति ने भी विचौलियों को समाप्त करने, काश्तकारों को भू-स्वामित्व सौंपने, बटाईदारी प्रथा खत्म करने और उपज का समुचित मूल्य दिलाने की मिफारिश की। अंतत काम्पेस कार्यकारिणी ने 1945 में जोतने वाले को जमीन दिलाने, लगान में कमी करने, खेतिहार मजदूरों को जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी दिलाने का प्रस्ताव पारित किया।

सन् 1947 में अपेक्षों को वापसी के बाद राज्य सरकारों ने जमीदारी उन्मूलन कानून बनाए। जमीदारी प्रथा की समाप्ति निश्चय ही एक क्रातिकरी कदम था बावजूद इसके कि जमीदार कानून बनने और सांगू होने की लंबी प्रक्रिया वर्त लाभ ठठाने में सफल रहे। बड़े पैमाने पर बेदखलिया हुई और जमीदारों ने खुदकाशव के नाम पर बहुत-सी जमीन अपने कर्जे में कर ली।

जमीदारी और जागीरदारी चली गई। उनकी जगह लेती बड़े भूस्वामियों ने जिनके पास पैसे, लाठी और बुद्धि का बल था। अशिक्षा, गरीबी और कर्ज के बोझ से दबी प्रामोज आबद्धी में केवल उन लोगों को लाभ मिला जिन्हें जमीन पर मालिकाना हक मिले। भूमिहीन खेतिहार मजदूर, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अधिक है, लगभग कोरे रह गए।

जात पात्र और जमीन पर आधारित प्रामोज भमाज को सामर्ती प्रवृत्तियों से मुक्त

कराने और लोकतंत्र कर्म खुली हवा में लाने के लिए मरदान का अधिकार करने नहीं है। जोत की अधिकतम सीमा भी जल्द बाधी जाती और उस पर अमल होता तो इन कर्दमे बहुत मदद मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहुत में राजनेता भूत्यामी वर्ग के थे या उसका नमर्दन खोने का जोखिम नहीं ठड़ाना चाहते थे। व्यावहारिक राजनीति का तकनीका करे या राजनीतिक मकल्प का अभाव, जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर कई कदरगत आम राय नहीं बन पाई।

नन् 1972 में अपोजित मुख्यमन्त्री सम्मेलन में कृषि भूमि कर्म हृदयदो के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शक निर्द्धार बनाए गए। दो फनली सिद्धित भूमि के लिए 10 से 18 एकड़, एक फनली भूमि के लिए 27 एकड़ और सभी प्रकार कर्म दूसरी जमीनों के लिए 54 एकड़ कर्म नीमा बाधी गई। चाय, काफी, रबड़ कादि के बागान, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों के कर्म वाली जमीन हृदयदो में मुक्त रखी गई। चीनी बारखानों के 100 एकड़ जमीन रखने कर्म छूट मिली।

राज्य मरकारों अधिकतम सीमा से कम सीमा निरिवत करने के लिए स्वदूर थी। केन्द्र में ऐसा हुआ भी। फाजिल जमीन भूमिहीन खेतिहार मजदूरों के दो जाने थे, खानकर कुनूमूचित जाति और जनजाति के नदन्नों के। उमीदारों को विदाई दो आजानी ने हो गई भगवर फाजिल जमीन को कब्जे में लेना और अमराद लोगों में बाटना दुर्गम चोटी पर चढ़ने जैसा नावित्र हुआ।

नन् 1972 के पहले और बाद में बने कानून की गिरफ्त से बचने के लिए भूत्यानियों के बहुरोग समय मिल गया—बहुतों ने देनामी हस्तावरण और हेराफेरी के जरिए कनून को घटा घटा दिया। इन तरह बहुत लोगों के पास फाजिल जमीन है। ग्रामीण क्षेत्र और योजगार मन्त्री डॉ चग्नाथ मिश्र ने हाल में राज्य सरकारों के भूमि सुधार के बारे में जो पत्र लिखा है उनके अनुसार 10 लाख 65 हजार एकड़ भूमि विभिन्न स्तरों पर मुकदमों में फली है। इन्हे जल्द नियटाने के लिए हाईकोर्ट की विशेष बैच बनाने का सुझाव दिया गया है। दिव्यूनन भी गठित किए जा मिलते हैं। इन्होंने के अनुसार आठ लाख एकड़ जमीन बाटी जानी है और राज्य मरकारों फाजिल जमीन का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए कर रही है। भूमि के मोह से राज्य मरकारों भी मुक्त नहीं हैं।

राज्य मरकारों हृदयदो कनूनों पर अमल अपनी सुविधा के अनुसार करते रही हैं। राजनीतिक दल भी इनके अपवाद नहीं रहे। 1990 की बाल है। तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री श्री देवीलाल के भ्रातालय ने भूमि सुधार और पचायती राज पर विचार के लिए आमत्रित मुख्यमन्त्री सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव और दस्तावेज रखे। ये दो महीने पहले राज्यों को भेजे जा चुके थे। इस बीच लोगों ने ताऊ (श्री देवीलाल) को समझाया कि प्रत्यावित भूमि सुधार आपके समर्थकों को खाट खड़ी कर देंगे। अनु 11-12 जून को हुए सम्मेलन में देवीलाल शहरी जमीन की हृदयदो पर ही बोले। मुख्यमन्त्रियों में बमेस के चिमनभाई पटेल (गुजरात), भाजपा के सुदरलाल पटवा (मध्यप्रदेश) और जनता दल के बोनू

पटनायक (ठड़ोसा) की राय थी कि भूमि मुधार कर्दिक्रम के आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हो चुका वही बहुत है।

सन् 1972 के पहले और बाद में बने कानून की गिरफ्त से बचने के लिए भूस्वामियों को बहुतेहा समय मिल गया—बहुतों ने बेनामी इस्तातरण और हंसाएरी के जरूर बानून को धना बता दिया।

भावन्मवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के ज्योति बमु (प बगाल) भूमि मुधारों के पश्च में बोल और मुलायम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) का रुख सकारात्मक रहा। लालू प्रसाद यादव (विहार) ने ललकरते हुए कहा कि जो करनून पर अमल नहीं करा भक्ता वह इनीका दे दे। यह यात अलग है कि जमीन की लूट और खेत जोतने वालों को अपने अधिकारों में विचित रखने में ठनका प्रदेश सबसे आगे है।

भूमि मुधार का भवमें ज्यादा काम पश्चिम बगाल और केरल में हुआ है। इसका श्रेय वामपर्याप्ती दलों की पहल को है। पश्चिम बगाल में 'आपरेशन बर्ग' के नाम से बटाईदारों के रिकार्ड में लाने का अभियान चलाया और उन्हें काश्तकराना एक दिलवाया गया। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी में शहरी भूस्वामियों को नागरजगी का एक मुख्य कारण यह भी है।

इन मुख्यमंत्री सम्मेलन में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के आईएएम प्रोबेसनरों द्वारा किए गए मवेशुण के निकर्ण प्रमुत किए गए थे। अठारह राज्यों के 111 जिलों के मवेशुण में ये विष्य उभर कर भासने आए।

- (1) जिन भूस्वामियों के पास हृदबदी की सीमा में अधिक जमीन है उनमें 60 प्रतिशत छांची जातियों के हैं।
- (2) हृदबदी से मवधिन अधिकनर मामले 1971 से 1980 के बीच दायर किए गए।
- (3) जिनीं फाजिल जमीन मिलने का अनुमान लगाया गया था उनके मुकाबले बहुत कम जमीन फाजिल धोपिन हुई।
- (4) अधिपर्याप्त फाजिल जमीन के 95 प्रतिशत भाग पर मिलाई का क्षेत्र प्रबल नहीं है।
- (5) अधिपर्याप्त भूमि का केवल 54 प्रतिशत वितरित किया गया है।
- (6) बहुत में पुराने भूस्वामियों ने फाजिल जमीन पाने वालों का कल्पना नहीं कर्यम रहने दिया।
- (7) यास्तविक काश्तकरों या बटाईदारों के नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं है। असम, दरियाना, उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे मामलों का प्रतिशत 41 से लेकर 95 प्रतिशत है।

इस तरह के विदेशाभास भारतीय जीवन के अमलितपत के हिम्मे हैं। गांवों में

भूम्बालियों, साहूकरों और अन्य टाकटदर वर्गों के, जिनमें सत्रकर्ता भी शामिल है, हिन्दूकरार हो जाते हैं। राजनीति भी इन्हें स्वाक्षर कर लेती है, हल्लाक ठस पर दूसरे दबाव भी रहते हैं। इन दबावों के क्षरण ही भारत सरकार ने संविधान में संशोधन करके भूमि सुधार करनुपर्याप्त कर दी थी अनुनूदी में रखने का फैसला किया है टाकटके वैष्णवों को अदालत में चुनौती न दी जा सके।

ऐसी कोई भी दबावलाएँ या जंदगी रोली हनाही समस्याओं को हत करने में सहायता नहीं हो सकती वो ये वास्तव के बचनान बड़ार और श्रमशास्त्रियों न करें।

भूमि सुधार में ढील देने के कारण अनेक समस्याएँ जटिलतर होती जा रही हैं। भस्त्रन श्रमशास्त्रियों के समुचित उपयोग और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, देस और बड़ी बरुरों के अनुभार खेतों के पैदावार में वृद्धि की समस्याओं को झायद ही कोई केंद्र सत्रकार लेके समय टक अनदेश्वर कर सकती है। इन दोस्रों की पूर्ति के लिए भूमि सुधार की गति देना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, क्योंकि 'गर्हीबी इटायो' कर्यक्रम के अधीन किए गए सभी उत्तराधिकारी और अध्यूरे सावित हुए हैं।

एक नजर खेतों के अकार और उनकी सल्ला पर भी ढालते चलें।

1971 की जनगणना के साथ कृषि सबधों आकड़े भी सक्रिति किए गए। एक हेक्टेयर (2.47 एकड़े) से कम क्षेत्रफल वालों में मात्रक जोड़ों का अनुपात 50.6 प्रतिशत था, जो 20 वर्ष बाद बड़कर 59 प्रतिशत हो गया। एक से दो हेक्टेयर की छोटी जोड़ों का प्रतिशत 19 प्रतिशत ही बना रहा। इस प्रकार 78 प्रतिशत भूम्बालियों के पास केवल 21 प्रतिशत कृषि भूमि है जबकि 22 प्रतिशत भूम्बालियों का 78 प्रतिशत भूमि परकल्पा है।

छोटी जोड़ों के बारे में जात हुआ कि सिंचाई और गहन खेतों के मानसे में वे दूसरे से कहीं आगे हैं। छोटी जोड़ वालों किमान जी-टोड मेहनत करता है ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके। पूरा परिवार खेतों में जुट जाता है। जबकि बड़ी जोड़ वाले कारतकार के दिलाडी पर भजदूर रखने पड़ते हैं और वह प्राय पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। उसकी दूसरी व्यापारिक दिलचस्पिया भी होती है। वैसे साहूकारी या खेतों के अलावा अन्य घघे।

दूसरी ओर यह भी सही है कि बड़ी भूम्बालियों खेतों में अधिक पूजी लगा सकता है, खाद और उन्नत बीज का और उपज की विक्री का बेहतर प्रबन्ध कर सकता है। सेकिन वह जोड़ के आकार के अनुपात में श्रमशास्त्रियों का उपयोग करता है। श्रमिकों की जगह पूजी और मरीजों का अधिक सहायता लेता है। इसलिए हरित क्रांति वाले खेतों में भी आरम्भ में श्रमशास्त्रियों का उपयोग बढ़ता है मगर जल्द ही वह बटने लगता है। रोजगार के अवसर बढ़ाने में बड़ी और उपजाऊ जोड़े अधिक सहायक नहीं होतीं, यह अनेक सर्वेषणों से तिद्द हो चुका है।

आजादी जब मिली तब 1947 में ब्रिटिश भारत की सकल कृषि भूमि पर जमीदारों का स्वामित्व था और 1991 में तीन चौथाई कृषि धेत्र पर एक चौथाई से भी कम लोगों का कम्जा था। इस अर्थसामयी ढाँचे में परिवर्तन किए बिना खेती या गाव के विकास की योजनाएँ रेत में नहर बनाने जैसी क्षेत्रियों ही सामित्र होंगी।

खेती के आधुनिकीकरण के समर्थक, बड़े कनश्टकारों और ठघोगपतियों का रुकं है कि हृदयदी खत्म कर दी जाए या उम्मक्के सौभा इटनी बढ़ा दी जाए कि अधुनात्मन विधि में खेतों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। नई आर्थिक नीति अपनाए जाने के बाद कृषि धेत्र को पूरी तरह बंधनमुक्त करने का दबाव बढ़ रहा है। कृषि धेत्र में प्रवेश के लिए देसी और विदेशी कपनियों की छटपटाहट बढ़ गई है।

इसके विपरीत कृषि विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की खासी बही जमात, जो वर्ग दायरे से बाहर निकल कर सोचती है और देश के सामने खाड़ी चुनौतियों का जवाब दें जाती है, उपरोक्त विचारधारा से सहमत नहीं है। ऐसी कोई भी टेक्नोलाजी या जीवन शैली हमारी समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं हो सकती जो रोजगार के अवसर न बढ़ाए और श्रम शक्ति का समुचित उपयोग न करे।

ठघोगों और भूमि स्वामित्व का विकेंद्रीकरण, सहायक उद्यमों का विकास-विस्तार, गाँवों में मास्थानिक ढाँचे की मजबूती, नई टेक्नोलाजी का प्रचार-प्रसार जैसे दपाय ही सहायक हो सकते हैं। ये भी मौजूदा स्थिति में कारणगर होते नहीं दीखते क्योंकि सकलारी सुविधाओं का अधिकारा लाभ बढ़े और समर्थ किसान हड्डप जाते हैं। आजादी जब मिली तब 1947 में ब्रिटिश भारत की मकल कृषि भूमि पर जमीदारों का स्वामित्व था और 1991 में तीन चौथाई कृषि धेत्र पर एक चौथाई से भी कम लोगों का कम्जा था। इस अर्द्ध सार्थकी ढाँचे में परिवर्तन किए बिना खेती या गाव के विकास की योजनाएँ रेत में नहर बनाने जैसी क्षेत्रियों ही सामित्र होंगी।

भूमि सुधारों और हृदयदी के पश्च में सबसे बड़ा रुकं सार्थकीय अनुभव है। 1990 में न्यूयार्क से प्रकाशित पुस्तक 'द पोलिटिकल इक्वेनामी आफ भूत पावर्टी : द केम फार लैंड रिफार्म' में श्री घोनेमी 15 देशों के भूमि सुधार कार्ड्रक्सों का विस्तेषण करके इस नरीजे पर पहुंचे हैं कि जिन देशों में कृषि भूमि के स्वामित्व का विकेंद्रीकरण जितना अधिक है उन देशों के गाँवों में सबसे गरीब वर्ग की स्थिति उतनी ही अच्छी है। सेष्टक ने भूमि सुधार कार्ड्रक्स पूरी तरह लागू करने वाले देशों (चीन, कझूबा, इराक, दक्षिण कोरिया) और आशिक भूमि सुधार वाले देशों (भेक्सिस्के, बोलीविया, पेरू, ईरान और भारत समेत सात अन्य देशों) के आंकड़े दिए हैं। 1948-49 में एक साथ विकास यात्रा आंचल करने वाले चीन और भारत में से चीन ने खेती के मामले में भारत के मुक्क्खले तीन गुना अधिक प्रगति की है। अनाज की उत्पादकता, पोषण, निरधारा उत्पादन आदि सभी बातों में चीन आगे निकल गया है, हालांकि भारत ने खेती की

ठन्नति और गरीबी उन्मूलन पर यथेष्ट धन खर्च किया है।

1948-49 में एक साथ विकास यात्रा आरम्भ करने वाले चीन और भारत में से चीन ने खेती के मामले में भारत के मुकाबले तीन गुना अधिक प्रगति की है। अनाज की उत्पादकता, पोषण, नियंत्रण उन्मूलन आदि सभी बातों में चीन आगे निकल गया है, हालांकि भारत ने खेती की ठन्नति और गरीबी उन्मूलन पर यथेष्ट धन खर्च किया है।

घोनेमी ने पाया कि केरल राज्य में, जहां भूमि-सुधार कार्यक्रम अधिक उन्माह से लागू किए गए, घनी आवादी और वेरोजगारी के बावजूद गरीबी की गर्भीरता और गरीबों की सख्ती घटी है। केरल में हृदबदी की सीमा अन्य राज्यों से नीची है और काश्वरकरों को मालिकाना हक मिले हैं। भूमि वितरण का अखिल भारतीय औसत तीन प्रतिशत है, मगर केरल में वह सबसे अधिक 17.5 प्रतिशत रहा। मामीण क्षेत्रों में ट्रेड यूनियनों की मौजूदगी और मजदूरी की बेहतर दर तथा शिक्षा के प्रसार सरीखी सहायक परिस्थितियों ने भी गरीबी घटाने में मदद की है, किंतु मुख्य श्रेय भूमि सुधार को दिया गया है।

जात पात और ऊच-नीच में विश्वास करने वाले पारपरिक समाजों में भूमि सुधार से न केवल विषमताएँ घटती हैं वरन् सहकारी प्रयास और वित्तीय एवं सेवा भगठनों के भी अधिक सफलता मिलती है।

आधुनिक समाजित उद्योग और मशीन बहुल खेती को आदमी कम और श्रम बचाने वाली पूजी अधिक चाहिए इसलिए ये दोनों रोजगार के अवसर बढ़ाने या गरीबी घटाने में कदापि सक्षम नहीं हैं।

कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय या बड़ी देसी कपनियों का प्रवेश हानिकर ही सिद्ध होगा, क्योंकि उनके लक्ष्य और व्यावसायिक तौर तरीके ग्राम विकास के उद्देश्य से मेल नहीं खाते।

समाजित उद्योग दो तरह से किसानों की मदद भी कर सकते हैं और अपने दीर्घकालीन लक्ष्य भी पूरे कर सकते हैं। कृषि उपज में दिलचस्पी रखने वाले उद्योगपर्यावरण और व्यवसायी किसानों के समूहों, उनकी सहकारी समितियों को बीज, खाद, कर्ज आदि उपलब्ध कराने में सहायक बनकर उनमें उनकी उपज खरीदने का युक्तिसागर करार कर सकते हैं। दोनों पक्षों को लाभ होगा—उत्पादकता और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे। इसी तरह दूसरे उद्योग, जहा ऐसा सभव है, गावों में उत्पादन केंद्र खोल या खुलवाकर अपनी भी बचत करते हुए लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाकर बाजार का दायरा और विकास की रफ़तार बढ़ा सकते हैं।

यह तथ्यशुदा बात है कि अधिसख्त छोटे किसानों और सात करोड़, भूमिहीन मजदूरों की फौज को अकेले खेती या पूजी बहुल उद्योगों से रोजी रोटी नहीं मिल सकती। छोटे उद्यम और बागवानी, पशुपालन, हेयरी उद्योग, मत्स्य पालन आदि सहायक

ठद्धमों का फैलाव ही उनको आर्थिक सबत और खुशहाली प्रदान कर सकता है।

मामवासी लाभ, भाईचारे और आत्म सम्मान की भाषा जानते हैं। साधनहीन किसान और खेतिहार मजदूर में भारतीय सामाजिक व्यवस्था और सदियों की उपेक्षा ने बहुत सी कुठाएँ भर दी हैं, जिन्हें पहचानना होगा।

निजी क्षेत्र की कर्पनिया उन्नत बीज, गैर रामायनिक खाद और कैटनाशक के संग्रहण अद्यूते थेजों में पैठकर मुनाफ़ा कमा सकती है। वात्कालिक लाभ के लिए विदेशी सहयोग या टेक्नोलॉजी का अधानुकरण दूरदेशी या बुद्धिमानी नहीं है।

मरकरों की माम विकास और खेती की उन्नति की योजनाएँ अपेक्षित नहीं जे नहीं दे रहीं तो इसका मूल कारण है कि सरकारी तत्र में खामी है और किसानों को यह अहसास नहीं दिया जाता कि ये उनकी अपनी योजनाएँ हैं। इसलिए उनका आतंरिक सहयोग नहीं मिल पाता। मामवासी लाभ, भाईचारे और आत्म सम्मान की भाषा जानते हैं। साधनहीन किसान और खेतिहार मजदूर में भारतीय सामाजिक व्यवस्था और सदियों की उपेक्षा ने बहुत सी कुठाएँ भर दी हैं, जिन्हें पहचानना होगा।

कई थेजों में आदिवासियों और अन्य गरीब वर्गों के शोषण ने नक्सलवादी जंगे दिनावादी आदोलनों को जन्म दिया है। मुख्य आर्थिक धारा में से भारत किए गए इन तारों की प्रतिक्रिया सामाजिक-आर्थिक तत्र के खिलाफ़ है। इस तत्र को मुधारने की आवश्यकता है, जिसमें भूमि सुधार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। □

गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं: स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका

के.एल. चोपड़ा

निहते कुछ बर्गों के दौरान विभिन्न शातक बीमारियों जैसे दिल के दर्रे, कैंसर, एड्स आदि में खतरनाक वृद्धि हुई है। इस पर चिंता प्रकट करते हुए लेखक ने जनता में रोगों के प्रति धेतरा फैलाने के साथ साथ उनकी रोकथाम के उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनके अनुसार तम्बाकू आज मानवता के सम्पूर्ण सबसे व्यापक खतरा है।

इतिहास में हर युग अपनी कला, संगीत और सम्कृति के लिए विख्यात है। ऐसा सगता है कि अगर हम चौकस न हुए और हमने सही दिशा में समुचित उपाय न किए तो हमारा युग भविष्य में दिल के दर्रे, कैंसर और एड्स के मुग के नाम से विख्यात हो जाएगा।

इदय रोग, कैंसर और एड्स की बीमारी की रोकथाम के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। इन बीमारियों के कुल मुख्य कारण हैं जिनका निश्चित रूप में एक बड़ी सीमा तक निवारण संभव है।

एट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसधान परिषद् द्वारा योजना आयोग के लिए किए गए एक मर्येक्षण के अनुसार देश में 38 लाख रोगियों का क्षय के लिए इताज किया जाता है। रोग फैलने की दर इससे दुगुनी हो सकती है क्योंकि प्रति वर्ष क्षय के 15 साल नये रोगियों का पता चलता है। मर्येक्षण के दौरान पता चला है कि 55 लाख लोग ठच्च रक्तचाप और 55 लाख लोग दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। मर्येक्षण में यह भी पना लगा है कि कम्फी लोग अल्पावधि बीमारियों जैसे कि अंतिमार, जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। प्रत्येक हजार लोगों में 71 घटित बुखार से पीड़ित हों और 31 अंतिमार में। मर्येक्षण में बताया गया है कि देश की जनता रोगों के उपचार आदि पर 142 अरब रुपये बर रही है। गरीब अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्मा स्यास्थ्य संबंधी देखभाल पर ध्याय कर रहे हैं। इस पर वे अपनी आय का 8 प्रतिशत, मध्य वर्ग के लोग 4 प्रतिशत और अमीर सोग 2-3 प्रतिशत ध्याय करते हैं। कम अवधि की बीमारी पर हर परिवार

108 रुपये वर्ष करता है। पढ़ा चला है कि चार वर्ष से कम आयु के 70 प्रविशद बच्चों का विकास कुनौन के कारण रुक गया है। निर्धन लोग स्वास्थ्य सबधी खटपें से होने परीक्षित होते हैं। गर्भियों के स्वास्थ्य मुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या किया जा सकता है—इन विषय पर दत्तकात निर्जन लिये जाने की आवश्यकता है।

मत्तेरिया

मत्तेरिया डॉ. कर्टिवधीय देव की भवसे खदरनाक बीमारी है। यह भारत में बहुत देशी ने बढ़ रही है। प्रविशद लास्टों लोग मत्तेरिया के गिरावर होते हैं। एजस्टन दौरे देश के पूर्वों देव में फैले नीपाठम मत्तेरिया से नैकड़ों लोगों के मरने की मृद्दना निर्माण है।

क्षय और ग्रूम

हमारे देश में क्षय की बीमारी लगातार बढ़ रही है और खदरनाक रूप से रही है। अगर इन महामारी के ठनेश्वर की जाती रही तो मार्वी पीड़िया इस दशक के ठन सनद के रूप में दृढ़ रखेगा जब मानवता ने जलसेवा द्रष्टव्यानु की, जो हवा के जरिये दृढ़ करता है विश्व कर्म देवा प्रतिरोधी और क्रमाध्यवन जनने दिया। क्षय देग देश से फैल रहा है। इसका सम्मान करने की कठरगत योजना अनाई जानी आवश्यक है ताकि लंबे बाले वर्षों में लाखों लोगों को मौत के मुहूर्मे बचाया जा सके।

'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के अनुसार भारत में जहा विश्व की 15 प्रतिशत जनसङ्ख्या निवास करती है, एहस विस्तृत होने ही जल्ता है। "इन लोग एक ज्ञानमुद्घातों के कारण पर्याप्त हैं।"

'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के अनुसार 1994 में विश्व की 56 लाख स्त्री लोग ही एवं आई वी (एहस के विपालुओं) में पीड़ित थे। इन शटल्डी के अत तक एवं क्राईर्ड पारिटिव लोगों में क्षय मौत्र का मुख्य कारण होगा। हृद के रोगियों की ठांक ने देखभाल की जाए तो एहस के रोगियों पर भावित्य में होने जल्ता आधा खर्च बदाया जा सकता है।

भारत न्हित एशियाई देशों में मिति विशेष रूप से जबुक है। इन देशों में क्षय के दो विहाई मरेज हैं। यद्यमि ये दोनों महामारिया एक-दूसरे की बढ़ावा देती है ठन की स्वास्थ्य मबधी समस्याएं सर्वथा अलग-अलग हैं। इनसे लडने के लिए अतग-अलग हृदियाएं की जमरत पड़ती है। एहस के मामले में लौगिक आवरज बदलने और एहस का ठपचार और टीका खोजने पर बोर दिया जाना चाहिए। क्षय के लिए मन्ता और कठरगत इलाज पहले ने ही उपलब्ध है। जोर इन बात पर दिया जाना चाहिए कि ठपचार की बेहतर मुविधाएं स्थापित की जाए।

एहस विश्वज्ञापी समस्या है। 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के अनुसार 1994 में विश्व में 14 करोड़ 'सिरोपारिटिव' (झूमन इम्यून डेफिशियेंसी वाइरस—एवं आई वी

पाजिटिव) लोग ये जिनमें 6 साथ बच्चे थे। साथ लोग इस विनाशकरी बीमारी से याम्बव में पीड़ित हैं। भारत में एच.आई.बी.पाजिटिव रोगियों की संख्या देखी में बढ़ रही है। यह देशवाओं में सबसे अधिक व्याप्त है और उनके काष्ठप से हेजी में अन्य लोगों में भी फैल रहा है।

इन लोग के फैलाव कर कारण अज्ञानता और अशिक्षा है। हमें यह बात समझ सेनी चाहिए कि भानव इटिहास में इन तरह को ज्ञानलेखा और कष्ट देने वाली दूसरी कोई बीमारी नहीं है। आज तक किनी अन्य बीमारी ने मानवता के लिए ऐसा खतरा पैदा नहीं किया।

लेकिन, नियशा कर करें करण नहीं है। हमें भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप में सोचना चाहिए और उम सहरों को समझना चाहिए जो एड्स हमारे लिए पैदा कर रहा है। हमें इन चुनौती का दृढ़ता से सामना करना होगा। समाज के सभी सदस्यों को मिलकर यह काष्ठ करना होगा। एड्स मुख्य रूप में शारीरिक संबंधों के जरिए फैलने वाली बीमारी है। लोगों को चाहिये कि वे विशेषज्ञ भवंधों से बचें और जब कभी आवश्यक हो कड़ोम (निरोध) का इस्तेमाल करें।

बीड़ी-सिगरेट पीना ज्ञानलेखा अद्वा

बीड़ी-सिगरेट पीना और तम्बाकू खाना दिल और कैमर के प्रोत्तों के लिए सबमें हानिकारक होता है। रोज 30 मे 40 सिगरेट पीने वालों में दिल के दौरे का घरवा 10 गुना अधिक और 5 मे 10 सिगरेट पीने वालों में दो गुना अधिक बढ़ जाता है। तम्बाकू पीने वालों को दिल का दौरा पड़ने पर अनेक जटिलताओं का मामना करना पड़ता है। उनकी अव्याहक मौत भी हो सकती है।

आकमफोर्ड विश्वविद्यालय में महामारी विद्वानी और सारियर्सिविट्स प्रोफेसर रिचर्ड पेटो यह कहना है कि लोग तम्बाकू के सेवन और रोगों के बीच का विश्वा नहीं समझते हैं क्योंकि तम्बाकू की आदत की शुरुआत और हृदय रोग, कैमर, बौकाइटिस (श्वासनली रोग), अमाशय का फौड़ा आदि भयानक, जबरदस्त और धातुक बीमारियों के प्रवर्ट होने के बीच कफी समय का अवधात होता है। उनका कहना है कि आधुनिक युग में दुर्घटनाओं में मरने वालों की तुलना में 50 गुना अधिक लोग तम्बाकू के सेवन से मरते हैं। तम्बाकू का सेवन करने वाले प्रति हृदार व्यविनयों में से आधे सोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने वा कैमर में होती है। दुनिया में हर मिनट एट व्यविनयों की मौत तम्बाकू पीने से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमार भारत में हर वर्ष साथग 13 साथ रोग तम्बाकू सेवन के प्रत्यक्ष प्रभाव से मरते हैं। तम्बाकू सेवन से हृदय और कैमर के दोनों में बहुत बढ़ि हो जाती है।

बच्चों को तम्बाकू सेवन न करने के साथों के बारे में अवश्य धरता जाना चाहिए ऐसी अगर हम यह बीड़ी-सिगरेट दीते हैं तो हम बच्चों को बीड़ी-सिगरेट पीने के

लिए मना नहीं कर सकते। बौद्धो-सिगरेट का सेवन भादक पदार्थों के सेवन का दबाव खोलता है, जो हमारे बच्चों के पावी जीवन के नष्ट कर सकता है।

हमारे देश में अनेक लोग गले के कैन्सर से पीड़ित होते हैं। यह बौद्धो-सिगरेट अधिक पोने से होता है। भारत में जीभ और मुख-विवर का कैन्सर सबसे अधिक पापा जाता है जिसका करण तम्बाकू और तरह-तरह के पान मसालों का सेवन है।

यह अनुमान लगाया गया है कि 30 प्रतिशत कैन्सर रोग की मौतें, 80 प्रतिशत इन नलों शोथ (पुराने बौद्धकाइट्स) को मौतें और 25 प्रतिशत हृदय रोग की मौतें बौद्धो-सिगरेट पोने या तम्बाकू खाने से होती हैं। इन लोगों को और कोई खतरा नहीं सहाता। तम्बाकू के प्रयोग से होने वाला खतरा अन्य खतरों जैसे ठच्च रक्तचाप, मधुमेह, हाइपरीलीपीडेमिया, कस्तर की कमी, पारिवारिक इतिहास आदि से आनुपातिक हैं तो उड़ जाता है।

भारत में हर वर्ष लगभग 25 लाख लोग दिल के दौरे से मरते हैं। यह सख्त कैन्सर से मरने वालों से ढाई गुनी अधिक है और विनाशकरी एवं पगु बना देने वाले दौरे और तकनी से कुछ ही अधिक हैं।

ठप्पदुंक्त बीमारियों व ठनसे होने वाली मौत में, हृद्वाहिक से जुड़े रोगों से होने वालों तकलीफ और मौत में, तथा तम्बाकू सेवन से जुड़ी अन्य बीमारियों जैसे कैलर, पुराना बौद्धकाइट्स, पाचक फोडा आदि में बौद्धो-सिगरेट व तम्बाकू का सेवन मौत का सबसे बड़ा करण होता है।

हाल में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि बौद्धो सिगरेट पीने से आन्तरिक को सीधे नुकसान पहुंच सकता है और व्यस्तों को भयुमेह की शिकायत हो सकती है। इस तरह होने वाले नुकसान को कम नहीं किया जा सकता। तम्बाकू के सेवन से मुम्ब की अनेक रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसके अलावा इससे हृदयने का रस्ता बद हो सकता है जो दिल के दौरे का कारण बन सकता है। यह शहरों के विनिन अगों में कैसर का भी प्रमुख करण है। दिल का दीया अब केवल समृद्ध और सम्मन लोगों के ही नहीं पहुंचा। समाज के अपेक्षाकृत कम सुविधा-सम्मन और गर्दन लोगों को भी हृदय रोग से पीड़ित होते देखा जाता है। तम्बाकू का अत्यधिक उपयोग इसका करण है। पुराना बौद्धकाइट्स भी बीमारी और मौत का प्रमुख करण है क्योंकि तम्बाकू ठनकी प्रतिरक्षण क्षमता को कमज़ोर कर देता है। जब परिवार के अनेक सदस्य एक साथ छोटे और भीड़-भाड़ वाले मक्कनों या झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं तो हृदय रोग अधिक आजानी से फैलता है।

तम्बाकू के सब ही सबसे जोखिम भये पीड़ा कहा गया है। यह व्यानक रूप से फैलता है और मानवता के सम्मुख सबसे बड़ा खतरा है, जिसे रोका जा सकता है। तम्बाकू सेवन की आदत गरीबों में अपेक्षाकृत अधिक होती है। सिगरेट और बौद्धी में 4,000 से

अधिक रसायन यौगिक होते हैं। इनमें से अधिकतर जीव विज्ञान की दृष्टि से नुकसानदेह होते हैं। बद खेजों में, सिगरेट-बीड़ी पीने वालों के पास-पहोस में, कारखानों और छोटे घरों में जहां गरीब रहते और काम करते हैं, सिगरेट-बीड़ी न पीने वाले सोग तम्बाकू के धुए के शरीर में जाने से अधिक नुकसान भुगतते हैं। तम्बाकू कपनियों के पास धनरात्रि है। सरकारी एजेंसियां और स्वदंसेवी सम्प्रदाय अब तक ठनके साथ के बत प्रटीकत्वक संघर्ष करती रही हैं। तम्बाकू कपनिया प्रभुख खेलों का आयोजन करती हैं और उनीं और निर्धन दोनों वर्गों के बच्चों और युवकों को गुम्फार करती हैं।

हमारे देश में बीड़ी का प्रयोग बहुत बड़े दैमाने पर किया जाता है। देश के अन्यथिक धनी बीड़ी-निर्माता निर्दोष प्रामीणों और गरीबों की छातियों पर 900 अरब बीड़ियों के तीर चलाते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लाखों लोग अस्समय मौत के गते लगाते हैं और इससे कई गुना अधिक लोग अस्वस्थता के शिकाय होते हैं। फ्लम्बरूप ये लोग न तो अपने परिवार के लिए कोई कमाई कर पाते हैं और न अपने बच्चों की देखभाल ही कर पाते हैं।

चार वर्ष पहले हमने हरियाणा में गुडगाय के समीप एक गाव में स्वास्थ्य-जाच का एक निशुल्क कैम्प लगाया था। हमने पाया कि लोग तरह-तरह की बीमारियों से कुछ ज्यादा ही प्रभृत हैं। बाद में हम पचायत के सदस्यों से मिले। मैंने ठनसे पूछा कि गाव में कितने सोग बीड़ी-सिगरेट पीते हैं। ठनोंने मेरे प्रश्न पर विचार किया, एक-दूसरे की ओर देखा और फिर ठनके मुखिया ने बताया, "लगभग भभी पुरुष और औरतें दोनों।" मेरों समझ में आ गया कि ये इनीं अधिक बीमारियों से पीड़ित बच्चों हैं।

हम गर्गेबों के लिए स्वास्थ्य मुविधाओं की बात करते हैं, जबकि हम देखने हैं कि वे न्यूट्रो-फ्रॉट-उन्नर शारीर पीकर अपने प्रति हिमा करके धीर-धीर अपने छोड़ दर रहे हैं। निगरेट और शराब को भुराई देश पर में, विशेष रूप से गरीबों में तेजी से फैल रहा है। मगर हम सब नोकरशाह, एजेंसिया, मूख्या प्राधिक, नागरिक पाठशालाओं के अध्यापक, पदाधिक, प्राद्यमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाक्टर एवं स्वैच्छिक एजेंसिया समय रहते नहीं जागे और हमने भानवता की ब्रामदी तम्बाकू के विरुद्ध सभी भोजन परामर्शदारों में संपर्क नहीं किया तो हमारी भावी पीड़िया हमें कभी माफ नहीं करेगी।

शुद्ध जल और स्वदंसेवा

स्वास्थ्य रक्षा के लिए शुद्ध पानी की पर्याप्त आपूर्ति और सफाई बहुत जरूरी है। इन दोनों पर जिनका अधिक ध्यान दिया जाए उनका अच्छा है। लायों सोगों की शुद्ध इनीं फैल नहीं होता और ठनके इलाके में सफाई की ठिक्कियां व्यवस्था नहीं होती। अविद्युत सफाई के लिए पानी की व्यवस्था ठनकों ही प्रहन्त्यपूर्ण है जिनकी भोजन भवाने के एवं सम्बन्ध के लिए शुद्ध जल छै। अनेक भजवृद्धियों के कारण देश के यई भागों में यह प्रश्नरूप बुनियादी आवश्यकता सोगों की दृष्टियां नहीं हैं। ऐत्रीय स्वदंसेवी संगठनों

जो इन बाट के लिए अंतिम किया जाना चाहिए कि वे इन व्यवसायों से लौट आये हैं।

हाँ ये जन्मा के सक बड़े द्वाग के लिए निष्ठादाता बेदस नवरत्न, न-इ कंसर्व-
में बदल हो दी है वॉल्क दह ट्रेन्से लाने पर-प्रदेश में लांगे बदल विश्व के देशों के
जन्मान्ते के दी वार्चेट रख दी है। नवरत्न के विभ व्याप्य संबंधी तुम्हें द्वागे जन्मा-
कंसर्व तुम्हार के न-इ ट्राङ्से यहुच में बह रहे हैं। लट यो लेग व्याप्य न-इ
मिंट लंगे जंवन के तुम्हरा ने सुधर चहे है, लाने लिए नवरत्न कम्ब
लावर्चन है।

निरहाता बदल हो जाता है। वर्ष मवां नहाता प्राहोम्यक रिहा से लट्टा है। उन्हें रुट्टन है जो उस क्षेत्र ने एवं व्यापक में चीज़िदार रहने और कार्य अद्वैत की गिरावट बढ़ा। यह क्षेत्र द्वारा वैराट के घोषण के लिए एक विश्वरक्ष के रूप में

नट के दरक के छट में ठैर नटर के दरक के प्रस्तुति में हुर रंगरनिरंग
महादी प्रदर्शन के परिवर्तन होते होते बड़ा दरवाजे की छाँड़ी दी देखिए इन नट
में जिस कर्तव्य दर्शने के लिए नहीं हुई। दरवाजे के बढ़दी चमकाओ, चमकाओ के
लाल चिरप, लाल लाल ठैर टेकों में हो रहा गहराकरन, बढ़दी राधो उठ जन्म-जन्म
दृढ़ दृढ़ दृढ़ दृढ़ दृढ़ नामने पर इच्छा बोझ दृढ़ रहे हैं। विन्दुके करन छट—ठैर
बद्द लालूदी, लालूदी, लालूदी लुडिलो औ दर्शन-दर्शना लौरा याद की—ठैर
ठैर करना प्रभावित हो रहे हैं। इन्हें प्रदर्शन होने वाले वारे हैं—ठैर-ठैर लौर
गहरे गहरे लौर-ठैर, लौर-ठैर लौर-ठैर। दरवाजे बढ़ते हुर देखिए क्षेत्र-लालू देखिए
लालू लौर देखिए लालू लौर हो रहे हैं; अब चरित्र चरित्र चरित्र के देख करने के
लालू लौर के लालू लौर हो रहे हैं।

द्वाजों का दैदार्य व्रद्धि

कृष्णका 'स्वर्णपेटिक' का विषयाद्य प्रदेश किया जा रहा है। ये छोटे के नन्हे दंडों के माध्यम से देखे हैं। पेटी के विटानों के तौर पर उनका छोटे एवं बड़े 'स्वर्णपेटिक' के चरत्तेपिट करने के लिया का विषय कर देते हैं तौर पर उनके दोनों तरफे के छोटे एवं बड़े हाथों के लिया का विषय कर देते हैं। यान्त्रिक में हाथों वाले जैसे स्वर्णपेटिक का इन्द्रेन ल लिया है वह यही सज्जन के बाहर आया है वे छान्नरु के क्षेत्र में नहीं लगा तौर पर उनके लिया के लिया के उन्हें वा उन्हें देखे हैं। नन्हे यह देखा है कि अधिक उच्चितर नन्हे तौर पर उचित उन्हें वा नन्हें देखे हैं। नन्हे यह देखा है कि विषयक इन्द्रेन नन्हे तौर पर उचित उन्हें देखा है। यह दूसरे चूज देखा रहा है। उन्हें उचित तौर पर उचित देखा है। इन्होंने कैन्स दृश्य देखा है। इन्होंने कैन्स दृश्य देखा है।

दवाओं के सेवन से होने वाले रोगों को सूची भी लाम्ही है। किसी भी अस्पताल में भर्तों किये जाने वाले मरीजों में एक बिहारी इसी प्रकार के होते हैं।

कैंसर से भरने वाले लोगों की सूच्या में बृद्धि हुई है। प्रति वर्ष तीन लाख लोग कैंसर से भरते हैं और देश में 15 लाख कैंसर के रोगी हैं। प्रति वर्ष कैंसर के पाच लाख नए रोगी अपना नाम पंजीकृत करते हैं। अनेक रोगी तो रोग की पहचान हुए बिना ही पर जाते होंगे। यह स्पष्ट है कि हम कैंसर और छढ़दय रोग के विरुद्ध अपनी लडाई में हार रहे हैं। बावजूद इसके कि रोगियों का कट दूर करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और चिकित्सा और शल्य चिकित्साय प्रक्रियाओं के जरिए जिमका खर्च कुछ ही परिवार ठठा सकते हैं, रोगियों का जीवन कुछ बांधों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

आधुनिक दवाओं ने चेचक जैमी मक्रमक बीमारी को समूल समाप्त कर दिया है। अस्वस्था और मृत्यु दर में काफी कमी आई है और औसत उम्र काफी बढ़ी है। शल्य चिकित्सा और उपचार को परिवृत्त विधियों द्वारा अनेक जीवन बचा लिए जाते हैं। हम ममझते हैं कि हम अत्याधुनिक तकनीक की सहायता में आशु सीमा को बढ़ा सकते हैं लेकिन हम सदैव जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं ला सकते।

आधुनिक एगाती के डाक्टरों के मन में मेडिकल कालेजों में प्रशिक्षण के दौरान चौमारियों के प्रति आकर्षण होने और दुर्तंभ उपचार की तलाश का विचार बिठा दिया जाता है। यह आवश्यक है कि वे इस विषय पर पुन लोचे और बीमारियों की ओर आकर्षित होने के बजाय स्वास्थ्य की ओर आकृष्ट हों। जब तक हम चौकस नहीं रहेंगे और एटीबायोटिक, कोर्टिजोन और कोमोथेरेप्यूटिक दवाइयों का अधाधुष इस्तेमाल बद नहीं करेंगे, “हर बीमारी के लिए एक टिकिया” का नारा “हर बीमारी टिकिया में” में बदल जाएगा। महगी और आक्रामक जाव प्रक्रियाओं और शल्य चिकित्सा सुविधाओं ने रोगियों को राहत अवश्व दिलाई है लेकिन रोगों का प्राकृतिक प्रवाह जोर-शोर से जारी है और लाखों लोग कट और भाँत की ओर बढ़ रहे हैं जिसके कारण अस्पतालों के अदरण और बहिरण विभागों में रोगियों की भीड़ निरत बढ़ती जा रही है। उत्तर बया है? हम लोग चौराहे पर खड़े हैं। हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया भी यह अनुभव कर रही है कि हमें वैकल्पिक चिकित्सा को व्यवस्था करनी चाहिए।

आयुर्वेद का महत्व

आइये, हम लोग कुछ हजार वर्ष पीछे जाए। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के प्राचीन सोच और अनुभव का अवलोकन करें। आयुर्वेद का अर्थ है ‘जीवन का ज्ञान’। इसका विकास ईसा से 1000-1500 वर्ष पूर्व हुआ। आयुर्वेद के प्राचीन प्रथ जैसे ‘चरक सहिता’ आदि ईमा से 500 वर्ष पूर्व लिखे गये।

आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य है अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, अर्थात् स्वास्थ्य और प्रसन्नता की सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करना जो रोगों के अभाव से कहीं आगे की चीज

है।

आदुवेद चार बागों पर जोर देता है। वे हैं स्वम्य शरीर का अनुरुद्धग और मवदंन, येगों का उपचार व रोगों के पुनर्गृहिति को रोक्षान, शरीर के नभी अगों का न्याय्य लाभ और आध्यात्मिक प्रबोधन। आदुवेद व्य उद्देश्य हमें यह बताना है कि जोवन के बोनारों और वृद्धावस्था के अन्नर में मुक्त रख कर किस प्रकार प्रभावित, विक्रिति और निपत्रित किया जा सकता है। दोषक चौपडा कृष्णों पुन्द्रक 'परफेक्ट हेल्प' में लिखते हैं कि आदुवेद का नवध शरीर, मन्त्रिक, चेतना, पदांवरण और आचरण के नभी पहनुओं में है। यह मनुष्य को आध्यात्मिक, शारीरिक एवं माननिक रूप में स्फूर्ण मानता है और बोनारियों के पूर्जवया शारीरिक अदबा मनोवैज्ञानिक मानने का प्रदान नहीं करता। कोई भी बोनारों अदबा तकनीक न दो पूर्ण दरह मन्त्रिक में होती है और न पूर्ण दरह शरीर में, व्योगिक शरीर और मन्त्रिक दोनों मरचना, विकास और मेद प्रदर्शन के प्रतिक्रिया द्वारा चेतना के उत्तरात्तर विकास के परिणाम है। बोई भी दरोका जो केवल मन्त्रिक पर विचार करता है या केवल शरीर पर विचार करता है या चेतना अदबा आत्मा की उपेक्षा करता हुआ मन्त्रिक और शारीर पर विचार करता है, उपर्योग्य है। आदुवेद एकीकृत हेतु के नभी पहनुओं—शरीर, मन्त्रिक, चेतना, पदांवरण और व्यवहार पर विचार करता है। यह हमरे शरीर विज्ञान के उत्तरात्तर उपतुलन पर विचार करता है जो बोनारियों का उन्नदाता है।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सकों के रूप में जब हम एकम रो वा भोव्ये स्कैल द्वारा किसी चोट का पटा लगाते हैं या इनीजी में कोई अनामान्यता देखते हैं, विशेष रूप में जब हमें यह लगता है कि यह अनामान्यता अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है या छान्दव में यह धाव अदबा अनामान्यता जिन्हें हमें पता लगाता है, कई दयों में विक्रिति हो रहे अनुतुलन के अद्यम भौतिक अधिक्यकृत होती है। आदुवेद अनुतुलन के प्रत्यक्ष होने ने पहले ही अविसूक्ष्म अवस्था में नुतुलन को बहाल करने का प्रयत्न करता है। आदुवेद इस कदम के व्यवहार, जोवन ऊँटों व पोषाहार में परिवर्तन लक्षित रथा उठाने वृद्धियों, विभिन्न रणनीतियों और उपगमनों के इन्द्रेमाल द्वारा करता है।

आधुनिक दबाओं में एटीबायोटिक या कैमोथेरेप्युटिक एजेन्ट और विशेष कर्दागु पर जोर दिया जाता है। ये दोनों काहरी हैं जबकि लहारी हमारे पक्ष में जा सकती है लैजिन हम यह नहीं नन्हाते हैं कि दोनों हलाकर लामूनि यानि हकारे शरीर के चक्राचूर कर देंगे, उनकी रक्षा पक्षि को कमजोर कर देंगे और यह हलाकरे की अगली नेना के विरोध का सामना ही नहीं करना पड़ेगा।

भोजन

रोगों की ऐक्याम और उपचार में भोजन की अन्दरुनि महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐजेन्ज शाकहरी, गाजा, हन्द्य व आनानी में पचने वाला होना चाहिए और उसकी मात्रा कम

होने चाहिए। भोजन में सब्जिया, चावल, गेहू़, फल और फलों का रस शामिल होना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसा ही मात्रिक भोजन लेने को नियमिति की गई है। 'फलस्त फूड' में पढ़ेज करें। आयुर्वेद में मनुष्य के शरीर को प्रकृति और शरीर रचना के आधार पर कुछ किम्म कर भोजन न लेने को नियमिति को जाती है। अतः भोजन औपचार्य है। भोजन के रूप में अनेक किम्म कर कच्चा पदार्थ आपके शरीर में जाता है। आप जो खाते हैं उन्होंने के अनुरूप आप बनते हैं, इसलिए आयुर्वेद 'फलस्त फूड' को बढ़ावा नहीं देता।

जड़ी-बूटिया दवाएँ नहीं हैं। वे हमारी दैहिकी में कुछ सूक्ष्म संबंध प्रविष्ट करती हैं और इन प्रकार स्वास्थ्य लाभ का द्वारा खोलती हैं। आधुनिक दवाओं में भी जड़ी-बूटियों का प्रयोग होता है लेकिन आमनौर पर वे सक्रिय अरणों को अलग कर देते हैं और उसे किमी विशेष रोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। वहा पूरी जड़ी-बूटी का इस्तेमाल होता है। यहा सिद्धात यह है कि जड़ी के सक्रिय तत्त्व पौधे में अन्य तत्त्वों के साथ संबंधित होते हैं जो उसके प्रतिरोधक की भूमिका अदा करते हैं और उसके अवाञ्छित नवीजों को दूर करते हैं।

ये सभी दृष्टिकोण हमारी व्यवस्था में मतुलन के बहाल करने का प्रयास करते हैं। दूब हृप प्रकृति के साथ ताल भेल स्थापित कर लेते हैं। हमारा प्रतिरक्षण बढ़ जाता है और हम अमतुलन और आक्रमणकारी कीटाणुओं से अपनी रक्षा करने और बीमारियों के रोकने में समर्थ हो जाते हैं। हम अपनी लहाई स्वयं लड़ते हैं और अपने को अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि भी हमारी रक्षा हमसे अच्छी तरह नहीं कर सकता।

सतुलित मार्ग

हमें यह भी समझना और अनुभव करना चाहिए कि आधुनिक दवाओं ने कुछ महान उपलब्धिया प्राप्त की हैं। वे जीवन की रक्षा करने और कभी लाखों लोगों की बहुमूल्य जिंदगी बचाने में सफल हुई हैं। हम लोगों को आयुर्वेद के मिद्दातों और प्रकृति के नियमों के अनुरूप अपनी जीवन शैली बदलने की चाहे कितनी शिक्षा दें, सदैव कुछ लोग ऐसे रहेंगे, जो अपनी आदत नहीं बदलेंगे और अपने शरीर के विरुद्ध किसी न किमी प्रकार की हिमा करते रहेंगे। ऐसे लोग जब कभी गभीर रूप से बीमार पड़ेंगे उन्हें आधुनिक चिकित्सा या शाल्य चिकित्सा को जरूरत पड़ेगी। 'बैलून एजियोप्लास्टी' और 'बाइप्रास मर्जरी' कुछ लोगों को कुछ समय तक और अगर वे अपनी जीवन शैली बदल तो तो लम्बे मध्य तक लाभ पहुंचाएंगी।

वास्तव में जरूरत इस बात की है कि आधुनिक दवाओं का प्रयोग करने वाले डाक्टरों को यह बात समझाई जाए कि आयुर्वेद एक जीवत शक्ति है। इस प्राचीन ज्ञान और आधुनिक दवाओं को जीवन-रक्षक युक्तियों का संयोग कर हम अपने देश के गरीबों की स्वास्थ्य सबंधी आवश्यकताएँ पूरी कर सकते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार का सन् 2000 तक 'सभी के लिए स्वास्थ्य' का

लक्ष्य हम्मरे वर्दमान चिकित्सा प्रणाली के रहवे क्षमत्वे समय तक मरना ही रहेगा। हल्के के बड़ों में विभिन्न बोनारियों में हुई बढ़ोटर्ये खुदरनक स्थिति होगी अगर हम नमय रहवे यह नहीं कहने कि हमरे देश के लिए यह बात नकार अधिक महत्वपूर्ण है कि इन मंसोर रूप जैसे बीमार रोगियों के न केवल बुनियादी और बल्याधुनिक ठक्कर के बबन्दा करे कहें गए और अमोर दोनों के लिए दोनों जैसे एकदाम के टक्कर भी लागू करे। यह क्षमत्वे व्यक्तिगत और नामुदादिक दोनों स्तरों पर शिळा, नूचना और विचारों के आदन-पदान को बद्ध कर पूरा किया जा सकता है। इन लक्ष्य की प्राप्ति में स्वैच्छिक नंगठन भूमिका निशा नक्ते हैं।

इन विषय में बड़े पैमाने पर चेवन फैलान में नूचना पाइयाने—सुनाचार पत्र, योगी, एवं रोडपो और न्याय जैसे सहयोग जरूरी है। भारत के हार्ट फॉटडेनार द्वारा 1993 और 1995 में आयोजित न्याय्य मेले बहुत उन्होंगों रहे हैं। दम्भाकृ विरोधी अभियान युद्ध घर घलाये जाने की जरूरत है।

नभी लोगों के यह स्मझ लेना चाहिए कि आद्युत्तेद चिकित्सा को दैक्रित्यक नहीं कहिनु न्यायक प्रणाली है। इन तरह क्यै कर्योदादि रोगों को रोकनाम में जम्मन, न्यून और वैद्यानिक होगी। विपैले प्रभावों में मर्दाना मुकुन, कम छोड़ोली और नरलता में लग्न के जैन दोगद होंगी। उक हमें करोड़ो रूपयों के अन्यालों वै कम और खेल के मैदानों, मनोविनोट पाकों, योग और ध्यान केन्द्रों के जरूरत कोषिक पड़ेगी। इन महान् कार्य के नरल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मैरन-जनोतिक स्वयंसेवों नामादिक भगठनों, गाव पचासदों, बैद्धों, डाक्टरों और नभी कर्मों दौर बबन्दों के नदम्यों को शामिल किया जाना बहुत उम्हे है। तभी हम अपने देश के लोगों जैसे स्वाम्य और सुखों बना सकते हैं। इन क्षमत्वों नकलदा के लिए स्वैच्छिक करदाइ दुरन्त किये जाने की आवश्यकता है। □

भूमि सुधारः ग्रामीण विकास का प्रभावी उपाय

राकेश अग्रवाल

हालांकि मूलतः प्राप्ति के बाद कृषि के क्षेत्र में बाफो प्रगति हुई है और खाद्यान्न उत्पादन में देश आत्म निर्भर बन गया है। इसके साथ ही यदि भूमि सुधार कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा से लागू किया जाए तो देश की कृषि मवधी अधिकाश सम्म्याओं का काफी हद तक समाधान हो जाएगा, यह मत व्यक्त करते हुए लेखक ने इम सेख में भूमि सुधारों की दिशा में हुई प्रगति का लेखा जोखा प्रमुख किया है।

भूमि सुधार आर्थिक विपणना का कम कर ममानता स्थापित करने का एक कारोगर उपाय है। भूमिहीन पिछड़े लोग भूमि सुधार कार्यक्रम से लाभान्वित होकर एक और अपने बीचन स्वर में सुधार करते हैं, वहाँ दूसरी ओर वे कृषि उत्पादकता बढ़ाकर देश के विकास में भागीदार बनते हैं। भूमि सुधार के एक अकेले कदम से देश और समाज को किन्तु ही लाभ प्राप्त होते हैं। इसीलिए भ्रमद ने 26 अगस्त 1995 को भूमि सुधार के 27 राज्य कानूनों को संविधान की नींवीं भूचौं म शामिल करने मध्यन्यी सशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। अब इन कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इम प्रकार भूमि सुधार कार्यक्रम ग्रामीण विकास को मुख्यधारा से जुड़ गया है।

बड़े भूम्वामी बनने की लालसा ने भूमि वितरण में सदैव असमानता को बढ़ाया है। बड़े जर्मीदार स्वयं खेती न करके भूमिहीन कृषि श्रमिकों से खेती करते आये हैं। करशकारों के पास मालिकाना हक न होने के कारण कृषि उत्पादकता कम रहती है। भूम्वामी कृषि श्रमिकों का मनमाना शोषण करते हैं और अभाव कृषि श्रमिकों की नियति का अग बन जाते हैं। उनको सदैव यह अहमाम कराया जाता है कि मालिक जो दे रहे हैं, यह उनके कृषा है, नहीं तो तुम पूछा भाग्य लेकर आये थे। गरीबी के कारण व्यक्ति बन्धक बनकर रह जाता है। भूमि सुधार भूमिहीन गरीबों को इसी मजबूरी से उबारने का प्रयास है।

भूमि सुधार क्या और क्यों?

भारत में भूमि विवरण में असमानता का ढान इस रथ से होता है कि यह आज भी लगभग 8 करोड़ भूमिहोन मामोज श्रमिक विद्यमान हैं। देश में 71 प्रतिशत कृषि भूमि 23.8 प्रतिशत भूस्वामियों के पास है। सेष 76.2 प्रतिशत भूस्वामियों का मात्र 29 प्रतिशत कृषि भूमि पर नियन्त्रण है। अधिकांश भूस्वामी छोटे और सीमान्त कृपक हैं जिनके पास दो हेक्टेयर में भी कम भूमि है। भूमि विवरण में इस असमानता को दूर करने के उद्दय का नाम ही भूमि सुधार है।

परम्परागत अर्थ में भूमि सुधार का आशय भू-स्वामिन्व के पुनर्विवरण ने है, जिससे छोटे कृपकों और कृषि श्रमिकों को लाभ मिल सके। आधुनिक अर्थ में भूमि सुधार में भूमि के स्वामिन्व और जोर के आकार दोनों में होने वाले नुधारों को सम्मिलित किया जाता है। श्रो गुलार मिडेन के अनुभार, भूमि नुधार का अर्थ कृपक और भूमि के नवको में पुनर्मिगठन ने है। इनमें भूमि का विवरण खेतिहारों के पक्ष में होता है। जोर का आकार आर्थिक दो दिवित बन जाता है। भूमि सुधार में सामाजिक न्याय की प्रक्रिया मार्गदर्शन होती है और कृपकों के ठनके श्रम का पूण्य प्रविज्ञन मिलता है। इसीलिए प्रामोज विकास के लिए भूमि सुधार नवसे महत्वपूर्ण उपाय है।

परम्परागत अर्थ में भूमि सुधार का आशय भू-स्वामिन्व के पुनर्विवरण ने है, जिसने छोटे कृपकों और कृषि श्रमिकों को लाभ निन सके। आधुनिक अर्थ में भूमि सुधार में भूमि के स्वामिन्व और जोर के आकार दोनों में होने वाले नुधारों को सम्मिलित किया जाता है।

भूमि सुधार दश का आर्थिक व नामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण उपाय है। किसी भी प्रामोज विकास कर्यक्रम के दब तक तापदायक और प्रेरणाप्रद परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते, जब तक भूमि व्यवस्था की प्रजाती क्षरशक्ति उन्नुख न हो। भूमि सुधारों की आवश्यकता पर बल देते हुए छा राधा कमल मुखजी ने लिखा है कि "वैज्ञानिक कृषि अध्ययन नहर्कर्तव्या क्ये हम किनारा भी अपना लें, इनसे पूर्ण नफ्लनदा तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हम भूमि व्यवस्था में वाल्तु नुधार नहीं कर सेते हैं।" भूमि सुधार के महत्व पर प्रकाश ढालते हुए श्रो नैम्युलसन ने लिखा है कि "नफ्ल भूमि सुधार कर्यक्रमों ने अनेक देशों में मिट्टी को नोने में बदल दिया है।" वाम्बाविक क्षरशक्ति के हाथों में जब भूमि का स्वामिन्व होता है तो वह उन पर मन लगाकर अपनेत्व भाव से व्यर्थ करता है, जिससे कृषि की उन्नादकता बढ़ती है। इसीलिए भूमि व्यवस्था में सुधार अन्यन्त जरूरी है। श्रो नानावरी अन्धारिया ने कहा है कि जब तक भारत में भूमि की उन्नादकता पर दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था के द्वारा प्रभावों की दृष्टेका की जाती रहेगी, तब तक कृषि नियोजन कर कर्दै भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता।

भारत में एक और जनसख्ता की दुलना में कृषि दोगद भूमि कम है तथा दूसरी ओर यह भूमि सांस्कृतिक व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित है, जिस कारण अधिकतर कृपक भूमिहोन

है। वे भूमिहीन श्रमिक भूमि पर स्थायी सुधार में रुचि नहीं लेते हैं जिससे कृषि उत्पादकता कम और लगान अधिक रहता है। परिणामस्वरूप भूमिहीन और सीमान्त कृषक प्राप्त निर्धन रहते हैं। इसीलिए यह कहावत प्रचलित है कि भारत का किसान गरीबी में जन्म लेता है, गरीबी में पलता है और गरीबी में मर जाता है। भूमि सुधार से भूमिहीन कृषकों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त होता है जिससे उनकी आय बढ़ती है। वे निर्धनता के अभिशाप से मुक्त होकर मामीण विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

भूमि सबधी दोपपूर्ण ढाचे के अन्तर्गत उप विभाजन और अपखण्डन के कारण भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है जिससे जोतों का आकार छोटा और अनार्थिक हो जाता है। इन छोटे खेतों में कृषि की उन्नत तकनीकों को अपनाना कठिन होता है। परिणामस्वरूप कृषि की उत्पादकता कम रहती है। किन्तु भूमि सुधार द्वारा भूमिहीन कृषकों को भूस्वामित्व ही प्राप्त नहीं होता बल्कि आर्थिक जोतों की रचना होती है। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है और मामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है।

मामीण अर्थव्यवस्था में छोटे और भूमिहीन कृषकों का सदियों से शोषण होता आया है। इस शोषण के कारण छोटे किसानों की स्थिति दयनीय बनी रही। वे न तो अपना जीवन-स्तर सुधार पाते थे और न ही मामीण विकास में सहयोग दे पाते थे। इसीलिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कारवर ने लिखा है कि “युद्ध, महामारी और अकाल के बाद मामीण जनता के लिए सबसे युरी बात भूमि का स्वामित्व न होना है।” भूमि सुधार कृषकों को स्वामित्व का अवसर प्रदान करके उनके तथा मामीण अर्थव्यवस्था के विकास के रास्ते खोलता है। भूमि सुधार से भूखे को रोटी मिलती है, आर्थिक विषमता में कमी आती है और सामतवादी शोषण का अन्त होता है। इस प्रकार भूमि सुधार से निर्धन किसानों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है।

भूमि सुधार में पचायती राज की सफलता भी निहित है। चूंकि भूमि सुधार से ममानता स्थापित होती है और विना समानता के पचायती राज लागू करना अर्थहीन है। महात्मा गांधी ने जिस रामराज्य की कल्पना की थी उसमें सामाजिक विषमता को मिटाना पचायती राज स्थाप्ताओं का कर्तव्य था। इसीलिए पचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए भूमि सुधार को सही ढग से लागू करना जरूरी है। विना भूमि सुधार के पचायती राज स्थापित करने का अर्थ सामन्ती प्रथा को ही बढ़ावा देना होगा। निर्बल किसान पिछड़े ही रह जायेंगे। पचायती राज के माध्यम से सत्ता के विकेन्द्रीकरण का लाभ अधिसख्त गरीब किसानों को प्राप्त नहीं होगा। 2 अक्टूबर, 1959 को पचायती राज के शुभारम्भ के अवसर पर पडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था—“हमारी पचायतों में हर व्यक्ति के बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। स्त्री और पुरुष, ठाच और नीच के बौंच कोई भेद नहीं होना चाहिए। हममें एकता और भाईचारे की भावना विकसित होनी चाहिए।” पचायती राज के सदर्भ में पडित नेहरू की यह इच्छा भूमि सुधारों को न्यायसंगत तरीके से लागू करने पर ही पूरी हो सकती है।

कुछ तोग भूमि सुधार के यजनीति प्रेरित मानते हैं किन्तु इसके हितकरी पथ के देखा जाये तो किसी भी दृष्टि से भूमि सुधारों के लागू करना आवश्यक प्रदोष देवा है। श्रेय किसी के भी मिले, ताप बढ़ी सख्ता में निर्बल किमानों के होता है। अद्यरात्रों और यजनीति दोनों ही गणेशी दूर करने के लिए भूमि सुधार के महत्वपूर्ण मानते हैं। यजनीतिक इच्छा होने पर भूमि सुधारों के प्रभावों दण में लागू किया जा सकता है।

भूमि सुधार हेतु ठाये गये कदम

“मूर्नि सुधारों को आवश्यकता पर बन देने हुए डा. राधा कमल मुख्योंने निजा है—“वैश्वनिक कृषि व्यवस्था सहकारिता को हम कितना भी कमना ले, इनसे दूर्ज महानदा टब तक प्राप्त नहीं होगी, जब तक हम भूमि व्यवस्था में वार्तित सुधार नहीं करलेंगे हैं।”

स्वव्यवस्था प्राप्ति के स्वयं देश में अनेक प्रकार के भूमि व्यवस्थाएँ थीं जिनके करार वास्तविक काश्चिकार और भूम्यामी के बीच भी अनेक मध्यम्य आ गये थे। ये भूमि के ठिक कर एक बड़ा भाग लगान के रूप में लेंडे थे, लेकिन फिर भी कवरेटकर को खेद प्रविर्वर्त जोतने के गारप्ती नहीं थीं, जिसमें भूमि पर स्थायी सुधार नहीं हो पाया था और उन्हाँदका कम रहवाई थी। भूमि व्यवस्थाओं के इन दोषों के दृष्टिगत रखते हुए नरकर और नमाज के म्बर पर भूमि सुधार के लिए व्यापक प्रयत्न किये गये हैं—

जनेत्यरो और विचानियों का उन्मूलन—व्यवस्था में पूर्व अपेक्षों को नीति के कामन देश में रैखदवाही, महलवाही और जमीदारों द्वान प्रकार के व्यवस्थाएँ थीं जिनके करने मूल्यमित्र में भारी असमानता पैदा हो गयी थी। चन्द लोग बड़े भूपति बन गये थे और अधिकार जनता भूमिहीन थी। इन व्यवस्थाओं के कारण गाँवों को मानुदार्पक ऐन्डा भग हो गयी थी। पारस्परिक महलोग का स्वान व्यक्तिगत न्वार्थ ने ले लिया था। बेगर्ते बढ़दी जा रही थी। मामाजिक न्याय के म्थान पर नवीन शोधन का बोलबाला था। विद्यमना यह थी कि वास्तविक कवरेटकरों का शोपण डम वर्ग द्वारा किया जाता था जिनका प्रत्यक्ष रूप से कृषि से कोई मन्दन्य नहीं था। डा. राधाकमल मुख्योंने जमीदारों के कारगुजारियों का सुलासा इन प्रकार किया है—“एक और जमीदार कृषकों के आम कर बड़ा भाग उनमें छीन कर उन्हें दिखाको भट्टी में जलने के लिए छोटे दें दे और दूसरी ओर वे स्वयं कृषि में दूर रहकर किमानों से प्राप्त आय को खुलकर वितातिगा पर ढांडा देते थे। जमीदार ही नहीं, उनके मम्बन्यों और कर्मचारों भी खूब एसोकाराम को जिन्दगी बिताते थे।”

इन जमीदारों के करपण प्रामोज जनता और शानन के बीच सम्पर्क का अभाव रहता था। इर्मालिए शामन किसानों के मम्बन्यों से अनबान रहता था। छोटे और भूमिहीन किमान जमीदारों का अन्याय महकर भी उनको बेगार करने के लिए मजबूर थे।

जमीदारी उन्मूलन ने गरीब कृषकों के नदा जीवन दिया। वे जमीदारों की दानदा में मुक्त हो गये। भारत में जमीदारी उन्मूलन क्यनून का सूत्रभाव विहार राज्य में हुआ।

वहा मन् 1947 में राज्य विधान मभा में जर्मींदारी उभ्मूलन सम्बन्धी विधेयक पेश किया गया था। यह विधेयक अनेक मशोधनों के बाद मन् 1950 में विहार भूमि सुधार अधिनियम के रूप में लागू हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि अन्य राज्यों में भी जर्मींदारी, जागीरदारी, इमानदारी आदि व्यवस्थाओं के उभ्मूलन का कानून लागू कर दिया गया। देश में जर्मींदारी उभ्मूलन भे लगभग दो करोड़ काश्तकारों के भागिता का लाभ प्राप्त हुआ। इन काश्तकारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इनका मरकार में सोधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। अब ये किमान सरकार में सोधे महायता प्राप्त कर लेते हैं। वामविक काश्तकारों को भूमि का भागिता मिलने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। जर्मींदारों के हट जाने से भूमि सुधार के अन्य उपायों को लागू करना आसान हो गया।

काश्तकारी व्यवस्था में सुधार—जर्मींदारों के उभ्मूलन के बाद भी काश्तकारों को कृषि श्रमिक के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। आज भी बड़ी मात्रा में खेती उन काश्तकारों द्वारा की जाती है, जिन्हें कभी भी भूम्वामी द्वारा हटाया जा भक्ता है। इन काश्तकारों का भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता है और उन्हें लगान अधिक मात्रा में देना पड़ता है। इस व्यवस्था के शोषण में बचाने के लिए भूमि सुधार के अनर्गत काश्तकारों को भागिता का अधिकार देने, बेदखली में मरक्षण प्रदान करने तथा उत्पादन का समुचित हिम्मा आदि दिलाने के लिए काश्तकारी मुरक्का कानून बनाये गये हैं। जोतने वाले को भूमि मिले” यह चिह्न इन कानूनों का उद्देश्य है। इन कानूनों में ऐमा आवधान किया गया है कि घड़े भर पर किमानों को बेदखल न किया जा सके और भूम्वामी द्वारा भूमि वापस लेने में ममय काश्तकार के पास न्यूनतम भूमि अवश्य रहने दी जाए, भूस्वामी को स्वयं काश्त करने के लिए ही भूमि वापस लेने का अधिकार हा।

काश्तकारों मुरक्का कानूनों में कृपकों को बार-बार लगान वृद्धि बेदखली और बेगारी जैसे शोषण में काफी मीमा तक कुटकारा मिल गया है। विभिन्न राज्यों में अब तक 112.3 लाख काश्तकारों को 153.32 लाख एकड़ भूमि का लाभ प्राप्त हो चुका है। भूम्वामियों द्वारा बचाव के सामने हूढ़ लेने के कारण अनेक बार इन कानूनों से काश्तकारों को उपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। अत कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

सामूहिक वानवारों की रक्षार स्थिति (नवम्बर 1994 तक)

खंड	वानवारों की संख्या (लाखों में)	प्रदूष (लाख लकड़ी)
1. झज्जर-देश	1.07	5.55
2. असम	29.05	31.35
3. गुजरात	12.53	25.66
4. हरियाणा	0.23	0.33
5. हिन्दूस्थान	4.01	0.70
6. कर्नाटक	6.55	25.32
7. बेरब	25.42	14.50
8. पर्याप्त	14.42	45.21
9. देहनद	0.00	0.00
10. निश्चेतन	0.00	0.00
11. उड़ीसा	1.51	0.94
12. पश्चिम	0.13	0.51
13. त्रिपुरा	0.14	0.39
14. राजस्थान	13.90	अनु.
15. अहमदनगर-मुंबई	0.00	0.00
16. दार्दिल राज्य हैरेन्स	0.07	0.21
17. लकड़ीप	-	-
18. लंडिवेट	-	-
सामूहिक वानवारों की संख्या	112.13	153.33

नोट: वानवार संख्या 1994-95 के दौरान हेतु और एक वर्ष प्रत्यक्ष रूप संक्षिप्त।

आदिवासियों को धूमि का कल्प—धूमि सुक्षम के अनुरूप अदिवासी होते हैं धूम्यासियों के गैर-कानूनी कल्पे से धूमि नियन्त्रण कर सूनिहेन आदिवासियों को विद्युत व्यवस्था का सहृदय प्रयोग किया जा रहा है। इससे आदिवासी होते हैं वे विकल्प व्यं देंड प्रक्रिया गतरूप हुई है। आदिवासी धूम्यासियों के शोपण ने सुकृत होकर प्रगति की ओर याप्ति हो रही है। 1994 तक आष्ट्र प्रदेश में 22,571 आदिवासियों को 91,525 रुपू. विहार में 25,724 आदिवासियों को 42,875 एकड़ रुपा महतराष्ट्र में 19,943 आदिवासियों को 99,270 एकड़ धूमि व्यवस्था दिलाया जा चुक्का है। अन्य राज्यों में भी इसी प्रक्रिये के अन्तराल में व्यवस्था दिलाया जा रहा है।

जेत की अधिकार संघर्ष का निर्धारण—नो. गाडगिल के अनुसार—“तभी लालों ने धूमि की पूर्ण वस्त्र से नीरानिव है किन्तु इसकी माग करने वालों की संख्या तबने अधिक है। लाल विशेष दराओं के ठोड़कर किन्तो व्यक्ति के बड़े धूमि हेतु पर अधिकर बनाये रखने की अनुमति देना अन्यायपूर्ण है।” इस उप्प जैसे दृष्टिगत रखते हुए प्रारंभ जैसे विशेष अनुसंधान वाले देश में जोर कर अधिकार संघर्ष का निष्पारंज जलना महतवपूर्ण है। इनमें सूख्यासेवा के विकासीकरण का यान्त्रा आतान हो जाता है। जो द

वो अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के लिए अधिकाश राज्यों ने आवश्यक कानून बनाये हैं। इन कानूनों के अर्तात् देश में सितम्बर 1994 तक 73,42 लाख एकड़ भूमि फलतू धोपित की गयी, जिसमें से 49,49 लाख लाभार्थियों को 51.03 लाख एकड़ भूमि क्ष वितरण किया जा चुका है। वीस सूनी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में 70,887 एकड़ अतिरिक्त भूमि का वितरण किया गया था जबकि 1992-93 में यह मात्रा 1,11,024 एकड़ और 1991-92 में 1,54,067 एकड़ थी।

चक्कन्दी व्यवस्था—ठपविभाजन और ठपखण्डन के कारण भारत में कृषि जोतों का आकार प्राय छोटा रहता है। कृषि जोत क्ष आकार छोटा होने पर कृषि उत्पादकता कम रहती है। दूर दूर छोटे छोटे खेत होने पर कृषिकों के समय व शक्ति का अपव्यय होता है। इस समस्या को दूर करने के ठदेश से बिछो टुए खेतों के मिलाने के लिए चक्कन्दी व्यवस्था अपनायी जाती है। देश के अधिकाश राज्यों में चक्कन्दी के तिए कानून बनाये गये हैं। इनमें से ज्यादातर राज्यों में अनिवार्य चक्कन्दी व्यवस्था लागू है। कुछ राज्यों में स्वैच्छिक चक्कन्दी भी है। अब तक विभिन्न राज्यों में 1528.76 लाख एकड़ भूमि की चक्कन्दी की जा चुकी है।

कृषि भूमि की चक्कन्दी की राज्यवार स्थिति (नवम्बर 1994 तक)

क्र.सं.	राज्य	चक्कन्दी हेक्टर (लाख एकड़)
1	आस्स प्रदेश	8.18
2	बिहार	59.50
3	बुज़ुर्ग	68.50
4	हरियाणा	104.50
5	हिमाचल प्रदेश	19.94
6	बंग्ला और कर्णपीर	1.16
7	कर्नाटक	36.75
8	मध्य प्रदेश	95.53
9	महाराष्ट्र	526.50
10	उड़ीसा	19.96
11	पञ्जाब	121.72
12	राजस्थान	42.30
13	उत्तर प्रदेश	441.87
14	दिल्ली	2.33
भारत		1528.76

सहकारी खेती—भूमि सुधार के स्वैच्छिक उपायों में सहकारी खेती सर्वोत्तम है। इसके अर्तात् कृषक अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व रखते हुए सामुदिक खेती करते हैं। महात्मा गांधी सहकारी खेती पर पूरा विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि "सहकारी खेती भूमि की शक्ति ही बदल देगी और लोगों की गरीबी तथा आलस्य को भगा देगी।" सहकारी खेती से छोटी जोतों की समस्या का निराकरण होता है तथा कृषि की

ठनव रक्तनीकों का प्रदोग करना आमत हो जाता है। जनदात्रिक रुच्य व्यवस्था में भहकारी खेदी ही कृपि विकल्प क्षेत्रफल ठपाय है। देश में लगभग एक लाख कृपि भहकारी नमितिया भक्तवायुवंक व्यर्थ कर रही हैं जिनकी सदन्य नह्या दीन लाख हे काधिक है।

धूमन कार्यक्रम—यह भूमि सुधार क्ष का एक ऐच्छिक कार्यक्रम है। आदादे विनोग भावे ने इन कार्यक्रम का शुभारम्भ 18 अप्रैल 1951 को किया था। इसमें व्यक्तिगत भूमि स्वेच्छा ने दान करते थे। दान में एकत्रित भूमि को भूमिहीन किसानों के बीच वितरित कर दिया जाता था। इसमें गरीब किसानों के जीवित क्ष नहारा मिल जाता था। धूमन कार्यक्रम के अनुर्गत अव रक्त लगभग 42 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी है जिसमें ने लगभग 14 लाख एकड़ भूमि ज्ञ वितरण भूमिहीनों के बीच किया जा चुक्क है।

भूमि अधिलेखों का रथ-रथाव—देश में भूमि नवधी आजडे और प्रतेक पूर्ण रूप से ठपलख न होने के क्षरण भूमि सुधार में कर्तिनाई आती है। कृपि क्षण आदोजना, फसल बीमा तथा अनाड वन्मूली आटि के लिए भी भूमि अधिलेखों को आवश्यकता पड़ती है। इमलिए भरव्यर मे भूमि अधिलेखों के नम्नलिन के लिए ममय-ममय पर विशेष उपय किये हैं। भूमि नवधी अध्ययनों के लिए केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अनुर्गत विभिन्न नम्नाओं को विद्योय नहायता प्रदान की जाती है। भूमि अधिलेखों के अन्यूटेक्षन के लिए वर्ष 1988-89 मे प्रयाम जिये जा रहे हैं। आठवीं पचवर्षीय योजना में भूमि अध्ययनों और भूमि अधिलेखों के कम्प्यूटरिजेशन के लिए 65 वरोड रपये का प्रवदान किया गया है। इसके अनुर्गत 102 परियोजनाएँ स्वीकृत हैं।

अर्थशालों और राजनीतिज्ञ दोनों ही गर्हियों दूर करने के लिए भूमि सुधार ने नहन्तूर्य मानते हैं। राजनीतिक इच्छा होने पर भूमि सुधारों को प्रभाकी टा से तारू किया जा सकता है।

तुलनात्मक दृष्टि म दखा जाए तो स्ट दिखाई देता है कि भूमि सुधारों क बनायों म अवरुद्धता प्राप्ति के बाद कृपि क्षेत्र में अप्यो प्रगति हुई है। खाद्यान ठन्वादन के क्षेत्र में देश आन्म निर्मर बना है। यदि भूमि सुधार के कार्यक्रमों के नम्ननियत व्यवित्र पूर्ण निया ने अपनाये तो जल्दी ही कृपि क्षेत्र की नम्नाओं का अन्त हो जायेगा और देश आधिक विज्ञन के नये सोमान पर पहुच जायेगा। □

आठवीं योजना और महिला साक्षरता

उद्धा गोपाल

शिक्षा किसी भी देश की समृद्धि की जड़ है जिम पर उस देश के विकास चतुरुखी और से आगे बढ़ता है। इम सदर्भ में महिला-शिक्षा/साक्षरता मोने में मुहारा क्र काम करती है। यद्यपि शिक्षा किताबी और व्यावहारिक दोनों ही महत्वपूर्ण ही नहीं अनिवार्य थी है परन्तु आज के वैज्ञानिक युग में महिला-साक्षरता का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि परिवार, समाज और देश को भुख-समृद्धि को आगा में भवित्वाएं ही मुरोंभित करती है।

'शिक्षा' भनुण को उमकी भनुष्यता से अवगत करके अन्य प्राणियों से उसकी अन्य पहचान बनाती है। शिक्षा के कई रूप हैं जो किसी भी समाज में प्रचलित हैं जिनको वह समाज, उसमें रहने वाले लोग ग्रहण करते हैं। इनमें प्रमुख हैं

1. औपचारिक शिक्षा
2. अनौपचारिक शिक्षा
3. अनुभवजन्य शिक्षा
4. बातचीत द्वारा

प्रस्तुत सदर्भ का विषय 'महिला साक्षरता' है जिसमें 'महिला' का महत्व अख्यण्य है। 'साक्षरता'—“शिक्षित होने का भाव है।” यह एक दीर्घकालीन प्रयास है। औपचारिक शिक्षा बधी-बधाई पाठ्यक्रम युक्त स्कूली शिक्षा है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी समान चौड़ी सीखता है क्योंकि शिक्षा-पद्धति, पाठ्यक्रम, परीक्षा व कक्षा के चौखटे में पिछ रहती है औपचारिक शिक्षा।

इसके विपरीत अनौपचारिक शिक्षा दूसरों के अनुभवों से सीखी जाती है। दूसरे लोगों से साचनात्मक ढंग से सीखना और शिक्षा ये दोनों जीवन के निर्णयक-विवेचनात्मक पहलू हैं। जीवन के अखाड़े में हम जिस शिक्षा का सहारा लेते हैं वह अनुभवजन्य, बातचीत द्वारा और अनौपचारिक ढंग से प्राप्त होती है किसी भी परीक्षा को पूर्ण साक्षर होने में तीन पीढ़िया लग जाती है।

महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि रिहाई देश के विकास के प्रक्रिया के दृष्टि में भी अद्वितीय है। इसके लिए भारत देश के सरकारी और निवासी के सभी जीवन के क्षेत्रों में विद्यालय, शिक्षक, रिहाई वाली कार्यक्रमों में वृद्धि हुई है।

प्रारंभिक 1

वर्ष	विद्युतिकरण की संख्या	विद्युतिकरण की संख्या
1950-51	5,30,000	24 लाख
1990-91	81,177	157 लाख
1990-91	मन्त्रिमंडल द्वारा विद्युतिकरण की संख्या	2 लाख
1990-91		43,30,000

किसी भी विषय पर अध्ययन एवं विश्लेषण करते समय हमें यह नहीं सूझता कि ग्राम ही वास्तविक भारत है वर्षांदे ४००० भारत ग्रामों में रहता है। अट्ट-एट्रीय कर्मक्रम के लिए इनके टेस्टेशन सभी नहीं। राष्ट्रीय साहस्रदा निरन्तर ने इनके अधिकार करते हुए ग्रामों में 15-35 आनु वर्ग में निरस्ता नियन्त्रण का ठेस्टेशन रखा है। प्रत्याग्रन्थ मनुष्याद बहुत बढ़ा है जो 5 लाख से भी अधिक ग्रामों में फैला हुआ है। विनम्रे अनेक समस्याओं के बाच व्यापक निरस्ता के समाप्ति हेतु युनियादी साहस्रदा के बिना कोई भी अधिक विकास सभी क्षेत्रोंका निरस्ता के व्यापकों में उन समस्य कर्मक्रम के सफलता सभी नहीं।

ग्राम हमारे देश के सबसे पुण्यी व जीवित सम्पादन हैं और हमारे सामाजिक सम्बन्ध युनियादी इच्छाई है। अत्यंत दक्ष इनके मौलिक विशेषता नहीं बदलते हैं। नेहरूजी ने एक बार लिखा था, “मैंग्राम स्मृति रखा है कि मैं देश में बूझा हूँ मैं हिन्दूलद में उन्ने पर्वतीय क्षेत्रों के दूसरे घर के ग्रामों में जाता हूँ और वहाँ दो चांडों के सामग्री हेतु है—‘चांडार और स्कूल।’” इससे साहस्रदा के जावस्यकता और महत्व स्पष्ट होता है।

8 निवन्धन, 1988 के अट्टरीय साहस्रदा दिवस के मौके पर त्वं प्रधन-जी ने यजीव ग्रामी ने कहा था कि “निरस्ता भी हमारी प्रगति में बड़ी बाधा बने हुए हैं।” अट्टरीय रिहाई नोटिट में भी साहस्रदा अधिकार के प्राथमिकता दी गई है।

भारतीय रेलवे में राष्ट्रीय साहस्रदा मिशन

रेलवे ने इस दिशा में एक गहरा कर्मक्रम शुरू किया है जिसमें सन्तुर्न भारत में रेलवे कर्मचारियों के परिवारों के 11,300 क्वार्टिव्सों ने 409 साहस्रदा प्रशिक्षण क्लिंटों में अपने नाम लिखाये जिसमें अन्वर्धिक ठहर रेलवे ने 100 केंद्र ढांचे। इनके बावजूद 5-6 महीने हैं। यहीं नहीं ठहर रेलवे ने 1990 तक रेल कर्मचारियों के परिवारों के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के शब्द प्रतिवर्त व प्रतिरक्षण के लक्ष्य-प्राप्ति के लिए टट्टीय प्रदिवसन कर्मक्रम के कार्यालय महत्वाकांक्षा दोषना देखार कर्दे हैं और प्रोटोकॉल सहस्र-

मेने का आयोजन किया जावा है। इस सदर्भ में उत्तर प्रदेश, लखनऊ के साक्षरता निकेतन द्वारा 300 महिला प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की एक परियोजना भी चलाई जा रही है।

महिलाओं की क्षमता के लिए शिक्षा कार्यक्रम

महिलाओं में शिक्षा के स्तर की कमी के आधारभूत कारण के लिए उनकी सामाजिक, आर्थिक और साकृतिक स्थिति जिम्मेदार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में इस बात को भी ध्यानीकार किया गया। अब इसको मदेनजर रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं को शिक्षा के मान अवसर प्रदान करके उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और अमानताओं को दूर करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु "महिला सामाज्या" योजना तैयार की गई जिसका उद्देश्य ऐसी कार्यविधि का निर्माण करना है ताकि महिलाओं को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिसमें वे अपनी शिक्षा के विषय में अपनी योजना स्वयं बना सकें। इनमें प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, जन शिक्षण निलयम्, मार्मांग महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, समर्थन मेवाए आदि शामिल हैं।

'महिला सामाज्या' एक केंद्रीय योजना है जो अप्रैल, 1989 में शुरू की गई। प्रत्येक निर्धारित गाव में 'महिला संघों' के भाष्यम से भासीण महिलाओं को प्रोत्तालित करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात में वहाँ के शिक्षा मचिवों की अध्यक्षता में इन समितियों को शत प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है। जैमाकि यह केंद्रीय योजना है, इन राज्यों के शिक्षा मत्री इन समितियों के अधीन हैं। प्रारंभ में इसका श्रीगणेश एक इडो डच परियोजना के रूप में हुआ जिसे नीदरलैंड सरकार शान प्रतिशत सहायता देती है। इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु महिला और उसमें सबधीं समस्याएं हैं जिसमें महिला मध्यों में मदद ली जाती है तथा महिलाओं में पूँछ भुइं जैसे म्यास्च्य, शिक्षा, विकास-कार्यक्रम को मूचना उनके आम पड़ोस के पर्यावरण के विषय में जानकारी देना ही नहीं बल्कि इसका मर्मांधिक उद्देश्य महिलाओं को उनके व्यक्तित्व में जुहे मुद्दों एवं समाज में उनकी छवि के बारे में जागरूकता पैदा करना भी है। यह कार्यक्रम भर्मीक्षात्मक विचार एवं विश्लेषण की मुविधा प्रदान करने वे कोशिश करता है जो महिलाओं को उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। इस योजना का केंद्रबिंदु महिला साक्षरता/शिक्षा के मध्ये पक्षों अर्थात् शिक्षा के प्रति ललक पैदा करना, अनौपचारिक, प्रौढ़ एवं विद्यालय में पूर्व सतत् शिक्षा के नवीन शैक्षणिक उपादान प्रस्तुत करना है।

देश के विकास का मेरुदण्ड शिक्षा को आज उच्च प्रायमिकता दी जा रही है। इसी द्वे मदेनजर रखने हुए शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली मुविधाओं की मात्रा के विस्तार के साथ उनकी गुणवत्ता मुधारने पर भी बल दिया जा रहा है। इस दिशा में 1976 से पूर्व शिक्षा का पूरा दायित्व राज्य भरकारों का था परन्तु आज परिवर्तित स्थिति के अनुसार 1970 में एक मशोधन पास किया गया जिसके अनुमार केंद्र एवं राज्य सरकारों की

मनुकन्त जिम्मेदारी तथा कर दी गई।

आठवीं पचवर्षीय योजना में शिक्षा के प्रमुखता दी गई। इसके मुख्य लक्ष्यों में प्राथमिक शिक्षा को व्यापकता, 15 से 35 वर्ष की आदु-वर्ग में निरक्षरता-उन्मूलन तथा व्यावसायिक शिक्षा को सशक्ति करने पर बल दिया गया जिसमें राहगी तथा प्रामाण्य क्षेत्रों में उभरती आवश्यकताओं में समन्वय हो। इसकी पूर्ति के लिए शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक एवं उन्मुक्त माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। बदलते परिवर्तन में अध्यापन के विकासित तरीकों, गैर-न्सरकारी मम्माओं तथा छात्र-स्वयंसेवकों के बढ़ी महाराजिता में नाक्षरता कार्यक्रम को जीवतगत मिली है। इसी के माध्य प्राथमिक शिक्षा को सर्वत्र व्यापकता के लिए तथा भिन्न भिन्न लक्ष्य निर्धारण के तरीकों के बाद उठाए योजना में सोची गई।

छठी योजना तक शिक्षा और सामाजिक सेवा भाँति समझी जानी थी अब वह मनव समाधनों के विकास द्वारा देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का कारक बन गई। शिक्षा पर हुए व्यय को निम्न सारिएँ इस बात का प्रमाण है-

तालिका 2
शिक्षा पर व्यय

	व्यय
सर्वोदय योजना	7,632.9 करोड़ रु
अटवी योजना	19,599.7 करोड़ रु
1993-94 में केन्द्रीय नियोजन अवधान	1,310.0 करोड़ रु

इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के ब्यव में भी अवर आया।

तालिका 3

योजना	प्राथमिक शिक्षा	उच्च शिक्षा	
		व्यय	व्यव
छठी योजना	33%	22.07%	
सर्वोदय योजना	37.33%	15.74%	
अटवी योजना	46.95%	7.55%	

प्राथमिक शिक्षा और महिलाएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सशोधित कार्य योजना तथा आठवीं योजना में 21वीं मदी के पूर्व 14 वर्ष की आदु के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के निर्देशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के महत्व दिया गया जिसमें बच्चों के लिए गुवाहाटी की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मकल्प व्यक्त किया गया। आठवीं योजना के अन्तर्गत सशोधित नीति को व्यवहार में लाने के लिए तीन योजनाएँ प्रस्तावित हैं-

- (क) मात्रवीं योजना में रेखांकित मध्यीं योजनाओं को बनाए रखना।
- (छ) प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम तीन शिक्षक और तीन कमरों की मध्यवन्नाओं का विभार।
- (ग) योजना क्षेत्र का विम्नार उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक।

1979-80 में अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत मूल छोड़ देने अथवा मूल न जा सकने वाली लड़कियों को और कामकाजी बच्चों को औपचारिक शिक्षा के ममनुल्य शिक्षा दिलाना शामिल था। इसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मामान्य महिलाशिक्षा तथा लड़कियों वाले केंद्र चलाने के लिए क्रमशः 50-50 ददा 9 : 1 के अनुपात में महायना दी जाती है। अब इसमें मात्र नामांकन नहीं अपनु म्यादिन्व एवं उपलब्धि पर ध्यान दिया गया जिसमें लड़कियों और कामवाजी बच्चों के लिए ममम अवधारणा को बदल दिया गया है जो उन्हें ममनुल्य वैकल्पिक शिक्षा उपलब्ध कराती है।

माध्यमिक शिक्षा

अनेक राज्यों तथा मध्य शासित क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक स्तर तक नि शुल्क शिक्षा दी जाती है। गुजरात में लड़कियों के लिए आठवीं कक्षा तक नि शुल्क शिक्षा है। हरियाणा में लड़कियों के लिए आठवीं कक्षा तक तथा मेवालय और मिजोरम में छठी-मातवीं तक नि शुल्क शिक्षा उपलब्ध है।

माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण

विद्यार्थियों को बिना उच्च शिक्षा प्राप्त किए लाभकारी रोजगार मिलने के उद्देश्य में शिक्षा में मुधार के लिए गठित ममय-ममय पर विभिन्न ममितियों एवं आयोगों ने माध्यमिक म्मर पर ही शिक्षा में व्यवमायों की विविधता लाने पर बल दिया। इसी उद्देश्य हेतु फरवरी, 1988 में 'माध्यमिक म्मर पर शिक्षा के व्यावमायीकरण की एक योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 1991-92 तक केंद्रीय सरकार द्वारा 12,543 शिक्षा शाखाओं तथा फरवरी 1993 तक 1,623 व्यावमायिक शिक्षा शाखाओं को मुविधा दी गई जिसमें 0.81 लाख अतिरिक्त विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

अक्टूबर, 1990 में मरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा अपनी विज, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षाएं आयोजित करने तथा प्रमाण-पत्र देने को अधिकार दिया गया। इसके द्वारा मुदूर शिक्षा के जरिए लाखों लोगों को वैकल्पिक मुक्त शिक्षा मिलती है। इसमें ग्रामीण जन, शहरी बच्चों के गरीब लोग, महिलाएं, अनुभूचित जातियां/जनजातियां और मूल में टूटे अद्वा औपचारिक शिक्षा में असमर्थ

व्यक्तियों के साथ मिल रहा है।

आब इन विद्यालयों में पूरे देश के 2 लाख से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं। सर्वेषण के अनुसार वर्ष 1993 में अतिम पजीयन सख्त्या तक 5,714 छात्र शैक्षिक सुविधा में वचित्र थे जिनमें 37.29% महिलाएँ थीं।

नवोदय विद्यालय

यह भी शिक्षा का एक रूप है जो भारत सरकार ने उन स्थानों के प्रतिपादाती छात्रों के लिए विशेष रूप से शुल्क की है जहां गावों के मात्रा अधिक हो। इसके अतर्गत तत्स्य यह है कि 1995-96 तक प्रत्येक जिले में एक के औमत से नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाएं। 31 जनवरी, 1993 तक 305 नवोदय विद्यालयों का विवरण इस प्रकार है।

तालिका 4

नक्की	लड़कियाँ	गर्भन	शुल्क	कुल
68,390	27,511	24,399	21,503	95,901
71%	32%	73%	22%	11%

इन क्षेत्र में प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कम से कम एक टिहाई लड़कियों के भवी मुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। इन विद्यालयों में लड़कियों की सख्त्या 29% है जैसाकि छात्र की मार्गिणी से स्पष्ट है।

कार्यालय विद्यालय

1963 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्कूलात्मकोद्य पदों पर काम करने वाले महिला-पुरुष कर्मचारियों एवं उनके बच्चों की शिक्षा की अनवरता एवं पूर्ण करना रहा है। इनके अतिरिक्त अनेक योजनाएँ हैं जिनमें

(1) शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम

(2) विद्यालयों में विज्ञान-शिक्षा में सुधार

(3) स्कूली शिक्षा के पर्यावरणोनुकूल बनाना

(4) विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

(5) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुमधान और प्रशिक्षण परिषद् (इनके अनेक कार्यक्रमों में महिलाओं की मनानवा के लिए शिक्षा भी शामिल है।)

(6) विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

(7) विशेष शोषण सम्पदान—इसमें अनेक सम्पाद आती हैं। 1972 में स्थापित भारतीय इतिहास अनुमधान परिषद् ऐतिहासिक अनुमधान पर राष्ट्रीय नीति बनानी और लागू करती है। शोषण परियोजनाएँ चलाना, विद्यानों को विर्तीय महायता देना,

फैलोशिप, अनुवाद और प्रकाशन कार्य करना आदि इसके उद्देश्य हैं।

(8) इन्दिया गांधी राष्ट्रीय सुकृत विश्वविद्यालय

(9) प्रौढ़ शिक्षा

1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के शुभारम्भ का मूल उद्देश्य 1995 तक देश के लगभग 800 लाख 15-35 वर्ष की उम्र के वयस्क निवारण के कामचलाल साक्षरता प्रदान करना है। इसमें अभियान कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये अभियान केवल शिक्षा ही नहीं उसमें रुचि, प्रोत्साहन और इससे जुड़े मुद्दों को बढ़ावा देते हैं। साक्षरता के अनुकूल वातावरण पैदा करने वाली विविध नई विधियां जैसे नुक़द नाटक, दूरदर्शन, रेडियो, टी वी, समाचार पत्र परिवरण आदि हैं।

राष्ट्रीय जनसख्या शिक्षा परियोजना

स्कूल-कलेजों के छात्रों और वयस्कों के परिवार नियोजन एवं जनसख्या शिक्षा का संदेश आज वर्ती अनिवार्यता है। इसी मर्दभूमि में इस योजना के तीन माध्यमों से क्रियान्वित किया जा रहा है।

(क) विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा

(ख) कलेज तथा

(ग) वयस्क शिक्षा

वर्तमान में यह योजना 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है।

विहार शिक्षा परियोजना

केंद्र एवं राज्य सरकार की यूनीसेफ के साथ संयुक्त परियोजना के रूप में यह विहार वर्ती शिक्षा में आधारभूत बदलाव एवं शैक्षणिक पुनर्निर्माण का कार्यक्रम है। इसके अर्थात् प्राथमिक विद्यालय व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली, शिशु विकास और साक्षरता परचात् सरत शिक्षा एवं अस्तित्व रक्षा और सामान्य भलाई के लिए तकनीकी योग्यताएं पैदा करना शामिल है।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा

1990-91 में डॉ अष्टेढ़कर की जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें शिक्षित अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों के रोजगार देने एवं आरक्षण कोटे को कार्यान्वित करने पर भी ज़ोर दिया गया।

महिलाओं की शिक्षा

आठवीं पञ्चवर्षीय योजना में पिछले वर्ग के अल्पसंख्यकों के लिए 16.27 करोड़

रुपों का प्रावधान है। यहाँ तक महिलाओं की शिक्षा वा स्वेच्छा है वहाँ समूँग साक्षरता अधिकान में नोडने वाली महिलाओं को सच्चा पुरुषों ने अधिक है। महिलाओं की शिक्षा-सारिनों इन प्रकार है-

लड़कियों का नामांकन

वर्ष	इन्द्रियक स्तर	स्वेच्छा	ठज्जरि
1991-92	37%	33%	35%

महिलाओं की शिक्षा में मार्गीदारी के बढ़ने के प्रत्येक नम्रव ठज्जर किए गए। इसके अन्तर्गत ठटार गर विशेष कल्पन जैने आपरेशन बैंकबोर्ड के लिए 1987-88 से प्रदानिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों के 1,22,890 पदों के सूचन के लिए नरकार ने दृष्टियां दी जिनमें मुख्यदाया महिलाओं के ही रुचने को देखना है। अद्यतन नूदन के अनुसार 69,926 मरे गए पदों में 57.39% महिला शिक्षक हैं। इन्होंने प्रकार से लड़कियों के लिए 82,000 अनौपचारिक शिक्षा केंद्र हैं जिनके संचालन द्वारा 90% मदद दी गई। महिला सामाजिक परिवेषक चल रही है। नवोदय विद्यालयों में 28.44% टक लड़कियों का दर्तीखता निरिचित किया जा रहा है। यही नहीं वयस्क शिक्षा केंद्रों में भी महिलाओं के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया गया है। लड़कों को इन में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है।

लड़कों को इन में शिक्षा पर क्षेत्रवार प्रतिशत व्यवहार का व्यौत्त इन प्रकार है :

गिरापर क्षेत्रवार कोजन-व्यवहार लड़कों को ज्ञान (प्रतिशत)

वर्ष	केंद्र	राज्य	कुल	प्रतिशत
शहरीक शिक्षा	283000.00	632142.00	920142.00	46.95
भैड़ शिक्षा	140000.00	4564.00	144764.00	94.43
मास्ट्रिक शिक्षा	151900.00	19579.00	349779.00	17.85
ठज्जर शिक्षा	7000.00	31555.00	151555.00	7.73
व्यवस्थित शिक्षा	12000.00	63592.00	79592.00	3.93
टक्कन-व्यौत्त शिक्षा	32400.00	19233.00	275638.00	14.22
कुल	744300.00	1215668.00	1959948.00	100.00

मननव 1991 की जनगणना के अनुसार 7 वा इससे अधिक ठग वाली जनसंख्या का राष्ट्रीय साक्षरता दर इस प्रकार है :

वर्ष	साक्षरता दर
1981	43.56%
1991	52.21%
10 वर्ष में वृद्धि	8.65%

एक और यहा पुरुषों की साक्षरता दर में 13.10% जा इजाज्ब हुआ वही महिलाओं की दर 6.45% बढ़ी। 1981 में 2,357 लाख साक्षर थे जो 1991 में 3,593 लाख हो गए।

1981 में 3,053 लाख निरक्षर थे जो 1991 में 3,289 हो गए जबकि इनकी मरुषा में कमी की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि के कारण और बढ़ी। यदि राज्यवार माक्षरता दर को देखें तो इस प्रकार है

साक्षरता दर

राज्य	साक्षरता दर
केरल	82.8%
मिजोरम	82.27%
लश्मीपुर	81.78%
चंडौगढ़	77.81%
बिहार	38.48%
राजस्थान	38.55%
टाट्टाय, नागर हेन्डी	40.71%

महिला साक्षरता दर राज्यवार इस प्रकार है

राज्य	साक्षरता दर
मिजोरम	19.79%
लश्मीपुर	17.89%
नागान्नौड	14.45%
टमन और टीक	12.90%
हरियाणा	13.57%
मणिपुर	13.00%
अदमान निकोबार	12.26%
द्वापरसमृद्ध	
पांडिचेरी	12.63%
त्रिपुरा	11.66%
केरल	10.47%

अब यह कहा जा सकता है कि आजादी में पूर्व 20% साक्षरता दर 1991 में 52.11 प्रतिशत हो गई है जो विकास की धौतक है। इस क्षेत्र में महिला माक्षरता की दर में भी आनुपातिक वृद्धि हुई है जो महिलाओं की शिक्षा मस्थियों में विकासात्मक नामाकन दर तथा महिलाओं की नौकरियों में बढ़ता अनुपात तथा जागरूकता इसके प्रत्यक्ष साथी हैं फिर भी महिला साक्षरता के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहिए है। □

ग्रामीण रोजगार :

वर्तमान स्थिति तथा भविष्य के लिए रणनीतियां

प्रदीप भट्टनागर

श्रम और बेरोजगारी की समस्या सदैव में ही अर्थशास्त्र का केन्द्रीय विषय रही है। पारम्परिक आर्थिक सिद्धांत के अनुसार, श्रम को उत्पादन के चार घटकों में से एक माना जाता था। अन्य तीन घटक थे—भूमि, पूजी और उद्यमशीलता। यह माना जाता था कि उत्पादन के ये चारों घटक मीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा अर्थशास्त्री बड़ी गम्भीरता से इसी बात पर तर्क-वितर्क करते रहे कि इन घटकों की मांग और पूर्ति के बीच ताल मेल से इनके मूल्य किस तरह से निर्धारित होते हैं। पश्चिमी जगत के अनुभवों पर आधारित इन सिद्धांतों की भारत जैसे देशों में कुछ विशेष प्रासादिकता नहीं थी, क्योंकि भारत में श्रम की अधिकता है।

यह तो छठे दशक के मध्य में जाकर प्रोफेसर आर्थर लुइस ने 'दोहरी अर्थव्यवस्थाओं' के बार में लिखा, जिसमें उन्होंने कृषि क्षेत्र में 'अप्रत्यक्ष रोजगार' के रूप में श्रम के अधिक होने की चर्चा की और दलील दी कि यह अतिरिक्त श्रम औद्योगिक क्षेत्र के लिए 'श्रम की असीमित पूर्ति' का साधन हो सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में उचित मात्रा में पूजी के निर्माण में, धोरे-धोरे यह माधन उद्योगों को दिया जा सकता है, जिससे श्रमाधिक अर्थव्यवस्था का सम्पूर्ण विकास हो सकता है।

प्रोफेसर लुइस का लेख जब प्रकाशित हुआ तब भारत में जनसख्या विस्तोर की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी और बेरोजगारी को एक गम्भीर खतरा माना जाने लगा था। तब इस लेख ने बेरोजगारी की, विशेषकर ग्रामीण बेरोजगारी की, अवधारणा और उसके आकलन के बारे में एक क्रातिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया। सन् 1891 से 1921 तक की गई जनगणनाओं में प्रमुख आर्थिक प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति की आजीविका के साधन से जुड़े थे, जबकि 1931 से 1951 तक की जनगणनाओं में 'च्यवित की आमदनी' को महत्व दिया गया। लेकिन 1961 की जनगणनाओं में, पहली बार 'बेरोजगारी' के आकड़ों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा जनसख्या को 'कामगार' और 'गैर कामगार' की दो श्रेणियों में बाटा गया। बाद की जनगणनाओं में बेरोजगारी को मापने में और बारीकी

अधिक है।

शेषीय स्वर पर भारी अतर है, सर्वाधिक बेरोजगारी केंद्र से है, जिसके चादर वर्मिलनाहु और अमम का नम्बर आगा है तथा राजस्थान में ऐसी बेरोजगारी न्यूनतम है।

'दैनिक नियति' के अनुमानों के अनुमार प्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार श्रमिकों की कुल संख्या का लगभग 19 प्रतिशत यानी लगभग 46 लाख है। यह दर कई विकासित देशों की बेरोजगारी प्रतिशत में अपेक्षाकृत कम है तथा इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मण्डल के मर्देश्वर करने के तरीके में घट किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को बेरोजगारी की श्रेणी में रखने का मापदण्ड उम व्यक्ति में यह पूछना है कि क्या वह भद्रभित अवधि के दौरान काम भर रहा/रही थी तथा क्या काम तलाश कर रहा/रही थी या काम के लिए ढूँढ़ना था/थी। बेरोजगार कहलाने के लिए उम व्यक्ति का काम की तलाश में होना है यद्यपि यह भी जर्मरो है कि उसने भद्रभित अवधि में प्रतिदिन एक घटा भी काम न किया हो—प्रामीण भारत के भद्रभित में यह अत्यन्त ही चरम स्थिति प्रतीत होती है।

प्रामीण भारत में अधिकांश हिस्सों में लोगों के पास पूर्ण रोजगार नहीं होता है परन्तु ममत्वात्मक परम्पराओं के कारण वे एक ही जगह रहना पसंद करते हैं तथा चूंकि उन्हें उन्हें आम पाम के अलावा अन्य स्थानों पर रोजगार के अवसरों का ज्ञान नहीं होता, उन्हें वे खेती से बाहर या अपने गांवों में बाहर कर्म धूँढ़ने नहीं जाने हैं। यह स्थिति गांवों में रहने वाली स्त्रियों के बारे में अधिक महीने है। यदि ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों को भी बेरोजगारों की मरुज्या में जोड़ ले तो बेरोजगारी/पूर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की मरुज्या में लगभग दो करोड़ व्यक्तियों की या देश के प्रामीण श्रमगदल के अठ प्रतिशत में अधिक की तृदिंश हो जाएगी।

प्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

ऐविहामिक दृष्टि से देखें तो प्रामीण इलाकों में शहरों और कस्बों में श्रम पलायन विकास प्रक्रिया को विशेषता रखी है। भारतीय स्थिति बी विशेषता यह है कि शहरी क्षेत्र के लिए यह भविष्य नहीं होगा कि मध्ये बेरोजगारों को रोजगार दे सके। शहरी और प्रामीण क्षेत्रों की मजदूरियों में 30 प्रतिशत के अतर को प्रोफेशनल लुइम ने प्रामीण श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र के प्रति आवर्षित करने के लिए पर्याप्त माना। वास्तव में यह अतर इसमें कहीं ज्यादा है तथा इसकी वजह से अभूतपूर्व स्वर पर नगरों की ओर श्रमिकों का प्रवासन हुआ है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में भवके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न जा सके हैं। यहां तक कि यदि उदारीकरण और निजोकरण की नई आधिक नीति के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि होती है तो भी गांवों में उपलब्ध अतिरिक्त श्रम बल को शहरों में रोजगार जुटाना सभव नहा हो पाएगा। अत भावाधान यही है कि प्रामीण क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवसर

साथ-साथ मठलीमार पट्टों के अधिकारों के लाभार्थियों के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से इस क्षेत्र में अपना पूर्णकालिक काम धधा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हो सकती है। तटवर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गहरे समुद्र में मठली पकड़ने को बढ़ावा देने से समुद्रजन्य आहार के परिरक्षण, प्रमन्करण और विपणन के क्षेत्र में भारी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

गैर कृपि क्षेत्र

प्रामीण भारत की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वैमे तो दशकों में खेती के क्षम में प्रमुखतया लगे लोगों की संख्या 70 प्रतिशत के आमपास रही है, फिर भी गैर-कृपि कामों में भी गाड़ों में काफी रोजगार मिलता है। इस क्षेत्र में 15 से 20 प्रतिशत तक श्रम बल काम करता है। उथकरथा, हमशिल्प, प्रामोद्योग, रेशम कॉट पालन खादी, छोटे मोटे धधों, भवन निर्माण, प्रमन्करण और परिवहन के क्षेत्रों में कम पूँजी में किए जाने वाले धधे भी भूमिहीनों को आमदनी के महत्वपूर्ण साधन हैं तथा इनमें छोटे व गरीब किमानों को भी अतिरिक्त आमदनी होती है।

प्रामीण और लघु उद्योग

देश ने कई चम्नुओं के उत्पादन को पूर्णतया प्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए मुश्किल रखने की नीति अपनाई है। इस क्षेत्र के व्यापक प्रमार के कारण इसमें अतिरिक्त रोजगार अवमरों का सृजन, देश में प्रामीण बेरोजगारी की समस्या में निपटने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा चाहिए क्योंकि स्थापित औद्योगिक केन्द्रों में ही नौकरी के अवसर बढ़ाने पर जोर देने पर भी बेरोजगारी का समस्या हल करने में कोई मदद नहीं मिलेगी जब तक प्रामीण इलाकों में ही अतिरिक्त श्रम बल बना रहे गा।

उपरोक्त मध्ये क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार शुभता उत्पन्न करने में समय लगता है। और फिर, लघु व प्रामोद्योग की श्रम मध्यी जस्तरों को पूरा करने के लिए यह भी जस्ती होगा कि श्रमिकों में एक न्यूनतम म्लर की दक्षता भी मौजूद हो। कृपि के क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के अवमर जुटाना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि किमानों को एक प्रमली क्षेत्रों को बहुफसली में बदलने में कितना समय लगेगा और आधुनिक कृपि उक्नीकों को अपनाने में कितनी नेजी आएगी। समन्वित प्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम में पशुपालन तथा अन्य महायक क्षेत्रों में अपने काम धधों को बढ़ावा देने के लिए ऋण को भी जस्तर पड़ेगी और जैमा कि समन्वित प्रामीण विकास कार्यक्रम के पिछले 15 वर्षों के अनुभव ने दिखाया है कि निर्धनतम बेरोजगारों को इस कार्यक्रम का लाभ अक्सर मिल नहीं पाता क्योंकि वैक भी गरीबी को रेखा के नीचे रहने वाले उन लोगों को ही ऋण देते हैं जो अपेक्षाकृत वेहतर म्लिति में हैं।

दिहाड़ी मजदूरी

वेरोजगारों में भारी सख्ता ऐसे लोगों की है जो भूमिहीन हैं, अकुशल हैं तथा जो दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण छोटे और गरीब किमानों की पहले ही से छोटी जोतों की भूमि के और टुकड़े हो जाने से भूमिहीन श्रमिकों की सख्ता बढ़ती जा रही है। देश के कई हिस्सों में खेती के मद्दी वाले सीजन में मजदूरों के पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है या फिर स्थानीय स्तर पर अत्यधिक कम मजदूरों पर काम करने पर मजबूर करके उनका शोषण किया जाता है। ऐसी स्थिति में, लोक निर्माण कार्यक्रम अल्पावधि समाधान उपलब्ध कराते हैं। पिछले दो-एक दशकों से देश में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन एक तो इस बात के लिए इनकी आलोचना की जाती है कि ये कुशल नहीं हैं तथा इनमें जो मार्वर्जनिक परिसम्पत्तिया बनती हैं, वे टिकाऊ नहीं होतीं तथा ये अब ऐसे कार्यक्रम बन कर रह गए हैं, जिनसे गरीबों को आमदनी तो होती है, परन्तु परिणामस्वरूप टिकाऊ बुनायादी सुविधाएं नहीं बन पाती हैं।

अब यह अधिक म्मष्ट होता जा रहा है कि पूर्णतया मरकारी एजेंसियों या लाभार्थियों के अपने समूहों द्वारा चलाए जाने वाले लोक निर्माण कार्यक्रम न तो रोजगार के अवसर पैदा करने में और न ही टिकाऊ सार्वजनिक परिसम्पत्तिया निर्मित करने में सफल हो सके हैं। इन योजनाओं में ठेकेदारों की भागीदारी के निषेध से काम पर लगाए गए मजदूरों का इष्टरम उपयोग नहीं हो पाया है। एक तरीका यह है कि 'अकुशल' और 'कुशल' दोनों ही तरह के श्रम प्रधान, लोक निर्माण कार्यक्रम माथ साथ चलाए जाए—उदाहरण के लिए 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' जिसमें न्यूनतम अधिमूचित मजदूरी दी जाती है और निर्धनतम वेरोजगार मजदूरों को चुना जाता है, जिनके साथ बुनियादी सुविधा निर्माण कार्यक्रम चले, जिसमें ठेके पर मजदूरों को लगाया जाता है, जिन्हे बाजार भाव पर मजदूरी दी जाती है, परतु म्मष्ट शर्त यह होती है कि उपकरणों और मशीनरी का न्यूनतम इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे ऐसा करने के लिए दुगुने या तिगुने श्रम-बल का प्रयोग क्यों न करना पड़े। देश के मौजूदा दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रमों को इस दृष्टि से सरोपित किया जा सकता है।

नीतिगत-आशय

भारत में ग्रामीण वेरोजगारी की समस्या, मूलत मदी के सीजन की वेरोजगार समस्या है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और असम जैसे उच्चतम मौसमी अंतर वाले राज्यों में वहे पैमाने पर एक फसली खेती की जाती है और वहा समाधान यही है कि वहों मझौली और लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक धन खर्च करके मिचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए तथा आधुनिक फसल तकनीकों को बढ़ावा देने के एकछुट प्रयास किए जाए। ग्रामीण वेरोजगारी में न्यूनतम भौसमी अंतर वाले पञ्चाब, हरियाणा और ढार अदेश जैसे राज्य भी हैं जहा सिंचाई सुविधाओं और नवीन कृषि तकनीकों का व्यापक

ठपयोग हुआ है। ऐसे राज्यों को अपने बढ़ते प्रामोण श्रम-बल को रोजगार देने के लिए गैर-कृपि क्षेत्रों की रोजगार-जनक योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। वाकी सभी राज्यों के लिए सर्वोत्तम यही रहेगा कि वे दोनों नीतियों का मिला-जुला उपयोग करें। वैसे, अधिकांश राज्यों में 'कुशल' और 'अकुशल' दोनों ही श्रम प्रधान तकनीकों वाले दिलाढ़ी रोजगार कार्यक्रम जारी रहने चाहिए, जो अत्यावधि में चलाए जाए ताकि श्रम पनायन को रोका जा सके तथा निर्धनतम बेरोजगारों को जीवन निर्वाह का बेहतर स्तर उपलब्ध कराया जा सके और माथ ही भीतरी इलाकों में बुनियादी मुविधाओं के निर्माण में सहयोग मिल सके। □

आवास समस्या एवं समाधान

हरे कृष्ण सिंह

ममार के नभी प्राजियों को वायु, जल और भोजन की आवश्यकता महसूम होती है। प्राजियों में श्रेष्ठ जीव मानव है जो चेतनशील है। उसे वायु जल, भोजन और वस्त के बद आवाम की भी आवश्यकता होती है। भूटि के प्रारम्भ में मनुष्य गुफाओं, कदराओं, दर्जित झोपड़ियों में अपना जीवन व्यतीत करता था। आज के वैज्ञानिक युग में आवाम जीवन भूर का भाष्टदण्ड होने के माध्य-साथ मम्मानजनक आराम करने का स्तर तथा अर्द्धमंदा में वृद्धि करने वाला गोमुखी है। हमारे जीवन में आवास को प्राचीन काल में ही महत्व दी जा रही है और आवामहीन मनुष्यों के कट्टों का ढल्नेख भी किया गया है। घरदान मनुष्य का जीवन भर में देहदार नहीं माना गया है। बाइ नहीं जने प्रसूति वौ पीढ़ी करकर हम यह कहना चाहते हैं कि याग-यगीचों, पटरियों, प्लेटफार्मों, गदी व तग चन्दियों तथा बेघर लोगों की अन्दर्स्नी जिन्दगी कितनी बेवस, लाचार और बीमार होती है, हमका टीक-टीक आकर्तन करना आमान नहीं है। आज विश्व के सामर्त आवाम की ममस्या विकरान होती जा रही है। इसके माथ ही अक्तुंगर माह के प्रथम मोमबार को मनाये जाने वाले विश्व आवाम दिवस की प्रामगिकता बढ़ती जा रही है।

आवाम समस्या

एक अनुमान के अनुमार दुनिया का हर पाचवा आदमी बेघर है। योजना आयोग का अनुमान है कि भारत की जनसंख्या का पाचवा भाग द्वागी-झोपड़ियों में रहने को दिवश है। इसके अलावा जो मकान हैं उनमें 75 प्रतिशत मकान ऐसे हैं जिनमें खिटाकिया नहीं है और 80 प्रतिशत मकानों में शौचालय नहीं है। मडक, पानी, विजली की बात तो छोड़िए अधिकतर भारतवासी मकान, जल, शौचालय जैसी आवश्यक मुविधाओं में विचित हैं। आश्रम-स्थल को आवाम मानना विवेकहीनता का परिचायक होगा, कारण विकाम का सीधा मम्बन्ध आवाम से होता है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण, कैमरों में वृद्धि, पूजी विनियोग वैसी अनेकानेक वाधक तत्त्वों ने आवाम ममस्या को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है, जबकि प्रत्येक मनुष्य अपना धर बनाने के लिए मदैव नियतशोल रहता है। फिर भी मम्पूर्ण भारत में मकानों को कमी और मकानों का

अन्तोपचारक स्तर बत्करा है। इन समस्याओं के समाधान का प्रयास भी उद्देश्य किया जा रहा है।

समाधान के प्रयास

भारतीय सविधान में आवास समस्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि पचवर्षीय योजनाओं में इस समस्या को समाज कल्यान के परिवेश में देखा गया। प्रथम पचवर्षीय योजना से ही आवास समस्या पर ध्यान दिया गया है। जैशे के आवास योजना, कम आव वर्ग के लिए आवास योजना ददा विभिन्न प्रकार के क्रीड़ों के लिए गृह योजना का श्रीगंगेश प्रथम योजनाकाल से ही किया गया जो लक्ष्य अनुदान पर आक्रिय रहा है। इसी लालोक में सन् 1954 में राष्ट्रीय भवन चारठन के स्थापना की गई। द्वितीय पचवर्षीय योजनाकाल में आवासीय योजना की शुरूआत झुग्गी-झोपड़ियों का सफाया और विकास लाभिमान से की गयी। बापाल ईन्डिया, प्रामाण आवास एवं भू-अर्बन ददा विकास योजनाओं के अलावा अनुभूचित बढ़ि, अनुभूचित जनजाति और प्रामाण ईंट के निउडे वर्ग के लिए कई कर्पोरेशनों को इरान किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम ने मध्यवर्षीय आम वालों को भवन निर्माण के लिए व्याजमुक्त ऋण की व्यवस्या शुरू की और राज्य नरकरों ने अपने निज वेतनमें कर्मचारियों के लिए कियावे का मजबूत वैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। दूसरे योजनाकाल में इन कर्पोरेशनों के चालू रखते हुए आधिक रूप से कर्मचार वर्ग के होने के लिए नया कार्यक्रम बनाया गया। कम कीमत में मकान निर्माण के लिए रोप स्व सामग्री व्यवस्या का भरपूर इकान चौथी योजनाकाल में किया गया। दूसरे योजनाकाल में पूर्व धोपित एवं क्रियान्वित कर्मक्रमों का मजबूत कार्यक्रमन किया गया। छठी एवं सातवीं योजना अन्वेषित में इह ही आवास समस्या का समाधान करते हुए ईन्डिया का आवास समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया। अब प्रामाण मूनिहीनों के लिए गृहस्थ और गृह रेतु भवायदा, कम लागत में मकान बनाने की दक्षता, स्वयं सहयोग से घर बनाने हेतु प्रोत्ताहन आदि हमारी योजनाओं का ध्येय बन गया है।

राहगी एवं प्रामाण वेदरों को अपना घर देने के ठहरेश्य से कई कर्मक्रम सदृश किये गये हैं जिनमें सहयोग करने के लिए शास्त्रीय सहकर्ता आवास सब, आवास एवं राहगी विकास निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय भवन सगठन, आवास बोर्ड (एन्ड एन्ड), सेन्ट्रल विल्डिंग रिसर्च इन्टरेस्ट्यूट, जीवन बीमा निगम, सामाजिक बोना निगम के अलावा कई सरकारी व निजी विदेश संस्थाएं देवार हैं। राहगी में गरीबों को मकान ठपलाय करने के लिए नेहरू रोजगार योजना एवं प्रामाण गरीबों के लिए भवन डाक्टर्स कराने के लिए इन्दिया आवास योजना ददा बीम-सूची कर्मक्रम क्रियाशील हैं।

योजनागत परिव्यव एवं विनियोग

पहली योजना में आवास के लिए 38.50 करोड़ रुपये व्यवहार करने का प्रावधान किया

गया। द्वितीय योजना में 120 करोड रुपये, तृतीय योजनावधि में 202 करोड रुपये, चौथी योजनाकाल में 237.03 करोड रुपये, पाचवीं योजना में 600.92 करोड रुपये, छठी योजना में 1490.87 करोड रुपये एवं सातवीं योजना में 2458.21 करोड रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार पहली योजना में आवास पर कुल विनियोग 1,150 करोड रुपये का था, जो अर्थत्र के कुल विनियोग का मात्र 9 प्रतिशत रहा।

उपलब्धियां

स्वाधीनता के बाद योजनागत प्रयास, परिव्यय एवं विनियोग की प्राप्ति कम नहीं है। कारण 1950-51 से दिसम्बर 1979 तक 205 लाख मकान बागान श्रमिकों एवं औद्योगिक श्रमिकों के लिए बनाये गये। कम आय प्राप्त करने वालों के लिए कुल 3.36 लाख वधा अन्य विविध योजनाओं में उच्च वर्ग के लिए कुल 1.42 लाख भवन निर्मित किये गए। भाषीण क्षेत्रों में करीब 77 लाख गृह स्थल वितरित किये गये और 56 लाख मकान गृह स्थल सह गृह निर्माण योजना के तहत बनाये गये। छठी योजनाकाल में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कुल 9,06,133 मकानों का निर्माण कराया गया जबकि सातवीं पचवर्षीय योजना में केवल सहकारी गृह निर्माण योजना में 1087 करोड रुपये का विनियोग करके 23 लाख मकान बनाये गये। बीस-सूनी कार्यक्रम के अधीन 167 लाख मकान कम आय वर्ग तधा 714 लाख मकान आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए बनाए गए हैं। इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत अब तक 1442 लाख मकान बनाए गए। राष्ट्रीय भवन संगठन ने 1991 में 31 करोड मकान की कमी का अनुमान लगाया था। दूसरी ओर एक अनुमान के अनुसार सन् 2001 तक 644 करोड नये मकानों की आवश्यकता होगी। बात्मन्दव में मकानों की कमी अपने बाली योजनाओं के लिए एक गम्भीर समस्या बनने वाली है।

आठवीं योजना

आठवीं पचवर्षीय योजना के प्रावधानों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश में करीब 7 करोड 90 लाख भवनों के निर्माण की आवश्यकता है। आवास की विषम परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने आठवीं पचवर्षीय योजना में आवास निर्माण के कार्य को प्राथमिकता दी है। सातवीं योजना में 2458.21 करोड रुपये की अपेक्षा इस बार आठवीं योजना में 6377 करोड रुपये खर्च करने की योजना है। सन् 2000 तक सभी को अपना घर देने के लिए आवासीय क्षेत्र में भारी पूजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कुल 77,496 करोड रुपये का पूजी निवेश आकरा गया है। इसमें निजी क्षेत्र से 69,746 करोड रुपये और सार्वजनिक क्षेत्र से 7,750 करोड रुपये का निवेश सम्भावित है। आवास समस्या के समाधान हेतु होने वाले निवेश का 90 प्रतिशत निजी क्षेत्र के माध्यम से होना है। योजना के आधार-पत्र में विभिन्न आय वर्ग के लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकता, खासकर निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों, महिलाओं और लाभ से वचित वर्गों

यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्ग आदि को आवासीय जरूरतों के पूर्य करने हेतु जोर दिया गया है। इम हेतु सामाजिक आवास योजनाओं पर बल दिया जा रहा है जिनमें प्रामोज क्षेत्रों में न्यूटनम आवश्यकता क्षर्यक्षम, हुडकों की मूमिक्य को सुदृढ़ करना, बेथों के लिए घर, टकनीकी हन्तारण, आवास सूचना प्रणाली, डिस्ट्रिउ आवास योजना वथा मरकारी कर्मचारियों हेतु आवास योजनाएँ शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आठवीं योजना में आवास समस्या ने निपटने के लिए निरैचित यदीय उन्नास नीति को घोषना करे गयी है।

निष्कर्ष

निभद्दे ह स्वाधीनता के बाद भारत के शहरों एवं गावों में पुलगाड़ों पर जांचन बन्ने करने वाले नागरिकों के बर्बादमता में वृद्धि करने, मदों-गांठों एवं वर्षा से बचाकर उन्नद जांचन व्यवस्था करने का अवसर प्रदान करने हेतु केन्द्र व राज्य मरकार को और भौतिक व आवासीय व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए नामांजिक व सम्बोधन किये गए हैं। नफलना भी मिलो लैकिन बटनी जन्मखाना, कमरदोड महाराज, दक्षनीक व अभाव एवं नामांजिक व्यवस्थाभूज नमस्या व निदान नहीं हो सकता। यह भी नवमन्य मन्त्र है कि आहार नमस्या की तरह आवास नमस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी मरकारी योजनाओं में यह प्राथमिकता का विषय अवश्य रहा है। नामांजिक रूप में मादिर, घरशाला व जनाधारत व किंवदं भी घर हीन को घर उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण में किया जाता रहा है। भारतीय आवास नमस्या में बाट, आगजनी, आधी, शूक्रम जैसे प्रकृति प्रक्रम के साथ-साथ विदेश ददा देश के विभिन्न भागों में पनाह लेने हेतु आदेष्यक्रियाओं में हमेशा बढ़ोत्तरी हो रही है। मरकारी कोष में उपलब्ध नमाधारों के अनुमान मरकार का प्रबल नहीं दिशा में हो रहा है लैकिन इन नमस्या के नमाधार के लिए हम सबको पहल करने की आवश्यकता है।

सुझाव

आवास नमस्या के कारण गाव में लेकर रहर तक वो नामांजिक नम्कृति का नाम हो रहा है ददा भारत का भविष्य अपने को नम्भाल नहीं पा रहा है। गावों में खर पुछान, बाम और कच्चों मिट्ठी का बना एक कमरा एक परिवार के लिए सोने, रहने, भोजन, पढ़ने के साथ-साथ जानवर गाय, बकरी, भैंस व बैल पालने के नियंत्रणमाल होता है। हमें से अधिक लोगों के निवास के लिए प्रयुक्त यह कमरा बच्चों के प्राप्ति में ही हीन भावना का रिक्तार बनता है। दूसरी दरण रहरों में खानकर कियाये के मक्कनों में भी बच्चों के कुटिट होने का प्रस्तुर वातावरण मिलता है, क्षरण खेलने-कूदने के स्वान की कमी, मक्कन मालिक का रखेंदा, बायु जल, विजली के अभाव जैसे बच्चे आमतौर पर हो जाते हैं। इसमें हमारी नामांजिक नम्कृति प्रदूषित हो रही है। अशब्द न्यून है कि भारत का भविष्य एक-दूने की महादता, बाह्य मनोरञ्जन, मिलजुल कर काम भरना है।

मुख दुख का माधी खोता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आवास समस्या समाधान चाहती है। इसके लिए हमारा सुझाव होगा कि आवाम निर्माण के व्यय तथा विनियोग को सभी प्रकार के करों से मुक्त रखने की व्यवस्था यथारोध की जानी चाहिए। धर्मशाला, अनाथालय, किराये के मकान ग्रीबों के लिए मुफ्त मकान बनाने वालों के लिए सरकारी गैर पर कुछ मुविधा मुहैया कराना अनिवार्य है। पहला मकान में विनियोजित राशि को आयक्त से मुक्त रखा जाए। दूसरा प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के प्रथम सोमवार को मनाये जाने वाले विश्व अवास दिवस को ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिन्होंने आवास समस्या के निदान हेतु सक्रिय सहयोग किया। तीसरा वेधरों के घर देने वाले व्यक्तियों को भ्रमण-काल में सम्पूर्ण देश में मरकारी आवासीय होटलों में मुफ्त रहने की व्यवस्था की जाए। उनमरण नियन्त्रण, गरीबी उम्मूलन और वेरोजगारी निवारण के लिए आम सहभागिता की भावना तीव्र करने की आवश्यकता भी आवास समस्या के लिए उतनी ही प्रासादिक लग रही है जितनी कीमतों पर नियन्त्रण। आग, आधी, वर्षा से बचने वालों मकानों का निर्माण सम्भाला, सुन्दर और टिकाऊ के मिलान पर किया जाना चाहिए जैसे—आग से वेअसर फूस की छत आदि। कम मूल्य की तकनीक का आशय घास फूस का छप्पर से नहीं लिया जाना चाहिए। इमके माथ ही आवाम निर्माण को देयोग का दर्जा दिया जाए जिससे एक ओर आवाम समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी और दूसरी तरफ निपुण एव गैर निपुण व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सभावना बढ़ेगी। अन्त में लेकिन कम महत्व की बात यह नहीं है कि योजना बनाकर उसे पूरी दृढ़ता से लागू किया जाए तो मफलता अवश्य मिलेगी। आवास समस्या से निपटने के लिए हमें यह याद रखना होगा—‘हम उनकी मदद करें जो घरविहीन हैं।’ □

ग्रामीण विकास

स्वैच्छिक संगठन बन सकते हैं मील का पत्थर

अरविन्द कुमार सिंह

आबादी के बाद लंबे समय में चले आ रहे योजनापद्ध विकास प्रयामों के बावजूद ग्रामीण भारत आज भी अनेक समस्याओं से घिरा है। करीब 57 लाख में अधिक गांवों वाले हमारे देश में लगभग एक तिहायां आबादी गांवों में ही रहती है वहाँ प्रतिव्यक्ति आय तथा खपत दोनों का भरत नीचा होने के नाय माथ कई मूलभूत समस्याएँ हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायान, मचार ममेत कई आधारभूत मुविधाएँ भी ठने सुलभ नहीं हैं और ग्रामीण गांवों अभी भी चिनाजनक बनी हुई हैं। कई जगह मूलभूत मुविधाएँ ठनत्रय हैं तो ठनकी गुणवत्ता टीक नहीं है। शहरों की ओर बढ़ता पलायन भी इनमें में एक बजह है। गांवों में बेहतर रोजगार के मांकों की कमी और अन्य मामाचिक-आर्थिक क्षरणों में ग्रामीण ठन नगरों में तेजी से आये हैं जो रोजगार के मशहूर माने जाते हैं। साढ़ीय राजधानी दिल्ली ही या बबई की झापड़पट्टियों में आमर रहने वाले लाखों ग्रामीणों में यागर पूछा जाये तो पना बलेगा कि ठने अगर थोड़ा भी बेहतर मीका मिला होना तो शायद वे अपने गाल बो न ठोड़ते। 1951 में कुल भारतीय आबादी का 82.8 प्रतिशत गांवों में निवास करता था। यह प्रतिशत घटकर मन् 2000 तक 66.9 प्रतिशत होने की परिकल्पना की जा रही है। आबादी भारत में स्वयं में एक समस्या है और इसी बजह में बहुत मारे क्षेत्रों में व्यापक ममाधन लगाने और विशेष प्रयामों के बाद भी अपेक्षित नहीं जै नहीं दिख रहे हैं।

विशाल आबादी और जटिल भूगोल वाली भारत भूमि का ग्रामीण क्षेत्र दरअसल हमारी शान है। यह क्षेत्र उपेक्षित भले ही रहा हो लेकिन इसके महारे ही हमारा आर्थिक दोषा मजबूती से टिका हुआ है। सरकार की ओर से भी इन तथ्यों को मद्देनजर रख ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयाम किए गए हैं। सरकार ने ग्रामीणों के जीवन म्वर में सुधार लाने के माथ ठनकों और स्वावलम्बी तथा उद्यमी बनाने के अनेक प्रयाम किए हैं। गैट समझौता लागू होने के बाद ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कई क्षेत्रों में कृषि ठत्यादों के निर्यात और अन्य पहलुओं में व्यापक प्रगति होगी। ग्रामीण

गणिकों पर प्रतार करने के नाय आठवीं दोजना में प्रामोज विज्ञान हेतु केंद्रीय योजना का परिव्यवहार बटाउन 30,000 करोड़ रुपये कर दिया। यह इन अधिकारियों में राज्य दोजना के नम्भावित व्यवहार 15,000 करोड़ रुपये में ललग है। यहाँ नहीं, केन्द्र भरकर कई और मेरी सूची नुस्खार, न्वच्छ पेचउलासूची, प्रामोज गरीबी, रोजगार के अधिक अवनर देने जैसे पहलुओं के प्रायमित्राना दी गयी। मानव के चहुमुखी विकास के लिए किए गए ये प्रयास राग ला रहे हैं। हाल के वर्षों में पचासवीं राज मन्दाओं को और अधिकार अधिकार देने वाले ऐश्वर्यालिक नियंत्रण प्रामोज भारत को देजों में विकास की ओर ले जाएगा। पचासवीं को और अधिकार देने में आर्थिक विकास और नामांचिक न्याय के निर्वाचनाओं जो बनाने और आर्यावंवयन का अधिकार भी हन्ते मिला है। खड़ पचासवीं और जिला पचासवीं को जो अधिकार दिए गये हैं और जो प्रक्रिया अपनायी जा रही है उनमें अन्यथा जो जनकारी है कि पचासवीं गावों की उन्नति में महत्वपूर्ण सूचिका नियम नज़र आये। केन्द्र ने 9-10 अक्टूबर 1995 को पचासवीं अधिकारों के दिल्ली नमेलन के बाद कई व्यावहारिक प्रावधानों को जोड़ा है।

लेखिन इन नये बदलावों में प्रामोज क्षेत्रों की ममत्वार हन हो जाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। दरअसल प्रामोज विकास को और गोरुरोल बनाने दथा पचासवीं के और जारी बनाने के लिए अकेले यही भाइल जाम नहीं कर सकता। बास्तव में उन्हीं भी विकास की मुख्यधारा ने क्षेत्रों का क्षेत्रीय अननुलन वाले प्रामोज इलाकों में सरकार के नाय आप न्वयनको मन्याए कदम ने कदम भिन्नकर नहीं चलेगी तो अनेकित नहीं जे शब्द हीं जो सके। इतने बड़े देश में बदलाव अकेले सरकारी तत्र ने नहीं हो सकता क्योंकि सरकारी प्रदानों के गदिरील बनाने में उनसहयोग के नाय न्वैचिक नगठनों वा उनमें भद्रदगार दथा सरकार की आख जान बना होगा। अब नवाल यह ठठता है कि न्वैचिक न्याय प्रामोज विकास के चुनौतीयों को नहीं मैं किस नामा तक सूचिका नियम नज़र आयी है। दुशांग ने अधिकार न्वयनको नगटन राहीं हैं तो मैं ही न्विय है। उपभोक्ता आदोलन हो या प्रामोज न्वच्छता के कार्यक्रम, गावों में अर्थशाका का करिय हो या नई लैंडोरिंगों में कनजानापन, नामांचिक कुर्सियां हो या विनगरिया, ये मन्याए महत्वपूर्ण सूचिका नियम नज़र आयी है। बनान सुदूर प्रामोज क्षेत्रों में उभी भी यह आलम है कि प्रामोज अपने अधिकारों में कनजान हैं और उन केनक नरकारी योजनाओं जो जनवे दक नहीं जो उनके हित के लिए बनी हैं। सरकार द्वारा नालंडी देने के बावजूद उमान राज्यों में चाहे कैक्सलक उभी ज्ञातों वो जाम लोगों दक पहुचाने का मामला हो या न्वि प्रामोज जावाम या न्वच्छ ईचालयों वा मामल कोई भी अपेहित सरकारी नहीं पा सक्य है। महत्वाक्षरी इदिया आवान योजना जो हो ले दी जाए जाने पर नामांचिकों की जनाह के बगैर बनाये गये मजानों जो उन लाभांचिकों ने देने में इन्हर कर दिया।

यह एक महत्वपूर्ण रथ्य है कि कोई भी विकास कार्यक्रम दब बक नकल नहीं हो

सकता है जब तक उनमें वे लोग न शामिल हों जिनके लिए वे चलाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी तथा आचार्य विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने लोगों के सहयोग से इन्हें अधिक काम किए हैं कि वे हमारे सामने मिसाल हैं। आजादी के आदोलन का मुख्य पुरुष होने के बावजूद महात्मा गांधी न तो ग्रामीण भारत को भूले थे न ही उन्होंने चपारण के किसानों की पीड़ा से खुद को अलग किया। आचार्य विनोबा भावे ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ही गाव-गाव की पदयात्रा करके ग्रामीण भूमिहीनों के लिए दान में 45 90 एकड़ भूमि हासिल की। राजा राममोहन राय से लेकर दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण समाज की विसंगतियों तथा कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष की मिसाल कायम की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गढ़वाल अचल में महिलाओं ने शराब तथा जगल माफिया के खिलाफ जैसी सशक्त एकता दिखाई वह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। गौरी देवी तथा चडी प्रमाद भट्ट ने ग्रामीण पर्यावरण को सुरक्षा के लिए जिस 'चिपको आदोलन' को चलाया या शामली गाव (मुजफ्फर नगर) के एक मामूली से किसान चौ महेन्द्र सिंह टिकैत ने आर्थिक शोषण के चक्र में उलझे किसानों को संगठित कर उन्हें अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया ये ताजा मिसाल है। आज ग्रामीण समाज नई चुनौतियों भे जूझ रहा है। अनेक सामाजिक आर्थिक विसंगतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तरक्की हुई है और गाव बड़े बाजार के रूप में भी विकसित हुए हैं। यही नहीं सरकारी योजनाओं का जाल, ग्रामीण अचलों में और मध्यन हुआ है। ऐसे दौर में जबकि खेती बाड़ी के क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं, अतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदिशें टूट रही हैं गाव के गरीब लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है। अन्यथा प्रगति की इस दौँड़ में ये गाव गभीर असतुलित विकास का द्योतक बन सकते हैं। ऐसे में स्वयंसेवी या स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की व्यापक मफलता के लिए ही सरकार ने मितवर 1986 में ग्रामीण विकास मन्त्रालय के तहत गठित दो संगठनों भारतीय विकास लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद वा विलय करके लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद (कापार्ट) की स्थापना की थी। लेकिन 1994 के बाद ही इन प्रयासों को और गतिशील बनाया जा सका। कापार्ट के माध्यम से विकास परियोजनाओं को जनभागीदारी से क्रियान्वित करने के लिए स्वयंसेवी और गैर सरकारी संस्थाओं को महायता दी जाती है। उन्हें ऐसी परियोजनाओं के लिए मदद दी जा रही है जो ग्रामीण जीवन की बुनियादी आवश्यकता के किसी गभीर पहलू से जुड़ी हो।

ग्रामीण जनसंख्या का आकार देखते हुए उनकी समस्याओं की कल्पना की जा सकती है। अकेले चार हिंदी भाषा राज्यों उत्तर प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारत का 42 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण समुदाय रहता है। उत्तर प्रदेश में ही 11 15 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या तथा 2 18 करोड़ किसानों के बूते पर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था चल रही है। इन किसानों में 88 4 प्रतिशत लघु और सीमात विस्तार हैं।

राज्य में खेतिहास मजदूरों की सख्ता 7.08 करोड़ है। इनमें अधिकतर लोग मूलिकीय, निर्बंल, निर्देशनीय और दायरी की रेखा में नीचे जीवन पानन कर रहे हैं। ये उत्तरप्रदेश में 1950 के दौर में बहुत यज्ञनीतिक इच्छाशक्ति के साथ मूलिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गये थे लेकिन कार्य भी प्रामाण्य क्षेत्रों में शिष्टा दृष्टि अन्य क्षेत्रों पर विकास गार्हित नहीं है और पूर्वी उत्तरप्रदेश जैसे इलाकों में महिला माझरता करने की आवश्यकता नाजुक है।

प्रामाण्य विकास कार्यक्रमों में नमाधनों के दृष्टि से दून राज्यों के अहमियत दो गुण हैं जो अधिक नमन्याधन हैं या अधिक आवादी वाले हैं। 1995-96 में प्रामाण्य विकास नदी में वार्षिक योजना आवधन 8500 करोड़ रुपये है। नवीं योजना में प्रामाण्य आवाद व्यापक और मुख्य बनाया जा रहा है। हाल में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि नवीं योजना में प्रामाण्य आवाद व्यापक तुनिया ज्यों नदी में बहा व्यापक बनाये जा रहा है। 1995-96 में ही 10 लाख मज्जन बनाये ज्यों मन्दन्याव्याहों व्यापक रुप रखा गया है। इन लाख के विज्ञानियों का क्षमतान इन बात में लगाया जा सकता है कि 1985-86 में इदिया आवाद योजना लागू होने के बाद मार्च 1995 टक कुल 20 लाख मज्जन बने हैं। लेकिन नदी तराई के साथ सरकार ने व्यापक में बदलाव भी किया है और इने एक आदोनन में पहली बार न्यूट्रिनोजी नम्बारों की सत्रिय आगोदारी के साथ लाभार्थियों की संगोदारी द्वारा बदले गुज़दा ज्यों दृष्टि से भी व्यापक और अद्यतन में एक ज्यादातर भी गठित किया है जो इन पहलुओं के द्वारा द्यान में रखवे हुए इन क्षम ज्यों कार्यक्रम मुद्दाकू नदी में चलायेगा। यहाँ पर इन्हें ज्यादा है कि जोई भी व्यापक गुज़दा ज्यों दृष्टि से उठ दृष्टि उठा नहीं उठा सकता है जब टक कि उसमें आम जनदा ज्यों आगोदारी न हो। आगामी ने भी इन पहलुओं के द्वारा द्याये रखा है।

भारत में प्रामाण्य विकास व्यापकों पर आवादी के साथ ही 1947 में घास दिन जाता रहा है। 1950 ज्यों शुरुआत में बने व्यापक सामुदायिक विकास को लें या 1977 के मत्त्वान्धी अन्दोदार ज्यों, 1980 में चले 'मन्दन्याव्याहों विकास व्यापक' को लें या गरीबी पर प्रहार करने वाली अन्य योजनाओं का आजलन ज्यों, इनसे ज्यदा हुआ लेकिन टम्पोद के मुदायिक नहीं। इनमें ज्योई नदेह नहीं है कि अगर ये कार्यक्रम न चलाये जाते हों आज प्रामाण्य गरीब की निर्मित और भी समावह होती। ज्यों भी 1987-88 के न्यूट्रिनोजन गरीबी रेखा के नीचे गुज़र बनर अन्य वाटों के न्यूट्रिनोट 33.4 ज्योई कम नहीं हैं। इन्हीं दृष्टों को मद्दे न्यूट्रिन रखवे हुए इन सरकार ने प्रामाण्य इन्डों के लिए इतनों ज्यादा धनराशि दी है। लेकिन इन प्रदानों के नहीं दिशा देने में न्यूट्रिनोजी नम्बार ही बेहतर मूलिक नियम सकती हैं।

न्यूट्रिनोजी नम्बारों कौर भरनार दीनों के द्वारा प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विहार, आगरा भरनार, ठडोना और उत्तरपूर्व के दून राज्यों के अपनी प्राथमिकता मूल्यों में राजनिल ब्रह्मा चाहिए यो प्रगति ज्यों इन दौड़ में न बेकल पिछड़े हैं बल्कि नियम दी

दशवर्षे (1975-95) में राष्ट्रीय औमरु में नीचे प्रति व्यक्ति आय चाहते हैं। यहाँ अभी मूलभूत मुदिथाएँ लाना भी चाही है, माथ में ठन्हे प्रगति के नये आयामों में जोड़ना भी है। इसेक्ट्रानिक्स विभाग ने रात में भट्टाराद्, गुजरात तथा गोवा के 195 गांवों में सर्वेक्षण कौर प्रामोण विकास अधिकारियों भे साक्षात्कार में पाया कि वे म्वास्य सेवाओं में मुश्तर, बेहतर हाई स्कूल शिक्षा तथा ध्यावमादिक कौशल प्रशिक्षण, पेयजल, मिचाई, विद्युत, मटक तथा परिवहन सेवाओं और अनुरक्षण में मुश्तर चाहते हैं।

प्रामोण विकास के ममक दो तरह की गभोर चुनौतियाँ हैं—एक मूलभूत सेवाओं के जुटाने की तो दूसरी जो इलाके विकासित हो रहे हैं उन्हें नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने वे दोकां वे विकास की मुख्यपारा में शामिल हो जाएं। लेकिन हम उनके लिए कौन सी नई बना भवने हैं जो गरीबी रेखा में नीचे हैं और जिनके पास नाममात्र की क्रयशक्ति भी नहीं है या वहाँ काम करने की दशाएँ खारब हैं। विजली आपृति अविश्वसनीय है और परम्पर तथा अनुरक्षण की सेवाएँ ही ही नहीं। सेकिन उदारोंकरण की नीति के बाद भारत ने भारत के विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के लिए ऐसे उन्हें उन्होंने जीता शुरू कर दी है जो प्रामोण वातावरण के अनुकूल हों।

म्यवमेंजी मगठन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के काम में लगे हैं। भवद्वारा इन मस्त्याओं को उदारता में घटद करने तथा उन्हें मवल देने की नीति से नींके का फायदा उठाकर कागजी संगठनों को पैदा करने वाले भी सामने आ रहे हैं। इन्होंने ही ऐसे पथध्रष्ट मगठनों पर निगरानी रखना ज़हरी है। मिशनरी भावना में कम करने वाले म्यवमेंजी संगठनों को गांवों में रचनात्मक कामों का माडल खड़ा करना चाहिए। कापार्ट को ग्रामीण विकास में और कारगर भूमिका निभाते हुए म्वैच्छिक मस्त्याओं को गांवों में विकास कारों के लिए प्रोत्तमाहित करना होगा तथा छोटे छोटे संगठनों का जाल चुनना होगा। प्राथमिकता वाले गांवों पर उसे और ध्यान देना होगा। कापार्ट ने स्वयमेवी मस्त्याओं के लिए 1992-93 में 4548.94 लाख रुपये, 1993-94 में 5829.27 लाख रुपये और 1994-95 में 4912 लाख रुपये की राशि म्वीकृत की। मवसे ज्यादा आशादी वाले गांव उत्तर प्रदेश को इम अवधि में 2635.87 लाख रुपये मिले। अब तक 3.59 फर्जी मस्त्याएँ भी प्रकाश में आई इनमें भी उत्तर प्रदेश और बिहार में मवसे ज्यादा ऐसी मस्त्याएँ पकड़ी गईं। कई मस्त्याओं ने इम दौर में अच्छे काम किए हैं। कापार्ट ने 30 नववर 1994 तक 225.03 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ इन मगठनों को 1986-87 में दी और इम अवधि में 13 लाख ध्रम दिवसों का सूजन, 13000 कम लागत वाले मकानों के निर्माण, 1,10,000 म्वच्छ शौचालय बनाने, 25 हजार हैंड पप, 3000 कुएं, 1000 मछली तालाब, 600 मुर्गा पालन केन्द्र और 200 किलोमीटर प्रामोण मटकों के निर्माण की उपलब्धि मिली। लेकिन इतने बड़े देश और ग्रामीण परिवेश में यह काम उत्तर के मुह में जंगे के समान है।

म्यवमेंजी संगठनों को और नजदीक लाने के लिए ही कापार्ट ने अपने को विकेंद्रित

करके वित्तीय शक्तिवाले 6 केंद्रीय केन्द्रों की स्थापना की है तथा छोटे स्तर के स्वयंसेवी सगठनों को प्रोत्तमाहन देना शुरू किया। यही नहीं 7-8 मार्च 1994 को देश के विभिन्न अचलों से आये 100 स्वैच्छिक सगठनों का दिल्ली में सम्मेलन भी किया जिसमें प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया और उनकी समस्याओं तथा अन्य पहलुओं की पड़वाल के बाद एक कार्यवाही योजना बनायी गयी। यही नहीं, इनकी आचार सहित बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके बाद 10 लाख प्रामीण मकानों के निर्माण के लिए बने कार्यदल ने स्वयंसेवी सगठनों को भी मकानों के निर्माण कार्य में रखा और कापार्ट की मूर्च्छा में शामिल स्वयंसेवी सम्पादों की मदद से 30 हजार प्रामीण आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा। अभी तक ये सगठन प्रामीण जलापूर्ति, महिला और बाल विकास, समन्वित प्रामीण विकास तथा जवाहर योजना जैसे कार्यक्रमों से जुड़े थे और उनकी 13,567 परियोजनाएं कापार्ट ने भजूर की थीं। कापार्ट के सहायता से चलने वाली परियोजनाएं बढ़ती जा रही हैं। 1986-87 में जहाँ 428 परियोजनाएं थाथ में ली गयी थीं वह 1991-92 तक 2606 हो गयी। पिछले दो वर्षों में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या में ऐसी तेजी आयी है कि हर माह हजार से ज्यादा प्रस्ताव मिलने लगे। ऐसे में कापार्ट की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कापार्ट का मानना है कि हाल के वर्षों में इन सगठनों की गतिविधि बढ़ी है और इससे जुड़ा नकारात्मक पहलू यह भी है कि कई जाती सगठन भी प्रकाश में आये हैं और इनका पता लगाने में बहुत कठिनाई आती है। कापार्ट ने गरीबों निवारण कार्यक्रम के लाभप्राप्तियों को सगठित करने की दिशा में भी पहल की है तथा गरीबों की मददगार योजनाओं और कानूनी अधिकारों के बारे में जागृति पैदा की है। मुख्य शहरों में प्रामंडी मैलों के द्वारा स्वयंसेवी भगठनों ने प्रामीण उत्पादों की पहचान बनाने और उन्हें उचित दाम दिलाने में भी मदद की है।

अभी प्रामीण विकास की राह में अनगिनत रोड़े हैं। सरकारी कार्यक्रमों के बाद भी प्रामीण अचलों में मात्र 13.86 प्रतिशत जनसंख्या के ही स्वच्छता और शौचालयों के नुस्खा दीं जा सकी है। 1994-95 में मात्र 5.8 लाख घरेलू शौचालय बन सके। 1986 में आरम्भ 'केंद्रीय प्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम' एक दशक का होने जा रहा है लेकिन प्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम गति नहीं पकड़ रहा है। और इसने मात्र 2.5 प्रतिशत जनसंख्या को ही लाभान्वित किया जा सका है। जबकि मलेरिया जैसे मच्चारी रोग को नियन्त्रित नहीं किया जा सकता है। तो भी इस दिशा में कार्य करने की इच्छुक कई संस्थाएं मामने आ रही हैं। इस दिशा में दो संस्थाओं के नाम का उल्लेख जरूरी है। रामकृष्ण मिशन और सुलभ इटरेशनल ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हैं। सुलभ ने अब तक 6,86,0613 घरेलू शौचालय बनाये, 3000 में ज्यादा सामुदायिक शौचालय, 61 बायोगैम प्लाट वथा 35,000 कार्यकर्ताओं का जाल 19 राज्यों के 338 जिलों में खड़ा किया है। 1970 में पदमभूषण डॉ विदेश्वर पाठक ने पटना में जब अपने प्रयासों का शुरूआत की थी तब लोग हँसते या कटाक्ष करते थे लेकिन कम लागत रक्क्षणाकार के

शौचालय बनाने की दिशा में सुलभ ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज एक करोड़ लोग सुलभ शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं तथा इन शौचालयों के निर्माण में 500 रुपये से 40,000 रुपये तक की लागत का विकल्प खुला है। सुलभ के प्रयासों की विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ तथा यूएनडीपी ने सराहना की है। रामकृष्ण पिश्चिन ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण चौबीस परगना में ऐसे प्रयास 1957-58 में ही शुरू किए थे। उसने भी गाँवों में स्वच्छता कार्यक्रमों के प्रति जागृति पैदा की। ऐसे प्रयासों के बांगर सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। सरकार के पर्यासों द्वारा काम सभव नहीं है। अगर 2000 रुपये के निवेश पर सरकार ग्रामीण अचलों में शौचालय बनाने की योजना साकार करना चाहे तो उसे 28,225 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। ऐसी व्यवस्था सभव नहीं है।

स्वच्छता कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी के दिशा में सस्याए आगे आ रही है। ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता पर संसदीय स्थायी समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट में लोगों की भागीदारी और स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के प्रामीण धेर और रोजगार मंत्रालय के प्रयासों की सराहना भी की।

खेती, बागवानी, पशुपालन ग्रामीण रोजगार, परपरागत उद्योगों, हस्तकलाओं स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सामुदायिक विकास में कई संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान के सप्तस्याग्रस्त झुझुनू जिले में एम आर मोरारका ग्रामीण अनुसंधान संस्थान ने ग्रामीण जनता की भागीदारी से कई जगह कार्याकल्प ही कर दिया है। उसके कई कार्यक्रम चल रहे हैं और सरकार ने उनकी सराहना की है। पचास से अधिक स्वैच्छिक संगठन देश में कृषि विज्ञान केंद्रों का सचालन करके गाँवों में नई प्रौद्योगिकी लाने में मददगार भावित हो रहे हैं। लेकिन अभी इन प्रयासों को और गतिमान बनाने की जरूरत है। उपभोक्ता आदोलन को गाँवों में उसी तेजी से ले जाने की जरूरत है जैसा हाल के वर्षों में यह नगरों में चला है। कठोर दड़ प्रावधानों के बावजूद ग्रामीण उपभोक्ता कई तरह से पिस रहा है और गरीबी, अशिक्षा, सचार सेवाओं में कमी तथा अज्ञानता के कारण अपने अधिकारों से बचित है। उन्हें सिंचाई, विजली, ईंधन कीटनाशक दवाओं, कृषि यंत्रों आदि से सबधित तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह दोपहर ट्रैक्टर से लेकर धटिया बीज और मिलावटी उर्वरक के तमाम मामलों में असहाय सा महसूस करता है। ग्रामीण इलाकों में नाष्पात्र के उपभोक्ता संगठन सक्रिय हैं। ऐसे में इन प्रयासों को और गतिशील बनाने की जरूरत है। अगर इन पहलुओं को ध्यान में रखकर स्वयंसेवी संगठन ग्रामीण विकास में भागीदार बनते हैं तथा अपनी गतिविधिया तेज़ करते हैं तो सकारात्मक परिणाम हर हाल में हासिल होंगे। अगर मदनमोहन मालवीय सरोखा एक व्यक्ति अपने प्रयासों से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जैसी बड़ी सम्मा खड़ी कर सकता है तो जनभागीदारी से कोई भी क्षम असभव नहीं है। □

भारत में ग्रामीण विकास के लिए भूमि सुधार का महत्व

टी. हक

भूमि सुधार आर्थिक उदारीकरण से किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं, इसका विश्लेषण करते हुए लेखक ने बताया है कि पूजीवादी कृषि लाखों सीमात और छोटे किसानों के लिए हानिप्रद होगी। पिछले चार दशकों में अनेक भूमि सुधारों के बावजूद भूमि वितरण की विधियाँ में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। लेखक का कहना है कि हमारी लोकतानिक व्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण के दौर में भूमि के समान वितरण के प्रयासों में बाधा आएगी। लेखक के अनुसार लाखों सीमात और छोटे किसानों का अब कृषि से निवाह सभव नहीं है। इसलिए उन्हें गैर कृषि कारों में रुचि लेनी चाहिए।

पिछले पांच दशकों में कृषि अर्थव्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन आये हैं। सभी बड़े चर्मीदारों और बिचौलियों को हटाया गया है और बहुत से काश्तकारों को भालिकाना अधिकार दिये गये हैं। फिर भी अभी तक कुछ भू-पतियों के पास अत्यधिक जोते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का भाग जो कि 1950 के शुरू में 60 प्रतिशत था, 1994 में कम होकर 28 प्रतिशत रह गया है। परन्तु कुल श्रमिकों की सख्त्या में कृषि श्रमिकों का अनुपात 1950 में 72 प्रतिशत से थोड़ा सा कम होकर 1992 में 65 प्रतिशत हो गया है। आजादी के बाद से, भूमि की जीतों के समान रूप से वितरण के लिये बहुत से भूमि सुधार किये गये हैं। परन्तु इस दिशा में सफलता सीमित रूप में ही मिल पायी है। छोटे और सीमान्त किसान एवं ग्रामीण जनसंख्या के अधिकांश भूमिहीन श्रमिकों की सख्त्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, अब आधुनिक आर्थिक सुधारों के युग में भूमि सुधार की भूमिका में लोगों को सदेह होने लगा है। अधिकतर यह तर्क दिया जाता है कि भूमि सुधार कानून पूजीवादी एवं निगमित खेती के विकास को रोकते हैं जो कि विकास के लिये आवश्यक है। आर्थिक उदारीकरण के समर्थकों के अनुसार मामनवादी कृषि व्यवस्था प्राय समाप्त हो गई है। परतु समतावादी एवं सहकारी कृषि अर्थव्यवस्था भी विकसित नहीं हो सकी है और न ही पूजीवादी कृषि व्यवस्था का विकास हो पाया।

टनपेक्त वर्षों के नदर्भ में हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रस्त उभरते हैं। नवाँ मुख्य प्रस्त यह है कि भविष्य के लिये हम किन प्रकार के कृषि दाचे करें और करने वाले रखते हैं? कह हम जब भी समझते हैं कि भूमि सुधारे द्वाये भूमि के जोड़ों के स्कर्करन के काले के बावस्यकता है? यदि ऐसा है तो भविष्य में भूमि के पुनर्विनाश के लिये मुश्चरे के बजा समाजना है एव हम इस ठेस्य के कैमे प्राप्त कर सकेंगे जबकि अभी तक हम विचल रहे हैं? बजा हम वास्तव में ऐसा नोचते हैं कि कृषि दाचे के मुख्य ठेस्य होंटे और अधिक कुसात किसान होना है और दौदित नीति के द्वाये सोनान्द किसानों के होना है? या हम वास्तविकता स्वीकार कर सकते हैं कि पूर्वीवादी कृषि समाज में भूमि के बोत कुछ ही द्वायों में केर्नित रहे, जबकि अधिकारी छोटे और लोगों किन भूमिहेन अधिकों में बदल जाये? निमदेह पूर्वीवादी कृषि परिवर्तन के यह प्रतिक्रियाओं सोनान्द और छोटे किसानों के लिये हानिहान होंगी विशेषत जब कृषि और गंगा कृषि देश में ऐजग्राम की समाजनाये पर्याप्त नहीं है। इसलिये बजा हम क्या ने क्या इन परिवर्तन की स्थिति में छोटे खेतों के इसी दशा में रहने देने के दोषनु बना लगते हैं? वास्तव में, इन प्रस्तों के हस्त करने के लिये बहुत में नन्याग्रह और दैक्षण्यविकल उत्तराध करने होंगे।

भूमि की जोड़ों के बंध्यारे में परिवर्तन

टालिका 1 से यह देखा जा सकता है कि 1950-51 में कुल जोड़ों का 33 प्रतिशत सोनान्द जोड़े की जिन पर कुल देश के 6 प्रतिशत के बावजूद पर सेंद्रों होंदी थी जबकि दम हेक्टेयर में अधिक जोड़ वाले किसान 50 प्रतिशत थे जो कुल देश के 34 प्रतिशत भाग में सेंद्रों व्यती थे। 1990-91 के कृषि गतन के अनुसार भूमिहेन खेतों का क्युनान बढ़कर 59 प्रतिशत हो गया, जो जिकुल देश का 15 प्रतिशत था। परन्तु 16 प्रतिशत बढ़े और मध्यम किसान कुल भूमि के 45 प्रतिशत भाग के जोड़े हैं। इन प्रकार यदि हम 1950-51 से पूर्व की भूमि व्यवस्था की तुलना 1990-91 के भाव को दो भूमि सुधारे के उपायों की दशा मिलते चार दशाओं में सुधारे हुई प्रदूद नहीं होती है। वास्तव में इन वर्षों में भूमि के विटरम के टर्पें बहुत अव्यवस्थित प्रदूद होते हैं। टालिका दो से भी यह देखा जा सकता है कि विभिन्न समूहों के लोगों आकर क्यै भूमि में समय के क्युनान बढ़ेई परिवर्तन नहीं आया है। निम्न दो दशाओं के कृषि सेंद्रों में यद्यपि बढ़े, सोनान्द एवं छोटे खेतों के ब्लैडर काकर व्यै भूमि में समूहों के सेंद्रों में कमो आये हैं। टालिका 3 विभिन्न राज्यों में सोनान्द, छोटे एवं बड़े खेतों के ब्लैडर काकर व्यै दर्शाती है। टालिका 4 और 5, 1970-71 से 1990-91 के दौरान विभिन्न राज्यों में क्यार्यान्वित जोड़ों के विटरम के टर्पें के में विश्वापन के दर्शाती है। एक्सोप नमूना सेंद्रोंहेन के परिवर्तन (टालिका 6) भी समय के क्युनान भूमिहेन एवं जोड़ों के केंद्रीयकरण अनुपात के इसी प्रकार के बढ़दी हुई प्रवृद्धि के दर्शाती है।

तालिका ।
भारत के समयसुधार भूमि के वितरण से परिवर्तन
(प्रत्येक सम्पूर्ण-आकार के हिस्से का प्रतिशत)

वर्ष	सीधाना किसान		छोटे किसान		सम-भूमि		भव्यम् किसान		बड़े किसान	
	(एक हेक्टेयर से कम)	(एक हेक्टेयर से अधिक)	(1.2 हेक्टेयर)	(2.4 हेक्टेयर)	साड़ा	देशकल	साड़ा	देशकल	साड़ा	देशकल
1950-51	38.4	6.0	21.7	10.2	19.2	18.2	15.3	31.6	5.4	34.0
1960-61	40.7	6.7	22.3	12.2	18.9	20.0	13.4	30.4	4.7	30.7
1970-71	50.6	9.0	19.1	11.9	15.2	18.5	11.2	29.7	3.9	30.9
1976-77	54.6	10.7	18.0	12.8	14.3	19.9	10.1	30.4	3.0	26.2
1980-81	56.4	12.1	18.1	14.1	14.0	21.2	19.1	29.6	2.4	23.0
1985-86	57.8	13.4	18.4	15.6	13.6	22.3	8.2	28.6	2.0	20.1
1990-91	59.0	14.9	19.0	17.3	13.2	23.2	7.2	27.2	1.6	17.4

तालिका 2

भारत में कार्यक्रम जोलों के औसत आकार वे परिवर्तन

समृद्धि आकार	औसत आकार					
	1960-61	1970-71	1976-77	1980-81	1985-86	1990-91
सीधा जन (एक हेक्टेएर से कम)	0.44	0.41	0.39	0.39	0.38	0.40
छोटे (1/2 हेक्टेएर)	1.47	1.44	1.42	1.44	1.43	1.44
सामान्य (2-4 हेक्टेएर)	2.84	2.81	2.78	2.78	2.76	2.76
माध्यम (4-10 हेक्टेएर)	6.10	6.08	6.04	6.04	5.94	5.90
बड़े (10 हेक्टेएर से अधिक)	17.48	18.07	17.57	17.41	17.20	17.33
फूल	2.69	2.30	2.00	1.84	1.69	1.57

तालिका 3
विभिन्न राज्यों में सीधा जन छोटे और बड़े जोलों के औसत आकार वे परिवर्तन
औसत आकार

सीधा जन	छोटे						बड़े			सभी जोलों का औसत		
	1970-71	1990-91	1970-71	1990-91	1970-71	1990-91	1970-71	1990-91	1970-71	1990-91	1970-71	1990-91
1 आध प्रदेश	0.44	0.45	1.44	1.43	17.87	25.61	2.31	2.31	1.51	1.51		
2 असम	0.45	0.41	1.42	1.39	57.31	78.31	1.47	1.47	1.31	1.31		
3 बिहार	0.40	0.37	1.40	1.41	17.50	15.99	1.50	1.50	0.93	0.93		
4 झजरात	0.52	0.53	1.47	1.47	15.56	16.41	4.11	4.11	2.93	2.93		
5 हरियाणा	0.49	0.47	1.44	1.52	15.86	15.43	3.77	3.77	2.43	2.43		
6 हिमाचल प्रदेश	0.38	0.41	1.48	1.36	23.78	18.11	1.53	1.53	1.20	1.20		
7 जामू कश्मीर	0.41	0.39	1.46	1.38	18.75	23.00	0.94	0.94	0.83	0.83		
8 कर्नाटक	0.51	0.47	1.45	1.46	16.44	15.22	3.20	3.20	2.13	2.13		

9	केन्द्र	0.23	0.18	1.31	1.36	46.67	55.74	0.57	0.33
10	पश्चिम बंगाल	0.40	0.45	1.50	1.45	17.60	16.46	4.00	2.63
11	महाराष्ट्र	0.47	0.49	1.46	1.46	16.47	15.17	4.28	2.21
12	चण्डीगढ़	0.53	0.55	1.18	1.37	14.04	12.16	1.15	1.23
13	झेंघातय	0.70	0.54	1.50	1.32	10.70	14.25	1.70	1.76
14	नागार्हवा	0.65	0.64	1.23	1.40	18.40	16.63	5.40	6.84
15	उडीसा	0.52	0.49	1.53	1.38	16.43	16.61	1.89	1.34
16	पञ्जाब	0.44	0.56	1.43	1.61	15.49	16.03	2.89	3.61
17	राजस्थान	0.49	0.48	1.45	1.44	22.30	19.13	5.46	4.11
18	त्रिपुरा	0.42	0.36	1.42	1.41	16.94	18.44	1.45	0.93
19	निष्ठा	0.40	0.40	1.41	1.53	33.53	121.57	1.02	0.97
20	उत्तर प्रदेश	0.37	0.38	1.40	1.41	16.08	15.34	1.16	0.90
21	पश्चिम बंगाल	0.43	0.45	1.38	1.53	64.20	156.99	1.20	0.90
	संकलन भारत	0.40	0.40	1.44	1.44	18.15	17.33	2.28	1.57

सिविल राज्यों में सामाजिक क्रियान्वयन जैतों की संख्या में परिवर्तन
पुस्त क्रियान्वयन जैतों की संख्या का प्रतिशत हिस्सा

संख्या	राज्यों	राज्यों		जैतों		अधि.प्रशासन		मण्डल		जैती	
		1970	1990	1970	1990	1970	1990	1970	1990	1970	1990
1. आराधनदेश	46.0	56.1	19.6	21.2	17.4	14.4	12.7	6.9	4.3	1.3	
2. असाम	57.0	60.0	23.8	22.6	14.0	13.4	4.8	3.8	0.4	0.2	
3. बिहार	61.3	76.6	14.6	11.1	12.1	8.1	7.2	3.4	1.8	0.4	
4. गुजरात	23.8	26.3	19.1	26.0	22.8	35.3	21.7	19.0	9.6	3.4	
5. हरियाणा	27.4	40.7	18.9	19.9	22.5	20.0	21.1	14.5	8.1	3.0	
6. हिंगाल प्रदेश	49.2	63.7	20.2	19.9	14.2	11.4	6.3	4.4	1.1	0.7	
7. उपराष्ट्रप्रदेश	72.8	74.1	15.8	16.2	8.8	8.0	2.5	1.6	0.1	0.1	
8. कांचीपुरम्	39.2	23.6	27.5	22.2	20.1	17.5	11.0	6.2	2.2	-	
9. नेत्र	84.9	92.6	9.5	5.2	4.5	1.8	0.9	0.4	0.2	0.1	
10. मायाप्रदेश	31.8	37.3	16.8	22.8	20.1	20.7	20.0	15.1	9.3	3.8	
11. महाराष्ट्र	25.1	14.6	17.7	28.8	22.0	22.4	24.8	12.4	12.4	1.8	
12. गोवाराज	36.8	31.5	34.6	29.8	21.1	26.9	4.3	7.6	0.2	0.6	
13. उड़ीसा	41.3	53.6	32.9	26.2	11.3	15.0	9.1	4.7	1.4	0.4	
14. पञ्जाब	37.6	26.5	18.9	18.3	20.4	25.9	18.0	23.4	5.0	6.0	
15. राजस्थान	29.7	18.5	20.0	20.7	20.8	21.5	19.9	14.0	9.7	-	
16. राजितगढ़	48.8	73.1	20.9	15.9	13.1	7.7	6.1	2.9	1.1	0.4	
17. झारखंड	66.8	73.8	17.2	15.5	10.6	7.7	4.7	2.7	0.7	0.2	
18. परिपालक भारत	100.0	71.8	22.1	17.6	11.2	7.1	4.4	1.1	0.1	0.02	
साक्षर भारत	40.9	59.0	18.9	19.0	15.0	13.2	11.4	7.2	1.8	1.6	

तात्त्विका 5

विभिन्न राज्यों में समचारनुसार किञ्चाचित् जोतों के बीच में वर्तकर्त्ता कृत क्रियाचित् जोतों की संख्या के प्रतिशत हिस्से

	सीधोंत	छोटी				अर्ध-मध्यम				मध्यम				बड़ी	
		1971	1991	1971	1991	1971	1991	1971	1991	1971	1991	1971	1991	1971	1991
1	आध्र प्रदेश	80	164	113	196	192	252	308	261	307	307	307	307	128	128
2	असम	177	190	229	241	263	276	180	152	151	151	151	151	141	141
3	बिहार	160	303	136	171	221	238	276	210	207	207	207	207	77	77
4	गुजरात	30	48	68	130	160	244	378	389	365	365	365	365	189	189
5	हरियाणा	3.5	79	72	125	170	254	371	350	342	342	342	342	191	191
6	हिमाचल प्रदेश	14.5	21.5	190	225	257	257	237	204	171	171	171	171	99	99
7	उपर कर्नाटक	321	342	246	268	261	260	147	107	25	25	25	25	23	23
8	कर्नाटक	48	87	107	187	194	260	334	306	317	317	317	317	160	160
9	केरल	34.4	48.8	227	211	211	141	93	63	125	125	125	125	97	97
10	माध्य प्रदेश	34	64	62	126	145	219	347	391	412	412	412	412	240	240
11	महाराष्ट्र	27	77	61	190	148	281	364	328	400	400	400	400	124	124
12	मेघालय	-	14.9	106	311	225	389	387	138	238	238	238	238	-	-
13	उडीसा	12.0	19.7	266	269	211	295	278	191	12.5	12.5	12.5	12.5	48	48
14	पंजाब	5.7	41	94	81	200	200	381	402	269	269	269	269	267	267
15	राजस्थान	2.2	3.5	49	70	110	144	247	302	522	522	522	522	449	449
16.	रामेलनगढ़	171	28.3	20.5	240	248	226	246	176	130	130	130	130	77	77
17	उत्तर प्रदेश	21.1	31.4	20.8	24.4	25.0	24.4	23.2	16.9	90	90	90	90	39	39
18	परिचम बालात	21.5	36.5	25.7	30.0	28.9	28.4	29.2	75	47	56	56	56	174	174
	सक्रिय भाग	90	14.9	11.9	173	185	232	297	272	309	309	309	309		

सार्विका 6

1971 से 1991 तक स्थानिक और फ़िज़ास्त बोतों के कोन्स्ट्रक्शन अनुपात में परिवर्तन

	सामिल जोते				फ़िज़ास्त जोते
	1971	1981	1991	1971	
1 आध्र प्रदेश	0.732	0.736	0.740	0.606	0.599
2 असम	0.622	0.556	0.490	0.422	0.519
3 बिहार	0.719	0.686	0.653	0.556	0.626
4 गुजरात	0.683	0.696	0.703	0.540	0.558
5 हरियाणा	0.753	0.699	0.645	0.464	0.598
6 हिमाचल प्रदेश	0.546	0.541	0.536	0.586	0.468
7 झारखण्ड	0.425	0.519	0.613	0.397	0.460
8 छत्तीकरण	0.663	0.685	0.707	0.527	0.581
9 यूपर	0.702	0.681	0.660	0.647	0.649
10 मध्य प्रदेश	0.621	0.617	0.673	0.533	0.535
11 महाराष्ट्र	0.687	0.697	0.712	0.526	0.571
12 मेघालय	0.476	0.480	0.484	0.383	0.436
13 उड़ीसा	0.645	0.614	0.583	0.501	0.526
14 पंजाब	0.776	0.767	0.758	0.418	0.702
15 पर्यावरण	0.607	0.616	0.625	0.564	0.604
16 तमिलनाडु	0.731	0.756	0.760	0.516	0.640
17 त्रिपुरा	0.539	0.609	0.679	0.472	0.547
18 उत्तर प्रदेश	0.631	0.604	0.577	0.495	0.565
19 पश्चिम बंगाल	0.672	0.633	0.594	0.490	0.597
सम्पूर्ण भारत	0.710	0.713	0.716	0.586	0.629
					0.672

तालिका 7

विभिन्न राज्यों में भूमिहीन श्रमिकों के अनुपात में परिवर्तन

भूमिहीन श्रमिकों का अनुपात

	1971-72	कुल	1981	कुल	1987-88
					कुल
1. आध्य प्रदेश	46.6		11.9		15.30
2. असम	25.0		7.5		2.50
3. बिहार	4.3		4.1		1.20
4. गुजरात	13.4		16.8		27.3
5. झारखण्ड	11.9		6.1		7.5
6. हिमाचल प्रदेश	4.4		7.7		8.8
7. जम्मू-कश्मीर	1.0		6.8		3.4
8. कर्नाटक	13.7		12.6		7.7
9. केरल	15.7		12.8		5.3
10. मध्य प्रदेश	9.6		14.4		13.1
11. महाराष्ट्र	10.4		21.2		27.0
12. मणिपुर	5.8		2.1		0.6
13. उड़ीसा	10.6		7.7		5.1
14. पंजाब	7.1		6.4		27.5
15. राजस्थान	8.1		9.7		7.5
16. तमिलनाडु	17.0		19.1		20.3
17. त्रिपुणी	11.4		14.9		9.1
18. उत्तर प्रदेश	4.6		4.9		11.5
19. पश्चिम बंगाल	9.8		16.2		13.4
सकल भारत	9.6		11.3		14.4

भूमिहीनों की संख्या में वृद्धि

हाल ही के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दौर के अनुसार, भूमिहीन मजदूरों की संख्या 1971-72 में 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 1987-88 में 14.4 प्रतिशत हुई। तालिका 7 यह दर्शाती है कि 1981 से 1987 के दौरान भूमिहीनों का अनुपात कुछ राज्यों जैसे असम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में कम हुआ है। अन्य सभी राज्यों में भूमिहीनों के अनुपात में धोढ़ी बढ़ोत्तरी हुई है। आध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 10 प्रतिशत से अधिक मानीण व्यक्तियों के पास अपनी भूमि नहीं है। हाल ही के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आकड़े यह प्रकट करते हैं कि पुरुष श्रमिकों का कुल मानीण श्रम में अनुपात 1972-73 में 22 प्रतिशत से बढ़कर 1987-88 में 31.4 प्रतिशत हो गया है और महिला श्रमिकों में 31.4 प्रतिशत बढ़कर 1992-93 में 35.5 प्रतिशत हो गया है। यदि

वहाँ प्रवृत्ति जारी रही तो मामोंण जनसंख्या में अधिक संख्या सीमान्त किसानों और भूमिहीनों के होगी। इनमें से विहर मजदूर शामिल हैं। छोटे और मध्यम किसान 32 प्रतिशत के लगभग हैं जो कि कुल भूमि के 41 प्रतिशत भाग पर खेती करते हैं। वास्तव में यह छोटे और मध्यम किसानों का भूमि के साथ लगाव है जो कि कृषि को कुशलता के अपेक्षाकृत ऊचे स्तर पर बनाये रखता है और यह पूजीवादी कृषि के वृद्धि के रोकता है। भूमि सुधार कानून इस दिशा में निष्प्रभावी रहे हैं।

छोटे किसानों का आर्थिक भविष्य और स्थिरता

कृषि दाचे में छोटे लेकिन कुशल कृषि परिवारों को पहले ने ही प्राप्त प्रमुखदा को महेनजर रखकर छोटी जोतों का आर्थिक भविष्य एवं स्थिरता के सुनिश्चित करना आवश्यक है। हाल ही के हमारे मर्वेक्षण के परिणाम, जिनमें देश के आठ दुने हुए जिले जैसे अनन्तपुर और परिचमी गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश), भागलपुर और पटना (बिहार), भिवानी और करनाल (हरियाणा) और क्रोगगानगर और बोकानेर (योजस्वान) दिखाते हैं कि छोटे और मध्यम किसान बड़े और सीमान्त किसानों को अपेक्षा प्रति इकाई भूमि का ज्यादा उत्पादन करते हैं। फिर भी हरियाणा के करनाल और आन्ध्र प्रदेश के परिचम गोदावरी जिले को छोड़कर किसान अन्य जिलों में निर्धनता की रेखा में नीचे जीवन बनार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में छोटे किसान केवल उन क्षेत्रों में समृद्ध हैं जहा निचाई व्यवस्था उपलब्ध है और उनमें आषुनिक टेक्नोलाजी अपनाने को क्षमता है। इसके अतिरिक्त वे छोटे किसान भी आर्थिक रूप में टोक हैं जो फल, मब्बिया ठगाते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। इनमें खाद्य फलतों की अपेक्षा ज्यादा और स्थिर आय प्राप्त होती है।

वास्तव में यह छोटे और मध्यम किसानों का भूमि के साथ लगाव है जो कि कृषि की कुशलता को अपेक्षाकृत ऊचे स्तर पर बनाये रखता है और यह पूजीवादी कृषि की वृद्धि को रोकता है। भूनि सुधार कानून इस दिशा में निष्प्रभावी रहे हैं।

कृषि में लाखों सीमान्त एवं छोटे किसानों का निवाह सम्बव नहीं रहा है। इसलिए छोटे किसानों को गैर-कृषि कर्मों में भी रुचि लेनी चाहिए। अभी तक उपलब्ध आकड़ों के अनुसार प्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि मजदूरों का अनुपात 1981 में 18.9 प्रतिशत से सिर्फ थोड़ा-सा बढ़कर 1991 में 19.8 प्रतिशत हो गया है।

निष्कर्ष

भारत में पूजीवादी कृषि के धीमे विकास को देखते हुए आने वाले वर्षों में छोटे और सीमान्त किसानों की कृषि क्षेत्र में प्रमुख भूमिका होगी। इसलिए छोटे किसानों की स्थिरता को बनाये रखने के लिए डिचित वकनीक वदा संस्थागत और नोनि परिवर्तन की आवश्यकता है। इस सदर्श में निष्पलिखित बातें सहायक हो सकती हैं—

- 1 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय प्रदशों के परिणाम यह दिखाते हैं कि देश के विभिन्न भागों में तकनीकी मुधार द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। छोटे किसानों को ज्यादा धन राशि उपलब्ध करा कर टेक्नोलाजी के खातीपन को दूर किया जा सकता है। इसलिए मिचाई एवं गैर मिचाई वाले क्षेत्रों में टेक्नोलाजी के खातीपन को पहचानने और उसे पूरा करने के लिए तथा शुष्क एवं वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उचित टेक्नोलाजी के विकास की भविष्य में कृषि विकास के ढांचे में भवोच्च वरीयता दी जानी चाहिए।
- 2 भूमि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव में छोटे और बड़े किसानों के खेतों का औसत क्षेत्र कम होगा। भूमि के मौजिक पुनर्वितरण द्वारा सीमान्त किसानों की भूमि का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। दिसम्बर 1994 के आकड़ों के अनुसार भूमि मीमा करनून में प्राप्त एक लाख एकड़ भूमि या तो मुकदमेवाजी में फसी है या उसे बनाहित के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। देश में बजर भूमि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत के बाहर है जिसे भूमिहीन में बद्दा जा सकता है। उसका उपयोग खेती, कृषि वानिकी या सामाजिक वानिकी के लिए किया जा सकता है। देश में 1.5 करोड़ हेक्टेयर परती भूमि है जिसे खेती योग्य बनाया जा सकता है और 2.6 करोड़ हेक्टेयर अन्य परती भूमि है। इसे अधिपर्हीत करके मीमान्त किसानों और भूमिहीन मजदूरों में वितरित किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार एक हेक्टेयर परती भूमि को खेती योग्य बनाने में 5486 रुपये की लागत आती है। इस प्रकार 22 हजार करोड़ रुपये के पूँजी निवेश में 6.2 करोड़ सीमान्त किसानों को एक-एक हेक्टेयर भूमि दी जा सकती है।

भारत में पूजीबादी कृषि के धीमे विकास को देखते हुए आने वाले वर्षों में छोटे और मीमान्त किसानों की कृषि क्षेत्र में प्रमुख भूमिका होगी। इसलिए छोटे किसानों की स्थिता को बनाये रखने के लिए उचित तकनीक तथा संस्थागत और नीति परिवर्तन की आवश्यकता है।

- 3 बीवन निर्वाह के लिए छाट और मीमान्त किसानों को ज्यादा कीमत वाली फसलें जिनमें बागवानी, सब्जियाँ, रेशम के कीट पालन, कृषि वानिकी, मछली पालन आदि शामिल हैं, का उत्पादन करना चाहिए। केरल के अन्दर छोटे किसानों का उत्पत्ति इसलिए है क्योंकि वे उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन करते हैं। छोटे किसान अपनी उपज में विविधता ला सकें इसके लिए उन्हें टेक्नोलाजी प्रशिक्षण, पूँजी, बाजार, परिवहन और दूसरी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

- 4 भारत में कृषि क्षेत्र पर बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को देखते हुए यह जरूरी है कि छोटे किसान अपनी उपज में विविधता लाए और गैर कृषि कार्य भी करें परन्तु ऐसी विविधता लाने के लिए छोटे किसानों का कृषि उद्योगों, कृषि सबधी व्यापार,

कूरी वन्दुलों के अनादन और मेवाओं में निवेश जल्दी है। इसके लिए ठेके को समीकृति, चिन्हों छोटे किसी नो वा पूर्ण के स्वास्थ्य को नुस्खा बनाए रहे, नदूषक नियंत्रण भी आवश्यक है। इन ग्रन्ति में सरकार के अलावा नियों वेद, ज्ञानों वा सहज समितिया और स्वयम्भेदी संगठन भी महत्वादे दाक्त हैं। □

बाल श्रमिक व्यवस्था खत्म करना एक चुनौती

संगीता शर्मा

विश्व व्यापार संगठन बनने के बाद से विकसित व विकासशील देशों के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा सामाजिक परिवेश बन गया है, जिसमें बाल मजदूरी भी शामिल है। विकसित देशों में इस समस्या पर एक सीमा तक काबू पा लिया गया है लेकिन विकासशील देश अब भी इस समस्या से जूँझ रहे हैं। भारत भी उन्ही विकासशील देशों में से एक है जहां बाल मजदूरी की समस्या बड़े पैमाने पर विद्यमान है लेकिन भारत इस समस्या से निपटने के लिए निरत्र प्रयासरत है। लेखिका ने इनसे जुड़ी कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया है।

भारत में बाल मजदूरी की प्रथा बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत गुलामी के दिनों में ही हो गई थी। उस ममत्य कृषि आदि कार्यों के लिए बाल श्रम का काफ़ी प्रयोग किया जाता था। बाद में जब उद्योग धर्थे खुलने प्रारंभ हुए तो उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग होने लगा और धीरे-धीरे उनकी स्थिति बद्धुआ मजदूरों की सी हो गई। यह सिलसिला आज भी चला आ रहा है। आज हालांकि विभिन्न उद्योगों में बाल बद्धुआ मजदूरों की मख्या में तो कमी आई है किंतु विभिन्न उद्योगों में बाल मजदूरों की सख्या में कमी नहीं आई है। भारत के हर कोने, हर गाव, कस्बे व शहर सभी जगह बाल मजदूर काम कर रहे हैं और सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के लाख प्रयासों के बावजूद बाल मजदूरी पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है।

सरकारी आकड़ों के अनुसार इस ममत्य भारत में करीब दो करोड़ बाल-श्रमिक हैं, जबकि गैर-सरकारी आकड़ों के अनुसार बाल-श्रमिकों की सख्या इससे कही अधिक है। बड़ीदा के आर्गेनाइजेशनल रिसर्च मुफ़्त के अनुसार देश में 4 करोड़ 40 लाख बाल श्रमिक हैं जबकि सेटर फ्लर कन्सर्न ऑफ चाइल्ड लेबर के अनुसार भारत में बाल-मजदूरों की मख्या 10 करोड़ है। स्वयंसेवी संगठनों का एक समूह बाल श्रमिकों की सख्या साढ़े पाँच करोड़ बताता है। बाल श्रमिकों की सख्या चाहे 10 करोड़ हो या पाँच करोड़, लेकिन इद्दा निश्चित है कि इनकी सख्या है करोड़ों में और विश्व में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक पारत में ही हैं। इनमें लड़के लड़किया दोनों ही हैं।

बाल श्रमिक कौन और क्यों?

किसी उद्योग, खान, कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के मानसिक व शारीरिक श्रम करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं। हालांकि सविधान के अनुच्छेद 24 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खानों अथवा कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा, खासकर ऐसा काम तो विलकृत ही नहीं, जो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस कानून का सरेआम वल्लधन हो रहा है। हाल ही में समाचार-पत्रों में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें बताया गया है कि पश्चिम बंगाल, डॉइसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आधि प्रदेश और कर्नाटक इन रायाह राज्यों में खतरनाक समझे जाने वाले उद्योगों में भारी सख्त्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

अब सवाल यह उठता है कि जब बाल मजदूरी खत्म करने के लिए कई योजनाएँ बनाई गई हैं और सरकारी तथा कई गैर-सरकारी सगठन बाल-श्रमिक श्रम को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं तो बाल श्रमिकों की समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है और इनकी सख्त्या में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है? तो इसका प्रमुख कारण सरकारी नीतियों का सही ढंग से पालन न हो पाना तो है ही, सबसे बड़ा कारण हमारे यहा की सामाजिक आर्थिक परिस्थितिया है जो बच्चों की छोटी उम्र में ही मेहनत-मजदूरी करने के लिए विवश कर देती है। इसलिए जब तक उन सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक बाल मजदूरी को खत्म कर पाना असभव होगा।

सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां

गरीबी, बेरोजगारी, कृपोषण, अशिक्षा और बढ़ती जनसंख्या, ये भारत की प्रमुख समस्याएँ हैं। एक गरीब आदमी के सामने सबसे पहली समस्या पेट भरने की होती है। इसलिए जैसे उनके बच्चे अपने पाव पर खड़े होकर चलना शुरू करते हैं यानि पाच-छह साल के होते हैं वे उन्हें कमाने-खाने के लिए कहीं न कहीं भेज देते हैं। यानि जिस उम्र में एक सामान्य परिवार का बच्चा पढ़ना शुरू करता है उसी उम्र में एक गरीब परिवार का बच्चा मेहनत-मजदूरी करना शुरू कर देता है। कई बार सरकार द्वारा दवाव डालने या स्वैच्छिक सगठनों द्वारा ममझाने पर कई लोग अपने बच्चों को स्कूल मेजना शुरू कर भी देते हैं तो वे लोग तीसरी-चौथी कक्षा में ही उनकी पढ़ाई अधूरी छुड़ाकर उन्हें करम पर लगा देते हैं। इस तरह अधिकांश बाल मजदूर या तो निरक्षर ही रह जाते हैं या तीसरी-चौथी कक्षा तक ही पढ़ पाते हैं। राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा पाच शहरों में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चई में कुल बाल श्रमिकों में 59 प्रतिशत बच्चे तो कभी स्कूल गए ही नहीं, 30 प्रतिशत बच्चों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। केवल 11 प्रतिशत बाल श्रमिकों ने ही पढ़ाई जारी रखी है। कलकत्ता में 84 प्रतिशत बाल श्रमिक निरक्षर हैं।

157 प्रतिशत बच्चे पाचवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखते हैं और केवल 0.3 प्रतिशत बच्चे ही पाचवीं कक्षा से लग्भर पढ़ाई करते हैं। जबकि मद्रास, हैदराबाद, कानपुर इन तीनों ही राज्यों में अधिकाश बाल श्रमिक निरस्तर पाए गए। देश के अधिकाश भागों में बाल श्रमिकों की शिक्षा के मामले में यही स्थिति है और ज्यादातर बाल श्रमिक अशिक्षित ही हैं। इन बच्चों के अशिक्षित रह जाने से दो तरह के कुप्रभाव पड़ते हैं—एक तो अशिक्षित रह जाने के कारण ये लोग जीवन भर केवल मजदूरी ही करते रह जाते हैं। अद्वित्य में न तो ये लोग कहीं अच्छी जगह काम कर पाते हैं, न ही इनका जीवन स्तर सुधार पाता है दूसरे कि इससे देश की तरक्की में भी बाधा पहुंचती है और कुपोषण, अधिक जनसंख्या जैसी समस्याएं जो सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही दूर हो सकती हैं उन समस्याओं पर कबू पाना भी कठिन हो जाता है।

वैसे बहुत से लोगों का मानना है कि बाल-श्रमिकों की समस्या गरीबी के कारण नहीं है बल्कि गरीबी की समस्या बाल श्रमिकों के कारण है क्योंकि जहाँ बाल श्रमिक ज्यादा है वहीं गरीबी भी ज्यादा है। इन लोगों का मानना है कि यदि इन बाल श्रमिकों को शिक्षित किया जाए तो बाल मजदूरी पर काबू पाया जा सकता है। कारण ऐसे ही कुछ भी हो लेकिन इतना निश्चित है कि बाल श्रमिक व गरीबी के बीच गहरा संबंध है।

वैसे बाल श्रमिकों को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन उद्योगपतियों, कारखानेदारों और ठेकेदारों के है जो जबान लोगों की बढ़ाए छोटे बच्चों को कमपंथे पर लगाना चाहते हैं क्योंकि एक तो ये छोटे बच्चे आधी या एक छोटाई मजदूरी में ही काम कर लेते हैं दूसरे गढ़े और असुविधाजनक वातावरण में चुपचाप घटों काम कर लेते हैं। हालांकि इस बारे में बहुत से लोगों का तर्क यह है कि वे छोटे बच्चों को काम पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनके हाथ में वह हुनर होता है जो हस्तशिल्प की बारीकियों को पूरा कर सकता है। किन्तु यह इतना असरगत तर्क है कि इस पर विचार करना ही बेकार है।

अब सवाल यह उठता है कि ये बाल श्रमिक क्या काम करते हैं किन उद्योगों में इनकी सख्त्या ज्यादा है और सरकार ने बाल श्रमिकों के लिए क्या क्या योजनाएं तथा कानून बनाए हैं। वैसे तो बाल श्रमिकों में खेती का काम करने वाले बच्चों, घरों, चाय, ढाबों, दुकानों आदि में काम करने वाले बच्चों, कूड़ा बीमने वाले बच्चों तथा भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि काम में लगे बच्चों को भी रखा जा सकता है किंतु यहा हम केवल उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को बाल श्रमिकों की श्रेणी में रखते हुए उन उद्योगों की चर्चा करते हैं जिनमें उनकी सख्त्या ज्यादा है। सार्वीय श्रम संस्थान के अनुसार ये हैं—

- (1) शिवाकाशी तमिलनाडु में माचिस तथा आतिशबाजी उद्योग
- (2) सूरत, गुजरात में हीरे पर पांचिश करने वाला उद्योग

- (3) बदपुर, राजस्थान में क्रीमरी पत्त्वर पर पौत्रिश करने वाला ठदोग
- (4) फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में कच्च ठदोग
- (5) मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में पीवल ठदोग
- (6) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, भदोही में हाथ से बनाने वाले गलोचा ठदोग
- (7) उत्तर प्रदेश में असांगढ क्ष वाला ठदोग
- (8) जम्मू-कश्मीर का हाथ से बुनने वाला कस्तीन ठदोग
- (9) झज्जू प्रदेश में मदमौर स्लेट ठदोग
- (10) आश्र प्रदेश में मक्कपुर में स्लेट ठदोग

इन भभी ठदोगों में काम करने वाले बाल श्रमिकों को सख्ता लाखों में है—इनके अलावा कुछ ऐसे ठदोग भी हैं जिनमें हजारों बच्चे काम में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय क्रम तस्क्यान के आकड़ों के अनुसार खुर्जा के पोटरी ठदोग में पाच हजार, रमिलनाडु के हैंजरों ठदोग में आठ हजार, महाराष्ट्र भिवडी के पावरलूम ठदोग में पन्द्रह हजार, केरल के नारियल रेशा ठदोग में बीम हजार, लखनऊ में जरी के काम में पैंगलीम हजार, कच्च क्यै खान मेदालय में अड्डाईन हजार बाल श्रमिक कर रहे हैं।

इनके अलावा भी पूरे देश में कितने ही ठदोग हैं जिनमें बाल श्रमिकों की सख्ता हजारों में है ये बाल श्रमिक किसी भी ठदोग में काम करते हों मगर मव जगह उन्होंने हालत एक जैनी है। नमों जगह ये बच्चे 10 से 12 घण्टे प्रतिदिन काम करते हैं और बदले में उन्हें प्रतिमाह कुल दोन मौ या चार मौ रुपये रक ही मिलते हैं। जबकि उन्हें ठदोगों में काम व्यरु रहे बदन्क लोगों के 600-700 रुपये मिलते हैं। इन तरह हर जगह इनका भरपूर शोषण होता है। जेंड भी ठदोग ऐसा नहीं है जहा काम करने पर उन बच्चों के पद्धकर रोग जैसे टीवी, कंमर, मास की बीमारी, चर्म रोग, आखों की रोशनी कम होना, जोड़ों में दर्द, वेहोशी, चर्म रोग, नक्रेमिस (चेहरा विकृत होना) फोटोफोटिया, दमा आदि बीमारिया न होती हो। अगर ये इन बीमारियों से बच भी जाते हैं तो इन्हें खामी, नदों और शिव्यद, शरीर में दर्द और भूख न लगने जैसी शिकायतें तो हो ही जाती हैं।

सबसे दुखद बात यह है कि जिन ठदोगों में काम करने से इन्हें बीमारिया होती है वहा इन्हें किसी तरह की चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पाती है। बत्तिक बीमारी की हालत में ये बच्चे अगर एक-दो दिन काम पर भी नहीं जाते हैं तो टेकेदार इनके पैसे तक बट लेता है। नुबह में शाम तक काम करने वाले इन बच्चों को खाने में भी मूर्छा रोटी के निवाय कुछ नहीं मिलता है। यानि इनका एक तरफ से नहीं हर तरफ में शोषण होता है। ये बीमार मजदूर जब जबान होते हैं तो बीमारी, गरीबी और भूखमरी में इनके कार्य पहले ही इन्हें झुक जाते हैं कि देश या समाज का बोझ उठाना तो दूर अपने परिवार का बोझ भी नहीं ढटा पाते हैं।

भारत सरकार शुरू से ही बाल श्रम की व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रयत्नशील रही है और इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं साथ ही सरकार बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए भी काम करती रही है। बाल मजदूर जैमी विकट भवस्था की तरफ सबसे पहले ब्रिटिश सरकार का ध्यान गया था। पहले 1938 में राष्ट्रीय काप्रेस तथा समाज सुधारकों द्वारा मार्ग करने पर ब्रिटिश सरकारने बाल मजदूर अधिनियम बनाया जिसमें 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखानों में रखने पर रोक लगा दी किंतु यह कानून बहुत ही प्रभावी ढग से लागू नहीं हुआ और बाल श्रमिकों की सख्ता कम होने की बजाए बढ़ने लगी। इसके बाद 1946 में कोयला अधिक कानून, 1951 में चाय, काफी ब रबड़ के बागानों में कार्यरत श्रमिकों के सरक्षण से सबधित अधिनियम, 1952 में खान कानून, 1959 में श्रम नियोजन अधिनियम, 1976 में बधुआ श्रमिक मुक्ति अधिनियम बनाए और समय समय पर पुराने कानूनों में भी परिवर्तन किया गया ताकि बाल मजदूरी की प्रथा निर्वाध रूप से आज तक जारी है।

1986 में बाल मजदूर प्रतिवध व नियमन कानून बनाया गया जिसमें खतरनाक ठंडोंगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर रोक लगा दी गई। 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई गई जिसके अन्तर्गत बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने, ठनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन तथा सामान्य विकास कार्यक्रमों पर जोर देने की व्यवस्था की गई।

इसमें 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति प्रस्ताव में पारित विचारों को और अधिक विकसित रूप में रखा गया। जिसमें ठनके लिए जगह-जगह औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने तथा समय समय पर ठनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में सबसे अधिक बल इस बात पर दिया गया कि सरकार बच्चों के साथ मजदूरी की दर में होने वाले भेदभाव को खत्म करेगी और बच्चों को भी वयस्कों जितनी मजदूरी देने का कानून बनाएगी।

इसके अलावा विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं में भी सरकार ने बाल श्रमिकों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। सातवीं पचवर्षीय योजना में बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने तथा रोजगार से च्युत बच्चों के शोषण को रोकने तथा रोजगार से च्युत बच्चों के पुनर्वास के लिए कई कार्यक्रम शुरू किये, जिन्हें अलठकर्त्ता पचवर्षीय योजना में भी जालू रखा गया। नियोजन से हटाये गये बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य देख-रेख जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू की गई। 1992-93 के दौरान इन परियोजनाओं पर 1.09 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 2 अक्टूबर, 1994 को केन्द्रीय सरकार ने खतरनाक ठंडोंगों में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए 850 करोड़ रुपये की एक और योजना शुरू की। इसके अलावा इसी वर्ष 13 मित्रावद को तत्कालीन प्रधानमंत्री धी वी नरसिंह राव की अध्यक्षता

में एक बैठक होने जा रही है जिसमें 100 जिलों के जिलाधिकारी भाग लेंगे। इसमें बाल मजदूरी मिटाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार करें जाएगी। इस समय आठ राज्यों में राष्ट्रीय बाल श्रमिकों के लिए स्कूल तथा स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं। अब इम परियोजना के व्यापक स्तर पर पूरे देश में शुरू किया जाएगा। बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए 1995-96 में 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मरकर के अलावा कई गैर-सरकारी स्वैच्छिक सगठन भी बाल श्रम मजदूरी की प्रथा दूर करने तथा उन्हें शोषण से बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इन सगठनों को यूनीसेफ, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों तथा भारत सरकार द्वारा सहायता मिलती है। हाल ही में एक स्वयंसेवी सगठन ने “बचपन बचाओ आदोलन” शुरू किया गया तथा कुछ खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों को वहाँ से निकला।

बाल श्रमिकों की जमान्त्रा का तल यह भी है कि द्वारीण क्षेत्रों में रोजगार के इतने अवमर मुलाय कराए जाए कि लोगों को काम की कमी न रहे तथा उन्हें इतनी मजदूरी दी जाए कि अपने बच्चों की शिक्षा भी दे सके व उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकें। मात्र ही बाल श्रमिकों को काम में हटाने के बाद उनके पुनर्वास की ओर भी विशेष ध्यान देना होगा। बाल श्रमिक व्यवस्था को खत्म किए बिना यह देश तरक्की नहीं कर सकता है। □

हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप भविष्य में कैसा हो सकता है ?

श्रीपाद जोशी

20वीं सदी का अंतिम दशक आर्थिक परिवर्तनों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। इस दशक की सबसे बड़ी घटना समाजवादी देशों का मसीहा रूस के समाजवादी किले का धराशायी होना है। इमके प्रभाव अन्य समाजवादी देशों की अर्थव्यवस्था पर हुए हैं। आज से एक दशक पूर्व अपने आपको समाजवादी कहकर गौरव अनुभव करने वाले देश अब खुली या पुजोवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने में प्रयासरत हैं।

इसे सयोग कहें या पूर्व में भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति की विफलताएँ, कि भारत सरकार को भी 1991 से अपनी आर्थिक नीतियों में भारी परिवर्तन करना पड़ा। और तब से आज तक सरकार देश में उत्पादन वृद्धि के साथ भावध आर्थिक गति की दर को बढ़ाने के लिये एक के बाद एक कदम उदारीकरण की दिशा में ठाठाती रही है। इस नीति के अनुकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार हुए हैं, यह अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है। परन्तु 1995 के प्रारम्भ में हुए आधप्रदेश तथा कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में दुए चुनावों में पूर्व में सत्तामीन राजनीतिक पार्टी की विफलता का एक करण उदारीकरण होना भी बताया जा रहा है। 1991 से 1994 तक की अवधि में भुगतान सतुलन की स्थिति में मुधार, विदेशी विनियम कोणों में वृद्धि, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तीन मसलों में इस नीति की मफलता सदेहास्पद बताई जाती है—वह है बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दर बेरोजगारी में वृद्धि तथा गरीबों की सख्ता में हुई वृद्धि। इसी मदर्भ में बजट पूर्व सर्वेक्षण के कुछ तथ्यों को ठदूत करना चित्रित होगा।

1995 96 के बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में बढ़ते राजकोषीय धाटे और मुद्रास्फीति पर चिता व्यक्ति की गई है। सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था के उज्ज्वल पक्ष की चर्चा करते हुए आर्थिक मुधारों को एक महन्यपूर्ण जीन कहा जा सकता है। पिछले बार वयों में यह वृद्धि सर्वाधिक है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता और रोजगार में वृद्धि अच्छी रही है। निर्यात में वृद्धि की चर्चा भी की गई है और इस बात पर जोर दिया

गया है कि निर्यात में वृद्धि बनी रहे। व्यापार सतुलन के लिये भार्धे विदेशी निवेश का मुझाव है।

सर्वेक्षण में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को ठजागर किया गया है। ये हैं कृषि क्षेत्र में मुधार का अभाव, छोटे किसानों के लिये समर्थन कार्यक्रमों में कमी, मजबूत मानव व्यवस्था का अभाव। इच्छा तो यह है कि अधाधुध औद्योगिकरण को दौड़ में हमने कृषि, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, को ठचित बर्योदया नहीं दी है। प्रतिस्थानों के बारे में सर्वेक्षण में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। माना गया है कि एकाधिकारात्मक व्यवहार क्षब्दव्यवस्था हो। मच तो यह है कि आर्थिक मुद्धारों का मूलमत्र स्वन्य प्रतिस्थान है।

स्वन्य प्रतिस्थानों के लक्ष्य को अमरीका रुदा विक्रमित राष्ट्रों ने बड़ी सीमा तक हानिल कर लिया है। अत इसके लिये वे विश्व में खुली प्रतिस्थानों का प्रदार कर रहे हैं तथा माम, दाम, डड, मेंद सभी प्रकार के उपायों को अपनाकर विक्रमित देशों को यह भमझा रहे हैं कि खुली प्रतिस्थान हो विकास की कुन्जी है।

खुली अर्थव्यवस्था के लिये आर्थिक मुद्धारों को अपनाकर उन्नति करने वाले देशों में एशिया के कई देशों का ढाँचेख किया जा सकता है जिनमें जापान क्षब्द सम्मान प्रदुख है। इनके अतिरिक्त चिनासुर, फिलीपिन्स, ट कोरिया आदि लगभग 10-12 देशों के नाम गिनें जा सकते हैं। इन देशों ने अपने देश में आर्थिक विकास दर में वृद्धि करते हुए जनता के जीवनस्तर को भी ऊपर डाला है। परन्तु ये देश आकार और क्षेत्र के मामले में बहुत-छोटे हैं। अत जनसख्ता वृद्धि और गर्हणी की गधीर समस्या भारत और दोन के नमान कहीं नहीं है।

भारत एक विकासशील देश है जिसके समृद्ध अनेक भमस्याओं विकास रूप में खड़ी हैं। इन्हें हन करते हुए विकास दर में वृद्धि द्वारा आर्थिक जीवन के स्तर के उच्च उठाना भारत की सबसे बड़ी भमस्या है।

हाल ही में एक विकासशील देश मैकिन्सको जो निष्ठले कुछ वर्षों से आर्थिक नुष्ठारों के द्वारा खुली अर्थव्यवस्था को अपनाने में प्रदासरत रहा है, को कहानी ब्रैचर्च भारत के मदर्स में उद्बोधक होगा। आर्थिक खुलेपन के पछलगाकर जब कोई विकासशील देश उड़ने का प्रयास करता हो उनका क्या हाल होगा इसका उदाहरण मैकिन्सको ने पेश किया है। उनके अमूरपूर्व मुद्रा सकट ने दुनिया के मसीहा अमेरिका और विश्व क्षेत्र के समृद्ध बड़ा सकट खड़ा कर दिया है। जनवरी माह में परिचम के अखवार मैकिन्सको को मुर्छियों ने रो रहे। अमरीका सकट का अजडा पलट गया। अत मुद्राक्षेत्र के श्रेष्ठ अर्थशास्त्री ऐसी व्यवस्था करने के लिये प्रयासरत हो गये कि मैकिन्सको के मदी का सकट अद्वेन्टीना, कनाडा, इटली, प्राप्त और स्नेन पहले से चरमरार मुद्रा बाजारों को अपनी चपेट में न ले।

एक दिसम्बर को जब राष्ट्रपति ब्लॉक्स मॉलनाम ने नदा को अलविदा कहकर नए

राष्ट्रपति अरनेस्टो जेडिलो के हाथ में देश की कमान भी पी थी, तो उन समय मैकिम्सको मुक्त बाजार के जरिये समृद्ध जुटाने को एक गुलाबी मिसाल था। अलान्सन से अवैटीना तक एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के अमरीका मिशन "नास्ता" (ठहर अमरीका मुक्त व्यापार ममझीता) का वह गर्वाता मदस्य था और दिसंबर के पहले पखवाड़े में मियामी में होने वाले लेटिन अमरीका शिखर व्यापार मष्टेलन में उन्होंने अपली भूमिका निभाई थी। लातिन अमरीकी देशों को मध्यमे बड़ी दुश्मन मुद्राम्झाति भी 10 में 12 प्रतिशत पर कावू में थी। पूजोव्याजार विदेशी निवेश में लकालव भए हुआ था और लगभग 3200 डॉलर के प्रति व्यक्ति भक्ति घोरलू उत्पादन के साथ मैकिम्सको दुनिया को इस बात का कायल करने में भफल था कि अब वह एक विकिति देश बन गया है। ऐसे मुराने परिदृश्य के बीच अपने भुगतान मतुलन को दशा मुघारने के मकमद से नए राष्ट्रपति ने 20 दिसंबर को राष्ट्रीय मुद्रा "पेमो" के डॉलर के मुकाबले लगभग 30 प्रतिशत अवमूल्यन की घोषणा कर दी। जैसा कि अपनीर पर होता है, इस अवमूल्यन का उद्देश्य भी यही था कि डॉलर महगा होने की वर्दालत आयात घट जाए और निर्यात बढ़ने लगे, ताकि निर्यात में अधिक आयात करने की वजह से पेदा हुआ व्यापार धारा घट जाए। यह अपेक्षित प्रक्रिया शुरू भी हो गई, मगर पेमो में व्यक्त होने वाली निर्यात बन्दुओं के माय मात्र पेमो में व्यक्त होने वाली पूजी प्रतिभूतियों के दाम भी तेजी से गिरने लगे। असंभिक आकड़ों के भुलाविक अवमूल्यन के बाद एक भप्ताह के भीतर अमरीका मामूलिक निधि योजनाओं (म्यूचुअल फड़) को मैकिम्सको के पूजी बाजार में 60 करोड़ डॉलर के बराबर नुकसान हुआ। दूसरे शब्दों में पेमो में व्यक्त होने वाली ठनकी कीमत में 16 प्रतिशत की गिरावट आ गई। लेटिन अमरीका फड़ योजनाओं और मार्कारी बाड के बाजार में भी यही हालत पेदा हो गई। मिर्क म्वर्ण और डॉलर से जुड़ी प्रतिभूतियों के दाम चिर रहे। यह आशात विदेशी निवेशकों में हडकप पैदा करने के लिए बासी था और उन्होंने अपना निवेश रातों रात अन्य देशों में स्थानातरित करना शुरू कर दिया। चूंकि अधिकतर विदेशी निवेश शेयर बाजारों और महेबाजी की सभावना वाली अन्य प्रतिभूतियों में था, इसलिए मैकिम्सको का शेयर बाजार "बोल्मा" मुंह के बल गिरने लगा। विदेशी "हॉट मनी" भाप बनकर उड़ने लगी।

नये माल के दूसरे दिन राष्ट्रव्यापी निराशावाद का एक दूसरा विम्फोट हुआ। राष्ट्रपति जेडिलो ने बदलवास राष्ट्र को मालना देने के लिये 2 जनवरी की दोपहर को राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक विशेष सबोधन का बायदा किया और जब समूचे देश के व्यापारी बर्ग और आम लोग टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे थे, तो राष्ट्रपति का देश के नाम सबोधन स्थगित कर दिया गया। अगले दिन राष्ट्रपति टेलीविजन पर प्रकट हुए और उन्होंने दो दूक शब्दों में कह डाला था कि "देश की जनता महान बलिदानों के लिए तैयार रहे, अवमूल्यन के बारां श्रमिकों के बेतन की वास्तविक कीमत कम हो जाएगी और उसमें धीरे धीरे ही मुघार करना म भव होगा। मैकिम्सको के पहले नागरिकों के मुह में

ऐसा बयान मटी के महामटी में बदलने वाला साधित हुआ। विदेशी निवेश का पलायन और रेज हो गया और जिस शेयर बाजार के अवमूल्यन पर एक आने पर प्रतिक्रिया दिखानी चाहिये थी, वह बारह आने की प्रतिक्रिया के बाद भी थमा नहीं। 30 प्रतिशत अवमूल्यन को चोट खाए 'पेसो' का वास्तविक मूल्य और भी कम होने लगा और जनवरी के आखिरी हफ्ते तक 19 दिसंबर के भाव की तुलना में पेसो का भाव 40 प्रतिशत कम रह गया। साथ में मैक्सिकोवासियों की सम्पत्तियों की कीमत का भी भाव उसी अनुपात में गिर गया। आज हालत यह है कि मैक्सिको की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1982 के स्तर से भी पाच प्रतिशत नीचे है। अन्वराष्ट्रीय पर्यवेक्षक कह रहे हैं कि अब जब मैक्सिको अगली सदी में कदम रखेगा तो वह उन्नत भाव होगा, जितना वह तीन दशक पहले था। एक राष्ट्राध्यक्ष या सत्ताप्रमुख का वक्तव्य क्या महत्व रखता है तथा उसके परिणाम किनने गभीर हो सकते हैं, इसका यह अनुपम ठारण है।

चूंकि अमरीका मैक्सिको के व्यापार में 70 प्रतिशत का भागीदार है तथा मैक्सिको का चरमराना विल क्लिटन द्वारा प्रायोजित "नाप्टा" संधि का चरमराना है और चूंकि मैक्सिको से लाखों शरणार्थियों के अमरीका में घुम आने का महाप्रश्न है, इसलिए अमरीकी समट के एजेंडा पर आज मैक्सिको की बहाली पहले नबर पर है। महयोगी देशों के माथ चढ़ा एकत्र कर 18 अरब डॉलर की सहायता राशि मैक्सिको को पहले ही रखाना की जा चुकी है। अब 40 अरब डॉलर की दूसरी खेप वहा भेजने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा था। मैक्सिको का सकट जगजाहिर होने के तुरत बाद राष्ट्रपति क्लिटन के टेलीफोन पर राष्ट्रपति जेफिलो को इन शब्दों के साथ ढाढ़स बधाया कि मैक्सिको में स्थिरता और समृद्धि बहाल करने में अमरीका की गहरी रुचि है। जिम शिद्दत के माथ अमरीका मैक्सिको के सकट में रुचि ले रहा है, उसे देखते हुए मैक्सिको के अरणी राजनीतिक टिप्पणीकार लारेजो मेयर ने टिप्पणी की थी कि "ऐसा लगता है कि हमारे सच्चे राष्ट्रपति विल क्लिटन है।"

एक मप्रभु राष्ट्र का इस कदर निरीह और परावलंबी हो जाना दारूण है। मगर इस दारूणता के दो पक्ष हैं, पहला यह कि दुनिया भर के देशों के वित्त तत्र पर गिर्द की नजर रखने वाला अन्वराष्ट्रीय मुद्रा कोष मैक्सिको के मामले में मुह की खा गया। उसके आकलन विल्कुल गलत साधित हुए। आमतौर पर विश्व बैंक और अन्वराष्ट्रीय मुद्रा कोष अवमूल्यन की अर्थनीति के नष्टघर माने जाते हैं। मैक्सिको के मामले में तो मुद्रा कोष ने बाकरदहा एक वक्तव्य जारी कर अवमूल्यन को स्वागत योग्य कदम बताया। मुद्राकोष ने यह आशा भी जाहिर की कि दीर्घकाल में यह कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। मगर मुद्रा कोष के विशेषज्ञों की फौज अर्थशास्त्र के इस सबसे सरल सिद्धांत को नजर अदाज कर गई कि अधिकतम मुनाफे की जुगाड़ में रहने वाला निजी निवेश, बैंक और म्यूचुअल फड अल्पकालिक लाभ पर ज्यादा ध्यान देते हैं और सकट की भेड़चाल में तो यह सिद्धांत और भी व्यावहारिक हो जाता है। दूसरा दिलचस्प पक्ष यह है

अमरीका की बगल में रहने वाले एक पिछड़े देश में मुक्त व्यापार के जरिये आर्थिक विकास बटोरने का बहुप्रचारित कार्मूला इस कदर फेल हो रहा है कि 18 अरब डॉलर की यह राशि इन्ट के मुह में जीरा साबित हो रही है और विदेशी निवेशक मैक्सिको के साथ साथ बाजील और अजेंटीना के बाजारों से भी पैसा निकाल रहे हैं। उमर से एक विद्यम्भना यह कि मित्र राष्ट्र होने के बावजूद अमरीका मैक्सिको को बिना शर्त राहत राशि देने को राजी नहीं था। आरभिक समाचारों के अनुसार एक शर्त यह हो सकती है कि मैक्सिको अपने "पेमेक्स" जैसे वेशकीमती सरकारी टपक्रम गिरवी रखे। इस बात पर मैक्सिको के अधिकारियों को एतराज है। अमरीकी समद की एक भाग यह है कि मैक्सिको में प्रतिभूति गारियों और राहत राशि पहुंचाने को अमिक मानक, न्यूनतम बेतन जैसे मानवाधिकारों और पारगमन आदि की शर्तों से जोड़ा जाए। यहाँ यह तस्लेख जरूरी है कि मैक्सिको से बोरिया विम्तर समेटने वाले विदेशी निवेशकों में से अनेक अमरीका से भवधित हैं।

अमरीका सहित अनेक औद्योगिक देशों को आज इम बात का अफसोस है कि उन्होंने मैक्सिको को एक प्रथम श्रेणी का विकसित राष्ट्र समझने की भूल की। मगर पोस्टमार्टम से जुटे पश्चिमी अर्थवेत्ता कह रहे हैं कि यह मोहभग अप्रत्याशित भले ही हो, पर था अनिवार्य। राजनीतिक आप्रहों के रहते पूर्व राष्ट्रपति मार्केलनास ने आर्थिक विकास का आत्मघाती मिथक खड़ा कर दिया था।

"नाप्ता" संधि के बाद विदेश व्यापार के सारे दरवाजे एक झटके से खोल दिये गए और स्थानीय आवादी में आयात की होड़ लग गई। विदेशी पूजी भी निर्वाध होकर घुसी, मगर टसका बमुश्किल 15 प्रतिशत हिम्मा वास्तविक उत्पादक क्षेत्रों में गया, शेष नाजुक पूजी बाजार में केन्द्रित हो गया, ये सब खुलेपन के आप्रह हे।

वास्तव में नी करोड़ की आवादी बाला मैक्सिको 90 करोड़ की आवादी बाले भारत से आर्थिक और राजनीतिक चरित्र में काफी मिलता-जुलता है। मैक्सिको में भी आम आदमी खेती करता है, भारत में भी। वहाँ भी भीषण आर्थिक अममानता है, भारत में भी। वहाँ पर भी इस्टीट्यूशनल रिपब्लिकन नामक एक पार्टी लगभग 70 साल से लगातार सत्ता में है और यहाँ भी कमोबेश कामेस पार्टी का प्रभुत्व रहा है।

मैक्सिको की आर्थिक दुर्घटना से विश्वकृत अर्थव्यवस्था की अवधारणा को बड़ा धक्का लगा है। इस बात की आशकर्ये व्यक्त की जा रही है कि अन्य विकासशील देश भी इसकी चपेट में ना आ जाए। मैक्सिको की प्रशसा करने वाले अन्य मुद्रा कोप जैसे सगठनों ने अब चुप्पी साध ली है। उदारीकृत अर्थव्यवस्था के खतरों के बारे में उन्हें गभीरता से मोचना पड़ रहा है।

अब भारत के बारे में इस मदर्भ में सोचा जा रहा है कि सबसे बड़ी पाच अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की

प्रक्रिया के अपना रहा है। जिस प्रक्रिया ने दरमान में भारतीय अर्थव्यवस्था गुजार रही है, उनमें दमाम बरह के आशब्दों को गुजारिश है। खेल कौर खिलाड़ी दोनों ही नदे हैं, और पक्के दौर पर कुछ कहना बड़ा ही कठिन है।

लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टों के ओर ध्यान आकर्षित जन आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक परत्तरवादी और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण इनको उड़े करके गहरे हैं। कृषि आधारित होने के कारण इसे आजानी ने ठढ़ाड़ा जान नम्रव नहीं होगा।

लेकिन भारत और मैक्सिको में दो मूलभूत फ़र्क हैं, वह यह कि भारत में चालू खाते व्यक्ति चिह्निय न्यर पर दो हैं, किन्तु मैक्सिको के न्यर में कान्फ्रेंट दूर है। मैक्सिको में घाटा 1990 के 7.5 अरब डॉलर ने बट्टर 1994 में 25 अरब डॉलर दब जा पहुचा। भारत में 1994 में हमारा चालू खाते का घाटा 31.5 क्रोड डॉलर ही था, जो हमारी नक्स बाय का महज 0.1 प्रतिशत रहा। इनके अलावा जहा मैक्सिको में उदारीकरण के कारण विदेशी बन्दुओं द्वारा विलानिटा के नामान के बाद आ गयी, वही भारत में दैना कुछ होता नहीं दिख रहा है। इनके अलावा मैक्सिको में जो भी निवेश हुआ, वह अल्पकालिक बहुवाही वृद्धियों के दबाव था, जबकि भारत में निवेश घोलू द्वारा विदेशी दोनों ही दोषकालिक है।

हालांकि भारत दरकों ने कई दार देश रहा है लेकिन हमारे कई क्ष बड़ा हिन्मा दोषकालिक कर्ज का है, जबकि बहुत दोहा हिन्मा यानी 3.6 अरब डॉलर ही अल्पकालिक है। जातिरहे, इन कर्ज को चुकाने के लिये हमारे पास क्षर्ता दबत है और खुले के बाट बदले जैसी म्यार्टिव व्यवों में आयेगा। उधार की अर्थव्यवस्था के खुले बड़े हैं और मैक्सिको ने अर्थराशर के इन आधारज से नियम की दमेशा कर डाढ़ने लिये मुनीबद बुलाई। ऐसा नहीं है कि भारत में कर्ज लेने ने हमें कभी परहेज रहा, लेकिन एक सीधाकालिक देश होने के बाते इस पर एक अकुश हमेशा रहा। अरबराशर मुद्राकेष की बढ़िन शर्तों पर भी भारत ने त्रृण लिया, लेकिन देर सवेर उने चुकवया गया।

हमारा निर्यात लगातार बढ़ रहा है और इस बात की पूरी समावना है कि भारत अपने निर्यात लक्ष्य को पा लेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमारे निर्यात का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। हम परम्परागत बस्तुओं के अलावा इंजीनियरिंग के नामान काटे तक निर्यात करने लगे हैं। इनके अलावा आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। हम इस म्यार्टि में पहुचते जा रहे हैं कि आयात हमारे लिए मजबूरी नहीं रहेगी।

विश्व बैंक का मानना है कि भारत मैक्सिको के रास्ते पर नहीं जा सकता। क्यन क्य जाल भारत पर नहीं फैल नकता। परतु यह भी सच है कि बाजील और मैक्सिको के बद भारत विश्व के दीमरा बड़ा कई दार देश है। इनके बाद भी अर्थव्यवस्था के विक्षय न्यस्य टग ने हो रहा है और हमारे पास विदेशी मुद्रा का 20 अरब डॉलर का विशाल

पंडार भी है।

विदेशी वित्तीय संस्थाओं की भारतीय बाजार में भूमिका महत्वपूर्ण होने के बाद भी इतनी प्रभावशाली नहीं है कि अर्थव्यवस्था को झकझोर दे। भारतीय शेयर बाजारों में उनका कु.उ. निवेश 0.04 प्रतिशत ही रहा है। और वे ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि अर्थव्यवस्था को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करें। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेवी) के नियम इन्हें जटिल हैं कि निवेश किया धन देश से बाहर तुरत ले जाना उनके लिए कठिन है।

मैक्सिको का उदाहरण जहा एक ओर हमें अन्याधुन्य विदेशी पूँजी प्रवेश के बारे में आगाह करता है वहीं दूसरी ओर 1995-96 के बजट के पूर्व में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण पिछले चार वर्षों में अपनाई गई नीति की खामियों को उजागर करता है। 1991-92, 92-93, 93-94 तथा 94-95 के बजट की तुलना में 1995-96 के बजट में प्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, विकास गति को प्रोत्तमाहित करने तथा राहत देने वाली कई योजनाओं को घोषणा की गई है। उदार नीति के जयघोष में गरीबों के कल्याण पर सरकार को ध्यान देने के लिये अवसर नहीं मिला परन्तु चुनावों के परिणामों ने सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था की वास्तविकता की ओर आकर्षित किया है। हाल ही में योजना आयोग की रिपोर्ट में गरीबी से निम्नस्तर पर जीवन यापन करने वाली लोगों की सख्ता में वृद्धि से इस तथ्य का उजागर किया गया है।

विदेशी उद्यमी भारत के दो करोड़ लोगों के बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। परन्तु इस सम्पन्न वर्ग के साथ देश में गरीब भी रहते हैं जिनकी सख्ता करोड़ों में है। क्या इन लोगों की आधारभूत समस्याओं का हल ढूँढ़ने का काम निजी क्षेत्र पर छोड़ा जा सकता है? निजी क्षेत्र आचरण के सबध में दो बातें उल्लेखनीय हैं। पहली यह कि विदेशी पूँजी उद्यमी तो लाभ कमाने के लिये ही भारत में पूँजी लगाना चाहते हैं अतः वे लाभ कमाने के उद्देश्य से ही अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को कीमते तय करेंगे। हमारे देश के निजी क्षेत्र के व्यवसायियों पर भरोसा करना कि वे जनता के हितों को ध्यान में रखकर कीमतें उचित स्तर पर बनाए रखेंगे, सभव नहीं है। देश में सामान्य उपभोक्ता को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस सबध में कुछ अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। मुद्रास्फीति तो कीमतों में वृद्धि की सभावना को और अधिक बढ़ा देती है। वर्तमान अर्थव्यवस्था में जहा व्यापारिक गतिविधियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं—निजी क्षेत्र के उद्योगपति तथा व्यवसायी लाभ कमाने का एक भी अवसर खोना नहीं चाहते। अल्पकाल के लिये ही क्यों न हो, वे कीमतें बढ़ा देते हैं और जितना लाभ सभव हो, कमाने का प्रयास करते हैं। स्वस्य प्रतिस्पर्धा अभी भारत के लिये एक सपना है। क्योंकि आज भी वस्तुओं की पूर्ति सुगम होने पर भी, हमारे देश के सामान्य उपभोक्ता की स्थिति तथा उनकी मजबूरिया हैं जिसका परिणाम विक्रेता बाजार है। अतः आनेवाले कई दशकों तक सामान्य जनता के विकास की जिम्मेदारी सरकार को निभानी

होगी तथा उनके हितों की सुरक्षा की चिन्ता भी सरकार के ही करनी होगी ।

इसी सदर्म में भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ तथ्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता है वह है—बढ़ता हुआ रिजल्व घाटा और उने कम करने की दो बाधाएँ आवश्यकता, योर्थव्यवस्था में वृद्धि में सभव है। भारत में बाह्य ऋणों के साथ आनुसन्धि क्रमों का बढ़ता फार। उन के भार की गण्डीता के यह तथ्य उजागर करता है कि वर्तमान में कुछ छापियों (राजस्व एव पूजाग्राह) का 27 श्रविशत हिन्ना व्याज के भुगतान के लिये प्रदोष में लादा जाता है। मुद्रास्फैदि के बढ़ती दर एक गंधीर समस्या है। विदेशी पूजी के खुले निवेश में अर्थव्यवस्था के उद्योग तथा मेवा खेत में होने वाला स्वचालीकरण रोजगार के अवधारों के बहुत तरह प्रभावित कर रहा है, और करेगा ।

कृपि उत्पादन में स्थायित्व की अभाव जैसे कभी गन्ने के उत्पादन में कभी, तो कभी ठिलहन उत्पादन में। अब मुझाव है कि—कृपि खेत के विकास के इसमें प्रायमिकता दी जानी चाहिये। कृपि खेत के विकास में आधुनिक मशीनों का प्रयोग सीमित मात्रा में करते हुए कृपि के परम्परागत दरों के साथ उनका मेल बिठाया जाना चाहिये ।

लघु उद्योगों और परम्परागत उद्योगों के खेतों के विदेशी पूजोंनवियों के लिये नहीं खोला जाना चाहिए। भारतीय जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति में लघु उद्योगों के योगदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिये ।

सरकार को योजनाओं के माध्यम से सरचना के विकास के प्रक्रिया जारी रखनी चाहिये तथा आम जनता की अन्, वस्त, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यक सुविधाओं के उपलब्ध कराने के लिये प्रयास करने चाहिये ।

परिवार कल्याण कर्मकालों में जनता को शिक्षित करने के गमीर प्रयास करने चाहिये तभी जनसंख्या नियन्त्रण सभव होगा ।

जिन खेतों में विदेशी पूजी निवेश की अनुमति होगी, इस सबूत में आम सहमति क्षम्यम करके स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिये ।

देशी और विदेशी उद्योगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये ।

वर्तमान परिस्थितियों में यह सकेत प्राप्त हो रहे हैं कि हमारी भविष्य की अर्थव्यवस्था में भरकारी खेत और निजी खेत काम करते रहेंगे। निजी खेत के विकास की दिशा सरकारी नीति द्वारा दय की जानी चाहिये तथा उनके क्रियाकलापों पर नियन्त्रण हेतु सचिले नियम भी बनाये जाने चाहिये ।

सार्वजनिक खेत की इकाइयों की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है। विर्तीय व्यवहार के सिद्धान्तों की अवहेलना उनके बादि कल्याणकर्मी एवं विकास में जुड़े कार्यक्रमों के लागू किया जाता है दो दसकम परियाम क्या हो सकता है इसकम प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे घाटे में बलने वाले उद्योग एवं विदीय दृष्टि से कमज़ोर

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। अत पूर्व में हुई गलतियों से पाठ लेकर यदि वित्तीय संस्थाओं के सचालन में पूर्ण स्वायत्तता दी जाती है तो वे भी निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता कर सकेंगे। इस प्रकार एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित हो सकेगी जहाँ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए अधिक विकास में सहयोग दे सकेंगे। □